


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन


मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2007 की संख्या - 1



विषय सूची

| | पृष्ठ |
|-------------|--|
| प्राक्कथन | i |
| विशिष्टताएं | iii |
| अध्याय | विषय |
| 1. | संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन 1-18 |
| 2. | संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना 19-37 |
| 3. | संसाधनों का उपयोग: व्यय 38-60 |
| 4. | घाटा: राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन 61-73 |
| 5. | राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन 74-88 |
| 6. | विनियोग लेखे 2005-06: प्रस्तावना 89-92 |
| 7. | विनियोग लेखे 2005-06: एक विश्लेषण 93-109 |
| 8. | चुने हुए अनुदानों की समीक्षा 110-141 |
| 9. | सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: एक सामान्य मूल्यांकन 142-148 |
| | परिशिष्ट सूची 149 |
| | परिशिष्ट 150-211 |
| | शब्दावली 212-216 |




प्राक्कथन

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं (रेलवे को छोड़ कर) पर नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को पृथक रूप से प्रतिवेदन सं. 2 में सम्मिलित किया गया है।

संघ सरकार के लिए, स्वायत्त निकायों (सं. 3), रक्षा सेवाएं-सेना तथा आयुध फैक्ट्रियां (सं. 4), रक्षा सेवाएं-वायु सेना एवं नौ सेना (सं. 5), रेलवे (सं. 6), अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सं. 7) तथा प्रत्यक्ष कर (सं. 8) पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।



संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था तथा लेखे : 2005-06

विशिष्टताएं

यह प्रतिवेदन संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था और दो योजनाओं की अवधि अर्थात् VIIIवीं (1992-1997) और IXवीं (1997-2002) तथा Xवीं योजना (2002-06) के चार वर्षों के मुख्य राजकोषीय सूचकों की प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है। इसमें 2005-06 के विनियोग लेखाओं का एक विश्लेषण भी अन्तर्विष्ट है।

- वर्ष 2005-06 भारत की समेकित निधि में 18224 करोड़ रु. के घाटे एवं लोक लेखे में 3514 करोड़ रु. की राशि के अधिशेष के साथ समाप्त हुआ।
- 2005-06 में राजस्व घाटा 109,697 करोड़ रु. था जबकि राजकोषीय घाटे की राशि 1,64,927 करोड़ रु. थी। राजस्व घाटा, सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का 3.11 प्रतिशत था जबकि राजकोषीय घाटा, स.घ.उ. का 4.67 प्रतिशत था।
- 2005-06 में संघ सरकार के कुल संसाधनों की राशि 2292,037 करोड़ रु. थी। गैर-ऋण प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का लगभग 24 प्रतिशत बनती थीं। शेष उधारों और लोक लेखा प्राप्तियों से आया था।
- 2005-06 के दौरान राजस्व कर, राज्यों तथा सं.शा.क्षे. के अंशों को सौंपने के बाद, पिछले वर्षों की अपेक्षा 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्ज करते हुए, 271,766 करोड़ रु. था। राजस्व कर, निगम एवं सेवा कर से अधिक वसूली, जो पिछले वर्षों की अपेक्षा क्रमशः 22.49 एवं 62.36 प्रतिशत बढ़ी थी, के परिणामस्वरूप उत्प्लावक था। 2005-06 में कुल गैर-कर राजस्व 159,174 करोड़ रु. था जो संघ सरकार के निवल राजस्व का 37 प्रतिशत बनता था।
- संघ सरकार का कुल संवितरण VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 433,716 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2005-06 में 2226,099 करोड़ रु. हो गया। तथापि, 1985-2006 के दौरान संवितरण की वृद्धि की 12.34 प्रतिशत की औसत वार्षिक प्रवृत्ति स.घ.उ. की वृद्धि दर की अपेक्षा कम थी, जिसका औसत उसी अवधि में 13.72 प्रतिशत था।
- राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा और इसका अंश VIIIवीं योजना के दौरान 78.88 प्रतिशत की औसत से बढ़ कर 2005-06 में 88.74 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम के सापेक्ष अंश VIIIवीं योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत की औसत से कम हो कर 2005-06 में 11.26 प्रतिशत हो गया।

- जहां कुल व्यय में योजनागत व्यय का दीर्घावधि औसत अंश 1985-2006 के दौरान 23.14 प्रतिशत था, 2005-06 में इसका अंश केवल मामूली कम हो कर 23.08 हो गया।
- सामाजिक सेवाओं पर संघ सरकार का समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 6903 करोड़ रु. की औसत से बढ़ कर 2004-05 में 31,115 करोड़ रु. तथा 2005-06 में 39,160 करोड़ रु. हो गया था। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में दीर्घावधि प्रवृत्ति वृद्धि दर 15.48 प्रतिशत थी (1987-2006)।
- कुल राजकोषीय देयताएं - स.घ.उ. अनुपात 1991-92 के दौरान शिखर पर रहा, जब यह स.घ.उ. के 65.43 प्रतिशत तक पहुंचा था। यह अनुपात IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 59.08 प्रतिशत तक अत्वरित हुआ। हाल के चार वर्षों में यह अनुपात 2002-03 में 62.69 प्रतिशत तक बढ़ गया वहीं यह 2004-05 में 58.71 प्रतिशत और 2005-06 में 55.75 प्रतिशत तक अत्वरित हुआ।
- 1985-2006 के दौरान, राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात की एक धनात्मक परिवर्तन दर थी। गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं का औसत अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 446 प्रतिशत से बढ़ कर 2002-03 में 453 प्रतिशत हो गया था। तथापि, यह 2005-06 में कम हो कर 443 प्रतिशत हुआ था।
- विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत कुल उचंत शेष मार्च 2002 के अंत में 3299.09 करोड़ रु. (डेबिट) से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 8560.40 करोड़ रु. (डेबिट) हो गया।

अध्याय 1

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन

वर्ष 2005-06 के लिए संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था के विहंगावलोकन से भारत की समेकित निधि में पिछले वर्ष के अधिशेष की तुलना में घाटा तथा लोक लेखा में अधिशेष में गिरावट प्रकट हुई। यह हास मुख्यतः गैर-ऋण प्राप्तियों में कमी के साथ-साथ कुल व्यय में बढ़ोतरी; संघ की ऋण वसूली प्राप्तियों में कमी तथा पिछले वर्षों की अपेक्षा ब्याज वाले जमाओं में अर्थपूर्ण कमी के कारण था। बजट अनुमानों के अतिरिक्त गैर-कर राजस्व प्राप्तियों ने कर वसूली में सीमान्त कमी की क्षतिपूर्ति की और जिसका परिणाम वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों की कुल मिलाकर अच्छी वसूली में हुआ। जबकि दूरदर्शी राजकोषीय नीति का राजस्व प्राप्तियों पर प्रभाव सुस्पष्ट था लेकिन सामाजिक क्षेत्रों पर बढ़े हुए व्यय का परिणाम राजस्व व्यय की वृद्धि में भी हुआ। पूंजीगत व्यय में अर्थपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित किया लेकिन 2003-04 और 2004-05 के दौरान इसकी वृद्धि में अर्थपूर्ण गति प्राप्त करने के उपरान्त चालू वर्ष के दौरान मंदन दिखलाया। राजकोषीय असंतुलन न केवल निरन्तर जारी रहे बल्कि अर्थपूर्ण राशि में रहे। 2005-06 के दौरान स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा क्रमशः 3.11 तथा 4.67 थे, जो 2004-05 में अपने स्तरों की अपेक्षा 0.58 तथा 1.33 प्रतिशतता अंक उच्च थे। बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित राज्यों को उच्च राजकोषीय अंतरण तथा सामाजिक क्षेत्रों पर उच्चतर खर्च के परिणामस्वरूप ये प्रवृत्तियाँ रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में अपने राजकोषीय सुधार में संघ सरकार के एक ठहराव को दर्शाती थी। संसाधन उपलब्धता तथा परिसम्पत्ति गठन में ऋणात्मक फैलाव का परिणाम संघ सरकार के उत्तरदायित्वों के सापेक्ष इसकी परिसम्पत्ति आधार में प्रणामी गिरावट में हुआ। संघ सरकार के विभिन्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया उच्चत शेषों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई जिसने भा.रि.बैं. तथा सरकार के साथ साथ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाया। यदि ये राशियाँ बकाया रहती हैं तथा उच्चत शीर्षों के अन्तर्गत बकाया संचित होते रहेगें तो परिणामी अवस्था सरकारी लेखों की स्थिति का परिशुद्ध मूल्यांकन प्रदर्शित नहीं करेगी।

1.1 यह अध्याय वर्ष 2005-06 के दौरान संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है और 1985-2006 की अवधि के दौरान मुख्य राजकोषीय संचयन में नाजुक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

1.2 तालिका 1.1 प्राप्तियों, संवितरणों, घाटों तथा उधारों (आवश्यकता और इसके समायोजन) को समाविष्ट करते हुए चालू वर्ष (2005-06) में संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

तालिका 1.1: चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(करोड़ रुपयों में)

| प्राप्तियां | व्युत्पन्न मापदण्ड | संवितरण |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) | | |
| राजस्व प्राप्ति | 430940 | राजस्व घाटा 109697 |
| विविध पूंजीगत प्राप्ति | 1581 | राजस्व व्यय |
| ऋणों की वसूली | 11801 | पूंजीगत व्यय |
| कुल गैर-ऋण प्राप्ति | 444322 | ऋण तथा अग्रिम |
| लोक ऋण | 1262363 | कुल व्यय |
| | | लोक व्यय |
| | | लोक ऋण |
| | | आकस्मिकता निधि को विनियोग |
| कुल भा.स.नि. | 1706685 | भा.स.नि. में घाटा 18224 |
| | | कुल भा.स.नि. |
| आकस्मिकता निधि | | |
| प्राप्तियां | 450 | |
| लोक लेखा | | |
| लघु बचत | 291276 | लघु बचत |
| आरक्षित एवं निक्षेप निधि | 36715 | आरक्षित एवं निक्षेप निधि |
| जमा | 48825 | जमा |
| अग्रिम | 26672 | अग्रिम |
| उचन्त लेखे | 6552 | उचन्त लेखे |
| प्रेषण | 729 | प्रेषण |
| कुल लोक लेखे | 410769 | लोक लेखे में घाटा 3514 |
| अथ नकद | 79748 | रोकड़ में कमी 14260 |
| लोक लेखा अधिशेष (मांग) | | 3514 |
| वार्षिक देयताएं (आपूर्ति) | | भा.स.नि. में घाटा - रोकड़ में कमी- आकस्मिकता निधि को विनियोग |
| वार्षिक देयताएं (मांग) | | 175958 |
| | | (ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष |
| | | 175958 |
| | | सा.जमा-रोकड़ में कमी+(अग्रिम+ उचन्त+प्रेषण) का निवल संवितरण |

1.3 पिछले वर्ष में 45222 करोड़ रु. के अधिशेष की तुलना में वर्ष 2005-06 भारत की समेकित निधि में 18224 करोड़ रु. के घाटे के साथ समाप्त हुआ। जबकि 2005-06 के दौरान लोक लेखे ने अधिशेष बनाए रखा, यह 2004-05 में 27119 करोड़ रु. से कम हो कर वर्ष के दौरान 3514 करोड़ रु. हुआ। वर्ष के दौरान संघ वित्त में हुए राजकोषीय परिवर्तन मुख्यतः (क) गैर-ऋण प्राप्तियों में 1213 करोड़ रु. की कमी के साथ कुल व्यय में 59916 करोड़ रु. की वृद्धि, (ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों द्वारा लिए गए उच्च लागत ऋण को 2004-05 तक कम ब्याज वाली नई प्रतिभूतियों के साथ

बदलने तथा बारहवें वित्त आयोग के पंचाट के अंतर्गत 20 वर्षों की नई अवधि हेतु मार्च 2004 तक अनुबंधित राज्यों को केन्द्रीय ऋणों के आगामी समेकन एवं पुनर्योजन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में संघ की ऋण वसूली प्राप्तियों में 52439 करोड़ रु. की कमी, (ग) पिछले वर्ष के तुलना में 2005-06 में लोक ऋण लेखे में अधिशेष स्तर में 1867 करोड़ रु. की कमी तथा (घ) मुख्यतः पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज वहन करने वाली जमाओं में 25540 करोड़ रु. की सार्थिक कमी के कारण लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्ति में 16738 करोड़ रु. की कमी के कारण थे। 2005-06 के दौरान 164927 करोड़ रु. का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 61129 करोड़ रु. अधिक है। तथापि नई देयताएं, जो कि इस संसाधन अंतराल की पूर्ति के लिए अनुकूल प्रवाह है, नकद शेषों में संचय के कारण राजकोषीय घाटे से 11031 करोड़ रु. अधिक थीं।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार की निधियां और लोक लेखे

| समेकित निधि | आकस्मिकता निधि |
|---|---|
| संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों के निर्गम द्वारा उगाहे गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" शीर्षक एक समेकित निधि बनाएंगे। | संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। |
| लोक लेखा | |
| समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं। | |

1.4 संघीय बजट, आंकड़ों के तीन सैट (क) पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान तथा (ग) आगामी वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। वास्तविक आंकड़ें बजट अनुमानों के कितने निकट हैं उस सीमा को दर्शाता है जहां तक वर्ष के दौरान राजकोषीय अनुशासन को लागू किया गया था। बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों में विचलन के बहुत से कारण हैं। यह अपूर्वानुमानित तथा यादृच्छिक बाह्य कारणों या कार्यप्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण हो सकता है जिसका परिणाम बजट स्तर पर व्यय अथवा राजस्व का कम अथवा अधिक अनुमान में हो सकता है अथवा कुछ अवसरों पर अनुदार होना विवेकपूर्ण माना जा सकता है। वास्तविक राजस्व की प्राप्ति और इसका संवितरण कुछ आन्तरिक एवं अन्य बाह्य कई

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

कारणों पर निर्भर करता है। तालिका 1.2 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए, बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों का एक सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2005-06 - बजट तथा वास्तविक आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

| बजट अनुमान | 2004-05 वास्तविक आंकड़े | 2005-06 | | बजट से विचलन | विचलन* प्रतिशत |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | वास्तविक आंकड़े | बजट अनुमान | | |
| 1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियां | 1578331 | 2117454 | 1553637 | 563817 | 36.29 |
| 2 राजस्व प्राप्तियां | 376871 | 430940 | 427426 | 3514 | 0.82 |
| कर राजस्व | 226363 | 271766 | 275066 | -3300 | -1.20 |
| गैर-कर राजस्व | 150508 | 159174 | 152360 | 6814 | 4.47 |
| 3 विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 4424 | 1581 | 0 | 1581 | - |
| 4 कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली | 64240 | 11801 | 13525 | -1724 | -12.75 |
| 5 लोक ऋण की प्राप्ति | 705289 | 1262363 | 747035 | 515328 | 68.98 |
| 6 लोक लेखा प्राप्तियां | 427507 | 410769 | 365650 | 45119 | 12.34 |
| 7 संघ सरकार के कुल संवितरण | 1505990 | 2132164 | 1542207 | 589957 | 38.25 |
| 8 राजस्व व्यय | 455571 | 540637 | 522740 | 17897 | 3.42 |
| 9 पूंजीगत व्यय | 53654 | 56119 | 62537 | -6418 | -10.26 |
| 10 कर्जें तथा अग्रिम | 40108 | 12493 | 7177 | 5316 | 74.07 |
| 11 लोक ऋण की वापसी | 556269 | 1115210 | 601477 | 513733 | 85.41 |
| 12 लोक लेखा संवितरण | 400388 | 407255 | 347377 | 59878 | 17.24 |
| 13 राजस्व घाटा | 78700 | 109697 | 95314 | 14383 | 15.09 |
| 14 राजकोषीय घाटा | 103798 | 164927 | 151144 | 13783 | 9.12 |

* विचलन (बजट अनुमान-वास्तविक आंकड़े)/बजट अनुमान x100 के रूप में अनुमानित हैं।

1.5 मुख्यतः गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में 4.47 प्रतिशत की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां, बजट अनुमानों से उपान्तीय 0.82 प्रतिशत अधिक थी जिसने कर संग्रहण की उपान्त कमी को पूरा किया और जिसका परिणाम वर्ष के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों की बेहतर वसूली में हुआ। तथापि बजट अनुमानों से संबंधित राजस्व व्यय में 3.42 प्रतिशत की वृद्धि 2005-06 के लिए परिकल्पित बजटीकृत स्तर की तुलना में राजस्व घाटे में 15 प्रतिशत वृद्धि का कारण बनी। तथापि राजकोषीय घाटा, जो सरकार के समग्र संसाधन अंतराल का द्योतक है, बजटीकृत आंकड़ों से 9 प्रतिशत अधिक था। ऋण एवं अग्रिम की वसूली तथा सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों में सरकारी इक्विटी की बिक्री आय में भारी कमी पिछले वर्ष के साथ-साथ 2005-06 के लिए बजट अनुमानों दोनों स्तरों से राजकोषीय घाटे में वृद्धि का कारण बनी। लोक ऋण के संबंध में यद्यपि प्राप्ति एवं संवितरण (पुनर्भुगतान), दोनों बजटीकृत आंकड़ों से अधिक थे, फिर भी देयताओं में वृद्धि के रूप में इनका निवल प्रभाव बजट अनुमानों से उपान्तीय केवल 1595 करोड़ रु. अधिक था। कुल मिलाकर विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों का असर राजस्व प्राप्तियों पर सुस्पष्ट था लेकिन सामाजिक क्षेत्रों पर बढ़ते व्यय पर जोर देने के

परिणाम राजस्व व्यय में वृद्धि में हुआ। इसके अतिरिक्त बजट अनुमानों के साक्षेप अन्य पैरामीटरों में भी विचलन काफी अधिक थे।

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 1985-2006 - कुछ मुख्य पैरामीटर

बॉक्स 1.2: निधियों का प्रबन्ध: संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(3) में प्रावधान है कि "भा.स.नि. या राज्य की समेकित निधि में से कोई भी राशि, जैसा कि विधि के अनुसार है तथा उस प्रयोजनों के लिए और जैसा कि संविधान में प्रावधान है के सिवाय, विनियोजित नहीं की जाएगी।" लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुदान की मांगों के लिए मत देने के उपरान्त, विनियोग अधिनियम के रूप में परिणत हुआ यह प्रावधान अनुच्छेद 112 तथा 114 के साथ पठित है तथा संबंधित विनियोग बिल संसद द्वारा पारित किया जाता है और जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। विनियोग अधिनियम की धारा 2 एवं 3 के प्रावधान नीचे दिये गये हैं:

भा.स.नि. में से, विभिन्न प्रभारों को चुकाने के प्रति अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक न होकर लागू राशि, जो अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान के लिए होगी, अदा की जाएगी।

इस अधिनियम के द्वारा भा.स.नि. में से भुगतान तथा प्रयुक्त किये जाने वाली के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उल्लिखित वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

1.6 जैसा कि वित्त लेखाओं से प्रकट/व्युत्पन्न हुआ है, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के आंकड़े सरसरी तौर पर देखे गए बजट तथा बजट दस्तावेजों के साथ संलग्न कुछ कागजातों में दर्शाए जा रहे आंकड़ों से निरन्तर भिन्न हैं। ये अंतर राजस्व तथा व्यय पक्ष में कुछ लेन-देनों को शामिल/बाहर निकालने के कारण हैं। जबकि ये बजट कागजातों के साथ संलग्न दस्तावेजों में दर्शाए गए हैं, इन कागजातों को ऊपर दर्शाना महत्वपूर्ण हो सकता है। निम्न तालिका 1.3 राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में, आवश्यक समायोजन लेन-देनों सहित सरसरी तौर पर देखे गए बजट में दर्शाए गए तथा वित्त लेखाओं में दर्शाए/व्युत्पन्न आंकड़ों के बीच अंतर दर्शाती है।

तालिका 1.3: वित्त लेखे तथा सरसरी तौर पर देखे गए बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटे का समायोजन

| | (करोड़ रु. में) | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
| वित्त लेखाओं के अनुसार घाटा | | | | | |
| राजस्व घाटा | 110303 | 109765 | 100986 | 78700 | 109697 |
| राजकोषीय घाटा | 155833 | 134588 | 80937 | 103798 | 164927 |
| सरसरी तौर पर देखे गए बजट के अनुसार घाटा | | | | | |
| राजस्व घाटा | 100162 | 107880 | 98262 | 78338 | 92299 |
| राजकोषीय घाटा | 140955 | 145072 | 123272 | 125202 | 146435 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रु. में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|--------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| दो आंकड़ों में अन्तर | | | | | |
| राजस्व घाटा | 10141 | 1885 | 2724 | 362 | 17398 |
| राजकोषीय घाटा | 14878 | (-) 10484 | -42335 | (-) 21404 | 18492 |
| अंतरों को स्पष्ट करने वाले कारण | | | | | |
| भा.रि.बैं./यू.टी.आई./आई.डी.बी.आई./अन्य को जारी प्रतिभूतियां (राजस्व लेखा) | 10141 | 1885 | 2724 | 362 | - |
| आई.आई.बी.आई./आई.एफ.सी.आई./भा.रि.बैं. को जारी प्रतिभूतियां (पूँजीगत व्यय) | 4737 | 384 | -110 | (-) 88 | 500 |
| आई.एम.एफ. को जारी प्रतिभूतियां | - | 1011 | 1262 | 415 | 595 |
| एन.एस.एस.एफ. को जारी प्रतिभूतियों का शोधन | - | (-) 13765 | (-)46211 | (-) 32675 | - |
| परिसम्पत्ति प्रबन्ध न्यास को जारी प्रतिभूतियां | - | - | - | 9000 | - |
| भा.रि.बैं. को जारी विशिष्ट प्रतिभूतियां | - | - | - | 350 | - |
| प्राप्य ब्याज का इक्विटी में परिवर्तन | - | - | - | 640 | - |
| न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन में निवेश | - | - | - | 592 | - |
| तेल कम्पनियों को जारी प्रतिभूतियां | - | - | - | - | 17263 |
| भा.औ.वि.बैं. में विशिष्ट परिसम्पत्तियों की वसूली | - | - | - | - | 134 |
| संयुक्त प्रभाव | 14878 | (-) 10485* | -42335 | (-) 21404 | 18492 |

* अंतर शेष-सारांश को पूर्णकृत करने के कारण था।

1.7 वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों के अनुसार, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे क्रमशः 109,697 करोड़ रु. तथा 164927 करोड़ रु. परिकलित हुए थे। वार्षिक वित्तीय विवरण के आंकड़े संघ सरकार के वित्त लेखों के आंकड़ों से मेल खाते हैं। तथापि सरसरी तौर पर बजट ने आंकड़ों को क्रमशः 92,299 करोड़ रु. और 146,435 करोड़ रु. सूचित किया था।

1.8 राजस्व प्राप्तियां, व्यय, राजकोषीय असंतुलन तथा राजकोषीय देयताओं को शामिल करते हुए संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 से 5 में अन्तर्विष्ट है। मुख्य पैरामीटरों का विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

शेषों का सार

1.9 वित्त लेखे के विवरण 12 में संसाधनों की उपलब्धता तथा उपयोग की शर्तों के संबंध में सरकारी वित्तीय व्यवस्था के संचित निष्कर्ष का सार है। वित्त लेखे के विवरण 5 के साथ पठित यह विवरण, सरकार के तुलनपत्र के सदृश है। तालिका 1.4, 1985-86 तथा 2005-06 के दौरान विश्लेषण के आधार वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकारी वित्तीय व्यवस्था का सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.4: सरकारी वित्तीय व्यवस्था के शेषों का सार

(करोड़ रुपयों में)

| संसाधनों के उपयोग | | | | संसाधनों की उपलब्धता | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------------|-------------|----------|--------------|
| | 31 मार्च को | | वृ.सं.वा.द.* | | 31 मार्च को | | वृ.सं.वा.द.* |
| | 1986 | 2006 | | | 1986 | 2006 | |
| पूँजीगत परिव्यय | 62064 | 543047 | 11.46 | आंतरिक ऋण | 71039 | 1389758 | 16.03 |
| ऋण तथा अग्रिम | 61766 | 231035 | 6.82 | बाह्य ऋण | 18153 | 94243 | 8.58 |
| कार्यों के अनुसार स्रोत उपयोग | | | | लघु बचत | 36859 | 275380 | 10.58 |
| सामाजिक सेवाएं | 3032 | 22581 | 10.56 | अन्य उत्तरदायित्व | 11433 | 109462 | 11.96 |
| कृषि एवं सम्बद्ध | 5596 | 8787 | 2.28 | राजकोषीय देयताएँ | 137484 | 1868843 | 13.94 |
| सिंचाई एवं बिजली | 9122 | 60856 | 9.95 | नकद शेष | -107 | -65488 | 37.83 |
| उद्योग एवं खनिज | 32931 | 83161 | 4.74 | उच्च लेखे | -1260 | -17557 | 14.08 |
| परिवहन एवं संचार | 19198 | 122270 | 9.70 | प्रेषण | -1273 | -2172 | 2.71 |
| अन्य आर्थिक सेवाएं | 3012 | 72974 | 17.28 | अग्रिम | -511 | -3302 | 9.78 |
| कुल आर्थिक सेवाएं | 69859 | 348048 | 8.36 | आकस्मिकता निधि | 50 | 500 | 12.20 |
| सामान्य सेवाएं तथा अन्य | 12219 | 245429 | 16.18 | निधियों की उपलब्धता | 134383 | 1780824 | 13.79 |
| राज्यों को ऋण | 38720 | 158024 | 7.29 | संसाधन अन्तराल | -10553 | -1006742 | 25.60 |
| कुल परिसम्पत्तियाँ | 123830 | 774082 | 9.60 | संसाधन उपयोग | 123830 | 774082 | 9.60 |

(*वृद्धि की संचयी वार्षिक दर)

1.10 जहां संघ सरकार की निधियों की निवल उपलब्धता 13.79 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी थी, पूँजीगत व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों को समाविष्ट करते हुए सरकारी परिसम्पत्तियाँ केवल 9.60 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। स्रोत की उपलब्धता तथा परिसम्पत्तियों के निर्माण की वृद्धि में इस नकारात्मक फैलाव के परिणामस्वरूप संघ सरकार की अपनी देयताओं के सापेक्ष मूल परिसम्पत्तियों में उत्तरोत्तर गिरावट आई। 1985-2006 के दौरान परिसम्पत्तियों के भीतर, पूँजीगत व्यय या सरकार द्वारा पूँजीगत निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि देखी गयी थी। “ऋण तथा अग्रिम” जो अपने पराश्रयी के माध्यम से पूँजीगत निर्माण के सदृश हैं, में 6.82 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों और उद्योग तथा खनिजों में परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा निवेश में, इस अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम वृद्धि दर्ज की गयी। सामाजिक सेवाओं में निवेश में 10.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय, जिसमें वित्तीय संस्थानों के लिए निवेश/आवास शामिल था, उसमें सापेक्ष रूप से उच्च वृद्धि थी। अन्य घटक, जिसमें औसत वृद्धि से तीव्र वृद्धि हुई, लोक निर्माण कार्य तथा रक्षा को शामिल करते हुए सामान्य सेवाएं तथा अन्य सेवाओं पर व्यय था। निधियों की निवल उपलब्धता तथा संसाधन उपयोग के बीच, अन्तर के रूप में मापा जाने वाला संसाधन अन्तराल 31 मार्च 1986 को लगभग आठ प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 56.53 प्रतिशत के निकट हो गया था।

बॉक्स 1.3: सूचना पैरामीटर

राजकोषीय संचयन, जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं। 1993-94 को आधार मानकर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित नई स.घ.उ. श्रृंखला का उपयोग किया गया है। चालू वर्ष के लिए स.घ.उ. के अनुमान के.सा.सं. द्वारा 31 मई 2006 को जारी उनकी प्रैस विज्ञप्ति के अनुरूप है।

कर राजस्व के लिए उत्लावकता अनुमान दिए गए हैं। उत्लावकता कर आधार में प्रतिशतता परिवर्तन से कर की प्रतिक्रियाशीलता का संकेत देती है। यहाँ पर उत्लावकताओं को उपर्युक्त वर्णित स.घ.उ. श्रृंखलाओं के संदर्भ में परिकलित किया गया है।

अधिकतर श्रृंखलाओं के लिए 1985-2006 के दौरान एक प्रवृत्ति वृद्धि का संकेत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, VIIIवीं योजना (1992-97) तथा IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि भी इंगित की गई है। इन वृद्धि दरों को परिकलित करते समय, अंतर्योजना वृद्धि दरों का अनुमान लगाने के लिए योजना के पहले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। यह प्रक्रिया योजना के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की 'निम्न आधार प्रवृत्ति' का निराकरण करती है। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के लिए वार्षिक वृद्धि दरें भी दर्शाई गई हैं।

अधिकतर श्रृंखलाओं के लिए स.घ.उ. के संबंध में अनुपात भी इंगित किए गए हैं। 1985-2006 की अवधि के लिए वृद्धि दरों के मामले की ही भांति तथा VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधियों के लिए पृथक औसत अनुपातों का उपयोग किया गया है। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के लिए वार्षिक अनुपात भी दर्शाए गए हैं।

राजस्व प्राप्तियां

1.11 तालिका 1.5, 1985-2006, VIIIवीं और IXवीं योजना (क्रमशः 1992-1997 और 1997-2002) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के चार वर्षों के दौरान वृद्धि दर तथा साक्षेप भाग को, कर के स.घ.उ., गैर-कर तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (संघ सरकार के करों में राज्यों का निवल हिस्सा) की प्रतिशतता के रूप में इंगित करती है।

तालिका 1.5 : संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्य पैरामीटर

(प्रतिशत)

| अवधि | सकल कर राजस्व | | गैर-कर राजस्व | | संघ सरकार के कुल राजस्व | | स.घ.उ. में वृद्धि |
|---------------------------|---------------|-------|---------------|------|-------------------------|-------|-------------------|
| | क | ख | क | ख | क | ख | |
| 1985-2006 | 12.81 | 9.35 | 12.84 | 5.62 | 12.95 | 12.51 | 13.72 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 15.89 | 9.32 | 14.66 | 5.94 | 15.61 | 12.71 | 16.54 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 9.00 | 8.68 | 8.00 | 6.06 | 8.12 | 12.40 | 10.43 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | |
| 2002-03 | 15.61 | 8.76 | 6.58 | 5.66 | 13.02 | 12.14 | 8.21 |
| 2003-04 | 17.61 | 9.22 | 7.76 | 5.45 | 13.10 | 12.29 | 11.76 |
| 2004-05 | 19.90 | 9.82 | -0.01 | 4.85 | 11.14 | 12.14 | 12.52 |
| 2005-06 | 20.07 | 10.37 | 5.76 | 4.51 | 14.35 | 12.20 | 13.72 |

क:- वृद्धि की दर

ख:- स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्ष भाग

1.12 1985-2006 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (कर तथा गैर-कर प्राप्तियों सहित) की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर स.घ.उ. की वृद्धि से अपेक्षाकृत कम थी। आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित करके 1992 से 2002 तक के एक दशक से

अधिक के लिए राजस्व प्राप्तियां और इसके दो घटकों की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही थी। गैर-कर प्राप्तियों की वृद्धि दर आंशिक रूप से दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण और प्रसार भारती की स्थापना के कारण दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान न केवल मंद रही बल्कि मुख्यतः उच्च लागत केन्द्रीय सरकार ऋणों के पूर्व भुगतान को सक्षम बनाने के लिए ऋण विनिमय योजना के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान संघ की ब्याज प्राप्तियों में सार्थक कमी के कारण 2004-05 के दौरान यह ऋणात्मक हो गई थी। तथापि 2003-04 से 2005-06 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमानों तथा गैर-कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना से प्रकट हुआ है कि मुख्यतः 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'लाभांश से आय' के अंतर्गत बजट अनुमान की तुलना में अधिक वसूली के कारण गैर-कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से अधिक थी। यह उल्लेख करना संगत है कि 2005-06 के दौरान तत्त्वतः 'सूचना एवं प्रसार' शीर्ष के अंतर्गत अधिक वसूली के कारण सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियां 2004-05 में 451 करोड़ रु. से तीन गुणा बढ़कर 2005-06 में 1643 करोड़ रु. हो गई थी। 'आर्थिक सेवाओं' से प्राप्तियों में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मिलकर सामाजिक सेवाओं से अधिक वसूली पिछले वर्ष की तुलना में 2005-06 के दौरान गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में 6 प्रतिशत वृद्धि का कारण बनी। दसवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान सकल कर राजस्व में वृद्धि की दर में नियमित वृद्धि हुई जिसका परिणाम आरोही कर - स.घ.उ. अनुपात में हुआ। स.घ.उ. की तुलना में कर प्राप्तियों का अनुपात, जो IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.68 प्रतिशत की औसत तक कम हो गया था, ने अपनी आरोही प्रवृत्ति जारी रखी तथा आर्थिक सुधार के काल के दौरान 2005-06 में पहली बार 10 प्रतिशत को पार किया। संघ के कर राजस्व में बढ़ती हुई उत्प्लावकता के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कर ढांचे का युक्तिकरण तथा पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए अन्य कराधान उपाय जिम्मेदार हो सकते थे।

1.13 संघ सरकार के कुल राजस्व में (राज्यों के अंशदानों में शामिल करते हुए) 1985-2006 के दौरान 0.933 की उत्प्लावकता आई थी जो यह इंगित करती है कि स.घ.उ. में प्रत्येक प्रतिशतता अंक वृद्धि के लिए कर राजस्व में केवल 0.93 प्रतिशत की वृद्धि थी। जबकि निगम तथा व्यक्तिक आयकर को सम्मिलित करके प्रत्यक्ष कर की उत्प्लावकता एक से अधिक थी, 2005-06 के दौरान अप्रत्यक्ष कर (सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क दोनों) की निम्न उत्प्लावकता जो कि कुल कर राजस्व की लगभग 48 प्रतिशत बनती थी जिसका परिणाम सकल कर प्राप्तियों की समग्र निम्नतर उत्प्लावकता में हुआ। गैर-कर प्राप्तियों में, जबकि ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज की औसत दर उधारों की औसत लागत से अधिक बनी रही, निवेश पर वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की वसूली कम रही।

व्यय

1.14 संघ सरकार का कुल व्यय (तालिका 1.6) भी ऐसी ही स्थिति दर्शाता था। कुल व्यय की वृद्धि की दर में 12.02 प्रतिशत (1985-2006) की दीर्घकालीन अवधि औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.86 प्रतिशत और 2003-04 में 6.4 प्रतिशत की कमी आई थी। 2004-05 में कुल व्यय में वृद्धि बढ़ गई थी तथा 2005-06 में 10.91 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी। कुल व्यय - स.घ.उ. अनुपात भी आठवीं योजना (1992-97) के दौरान 19.66 की औसत प्रवृत्ति से कम होकर नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान 19.56 हो गया था तथा परवर्ती वर्षों में कम होकर चालू वर्ष में 17.25 के स्तर पर पहुंच गया। पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रमाणित थी, परन्तु व्यय के इस घटक की औसत वार्षिक वृद्धि कम रही। कुल व्यय का यह घटक 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान वृद्धि में महत्वपूर्ण त्वरण प्राप्त करने के पश्चात चालू वर्ष के दौरान दौबारा अत्वरण प्रवृत्ति को दर्शाता था। स.घ.उ. के सापेक्ष, इसके हिस्से में उतार-चढ़ाव था, परन्तु इसके साक्ष्य हिस्सों में विचलन की प्रवृत्ति दर ऋणात्मक थी। ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण ने भी IXवीं योजना (1997-2002) से समग्र घटती हुई प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। 2005-06 के दौरान तीव्र गिरावट बा.वि.आ. की अनुशंसाओं पर चालू वर्ष से राज्यों को भविष्य में उधार लेने में संघ सरकार की मध्यस्थता संबंधी अपनी भूमिका को समाप्त करने के कारण थी।

तालिका 1.6: संघ सरकार के व्यय के मुख्य पैरामीटर

(प्रतिशत)

| अवधि | राजस्व व्यय | | पूंजीगत व्यय | | ऋण तथा अग्रिम | | कुल व्यय | |
|---------------------------|-------------|-------|--------------|------|---------------|------|----------|-------|
| | क | ख | क | ख | क | ख | क | ख |
| 1985-2006 | 13.52 | 15.88 | 8.18 | 1.64 | 4.43 | 1.77 | 12.02 | 19.29 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 14.64 | 15.51 | -8.44 | 1.89 | 11.91 | 2.26 | 11.87 | 19.66 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 10.40 | 16.36 | 9.22 | 1.37 | -3.42 | 1.84 | 8.86 | 19.56 |
| Xवीं योजना (2002-2007) | | | | | | | | |
| 2002-03 | 9.06 | 16.59 | -2.55 | 1.23 | -6.19 | 1.47 | 6.92 | 19.29 |
| 2003-04 | 7.45 | 15.95 | 16.08 | 1.28 | -13.51 | 1.14 | 6.40 | 18.36 |
| 2004-05 | 3.52 | 14.67 | 51.56 | 1.73 | 28.02 | 1.29 | 8.39 | 17.69 |
| 2005-06 | 18.67 | 15.31 | 4.59 | 1.59 | -68.85 | 0.35 | 10.91 | 17.25 |

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्षिक भाग

राजकोषीय असंतुलन

1.15 राजकोषीय असंतुलन न केवल निरन्तर जारी रहे, बल्कि राशि में भी अधिक थे। जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: स.घ.उ. से राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का अनुपात

(प्रतिशत)

| अवधि | राजस्व घाटा | राजकोषीय घाटा | राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा |
|---------------------------|-------------|---------------|---|
| 1985-2006 | 3.37 | 5.49 | 61.47 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 2.80 | 6.04 | 46.26 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 3.95 | 6.25 | 63.26 |
| Xवीं योजना (2002-2007) | | | |
| 2002-03 | 4.44 | 5.45 | 81.56 |
| 2003-04 | 3.66 | 2.93 | 124.77 |
| 2004-05 | 2.53 | 3.34 | 75.82 |
| 2005-06 | 3.11 | 4.67 | 66.51 |

राजस्व घाटा/स.घ.उ. अनुपात में VIIIवीं योजना(1992-1997) के दौरान 2.80 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 3.95 प्रतिशत के औसत की वृद्धि थी। राजकोषीय घाटा-स.घ.उ. अनुपात भी VIIIवीं योजना के दौरान 6.04 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना के दौरान 6.25 प्रतिशत की औसत तक बढ़ गया था। दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्ष इन पैरामीटरों के व्यवहार में मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाते थे। स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात 2002-03 में 4.44 प्रतिशत से कम हो कर 2004-05 में 2.53 प्रतिशत (1.91 प्रतिशतता अंक तक) हो गया परन्तु यह चालू वर्ष में बढ़कर 3.11 प्रतिशत हो गया था। स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय घाटे का अनुपात, जो 2002-03 में 5.45 प्रतिशत से 2003-04 में 2.52 प्रतिशतता बिन्दु अर्थात् 2.93 प्रतिशत तक कम हो गया था, पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तरवर्ती दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। मुख्यतः 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में निम्न राजकोषीय घाटे के लिए ऋण विनिमय योजना तथा राज्यों को पूर्व में दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की त्वरित वसूली को आरोपित किया था। 2005-06 के दौरान स.घ.उ. की तुलना में प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा क्रमशः 3.11 तथा 4.67 था जो 2004-05 में अपने स्तरों की अपेक्षा 0.58 तथा 1.33 प्रतिशतता बिन्दु उच्च थे। बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित राज्यों की उच्च राजकोषीय सुपुर्दगी तथा सामाजिक क्षेत्रों पर उच्चतर खर्च के परिणामस्वरूप ये प्रवृत्तियों रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में अपने राजकोषीय सुधार में संघ सरकार द्वारा एक ठहराव को दर्शाती थी। सच्चाई यह थी कि त्वरित वसूली तथा परिसम्पत्ति आधार में कमी के बीच ऐकिक संबंध के कारण रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक वहनीय मार्ग के रूप में नहीं लिया जा सकता है इसलिए निर्धारित राजकोषीय सुधार को बनाए रखने के लिए राजस्व प्राप्तियों की सापेक्षिक उच्चतर वृद्धि की आवश्यकता होगी। यद्यपि राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में निरन्तर वृद्धि अधिक चिन्ताजनक थी। राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान राजकोषीय घाटे के 46.26

प्रतिशत की औसत से 2005-06 में 66.51 प्रतिशत तक अधिक बढ़ गया था हालांकि इसमें अन्तर्वर्षीय परिवर्तन थे।

राजकोषीय देयताएं

1.16 संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं के बृहत पैरामीटर निम्न तालिका 1.8 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.8: संघ सरकार के राजकोषीय देयताओं की विशिष्टताएं

(प्रतिशत)

| अवधि | कुल देयताओं* की वृद्धि दर | कुल देयतायें/ स.घ.उ अनुपात | ब्याज की औसत दर | देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---|
| 1985-2006 | 13.74 | 59.46 | 7.93 | 45.96 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 12.48 | 60.72 | 7.91 | 57.68 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 11.85 | 59.08 | 9.06 | 50.90 |
| Xवीं योजना (2002-2007) | | | | |
| 2002-03 | 10.62 | 62.69 | 8.90 | 44.78 |
| 2003-04 | 7.20 | 60.13 | 8.28 | 41.48 |
| 2004-05 | 9.86 | 58.71 | 7.89 | 39.36 |
| 2005-06 | 7.98 | 55.75 | 7.75 | 39.32 |

* राज्य सरकारों द्वारा इस सीमा तक रा.ल.ब.नि. को जारी प्रतिभूतियों में लघु बचतों के कारण देयताओं में 1999-2000 से लोक लेखा देयताएं शामिल हैं।

1.17 1985-2006 के दौरान, संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं, स.घ.उ. के 59.46 प्रतिशत से थोड़ी अधिक रहीं। कुल देयताओं में वृद्धि की औसत वार्षिक दर, जो आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं को समाविष्ट करके 1992-2002 के दशक के दौरान 12 प्रतिशत थी, की औसत दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान कम हो कर 8.92 प्रतिशत हो गई थी। इस मंद प्रवृत्ति के बावजूद स.घ.उ. की तुलना में देयताओं के अनुपात में दसवीं योजना के प्रथम वर्ष में वृद्धि हुई थी जो कि मुख्यतः इसलिए थी क्योंकि स्वयं स.घ.उ. वृद्धि में नाममात्र का मंदन देखा गया था। तथापि पिछले दो वर्षों में सार्थक कमी थी जो कि इन वर्षों के दौरान कुल देयताओं में वृद्धि की दर में कमी तथा स.घ.उ. में 13 प्रतिशत की बड़ी औसत वृद्धि दर के सामूहिक प्रभाव के कारण थी। बकाया देयताओं पर ब्याज की औसत दर का VIIIवीं (1992-97) योजना के दौरान 7.91 प्रतिशत की ब्याज की औसत दर से IXवीं (1997-2002) योजना के दौरान 9.06 की औसत तक ऊपर उठना जारी था। औसत ब्याज दर में 2003-04 में 8.28 प्रतिशत तथा चालू वर्ष में 7.75 प्रतिशत की और कमी हुई जिसका परिणाम पिछले पांच वर्षों के दौरान 2001-02 से 2005-06 तक ब्याज दरों में 147 मूलाधार बिन्दुओं की कमी आई। राजकोषीय देयताओं पर ब्याज दरें स.घ.उ. की वृद्धि

दर से बहुत कम रही थी जो उच्चतर ऋण-स.घ.उ. अनुपात को बनाए रखने में अवश्य ही सुरक्षा प्रदान करती है। संचालित ब्याज दर संरचना जो इन दो दशकों के अधिकतम भाग से सम्मत रहे थे, बाह्य ऋणों पर कम ब्याज दरें, जो 1991-92 के सिवाय कभी भी 4 प्रतिशत से अधिक नहीं रही तथा निक्षेप निधियों तथा जमाओं की प्रकृति की अन्य देयताएं, जो निरंतर अधिक निम्न ब्याज दरें आकृष्ट करती रही, 1992-2002 दशक के दौरान निम्न दरें पोषित करते रहे। तथापि, उधार ली गई निधियों का उपयोग चिंता का विषय बना रहा। वृहद राजस्व घाटे द्वारा संघ सरकार की सकल देयताओं के समर्थन में परिसम्पत्तियों का क्षय जारी था जिनमें नियमित रूप से कमी हुई थी तथा 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान 39 प्रतिशत पर स्थिर रहा था।

संघ सरकार के बकाया उचंत शेष

प्रस्तावना

1.18 सरकारी लेखे नकद आधार पर रखे जाते हैं और इनके अधिकांश लेन-देन प्रत्यायित सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों पर आहरित चैकों द्वारा होते हैं, जो सरकार की ओर से भी धन प्राप्त करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार का प्रमुख बैंकर है और अन्य प्राधिकृत बैंक सरकारी लेन-देन की व्यवस्था का काम करते हुए इसके एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं। बैंकों के माध्यम से लेन-देन का अंतिम प्रभाव, समय बीतने पर सरकारी नकद शेष पर होता है। लेन-देन की प्रकृति की जानकारी के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से प्राप्तियों एवं व्यय के जो लेन-देन तुरन्त किसी अन्तिम लेखा शीर्ष में नहीं लिए जा सकते उन्हें अस्थायी रूप से विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। प्रासंगिक विवरण/सूचना की प्राप्ति पर इन उचंत शीर्षों का समाशोधन, जैसा प्रकरण हो उसके अनुसार (-) नामे अथवा (-) जमा द्वारा किया जाता है। यदि ये राशियां असमाशोधित रहती हैं तो उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेष संचयित होते जाएंगे और सरकारी लेखों की स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं दर्शाएंगे। पिछले पांच वर्षों के लिए कुछ मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत उचंत शेषों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.9: प्रमुख उचंत शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शीर्ष

(करोड़ रुपयों में)

| लेखा शीर्ष | 31 मार्च को निवल शेष | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | | | |
| उचंत (भु.ले.का. उचंत) | नामे | 565.12 | नामे | 1145.03 | नामे | 1170.86 | नामे | 1565.50 | नामे | 599.22 |
| उचंत लेखे (सिविल) | नामे | 289.94 | नामे | 650.41 | नामे | 682.75 | नामे | 698.75 | नामे | 705.78 |
| उचंत लेखे (डाक) | जमा | 7.47 | नामे | 172.12 | नामे | 509.10 | नामे | 1086.65 | नामे | 692.80 |
| उचंत लेखे (रक्षा) | जमा | 643.73 | जमा | 360.24 | नामे | 304.40 | नामे | 289.62 | नामे | 1795.00 |
| उचंत लेखे (रेलवे) | नामे | 568.02 | नामे | 565.96 | नामे | 857.58 | नामे | 1046.74 | नामे | 860.48 |
| उचंत लेखे (दूरसंचार) | नामे | 658.92 | नामे | 660.30 | नामे | 680.91 | नामे | 630.30 | नामे | 642.34 |
| सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत | जमा | 51.91 | नामे | 537.48 | नामे | 2524.20 | नामे | 1044.58 | नामे | 962.72 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| लेखा शीर्ष | 31 मार्च को निवल शेष | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | |
| विदेशों में खरीद हेतु उचंत लेखे | नामे | 697.45 | नामे | 501.07 | नामे | 473.31 | नामे | 1082.73 | नामे | 1008.98 |
| रिजर्व बैंक उचंत (मुख्या) | जमा | 172.26 | जमा | 173.20 | नामे | 72.69 | नामे | 73.90 | नामे | 65.81 |
| रिजर्व बैंक उचंत (के.ले.का.) | जमा | 8.69 | जमा | 20.75 | जमा | 246.06 | जमा | 248.64 | जमा | 239.33 |
| नगद निपटारा उचंत | नामे | 206.97 | नामे | 228.80 | नामे | 233.20 | नामे | 237.20 | नामे | 302.18 |
| अन्य | नामे | 1196.73 | नामे | 1182.14 | नामे | 1174.62 | नामे | 1195.01 | नामे | 1164.42 |
| योग | नामे | 3299.09 | नामे | 5089.12 | नामे | 8437.56 | नामे | 8702.42 | नामे | 8560.40 |

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि विभिन्न उचंत शीर्षों के अंतर्गत उचंत शेष धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और कुल उचंत शेष मार्च 2002 के अंत में 3299.09 करोड़ रु. (नामे) से बढ़ कर 31 मार्च 2006 के अंत में 8560.40 करोड़ रु. (नामे) हो गए हैं। नियमित रूप से प्रचालित लघु शीर्षों में से कुछ में बकाया शेषों की स्थिति और उचंत शीर्षों के प्रचालन की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई थी और इसके निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

1.19 भु.ले.का. उचंत

यह लघु शीर्ष, संघ शासित क्षेत्रों और महालेखाकारों के भु.ले.का. तथा संघ सरकार के अन्तर्गत भु.ले.का. की बहियों में उद्भूत होने वाले अंतर्विभागीय एवं अंतर्राजकीय लेन-देनों के निपटान के लिए प्रचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन, एक लेखा अधिकारी द्वारा दूसरे लेखा अधिकारी, जिसके प्रति लघु शीर्ष "भु.ले.का. उचंत" प्रचालित किया गया है, की ओर से की गई वसूलियों अथवा किए गए भुगतानों को दर्शाते हैं। शीर्ष के अन्तर्गत जमा, 'ऋण जमा' द्वारा तब समाशोधित किया जाता है जब उस लेखा अधिकारी द्वारा चैक जारी किया जाता है जिसकी बहियों में प्रारंभिक वसूली का हिसाब दिया गया था। "भु.ले.का. उचंत" के अन्तर्गत नामे को उस लेखा अधिकारी से चैक/मांग की प्राप्ति एवं वसूली पर 'ऋण नामे' द्वारा समाशोधित किया जाता है जिसकी ओर से भुगतान किया गया था।

मार्च 1999 में भु.ले.का. उचंत के अन्तर्गत बकाया शेष की राशि 10.11 करोड़ रु. (नामे) थी जो मार्च 2006 में बढ़कर 599.22 करोड़ रु. (नामे) हो गई थी। 31 मार्च 2006 को बकाया शेष मुख्यतः आपूर्ति मंत्रालय: 903.12 करोड़ रु. (नामे); केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (राजस्व): 146.14 करोड़ (नामे) एवं विदेश मंत्रालय: 229.56 करोड़ रु. (नामे) एवं वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग): 567.26 करोड़ रु. (जमा) से सम्बन्धित थे जो दर्शाता है कि इन विभागों द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से अदा/प्राप्त किए गए भुगतान अभी उनके द्वारा वसूले/अदा किए जाने शेष हैं। किन्तु आर्थिक कार्य विभाग में यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एक भु.ले.का. द्वारा दूसरे के प्रति 58.34 करोड़ रु. (नामे) का समाशोधन 'शून्य' बकाया नामे शेष हेतु किया गया जिसका

परिणाम प्रतिकूल शेष की उत्पत्ति में हुआ। भु.ले.का. शेष में भारी और निरंतर वृद्धि तथा प्रतिकूल शेषों की उपस्थिति विभिन्न वे.ले.अ. के बीच उचित संवाद के अभाव का सूचक है।

1.20 उचंत लेखा (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष ऐसे लेन-देनों के लेखांकन के लिए प्रचालित किया जाता है जो वाउचर, चालान आदि जैसी किन्ही सूचनाओं/दस्तावेजों के अभाव में व्यय अथवा प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं ले जाए जा सकते। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियां दर्ज करने के लिए जमा तथा वहनित व्यय के लिए नामे किया जाता है। अपेक्षित सूचनाओं/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर संबंधित मुख्य/उप-मुख्य लेखा शीर्षों में प्रतिपक्षी नामे अथवा जमा द्वारा ऋण नामे अथवा ऋण जमा द्वारा लघु शीर्ष समाशोधित किया जाता है।

हालांकि पिछले तीन वर्षों में, संघ सरकार वित्त लेखे में इस लघु शीर्ष- 'उचंत लेखा (सिविल)' के अन्तर्गत निवल शेष 650 रु. से 700 करोड़ रु. (नामे) के बीच रहा है फिर भी 31 मार्च 2006 को बकाया शेष का वास्तविक परिमाण 1021.06 करोड़ रु. (नामे) एवं 315.28 करोड़ रु. (जमा) था, जो दर्शाता था कि 1336.34 करोड़ रु. की प्राप्तियां एवं व्यय जिनकी निपटारे के लिए वैयक्तिक रूप से व्यवस्था करनी आवश्यक है, अपने अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज नहीं की गई थीं।

1.21 सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत

सरकारी लेखांकन पद्धति में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी व्यवसाय करते हैं, जो संघ सरकार का आधिकारिक बैंकर है। जब किसी बिल के भुगतान हेतु चेक जारी किया जाता है तो धनराशि सामान्यतः अंतिम लेखा शीर्ष में नामे की जाती है। जब भी किसी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा कोई चेक भुनाया जाता है तो, आरंभ में वह अपने नकद शेष से धनराशि का भुगतान करता है और फिर केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), भा.रि.बैं. नागपुर, जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का खाता अनुरक्षित करता है, से प्रतिपूर्ति का दावा करता है। इसी प्रकार जब सरकारी प्राप्तियां किसी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में अदा की जाती है तो वह आगमों को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भा.रि.बैं., नागपुर को प्रेषित कर देता है क्योंकि बैंक द्वारा किए गए सरकारी लेन-देन को सरकारी नगद शेषों में दर्ज करने में विलम्ब होता है अतः निपटारे के लिए प्रतीक्षित लेन-देनों का हिसाब करने के लिए सरकारी बहियों में लघु शीर्ष- 'सार्वजनिक क्षेत्र उचंत' प्रचालित किया जाता है। भा.रि.बैं. (के.ले.अ.), नागपुर से लेखे प्राप्त होने पर सा.क्ष.बैं. उचंत की अन्तर्गत की गई मूल बुकिंग, (-) जमा/(-) नामे द्वारा, जैसा भी मामला हो उसके अनुसार समाशोधित कर दी जाती है।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए निवल बकाया सा.क्ष.बैं. उचंत शेष की राशि 962.72 करोड़ रु. (नामे) थी एवं जिन प्रमुख विभागों के प्रति ये शेष बकाया थे, वे थे-

के.प्र.क.बो.: 908.87 करोड़ रु. (नामे) एवं केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (के.पें.ले.का.): 296.04 करोड़ रु. (नामे)। वित्त मंत्रालय के अधीन के.पें.ले.का. के सम्बन्ध में यह पाया गया था कि दर्शाए गए निवल बकाया सा.क्षे.बैं. उचंत शेष वास्तव में (-) 1.63 करोड़ रु. (नामे) एवं (-) 297.25 करोड़ रु. (जमा) के प्रतिकूल शेष थे। के.पें.ले.का. ने इन प्रतिकूल शेषों के असमाशोधन के लिए निर्दिष्ट बैंकों की विफलता को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने केन्द्रीय सिविल पेंशन धारकों, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन भुगतान किए एवं भा.रि.बैं. के.ले.अ. नागपुर से प्रतिपूर्ति का दावा किया और के.पें.ले.का. को पेंशन भुगतान प्रपट्ट समय पर नहीं भेजे अथवा आंशिक या अपूर्ण प्रपट्ट भेजे। यह के.पें.ले.का. एवं निर्दिष्ट बैंक शाखाओं के बीच खराब समन्वयन एवं बैंक प्रपट्टों की समय पर प्राप्ति की अपर्याप्त मानीटरिंग का सूचक था।

1.22 रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय

यह लघु शीर्ष ऋणों, सहायता अनुदानों, आयकर के अंश, राज्य सरकारों को संघीय उत्पादन उत्पाद शुल्क के अंश के भुगतानों के लिए संघ सरकार की बहियों में प्रचालित किया जाता है। जब भुगतान प्राधिकृत किया जाता है तो संबंधित व्यय शीर्ष को नामे किया जाता है और इस शीर्ष को जमा प्रदान किया जाता है। भा.रि.बैं. से संघ सरकार लेखे का समायोजन करने वाले लेखों के विवरण प्राप्त होने पर लघु शीर्ष को 8675-101-भा.रि.बैं. में निक्षेप-101-केन्द्रीय सिविल निक्षेपों के क्रेडिट द्वारा ऋण क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज की भुगतान के समय ऋण/ब्याज शीर्ष जमा द्वारा इस शीर्ष को नामे किया जाता है। भा.रि.बैं. (के.ले.अ.) नागपुर से लेखों के मासिक विवरण प्राप्त होने पर शीर्ष को 8675-101-भा.रि.बैं. में निक्षेप-101-केन्द्रीय सिविल में प्रतिपक्षी नामे द्वारा ऋण नामे किया जाता है। बकाया भा.रि.बैं. (के.ले.का.) उचंत शेष मुख्यतः वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रति बकाया थे जिनका 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया शेष 253.29 करोड़ रु. (जमा) था। शेष, लेखों में 2003-04 से बकाया था। यह शेष वर्ष के दौरान, उचंत शीर्ष भा.रि.बैं. (मुख्या.) तथा भा.रि.बैं. (के.ले.का.) में क्रमशः 61817.95 करोड़ रु. तथा 62071.24 करोड़ रु. के नामे एवं जमा लेन-देनों का निवल प्रभाव था। विभाग ने इन शेषों की प्रकृति, विवरण, काल व इनके समाशोधन के लिए अपने द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

1.23 विदेशों में खरीद हेतु उचंत लेखे

विदेशों में खरीद हेतु लघु शीर्ष उचंत लेखा, सहायता लेखा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षा (स.ले.नि. एवं ले.प.), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की बहियों में प्रचालित किया जाता है। विदेशी ऋणों एवं क्रेडिट से वित्तपोषित आयातों के लिए सरकार सीधे भुगतान करती है और आयातकों से भुगतान प्राप्त होने तक इसके बराबर राशि उचंत शीर्ष के अंतर्गत रखी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष उस राशि को दर्शाता है

जो अभी आयातकों से वसूल की जानी है। हालांकि सरकार इन आयातकों को पहले ही भुगतान कर चुकी है।

2005-06 में विदेशों में खरीद हेतु उचंत लेखा शेष 1008.98 रु. था। 31 मार्च 2006¹ को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रमुख देनदार पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एवं कैमिकल्स लि. (24.95 करोड़ रु.); पवन हंस लि. (57.44 करोड़ रु.); दिल्ली मेट्रो रेल निगम (23.91 करोड़ रु.); कोल इंडिया लि. (21.08 करोड़ रु.); भारतीय हेलिकॉप्टर निगम लि. (67.24 करोड़ रु.) एवं तीन सरकारी मंत्रालय (155.49 करोड़ रु.) थे। यह भी देखा गया कि विभिन्न संगठनों से 1997 से 206 करोड़ रु. बकाया थे। प्रमुख आयातकों के संबंध में 1997 से बकाया राशियों के विवरण दर्शाने वाली सूची परिशिष्ट-I-क पर दी गई है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से देखा गया है कि विभिन्न आयातकों की ओर से खरीद की गई जबकि पिछले वर्षों की खरीद हेतु भुगतान उनकी ओर से देय थे। बकाया राशियों की वसूली हेतु स.ले. एवं ले.नि. द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

1.24 सरकारी लेखों में उचन्त शेषों का प्रभाव

संघ सरकार के वित्त लेखों में नामे और जमा के निवलीकृत आंकड़े विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत आदि एवं अंत शेषों के रूप में प्रकट होते हैं। किसी विशेष लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया का वास्तविक परिमाण केवल नामे एवं जमा पक्ष के अंतर्गत पड़े हुए उन बकाया शेषों को देखने पर ही आंका जा सकता है, अन्ततः जिनके निपटारे हेतु वैयक्तिक रूप से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। 31 मार्च 2006 को समाप्त हेतु कुछ उचन्त शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक बकाया स्थिति निम्नांकित थी:

तालिका 1.10: सरकारी लेखों में उचन्त शेषों का प्रभाव

(करोड़ रुपयों में)

| लघु शीर्ष | नामे | जमा | 31 मार्च 2006 को वित्त लेखों में दर्शाया गया निवल शेष | बकाया वास्तविक उचन्त शेष |
|-------------------------------|---------|---------|---|--------------------------|
| भु.ले.का. उचन्त | 1720.37 | 1121.15 | नामे 599.22 | 2841.52 |
| उचन्त लेखे (सिविल) | 1021.06 | 315.28 | नामे 705.78 | 1336.34 |
| सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त | 1812.38 | 849.66 | नामे 962.72 | 2662.04 |
| रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्या.) | 261.29 | 195.48 | नामे 65.81 | 456.77 |
| रिजर्व बैंक उचन्त (के.ले.का.) | 73.22 | 312.55 | जमा 239.33 | 385.77 |

इस निवलीकरण के फलस्वरूप, इन लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया उचन्त शेषों के परिमाण उन निवल शेषों द्वारा मूल्यांकित किए जाते हैं जो वे उस विशेष वर्ष के वित्त

¹ 9 अगस्त 2006 की स्थिति

लेखों में दर्शाते हैं। आंकड़ों का निवलीकरण, उचन्त लेखों द्वारा वास्तव में दर्शाई गई स्थिति की गम्भीरता से ध्यान हटा देता है।

उचन्त शेष, विशेष रूप से शीर्षों के अंतर्गत आने वाले वे शेष जो किसी एक या दूसरे कारण से अंतिम वर्गीकरण हेतु बचे हुए हैं, उन राशियों के सूचक हैं जिनका अभी उचित प्रकार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत लेखा-जोखा किया जाना है। अतः जिस सीमा तक ये लेखों में मौजूद हैं, उस सीमा तक विनियोजन एवं वित्त लेखे अपूर्ण हैं एवं विभिन्न सेवा शीर्षों के अंतर्गत प्रकार्यात्मक व्यय को मात्रात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके फलस्वरूप अनुमोदित प्रावधानों के साक्षेप बचत एवं आधिक्य भी प्रभावित होते हैं।

निष्कर्ष

उचन्त लेखों के अंतर्गत सभी शेषों की, संबंधित भु.ले.का., सा.क्षे.बैं. एवं भा.रि.बैं. के साथ परामर्श द्वारा छोटे अंतरालों पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक मामले के लिए व्यवहार्य नियमानुसार उसके समाशोधन हेतु तर्कसंगतपूर्ण आवश्यक अवधि से अधिक किसी प्रकरण का असमायोजित न रहना सुनिश्चित हो सके। अतः इन बकाया शेषों का शीघ्र समाशोधन एवं उन्हें उचित लेखाशीर्ष में वर्गीकृत करने की अत्यावश्यकता है।

अध्याय 2

संसाधन : प्रवृत्तियाँ तथा संरचना

संघ सरकार के समग्र संसाधनों में राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण तथा गैर-ऋण प्राप्तियों के साथ साथ लोक लेखे में सम्भूति) प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। दीर्घावधि (1985-2006) में विभिन्न घटकों की वृद्धि में अन्तर्वर्षीय परिवर्तन के बावजूद, जिसमें लोक लेखा में सम्भूतियों को शामिल करके ऋण प्राप्तियों तथा गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियाँ तथा अन्य गैर-ऋण प्राप्तियाँ) के बीच अनुपात 2004-05 तक दो तिहाई तथा एक तिहाई पर लगभग स्थिर था लेकिन 2005-06 के दौरान इसमें ऋण प्राप्तियों के पक्ष में झुकाव हुआ तथा यह अनुपात चालू वर्ष के दौरान तीन-चौथाई तथा एक-चौथाई हुआ है।

राजस्व प्राप्तियाँ, अपनी कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के विस्तृत घटकों के साथ, राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सकल कर वसूली में दसवीं योजना (2002-07) के अपने सबसे प्रथम वर्ष से वृद्धि दर में त्वरण प्रदर्शित किया तथा 2005-06 में 20.07 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों, विशेषतया: दसवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान, वस्तु-आधारित कराधान से आय आधारित कराधान में करों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। सकल कर वसूलियों में प्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों तथा सेवा कर के अंश 1990 के दशक की शुरुआत में 27, 70 तथा 0.48 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 के दौरान 43, 48 तथा 6 प्रतिशत थे। प्रवृत्तियों से प्रकट होता है कि वर्ष के दौरान राजकोष की तुलना में लाभ में उच्चतर निगम कर वसूली के रूप में सुधार हुआ था जबकि सकल कर राजस्व में उत्पाद तथा सीमा शुल्कों के अंश में 2002-03 से प्रत्येक वर्ष औसतन गिरावट हुई। व्यापार उदारीकरण के साथ सम्बद्ध कर कमियों के परिणामस्वरूप, सीमा शुल्कों की प्रवृत्तियाँ राजस्व सृजन साधन के रूप में उनकी तनूकृत घटी हुई भूमिका की ओर संकेत करती हैं। यद्यपि 1994-95 में अपने आरम्भ होने से ही सेवा कर के अंश में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2002-03 से 2005-06 के दौरान समग्र रूप से कर उत्पादकता में वृद्धि के पुनः प्रवर्तन, विशेषकर अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें सरकार की कर वसूली विवेचनात्मक रूप से निर्भर है तथा सेवा कर के आधार में वृद्धि के कारण मुख्य रूप से अर्थपूर्ण प्रगति हुई है। चालू वर्ष में निगम तथा सेवा कर के मामलों के अलावा, अन्य करों की उत्पादकता का एक से कम होना सूचित करता है उनकी वृद्धि दरें स.घ.उ. की वृद्धि से कम रही थीं। कर-स.घ.उ. अनुपात ने विशेषतया 2002-03 से उथल-पुथल प्रदर्शित की तथा चालू वर्ष में यह 10 प्रतिशत से अधिक था।

गैर-कर राजस्व, जिसने 1992-2002 दशक के दौरान संघ सरकार के निवल राजस्व का 48 प्रतिशत संस्थापित किया था, Xवीं योजना अवधि के दौरान निरन्तर गिरा है तथा 2005-06 के दौरान 37 प्रतिशत की औसत पर पहुंच गया। इसके विभिन्न घटकों की वृद्धि में प्रवृत्तियाँ संकेत करती हैं कि जबकि लाभांश तथा लाभों के अंश में बढ़ोतरी हुई लेकिन ब्याज प्राप्तियों के अंश में Xवीं योजना (2002-07) के दौरान, 2002-03 में 32 प्रतिशत से 2005-06 में 19.35 प्रतिशत की निरन्तर गिरावट हुई। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण अग्रिम पर ब्याज दरों में नरमी तथा ऋण विनिमय ने इस अवतारण में योगदान दिया है। 1985-2006 के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं तथा सरकार के संप्रभु तथा अन्य सामान्य प्रकार्यों से गैर-ऋण प्राप्तियों में विचलन दर ऋणात्मक थी।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ का अंश जिसमें विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश) तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली मुख्य रूप से शामिल है, पूर्णतया निरर्थक रही थी लेकिन यह 2005-06 में एक प्रतिशत से और कम हो गई थी।

संघ सरकार के संसाधन: 2005-06

2.1 राजस्व एवं पूंजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनसे संघ सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान एवं अंशदान शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो घटक ऋण प्राप्तियां, जो भविष्य में शोधन के लिए दायित्वों का सृजन करती हैं और विविध पूंजीगत प्राप्तियां, जो संघटित तौर पर विनिवेश से प्राप्तियां तथा ऋणों एवं पेशगियों की वसूलियां, जो परिसम्पत्तियों के प्रभावी या वास्तविक आधार को कम करने में सहायक होती है। नीचे तालिका 2.1 संघ सरकार के कुल संसाधनों, जो वर्ष 2005-06 के लिए 2292,037 करोड़ रु. बनते थे, का सारांश प्रस्तुत करती है। 5,38,707 करोड़ रु. की गैर-ऋण प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का लगभग 24 प्रतिशत बनती थी। शेष या तो राज्यों को समनुदेशित किये जाने थे या उधार तथा लोक लेखा प्राप्तियों की प्रकृति के थे।

तालिका 2.1: संघ सरकार के संसाधन

| | (करोड़ रुपयों में) |
|---------------------------------|--------------------|
| I राजस्व प्राप्तियां | 5,25,325 |
| II पूंजीगत प्राप्तियां | 12,75,745 |
| क. विविध प्राप्तियां | 1,581 |
| ख. कर्जों तथा पेशगियों की वसूली | 11,801 |
| ग. ऋण प्राप्तियां | 12,62,363 |
| III लोक लेखा प्राप्तियां | 4,10,769 |
| IV आकस्मिकता निधि | 450 |
| कुल प्राप्तियां | 22,12,289 |
| नकद अथ शेष | 79,748 |
| संसाधनों की कुल उपलब्धता | 22,92,037 |


राजस्व प्राप्तियों में 94,385 करोड़ रु. राज्यों को सौंपे गये करों तथा शुल्कों का हिस्सा शामिल है और संघ सरकार के वित्त लेखाओं में क्रमशः प्राप्ति शीर्षों में ऋण प्रविष्टि के रूप में नहीं दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियों में रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों से प्राप्तियां शामिल हैं।

संसाधनों में प्रवृत्तियां

2.2 संघ सरकार के समग्र संसाधनों में 1985-2006 के दौरान 12.39 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से वृद्धि हुई। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान वृद्धि दर में परिवर्तन के बावजूद प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान संघ के सकल संसाधनों की संभूतियों में 14.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। तथापि IXवीं योजना

(1997-2002) के दौरान वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि 7.02 प्रतिशत तक अवत्वरित हो गई। दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान प्रवृत्ति में व्युत्क्रम था अर्थात् 2002-03 से 2005-06 में कुल प्राप्तियों की वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि से आगे बढ़ गई थी।

2.3 अन्तः वर्ष में, सकल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। जबकि ऋण प्राप्तियों के लिए वृद्धि प्रवृत्ति (1985-2006) निम्नतम थी, पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण त्वरण देखा गया था तथा चालू वर्ष के दौरान शीर्ष



स्तर पर पहुँच गया। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि जो कि बहुत उच्च आधार पर थी 2004-05 तथा 2005-06 में ऋणात्मक थी। सही अर्थों में, 2003-04 तथा 2004-05 में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऋण विनिमय योजना के कारण, अपनी दीर्घावधि

प्रवृत्ति की तुलना में पर्याप्त रूप से उच्चतर स्तर पर अनुरक्षित की। IXवीं योजना अवधि के दौरान देखी गई वृद्धि दरों के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों में विशेष रूप से उत्प्लावकता थी, औसत त्वरण 5.0 प्रतिशतता अंक के निकट था।

तालिका 2.2: प्राप्तियों के घटक : प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपयों में)

| | राजस्व प्राप्तियां# | पूंजीगत प्राप्तियां | | | कुल प्राप्तियां | सकल घरेलू उत्पाद |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | गैर-ऋण प्राप्तियां | ऋण प्राप्तियां | लोक लेखे में संभूतियां | | |
| 1985-2006 | 211575 | 18344 | 321711 | 163074 | 714703 | 1413723 |
| VIII वीं योजना (1992-1997) | 157991 | 9373 | 164326 | 102117 | 433807 | 1035315 |
| IX वीं योजना (1997-2002) | 282019 | 17430 | 427187 | 210498 | 937134 | 1914401 |
| X वीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 355948 | 41896 | 435371 | 307235 | 1140450 | 2469564 |
| 2003-04 | 404866 | 86780 | 538492 | 369133 | 1399271 | 2760025 |
| 2004-05 | 455466 | 68664 | 705289 | 427507 | 1656926 | 3105512 |
| 2005-06 | 525325 | 13382 | 1262363 | 410769 | 2211839* | 3531451 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-2006

| | राजस्व प्राप्तियां# | पूंजीगत प्राप्तियां | | | कुल प्राप्तियां | सकल घरेलू उत्पाद |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | | गैर-ऋण प्राप्तियां | ऋण प्राप्तियां | लोक लेखे में संभूतियां | | |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत) | | | | | | |
| 1985-2006 | 12.85 | 12.84 | 11.51 | 14.37 | 12.39 | 13.72 |
| VIII वीं योजना (1992-1997) | 15.41 | 0.01 | 15.98 | 14.43 | 14.87 | 16.54 |
| IX वीं योजना (1997-2002) | 8.58 | 18.24 | 2.22 | 13.76 | 7.02 | 10.43 |
| X वीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 11.89 | 71.85 | -0.30 | 18.88 | 9.91 | 8.21 |
| 2003-04 | 13.74 | 107.13 | 23.69 | 20.15 | 22.69 | 11.76 |
| 2004-05 | 12.50 | -20.88 | 30.97 | 15.81 | 18.41 | 12.52 |
| 2005-06 | 15.34 | -80.51 | 78.99 | -3.92 | 33.49 | 13.72 |

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं। * 2005-06 के दौरान कुल प्राप्तियों भारत की आकस्मिकता निधि को क्षतिपूर्ति के रूप में 450 करोड़ रु. की प्राप्तियां के अतिरिक्त हैं।

2.4 नीचे तालिका 2.3 संसाधनों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक अंश को दर्शाती है। काफी लम्बे समय से (1985-2006) ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त, अन्य तीन संघटकों के सापेक्षिक अंशों में धनात्मक विचलन रहा था।

तालिका 2.3: कुल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत)

| | राजस्व प्राप्तियां | पूंजीगत प्राप्तियां | | | कुल प्राप्तियां |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | | गैर-ऋण प्राप्तियां | ऋण प्राप्तियां | लोक लेखे में संभूतियां | |
| 1985-2006 | 29.60 | 2.57 | 45.01 | 22.82 | 100 |
| VIII वीं योजना (1992-1997) | 36.42 | 2.16 | 37.88 | 23.54 | 100 |
| IX वीं योजना (1997-2002) | 30.09 | 1.86 | 45.58 | 22.46 | 100 |
| X वीं योजना (2002-07) | | | | | |
| 2002-03 | 31.21 | 3.67 | 38.18 | 26.94 | 100 |
| 2003-04 | 28.93 | 6.20 | 38.48 | 26.38 | 100 |
| 2004-05 | 27.49 | 4.14 | 42.57 | 25.80 | 100 |
| 2005-06 | 23.75 | 0.61 | 57.07 | 18.57 | 100 |
| अंशों में औसत वार्षिक विचलन की दर | | | | | |
| 1985-2006 | 0.41 | 0.40 | -0.79 | 1.76 | |

तथापि, जहां VIII वीं योजना के दौरान राजस्व प्राप्तियां का सापेक्षिक अंश शिखर पर था, वहीं ऋण प्राप्तियों का अंश चालू वर्ष के दौरान शिखर पर था। 2002-03 तथा 2003-04 वर्षों के दौरान क्रमशः गैर-ऋण प्राप्तियां तथा लोक लेखे से संभूतियां पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी तथा बाद के वर्षों में गिरावट प्रदर्शित हुई। राजस्व प्राप्तियों का सापेक्षिक अंश VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान 36.42 प्रतिशत की पराकाष्ठा

तक पहुंचने के पश्चात IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान पिछले वर्षों में 30 प्रतिशत से कुछ ज्यादा के साथ दक्षिण की ओर बह गया तथा दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान इसका औसत 27.85 प्रतिशत हो गया। लोक लेखे में संभूति मामले में अलावा राजस्व प्राप्तियां तथा गैर-ऋण प्राप्तियां में धनात्मक विचलन सीमान्तक थे जबकि 1985-2006 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियां में इनके सापेक्षिक अंश में एक ऋणात्मक विचलन देखा गया था। संघ सरकार के सकल संसाधनों के चार घटकों के सापेक्षिक अंशों में इन विचलनों के बावजूद लोक लेखे में संभूतियों को सम्मिलित करते हुए ऋण प्राप्तियां तथा गैर-ऋण प्राप्तियां (राजस्व प्राप्तियां और अन्य गैर-ऋण प्राप्तियां) के बीच अनुपात 2004-05 तक लगभग दो तिहाई और एक तिहाई पर स्थिर रहा लेकिन यह 2005-06 के दौरान ऋण प्राप्तियां के पक्ष में झुक गया तथा यह अनुपात चालू वर्ष के दौरान तीन चौथाई तथा एक चौथाई हो गया।


स.घ.उ. के सापेक्ष में संसाधनों तक पहुंच

2.5 जैसे आय बढ़ती है संसाधनों की पहुंच में वृद्धि स्वाभाविक है, क्योंकि आधार अपने आप में विस्तृत हो जाता है। तथापि स.घ.उ. के सापेक्ष में वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि स.घ.उ. की तुलना में समग्र संसाधनों के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति औसत 50:57 प्रतिशत (1985-2006) थी; यह VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 41.90 प्रतिशत की औसत तक गिर गई थी। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में कुल प्राप्तियां का औसत बढ़ कर 48.95 प्रतिशत की तथा दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 53.22 प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षों में इस अनुपात में लगातार सुधार हुआ तथा 2005-06 में 62.63 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। तथापि पिछले वर्षों में सुधार के बावजूद स.घ.उ. अनुपात की तुलना में समग्र प्राप्तियां तथा इसके चार में से तीन घटकों में ऋणात्मक विचलन दर थी (तालिका 2.4)। यहां तक की लोक लेखे में संभूति में धनात्मक विचलन सीमान्तक थी तथा पिछले दो वर्षों के दौरान 0.57 पर स्थिर रही। यदि 1985-86 में कुल प्राप्तियां तथा स.घ.उ. 100 पर स्थिर थे तो 2005-06 में कुल प्राप्तियां स.घ.उ. हेतु 1270 के मूल्य के प्रति केवल 857 होगी। चार्ट 2.2 1985-2006 अवधि के दौरान स.घ.उ., कुल प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में कुल प्राप्तियां के अंश के बीच अन्तः सम्बन्ध के ग्राफीय प्रस्तुतीकरण को दर्शाता है।

तालिका 2.4: स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियां

(प्रतिशत)

| | राजस्व प्राप्तियां | पूँजीगत प्राप्तियां | | | कुल प्राप्तियां |
|--|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| | | गैर-ऋण प्राप्तियां | ऋण प्राप्तियां | लोक लेखे में संभूतियां | |
| 1985-2006 | 14.97 | 0.95 | 22.76 | 11.54 | 50.57 |
| VIII वीं योजना (1992-1997) | 15.26 | 0.91 | 15.87 | 9.86 | 41.90 |
| IX वीं योजना (1997-2002) | 14.73 | 0.91 | 22.31 | 11.00 | 48.95 |
| X वीं योजना (2002-07) | | | | | |
| 2002-03 | 14.41 | 1.70 | 17.63 | 12.44 | 46.18 |
| 2003-04 | 14.67 | 3.14 | 19.51 | 13.37 | 50.70 |
| 2004-05 | 14.67 | 2.21 | 22.71 | 13.77 | 53.35 |
| 2005-06 | 14.88 | 0.38 | 35.75 | 11.63 | 62.63 |
| अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर | | | | | |
| 1985-2006 | -0.77 | -0.78 | -1.95 | 0.57 | -1.17 |



2.6 वित्त लेखाओं में प्राप्तियां एवं संवितरण, विशेषतः जो लोक ऋण एवं लोक लेखे से सम्बन्धित हैं, सकल आधार पर प्रकट होते हैं तथा इसलिए, राष्ट्रीय संसाधनों पर सरकार के काफी बड़ी रूपरेखा को दर्शाते हैं। अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के माध्यम से समायोजन, स्वभाव से ही अल्पावधि उपाय हैं तथा अस्थायी बेमेल के लिए एक आवरण प्रदान करते हैं। ये स्वपरिसमापक हैं तथा उनको ऋण प्राप्तिओं में सम्मिलित किये जाने से ये आंकड़े अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार लोक लेखे में संभूतियां, जो कि सरकार द्वारा बैंकिंग संचालन के सदृश है,

सकल आधार पर वास्तविक पहुंच प्रदान किये बिना सकल आंकड़ों को आत्मसात कर सकती है। जहां कुछ सीमा तक यह अन्य ऋण प्राप्तियों के लिए भी सही हो सकता है क्योंकि इन प्राप्तियों का बड़ा अंश ऋण परिसमापन के लिए हैं, वहीं ये एक संरचित उधार योजना की आवश्यकता को दर्शाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रभावी रूपरेखा प्राप्त करने के लिए सरकार के संसाधनों पर उसके अ.अ. तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के प्रचालनों के प्रभार को निवल करना आवश्यक है। तालिका 2.5 कुल प्राप्तियों पर इस निवलता तथा पिछले आठ वर्षों के लिए स.घ.उ. की तुलना में कुल प्राप्तियों के अनुपात के प्रभाव को दर्शाती है। ऐसे निष्प्रभावीकरण के फलस्वरूप संघ सरकार की निवल रूपरेखा में 2005-2006 में कुल प्राप्तियों के 62.63 प्रतिशत से 26.51 प्रतिशत तक 36 प्रतिशतता अंको तक गिरावट आ जाती है।

तालिका 2.5 : संशोधित प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में इसका अंश

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | राजस्व प्राप्तियां* | गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां | ऋण प्राप्तियां | अ.अ. की निवल प्राप्तियां | खजाना बिलों से निवल प्राप्तियां | निवल लोक लेखा संभूतियां | कुल प्राप्तियां | कुल प्राप्तियां/ स.घ.उ. (प्रतिशत) |
|---------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1998-99 | 254369 | 19063 | 131819 | 1042 | -880 | 40942 | 446355 | 25.64 |
| 1999-00 | 298076 | 14274 | 132556 | -2060 | -4440 | 23345 | 461751 | 23.84 |
| 2000-01 | 307724 | 18924 | 152146 | 4413 | 1340 | 25123 | 509670 | 24.39 |
| 2001-02 | 318121 | 24379 | 187523 | -219 | -1553 | 42364 | 570615 | 25.00 |
| 2002-03 | 355948 | 41896 | 206830 | -5176 | 3134 | 37011 | 639643 | 25.90 |
| 2003-04 | 404866 | 86780 | 297096 | 0 | 1626 | -22650 | 767718 | 27.82 |
| 2004-05 | 455466 | 68664 | 326960 | 0 | 7354 | 27119 | 885563 | 28.52 |
| 2005-06 | 525325 | 13382 | 369247 | 0 | 24733 | 3514 | 936201 | 26.51 |

* राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं।

राजस्व प्राप्तियां: मुख्य समुच्चयों की गति

2.7 राजस्व प्राप्तियां, इसके कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के विस्तृत घटकों के साथ, राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इन प्राप्तियों तक पहुंचने में कोई भविष्य भुगतान के दायित्व नहीं है। संघ सरकार की समग्र राजस्व प्राप्ति में (राज्यों के सकल कर संग्रहण से उनके अंश का निवल) 1985-2006 के दौरान 12.95 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। तथापि, औसत वार्षिक वृद्धि दर में VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 15.61 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.12 प्रतिशत दर तक एक तीव्र गिरावट आई। दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान, वर्ष 2004-05 के अलावा, गैर कर प्राप्ति में मन्द वृद्धि के बावजूद कुल प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर दीर्घावधि प्रवृत्ति से अधिक थी। स.घ.उ. की प्रवृत्ति वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति दर भी निम्न थी जैसा कि

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-2006

इस अवधि के दौरान, स.घ.उ. के सापेक्ष इसके अंश में ऋणात्मक विचलन दर द्वारा निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | सकल कर राजस्व | करों में राज्यों का भाग | निवल कर राजस्व | गैर-कर राजस्व | संघ के निवल राजस्व | गैर-कर राजस्व का अंश (प्रतिशत) | स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में निवल राजस्व |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 1985-2006 | 132143 | 34814 | 97329 | 79431 | 176760 | 44.94 | 12.51 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 96533 | 26391 | 70142 | 61459 | 131601 | 46.70 | 12.71 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 166087 | 44622 | 121465 | 115933 | 237397 | 48.84 | 12.40 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | |
| 2002-03 | 216266 | 56122 | 160144 | 139682 | 299826 | 46.59 | 12.14 |
| 2003-04 | 254348 | 65766 | 188582 | 150518 | 339100 | 44.39 | 12.29 |
| 2004-05 | 304958 | 78595 | 226363 | 150508 | 376871 | 39.94 | 12.14 |
| 2005-06 | 366151 | 94385 | 271766 | 159174 | 430940 | 36.94 | 12.20 |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत) | | | | | | | |
| 1985-2006 | 12.81 | 12.94 | 12.61 | 12.84 | 12.95 | 0.02 | -0.79 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 15.89 | 14.41 | 16.47 | 14.66 | 15.61 | विचलन की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में) | |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 9.00 | 11.05 | 8.25 | 8.00 | 8.12 | | |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | |
| 2002-03 | 15.61 | 6.21 | 19.32 | 6.58 | 13.02 | | |
| 2003-04 | 17.61 | 17.18 | 17.76 | 7.76 | 13.10 | | |
| 2004-05 | 19.90 | 19.51 | 20.03 | -0.01 | 11.14 | | |
| 2005-06 | 20.07 | 20.09 | 20.06 | 5.76 | 14.35 | | |

टिप्पणी: इसमें रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों की प्राप्तियाँ शामिल हैं।

2.8 गैर-कर राजस्व, आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित करते हुए 1992-2002 के दशक के दौरान संघ सरकार के निवल राजस्व के औसत का 48 प्रतिशत बनता है। अब तक दसवीं योजना अवधि के दौरान, कुल गैर-कर राजस्व में मंद वृद्धि तथा इन वर्षों के दौरान कर राजस्व में भारी वृद्धि के कारण संघ की निवल राजस्व प्राप्तियों में सापेक्षिक उच्चतर वृद्धि के सामूहिक प्रभाव के कारण इसमें निरन्तर कमी हुई थी। संघ के निवल राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व के अंश में निरन्तर गिरावट के बावजूद, 1985-2006 के दौरान इसकी विचलन दर 0.02 पर सकारात्मक रही थी। तथापि, दर अर्थपूर्ण रूप से 1985-2005 अवधि में 0.33 से 1985-2006 में 0.02 प्रतिशत गिरी।

2.9 दसवीं योजना ने अपने सबसे पहले वर्ष में सकल कर वसूली की वृद्धि की दर में त्वरण देखा तथा संघ द्वारा रखे गए वसूली के उस भाग में इस संवेग को भी बनाए

रखा। 2005-06 में सकल कर वसूली की वृद्धि 20.07 की उच्चतम सीमा तक पहुँची तथा 2004-05 में 19.90 प्रतिशत अंकों से 0.17 प्रतिशत अंकों तक सीमान्तक रूप से बढ़ी। बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) पंचाट के अन्तर्गत प्रतिशतता अंश में बढ़ोतरी के साथ-साथ बा.वि.आ. प्रक्षेपण के विपरीत सकल कर राजस्व की परिशुद्ध राशि में बढ़ोतरी के कारण केन्द्रीय करों में राज्यों के अंश 2004-05 में 78,595 करोड़ रु. से कुछ अधिक बढ़ कर 2005-06 में 94,385 करोड़ रु. हो गया।

मुख्य कर: सापेक्षिक निष्पादन

2.10 1985-2006 के दौरान निगम कर में 19.44 प्रतिशत की उच्चतम प्रवृत्ति वृद्धि के साथ विभिन्न करों के सापेक्षिक निष्पादन में पिछले वर्षों में सार्थक परिवर्तन हुआ (तालिका 2.7)।

तालिका 2.7: कर राजस्व के संघटक (सकल)

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | कुल सकल कर राजस्व# | निगम कर | आयकर | सीमाशुल्क | उत्पाद शुल्क | सेवा कर | अन्य |
|---|--------------------|---------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| 1985-2006 | 132143 | 25755 | 19194 | 33146 | 48115 | 3009 | 2924 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 96533 | 13567 | 12575 | 30273 | 37014 | 465 | 2638 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 166087 | 29508 | 25353 | 43418 | 60838 | 2317 | 4652 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | |
| 2002-03 | 216266 | 46172 | 36866 | 44852 | 82310 | 4122 | 1944 |
| 2003-04 | 254348 | 63562 | 41387 | 48629 | 90774 | 7891 | 2105 |
| 2004-05 | 304958 | 82680 | 49268 | 57611 | 99125 | 14200 | 2074 |
| 2005-06 | 366151 | 101277 | 55985 | 65067 | 111226 | 23055 | 9541 |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत) | | | | | | | |
| 1985-2006 | 12.81 | 19.44 | 17.18 | 9.03 | 11.07 | * | 7.00 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 15.89 | 21.71 | 24.72 | 18.00 | 10.45 | * | -2.50 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 9.00 | 17.15 | 18.58 | 1.61 | 11.41 | 19.19 | -30.18 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | |
| 2002-03 | 15.61 | 26.12 | 15.19 | 11.38 | 13.44 | 24.83 | -16.28 |
| 2003-04 | 17.61 | 37.66 | 12.26 | 8.42 | 10.28 | 91.44 | 8.28 |
| 2004-05 | 19.90 | 30.08 | 19.04 | 18.47 | 9.20 | 79.95 | -1.47 |
| 2005-06 | 20.07 | 22.49 | 13.63 | 12.94 | 12.21 | 62.36 | 360.03 |

*सेवा कर 1994-95 में लागू किया गया था। आंकड़े शामिल हैं।

#राज्यों/सं.शा.क्षे. को सौंपे गए करों/कर्तव्यों के

2.11 आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों में करों के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। अधिक व्यापक क्षेत्र, विस्तृत आधार तथा संतुलित दरें, नई कर शासन प्रणाली की आधारशिला बन गये। पदार्थ आधारित कराधान से कम विकारपूर्ण आय आधारित

कराधान की ओर भी परिवर्तन था। इस परिवर्तन से कर अनुपालना, कर उत्प्लावकता तथा अन्ततः कर-स.घ.उ. अनुपात में सुधार होना अपेक्षित था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान कर प्राप्तियों की वृद्धि दर 15.89 प्रतिशत की औसत से बढ़ी थी जो 1985-2006 के दौरान की प्रवृत्ति वृद्धि से तीन प्रतिशतता अंको से ऊपर थी। आयकर, निगम कर तथा सीमा शुल्क में बढ़ी हुई वृद्धि का इस बढ़ोतरी में योगदान था। तथापि IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान इन तीनों करों/शुल्कों की औसत वार्षिक वृद्धि की दर में, गिरावट आई थी। जबकि सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों में वृद्धि की दर में, शुल्कों को घटाये जाने को ध्यान में रखते हुये, गिरावट अपेक्षित थी, इसकी दूसरे करों में वृद्धि की दर में बढ़ोतरी से सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई थी। यहां तक कि 1994-95 में सेवा कर के लागू किये जाने, जिससे अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ था, से भी इस अवधि के दौरान वृद्धि दर को कायम नहीं रखा जा सका था। यदि 1985-86 में मुख्य करों से सकल वसूली 100 पर स्थिर होती है तो 2005-06 में वसूली सूची निगम करों के लिए 3535, आय कर के लिए 2229, उत्पाद शुल्क से 858 तथा सीमा शुल्क के लिए केवल 683 होगी। विशेष तौर पर निगम तथा आयकर की वसूली में त्वरण सुधार अवधि के पश्चात् आया।

2.12 2005-06 में कर प्राप्तियाँ विशेषकर निगम तथा सेवा कर से उत्प्लावक थी जो सकल वसूली से 20 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति क्रमशः 22.49 तथा 62.36 प्रतिशत बढ़ी। सेवा कर में वृद्धि दरों में परिवर्तन तथा सेवाओं के आच्छादन में वृद्धि दोनों के कारण थी। 2005-06 में प्रत्यक्ष कर संरचना में जिसमें कर स्तरों तथा दरों को कम करने के अधोगामी समायोजन के रूप में व्यापक बुद्धिसंगत व्याख्या प्रारम्भ की गई थी तथा ये समायोजन मानदण्ड बढ़ाने के उपयुक्त आधार द्वारा अनुपूरक थे जिसमें नये कर आरम्भ करना, मूल्यहास दरों में कमी तथा कुछ कर छूटों को समाप्त करना सम्मिलित था। अप्रत्यक्ष कर सुधार सीमा शुल्कों हेतु एसियन स्तरों तथा केन्द्रीय उत्पाद हेतु सेनवेट दरों के और बढ़ने पर केन्द्रित थे। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान कर प्रशासन सहित कर संरचना की बुद्धिसंगत व्याख्या की प्रभाविकता सुदृढीकरण करने के लिए कई पहल की गई थी। इन उपायों के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में 2005-06 के दौरान आयकर, सीमा शुल्कों तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अन्तर्गत वसूली में सुस्पष्ट वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन उनकी वृद्धि दरों में गिरावट अंशतः उनकी कर संरचना में बुद्धिसंगत व्याख्या के कारण तथा अंशतः पिछले वर्ष में उनके अपेक्षाकृत उच्चतर आधारों के कारण थी। अन्य 'शीर्ष' के अन्तर्गत अर्थपूर्ण वृद्धि मुख्यतः इस तथ्य के कारण है कि नये शुरू किए गए सीमान्त लाभ कर, प्रतिभूतियाँ सम्पादन कर तथा बैंकिंग नकद सम्पादन कर, जो कि बजट अनुमानों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा है, के अधीन वसूली 'अन्य कर' शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिबिम्बित की गई है।

2.13 विभिन्न करों के अन्तर्गत वसूली के रूप में अन्तरीय निष्पादन के अलावा संघ के सकल कर राजस्व में उनके प्रासंगिक अंश में भी अर्थपूर्ण बदलाव विशेषरूप से दसवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान हुए थे (तालिका 2.8)। चूंकि अर्थव्यवस्था में

सुधार 90 के प्रारम्भ में शुरू हुए थे, कुल सकल कर राजस्व में निगम कर का अंश 14 प्रतिशत था, जबकि उत्पाद शुल्क का अंश 38.34 प्रतिशत था। तथापि, वर्षों में लाभ, उच्चतर निगम कर वसूली के रूप में जबकि, निगम कर 2002-03 में 46172 करोड़ रु. से बढ़कर 2005-06 में 101,277 करोड़ रु. हुआ था वहीं उत्पाद शुल्क 2002-03 में 82310 करोड़ रु. से बढ़कर 2005-06 में 111,226 करोड़ रु. हुआ। 2002-03 से सकल कर राजस्व में उत्पाद कर का अंश में प्रत्येक वर्ष दो प्रतिशतता अंकों की औसत से गिरावट आई है दूसरी तरफ निगम कर के अंश में लगभग 1.6 प्रतिशतता अंक प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई थी। दसवीं योजना के प्रथम पहले चार वर्षों के दौरान सकल कर राजस्व में उत्पाद तथा सीमा शुल्कों से बने अप्रत्यक्ष कर के अंश में 2.7 प्रतिशतता अंक की वार्षिक औसत दर से गिरावट आई है। तथापि, इन चार वर्षों के दौरान वैयक्तिक आयकर के अंश ने क्रमिक गिरावट दर्शाई है लेकिन 0.4 प्रतिशतता अंकों की अपेक्षाकृत धीमी दर से। 1994-95 में अपनी शुरुआत से सेवा कर का अंश लगातार बढ़ रहा है तथा पिछले चार वर्षों के दौरान यह प्रति वर्ष एक प्रतिशतता अंक की औसत से बढ़ गया है।

तालिका 2.8: कर राजस्व घटकों का सापेक्षिक अंश (सकल)

(प्रतिशत में)

| अवधि | कुल सकल कर राजस्व | निगम कर | आयकर | सीमा शुल्क | उत्पाद शुल्क | सेवा कर | अन्य |
|----------------------------|-------------------|---------|-------|------------|--------------|---------|------|
| 1985-2006 | 100.00 | 19.49 | 14.53 | 25.08 | 36.41 | 2.28 | 2.21 |
| VIII वीं योजना (1992-1997) | 100.00 | 14.05 | 13.03 | 31.36 | 38.34 | 0.48 | 2.73 |
| IX वीं योजना (1997-2002) | 100.00 | 17.77 | 15.26 | 26.14 | 36.63 | 1.40 | 2.80 |
| X वीं योजना (2002-07) | | | | | | | |
| 2002-03 | 100.00 | 21.35 | 17.05 | 20.74 | 38.06 | 1.91 | 0.90 |
| 2003-04 | 100.00 | 24.99 | 16.27 | 19.12 | 35.69 | 3.10 | 0.83 |
| 2004-05 | 100.00 | 27.11 | 16.16 | 18.89 | 32.50 | 4.66 | 0.68 |
| 2005-06 | 100.00 | 27.66 | 15.29 | 17.77 | 30.38 | 6.30 | 2.61 |

कर उत्प्लावकता

2.14 कर वसूली पर कर व्यवस्था की प्रभावकारिता को सम्मिलित करके सामान्यतः तीन मुख्य घटक अर्थात् कर आधार, कर दर तथा कर अनुपालन प्रभाव डालते हैं। यद्यपि विभिन्न प्रत्यक्ष करों के लिए कानूनी आधार भिन्न होते हैं तथा छूट एवं दूसरी रियायतों के कारण प्रभावकारी ढंग से निर्धारित करने में अत्यन्त जटिल होते हैं, इसलिए स.घ.उ. को कर आधार का उत्तम द्योतक माना जाता है। हालांकि कर अनुपालना का कोई परिभाषित मापदण्ड नहीं है, तथापि यह कर प्रशासन की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है एवं तीन प्रासंगिक प्रतिपक्ष कारक हैं - निर्धारण की गति, बकायों की वसूली तथा कर निर्धारण हेतु संभावित करदाताओं का नामांकन। कर अनुपालन, स्वैच्छिक तथा बाधित दोनों होते हैं। तथापि स्वैच्छिक अनुपालन प्रभावी एवं निवारक जुर्मानों के अतिरिक्त

प्रवर्तन मशीनरी की प्रभावकारिता पर भी निर्भर है। मध्यावधि में आय एवं निगम करों के लिए कर दरें साधारणतः स्थिर रही हैं।

2.15 कर राजस्व अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का प्रतिबिम्बित समझी जाता है। कर उत्प्लावकता न केवल कर नीति तथा प्रशासन पर बल्कि अर्थव्यवस्था के सामान्य प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। स.घ.उ. को अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का अच्छा सूचना माने तो, उत्प्लावकता गुणांक, स.घ.उ. या कर आधार में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर राजस्व में प्रतिशतता बढ़ोतरी को दर्शाता है। आधार के अतिरिक्त, उच्चतर उत्प्लावकता, कर की दरों तथा इसकी व्याप्ति में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। जबकि एक से अधिक की उत्प्लावकता अपेक्षित है, एक से कम की उत्प्लावकता दर्शाती है कि संबंधित कर वसूली ने आधार के परिवर्तन के साथ गति नहीं पकड़ी है। तालिका 2.9 1985-2006 के दौरान तथा दसवीं पंच वर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के साथ-साथ VIIIवीं एवं IXवीं योजना अवधियों के दौरान मुख्य करों की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है।

तालिका 2.9: मुख्य करों की उत्प्लावकता

| अवधि | सकल कर राजस्व | निगम कर | आयकर | सीमाशुल्क | उत्पाद शुल्क | सेवा कर |
|---------------------------|---------------|---------|-------|-----------|--------------|---------|
| 1985-2006 | 0.933 | 1.417 | 1.252 | 0.658 | 0.806 | 0.000 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 0.961 | 1.313 | 1.495 | 1.088 | 0.632 | 0.075 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 0.863 | 1.644 | 1.781 | 0.154 | 1.094 | 1.840 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 1.901 | 3.181 | 1.850 | 1.386 | 1.637 | 3.024 |
| 2003-04 | 1.497 | 3.202 | 1.043 | 0.716 | 0.874 | 7.776 |
| 2004-05 | 1.589 | 2.403 | 1.521 | 1.475 | 0.735 | 6.386 |
| 2005-06 | 1.463 | 1.639 | 0.993 | 0.943 | 0.890 | 4.545 |

2.16 उत्प्लावकता गुणांक में प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि में करों में तथा योजनाओं के दौरान उनमें उतार-चढ़ाव आया है। तथापि आठवीं तथा नवीं योजनाओं तथा 1985-2006 दीर्घावधि के दौरान सकल कर वसूली की उत्प्लावकता, एक से कम रही थी। 2002-03 से 2005-06 के दौरान समग्र कर उत्प्लावकता में अर्थपूर्ण प्रगति मुख्यतः सवेग वृद्धि के पुनः प्रवर्तन विशेषतया अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में जिसमें सरकार के कर संग्रहण विवेचनात्मक रूप से निर्भर है, की वजह से हुई थी। उच्च कर उत्प्लावकता के पीछे अन्य महत्वपूर्ण कारण, कर क्षेत्र में नई सेवाओं के समावेश द्वारा सेवा कर के आधार को विस्तृत करना है। सकल कर वसूली में उत्प्लावकता में गिरावट होगी यदि हम इसमें से सेवा कर को निकाल देते हैं। तथापि कुल कर वसूली में सेवा कर का बहुत कम अंशदान इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि कर आधार को विस्तृत करने के हाल के प्रयासों के बावजूद, राजस्व आवश्यकता हेतु सरकार की औद्योगिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता अभी भी जारी है। 2005-06 में 20.91 प्रतिशत

तक वृद्धि के लिए बजटीकृत सकल कर राजस्व निगम तथा आयकरों के प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर है तथा वर्ष के लिए निगम और आयकरों हेतु परिकल्पित बजट अनुमान क्रमशः 33.2 प्रतिशत और 30.1 प्रतिशत थे। राजस्व प्राप्तियों (केन्द्र को निवल), निगम एवं आयकर से प्राप्तियों में वृद्धि की समग्र वसूली पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 20.07, 22.49 तथा 13.63 प्रतिशत पाई गई थी।

2.17 जबकि महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष करों अर्थात् निगम कर तथा आयकर की समग्र उत्प्लावकता एक से बढ़ गया था, दो महत्वपूर्ण उत्पाद करों अर्थात् सीमा एवं उत्पाद शुल्कों में 1985-2006 अवधि के दौरान यह एक से महत्वपूर्ण रूप से कम था। उत्पाद तथा सीमा शुल्कों ने VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधि तथा आगामी वर्षों के दौरान भी अस्थिरता को दर्शाया है। चालू वर्ष में, उत्पादन शुल्क के अलावा जहाँ 2004-05 में उत्प्लावकता, इसके प्रवृत्ति अनुपात से भी कम थी, अन्य तीन मुख्य करों में उनके उत्प्लावकताओं में मुख्यतः उनकी वसूली में वृद्धि की दरों में कमी के कारण गिरावट दर्ज की गई थी जबकि पिछले वर्ष से 2005-06 में स.घ.उ. 1.2 प्रतिशतता अंक बढ़ गया है। उसके अतिरिक्त, निगम कर तथा सेवा कर के मामलों के अलावा, अन्य करों की उत्प्लावकता का एक से कम होना उनकी वृद्धि दरों के स.घ.उ. की वृद्धि से कम होने को इंगित करती है। स.घ.उ. में चढ़ाव, जिसे वास्तव में इन करों के अतिरिक्त राजस्व वसूली में सहायक होना चाहिए, के कारण तेल कीमतों तथा उत्प्लावक गैर-तेल आयातों की उच्च तथा बढ़े हुए स्तर की स्थिति में सीमा शुल्क मोरचे पर अपेक्षाकृत कमजोर निष्पादन पाया गया था। जिसे असल में, इन करों से अतिरिक्त राजस्व संघटित करने में सहायता करनी चाहिए थी। इन बातों के बावजूद, स.घ.उ. के साथ सीमा शुल्कों से वसूली की गति बनाए रखने में असमर्थता, व्यापार उदारीकरण से सम्बद्ध शुल्क में कटौती के परिदृश्य में राजस्व उत्पन्न करने की युक्ति के रूप में घटी हुई भूमिका की ओर संकेत करती है।

कर-स.घ.उ. अनुपात

2.18 सरकार के संसाधन संग्रहण प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा इसके कर सम्भाव्य की वसूली की सीमा का अन्य संकेतक कर-स.घ.उ. का अनुपात है। तालिका 2.10 तथा चार्ट 2.3, आठवीं तथा नवीं योजनाओं तथा दसवीं योजना (2002-07) के चार वर्षों हेतु वार्षिक आधार पर, इस अनुपात की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। 1985-2006 अवधि हेतु कर-स.घ.उ. अनुपात के विचलन की (-) 0.80 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाती है कि इस अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में वृद्धि स.घ.उ. में वृद्धि दर के साथ गति न बनाए रख सकी। कर स.घ.उ. अनुपात, जो 1985-2006 अवधि के लिए 9.35 प्रतिशत था, VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधियों में लगातार गिरा तथा 2001-02 में 8.15 प्रतिशत के निम्न पर पहुंचा जब पिछले वर्षों की तुलना में सकल कर राजस्व वसूली 1543 करोड़ रु. तक परिशुद्ध रूप से कम हुई। बाद के वर्षों में अनुपात, सुधार को दर्शाता है तथा 1992-93 से आरम्भ हुए अर्थव्यवस्था

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-2006


सुधार व्यवस्था के दौरान पहली बार चालू वर्ष में 10 प्रतिशत बढ़ा। तथापि 2005-06 के दौरान 10.37 प्रतिशत का कर-स.घ.उ. अनुपात, संघ सरकार के मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार 11.1 प्रतिशत की अनुमानित बढ़ोतरी से कम रहा था। बाद में यह लक्ष्य 2005-06 हेतु बजट अनुमानों में 10.6 नीचे गिर गया तथा वास्तविक प्राप्ति संशोधित अनुमानों की अपेक्षा सीमान्तक रूप से कम था।

तालिका 2.10: मुख्य करों का कर/स.घ.उ. अनुपात

(प्रतिशत)

| अवधि | सकल कर राजस्व | निगम कर | आयकर | सीमा शुल्क | उत्पाद शुल्क | सेवा कर |
|-----------------------------------|---------------|---------|------|------------|--------------|---------|
| 1985-2006 | 9.35 | 1.82 | 1.36 | 2.34 | 3.40 | 0.21 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 9.32 | 1.31 | 1.21 | 2.92 | 3.58 | 0.04 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 8.68 | 1.54 | 1.32 | 2.27 | 3.18 | 0.12 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 8.76 | 1.87 | 1.49 | 1.82 | 3.33 | 0.17 |
| 2003-04 | 9.22 | 2.30 | 1.50 | 1.76 | 3.29 | 0.29 |
| 2004-05 | 9.82 | 2.66 | 1.59 | 1.86 | 3.19 | 0.46 |
| 2005-06 | 10.37 | 2.87 | 1.59 | 1.84 | 3.15 | 0.65 |
| अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर | | | | | | |
| 1985-2006 | -0.80 | 5.02 | 3.04 | -4.13 | -2.34 | * |

* वार्षिक विचलन दर परिकलित नहीं की गई थी क्योंकि सेवाकर 1994-95 में लागू किया गया था।



2.19 विभिन्न साधनों से कर क्षेत्र को व्यापक किए जाने के साथ बढ़ते हुए निगम लाभों एवं वेतनों में उत्प्लावकता को फलीभूत करने वाला वसूली एवं उच्च आर्थिक वृद्धि का चरण भी मुख्यतः कर माफी/छूटों के कारण स.घ.उ. के साथ कर के अनुपात में अधिक सुधार नहीं ला पाया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान अर्थात् 1985-86 में सीमान्त कर दरें तेजी से नीचे आईं, व्यक्तिगत आय पर कर की सीमान्त दर 62 से 50 प्रतिशत तक तथा निगम कर दर लगभग 60 से 50 प्रतिशत तक नीचे लाई गई थी। 1990 के दशक के आरम्भिक बजट में, विशेष रूप से 1992-93 तथा 1994-95 में, सीमान्त दरें 40 प्रतिशत तक और भी कम हो गईं तथा वर्तमान में वे लगभग 33 प्रतिशत पर हैं। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में कर 2001-02 में न्यूनतम थे जब वे 1989-90 में क्रमशः 10.6 तथा 7.9 प्रतिशत की तुलना में केन्द्र के सकल कर राजस्व के मामले में 8.15 प्रतिशत तथा निवल कर राजस्व के मामले में 5.9 प्रतिशत थे। यह गिरावट, निगम, आय तथा सेवा करों (स.घ.उ. से संबंधित) की वसूली में सुधार के बावजूद हुई थी, जो उत्पाद शुल्क के 'युक्तिकरण' तथा व्यापार उदारीकरण के परिणामस्वरूप सीमा तथा उत्पादन शुल्कों की वसूली में हुई हानि की भरपाई नहीं कर सके थे। स.घ.उ. की तुलना में सीमा एवं उत्पाद शुल्क वसूली के अनुपात में गिरावट ने इस अवधि के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में कर में गिरावट में भूमिका निभाई। स.घ.उ. की तुलना में सीमा उत्पादन शुल्क वसूली का अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 2.92 और 3.58 प्रतिशत की औसत से 2005-06 में क्रमशः 1.84 और 3.15 प्रतिशत तक गिरा। स.घ.उ. के सापेक्ष उनके अंश में ऋणात्मक विचलन ने मुख्यतः सकल कर वसूली में एक समग्र ऋणात्मक विचलन में मुख्य भूमिका निभाई। स.घ.उ. के सापेक्ष निगम तथा आय कर वसूली में सुधार देखा गया तथा इनमें सकारात्मक विचलन दर थी। यह वास्तव में सच है कि बाद में उत्प्लावक निगम लाभों, एक विस्तृत कर आधार और देयताओं तथा बकायों के उन्नत वसूली ने कर-स.घ.उ. अनुपात को बढ़ाने में सहायता की। किन्तु उच्च वृद्धि उन्नत लाभकारिता ओर बढ़ी हुई विषमता के चिह्नों (जिन्हें कर की वसूली को उन्नत करना चाहिए) के बावजूद बढ़ोतरी कर-स.घ.उ. अनुपात को उसके उदारीकरण के तत्काल पहले के स्तरों तक वापस पहुंचाने मात्र के लिए पर्याप्त रहे हैं। यह इस कारण है कि हालांकि निगम, आय तथा सेवा कर राजस्वों (विशेष रूप से प्रथम) ने बढ़ोतरी में भूमिका निभाई फिर भी उनका प्रभाव स्तर को 1980 के दशक के अन्त में प्रचलित स्तर से ऊपर बढ़ाने के लिए अपर्याप्त था।

गैर-कर राजस्व

2.20 सरकार के गैर-कर राजस्व के दो घटक; इसके संप्रभु क्रियाकलापों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्का, ढलाई आदि से आय तथा वह जो या तो मध्यस्थता वापसी अथवा लाभांश अथवा उपभोगकर्ता प्रभारों जैसे रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों के रूप में इसकी परिसम्पत्तियों/निवेशों से उत्पन्न हुआ हो, से

संघटित समझा जा सकता है। जहां संप्रभु क्रियाकलापों, वित्तीय मध्यस्थता एवं निवेश से राजस्व वास्तविक उगाही के रूप में होते हैं, वहीं सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से आय सकल आधार पर होती है तथा उन्हें सेवा प्रदान करने की प्रचालन लागत से निवलीकृत नहीं किया गया है। आगे, लाभांश आय में भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष भी शामिल होता है तथा यह निवेश सम्बद्ध होने से कहीं सलाभ सिक्का ढलाई (सलाभ सिक्के ढलाई मुद्रा भण्डार में गैर-मुद्रा स्फीति वृद्धि है) से अधिक सम्बन्धित है। राशि, जो सरकार की आय/राजस्व के रूप में वास्तव में हिसाब में ली जानी चाहिए, के सम्बन्ध में गैर-कर राजस्व की सीमाओं के होते हुए, 1985-2006 अवधि के दौरान इस साधन से संभूतियों का संघ के वर्तमान राजस्व का लगभग 44.94 प्रतिशत अंशदान था। 1985-2006 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व सकल आधार पर 12.84 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा था (तालिका 2.11)।

तालिका 2.11: गैर-कर राजस्व - प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | कुल गैर-कर राजस्व | व्याज प्राप्ति | लाभांश तथा लाभ | सामाजिक सेवाएं | आर्थिक सेवाएं | संप्रभु तथा अन्य-कार्य |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|
| 1985-2006 | 79431 | 22097 | 8571 | 534 | 40969 | 7260 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 61459 | 16791 | 4969 | 606 | 33100 | 5993 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 115933 | 34526 | 11555 | 572 | 60257 | 9023 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 139682 | 44705 | 21230 | 424 | 60663 | 12660 |
| 2003-04 | 150518 | 46645 | 21160 | 449 | 68156 | 14108 |
| 2004-05 | 150508 | 36412 | 22939 | 451 | 75588 | 15118 |
| 2005-06 | 159174 | 30799 | 25451 | 1643 | 84893 | 16388 |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर | | | | | | |
| 1985-2006 | 12.84 | 12.86 | 24.32 | 4.47 | 11.74 | 11.15 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 14.66 | 14.32 | 30.01 | 10.93 | 15.54 | 2.87 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 8.00 | 13.00 | 21.19 | -21.24 | 2.25 | 13.16 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 6.58 | 5.81 | 22.79 | 42.76 | 2.28 | 6.29 |
| 2003-04 | 7.76 | 4.34 | -0.33 | 5.90 | 12.35 | 11.44 |
| 2004-05 | -0.01 | -21.94 | 8.41 | 0.45 | 10.90 | 7.16 |
| 2005-06 | 5.76 | -15.42 | 10.95 | 264.30 | 12.31 | 8.40 |

2.21 लाभांशों एवं लाभों से गैर कर राजस्व (भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष को शामिल करके), 1985-2006 के दौरान 24.32 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ता हुआ तीव्रतम घटक था। तथापि, इस स्रोत से राजस्व वास्तविक रूप में 2003-04 में गिरावट आई थी लेकिन आगामी वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ा। इस स्रोत से 2003-04 में गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक से 2002-03 में 10320 करोड़ रु. से 2003-04 में 8834

करोड़ रु. और उसके बाद 2004-05 में 5400 करोड़ रु. का अधिशेष अंतरित करने के कारण थी। चालू वर्ष के दौरान, यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष 2004-05 स्तर पर स्थिर रहा लेकिन सी.पी.एस.यू. से लाभांश में बढ़ोतरी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में लाभों के अंश तथा बीमा निगम के 2005-06 में लाभांश तथा लाभ के घटक के अंश में वृद्धि का कारण बने। दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम दो वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों में कमी देखी गई थी लेकिन योजना के आगामी दो वर्षों के दौरान मुख्यतः ऋण विनिमय योजना लागू करने के कारण मुख्य रूप से परिशुद्ध तौर पर में गिरावट आई जिसका परिणाम निम्न ब्याज दरों सहित बकाया ऋणों के कम संग्रह में हुआ।

2.22 आठवीं योजना (1992-97) तथा नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं सफाई तथा सामाजिक सुरक्षा आदि से कुल प्राप्तियाँ 1985-2006 के दौरान वार्षिक औसत प्राप्तियों से अपेक्षाकृत अधिक थी। तथापि दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियाँ वार्षिक औसत प्राप्तियों से काफी कम थी तथा 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान प्रभावोत्पादकता स्थिर बनी रही। 2005-06 के दौरान, सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में 2004-05 में 451 करोड़ रु. से 2005-06 में 1643 करोड़ रु. तक तीन गुणा से अधिक वृद्धि हुई जो निश्चित ही पिछले वर्षों के दौरान 'सूचना तथा प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत 1139 करोड़ रु. की वसूली में बढ़ोतरी के कारण था। आर्थिक सेवाओं से कुल प्राप्तियाँ 1985-86 में 9253 करोड़ रु. से बढ़कर 2005-06 की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से 84893 करोड़ रु. हो गई। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों में प्रवृत्ति यह भी प्रकट करती है कि आठवीं योजना (1992-97) के अलावा, कुल प्राप्तियाँ 1985-2006 के दौरान औसत वार्षिक प्राप्तियों से अधिक थी। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों का 2000-06 की अवधि के दौरान एक विस्तृत विश्लेषण यह दर्शाता है कि रेलवे से प्राप्तियों में 2000-06 के दौरान 'आर्थिक सेवाओं' से कुल प्राप्तियों में बड़े भाग का अंशदान शामिल है तथा यह 2002-03 में 70.46 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक पहुँचने के उपरान्त 2000-01 में 61 प्रतिशत से 2005-06 में 66 प्रतिशत के बीच थी। दूरसंचार सहित सूचना सेवाओं ने 2000-01 में आर्थिक सेवाओं की कुल प्राप्तियों में 20 प्रतिशत अंशदान किया जो बाद में मुख्यतः भारत में दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण के कारण 2005-06 में 12 प्रतिशत तक कम हुआ। यद्यपि संघ के प्रति दूरसंचार प्राप्तियों में 2000-01 से गिरावट आई लेकिन बेतार योजना तथा समन्वय संस्था और दूरसंचार लाईसेंस शुल्क/सार्वभौमिक पहुंच उगाही को शामिल करके अन्य संचारी सेवाओं से प्राप्तियों 2000-01 में 1614 करोड़ रु. से बढ़कर 2005-06 में 10064 करोड़ रु. हो गई। रेलवे सहित संचार, विद्युत तथा पेट्रोलियम के साथ मिलकर 2005-06 के दौरान आर्थिक सेवाओं से कुल प्राप्तियों में 86 प्रतिशत अंशदान किया। सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में असाधारण रूप से उच्च वृद्धि सहित आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों तथा लाभों तथा लाभांशों में 12.31 प्रतिशत

तथा 10.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जिसका परिणाम वर्ष के दौरान ब्याज प्राप्तियों में गिरावट के बावजूद 2005-06 में गैर-कर प्राप्तियों में 5.76 प्रतिशत की वृद्धि में हुआ।

2.23 गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों के सापेक्षिक अंशों में 1985-2006 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गये (तालिका 2.12)। पिछले दो वर्षों में अन्तर्वर्षीय विचलन तथा सामान्य वृद्धि होने के बावजूद लाभों तथा लाभांशों के अंश VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 8 प्रतिशत की औसत दर से 2005-06 के दौरान लगभग 16 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और 1985-2006 के दौरान 10.17 प्रतिशत की घनात्मक औसत वार्षिक विचलन दर थी यद्यपि इसका भाग दसवीं योजना (2002-07) के दौरान 2002-03 में 32 प्रतिशत से लगातार कम होकर 2005-06 में 19.35 प्रतिशत हो गया। ऋण अग्रिमों पर ब्याज दरों में कमी तथा ऋण विनिमय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस त्वरण में सहयोग किया है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं और सरकार के संप्रभु तथा अन्य सामान्य कार्यकलापों से गैर-कर प्राप्तियों के कारण 1985-2006 के दौरान ऋणात्मक विचलन दर थी। आर्थिक सेवाओं के लिए सापेक्ष अंश में इस गिरावट का एक भाग दूरसंचार से राजस्व का विराम था क्योंकि विभागीय उपक्रमों का निगमीकरण हो गया था। उनका राजस्व, जो पहले समेकित निधि का हिस्सा होता था, नये गठित निगम का राजस्व बन गया था। गैर-कर राजस्व में सामाजिक सेवाओं का समग्र अंशदान नगण्य ही नहीं था बल्कि दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान वस्तुतः स्थिर रहा यद्यपि उसने 'सूचना तथा प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत अधिक संचयनों के कारण 2005-06 में तीव्र बढ़ोतरी दर्शाई।

तालिका 2.12: गैर कर राजस्व घटकों का सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत)

| | कुल गैर कर राजस्व | ब्याज प्राप्तियां | लाभांश तथा लाभ | सामाजिक सेवाएं | आर्थिक सेवाएं | संप्रभु एवं अन्य कार्य |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1985-2006 | 100.00 | 27.82 | 10.79 | 0.67 | 51.58 | 9.14 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 100.00 | 27.32 | 8.09 | 0.99 | 53.86 | 9.75 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 100.00 | 29.78 | 9.97 | 0.49 | 51.98 | 7.78 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 100.00 | 32.00 | 15.20 | 0.30 | 43.43 | 9.06 |
| 2003-04 | 100.00 | 30.99 | 14.06 | 0.30 | 45.28 | 9.37 |
| 2004-05 | 100.00 | 24.19 | 15.24 | 0.30 | 50.22 | 10.04 |
| 2005-06 | 100.00 | 19.35 | 15.99 | 1.03 | 53.33 | 10.30 |
| अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर | | | | | | |
| 1985-2006 | | 0.01 | 10.17 | -7.42 | -0.98 | -1.50 |

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

2.24 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां (विनिवेश) तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली शामिल हैं। तालिका 2.13 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा संघ सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली के विवरण को दर्शाती है। यह तालिका संघ सरकार के कर्जों तथा अग्रिमों की वास्तविक वसूली के साथ-साथ विनिवेश से प्राप्तियों के बजट अनुमान तथा वास्तविक वसूली को भी दर्शाती है।

तालिका 2.13: विनिवेश से वसूली एवं कर्जों की वसूली

| | विनिवेश | | | कर्जों की वसूली | | |
|---------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
| | बजट अनुमान | वास्तविक वसूली | प्रतिशत वसूली | बजट अनुमान | वास्तविक वसूली | प्रतिशत वसूली |
| | (करोड़ रूपयों में) | | | (करोड़ रूपयों में) | | |
| 1991-92 | 2500 | 3038 | 121.52 | 6778 | 7001 | 103.29 |
| 1996-97 | 5000 | 380 | 7.60 | 8184 | 8696 | 106.26 |
| 1998-99 | 5000 | 5369 | 107.38 | 11560 | 13189 | 114.09 |
| 1999-00 | 10000 | 1723 | 17.23 | 13337 | 12551 | 94.11 |
| 2000-01 | 10000 | 1870 | 18.70 | 15839 | 16799 | 106.06 |
| 2001-02 | 12000 | 3028 | 25.23 | 17488 | 20733 | 118.56 |
| 2002-03 | 12000 | 3149 | 26.24 | 20080 | 38745 | 192.95 |
| 2003-04 | 13200 | 16632 | 126.00 | 20523 | 69827 | 340.24 |
| 2004-05 | 4000 | 4363 | 109.10 | 29625 | 64240 | 216.84 |
| 2005-06 | -- | 1570 | -- | 13525 | 11801 | 87.25 |

2.25 2005-06 के दौरान ब.अ. स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में अंशधारिताओं के विनिवेश से 'शून्य' प्राप्तियां हुईं। 2005-06 में सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों में सरकारी अंशों के विनिवेश के विक्रय से तथा सरकारी अंशधारिताओं के विनिवेश से प्राप्त प्रीमियम की वास्तविक प्राप्तियां 1570 करोड़ रु. थीं। तथापि विनिवेश प्राप्तियों को जमा करने के लिए राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) को स्थापित करने के निर्णय के साथ कि चालू वर्ष में ऐसी प्राप्तियां रा.नि.नि. को अंतरण द्वारा बराबर की जानी थीं। पिछले वर्ष से ऋणों की वसूली में न केवल अर्थपूर्ण कमी आई बल्कि 2005-06 के दौरान 13525 करोड़ रु. के अपर्याप्त बजट लक्ष्य से कम रहे। 2003-04 तथा 2004-05 के ऋण विनिमय योजना के अन्तर्गत नरम-ब्याज व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए राज्यों के साथ-साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उच्च लागत कर्जों के पूर्व-भुगतान के साथ, कर्जों की वसूली के अन्तर्गत प्राप्तियों ने 2005-06 के दौरान एक अनुमानित गिरावट दर्शाई। बाजार उधारों तथा लोक लेखों में संभूतियों से बने अन्य पूंजीगत प्राप्तियां, जो प्रवृत्ति से ऋण सर्जक हैं, की चर्चा बाद के अध्यायों में की गई है।

अध्याय 3

संसाधनों का उपयोग : व्यय

1985-2006 के दौरान संघ सरकार का कुल संवितरण 12.34 प्रतिशत की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि दर से बढ़ा। संघ सरकार के कुल संवितरण के चार प्रमुख घटक हैं: राज्यों को सहायता अनुदान सहित वास्तविक व्यय; राज्यों को संघ करों की प्राप्तियों में से अनिवार्य अंतरण; ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखों से संवितरण। कुल संवितरण के चारों घटकों के सापेक्षिक अंश ने वर्ष दर वर्ष आधार पर तथा योजना अवधियों, में दोनों में ही भारी उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किए। 1985-2006 की अवधि में वास्तविक व्यय के अंश में धीरे-धीरे गिरावट आई है जबकि अन्य तीन घटकों के अंशों ने एक मिश्रित प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया।

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा तथा इसका अंश VIIIवीं योजना के दौरान 78.88 प्रतिशत की औसत से संगत रूप से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान 88.74 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद इसकी औसत Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 86.19 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग प्रायः प्रतिबद्ध है यानि कि व्यय का वह भाग जिस पर सरकार का बहुत कम स्वनिर्णय होता है। ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन एवं मजदूरी तथा ज्यादातर राज्य/संघ शासित क्षेत्र को सहायता अनुदान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सुस्पष्ट आर्थिक सहायता, राजस्व व्यय का एक अन्य घटक है जिसकी औसत VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 13,469 करोड़ रु. से संगत रूप से बढ़कर Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 44596 करोड़ रु. हो गई। चालू वर्ष के दौरान खाद्य एवं उर्वरकों ने मिलकर आर्थिक सहायता पर कुल व्यय का 92 प्रतिशत से अधिक संस्थापित किया। चालू वर्ष के दौरान, 45068 करोड़ रु. की कुल आर्थिक सहायता व्यय वर्ष हेतु बा.वि.आ. द्वारा संस्तुत 38530 करोड़ रु. के स्तर से ऊपर है।

राजस्व व्यय में इन प्रवृत्तियों को विपरीत, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों का सापेक्षिक अंश VIIIवीं योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत की औसत से गिरकर चालू वर्ष के दौरान 11.26 प्रतिशत के न्यूनतम अंश के साथ इसकी औसत Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 13.81 प्रतिशत औसत हुई। 2005-06 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों में तीव्र गिरावट, राज्य सरकारों द्वारा उनकी राज्य योजनाओं के वित्तपोषण के लिए उधार लेने में संघ सरकार की अमध्यस्थता के संबंध में बा.वि.आ. संस्तुतियों की मंजूरी के कारण थी। इसके अतिरिक्त, शासकीय व्यय में प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रकट करता है कि योजनेतर व्यय योजनागत व्यय से बहुत अधिक प्रभावशाली है तथा राजस्व व्यय पूरी तरह से पूंजीगत व्यय पर छा गया है। राजस्व व्यय हेतु एक के नजदीक की उत्प्लावकता के प्रति 1985-2006 के दौरान स.घ.उ. के साथ पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता तथा राजस्व प्राप्तियां पूर्ण 0.6 हुई हैं। इसी प्रकार, स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियां, दोनों के संबंध में योजनेतर व्यय की उत्प्लावकता योजनागत व्यय की उत्प्लावकता के सापेक्ष अधिक रही है।

कार्यविधियों के संबंध में, सरकार के कुल व्यय में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा आर्थिक सेवाएं शामिल हैं। 1987-2006 के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय क्रमशः 15.48 तथा 11.25 प्रतिशत की दीर्घावधि वृद्धि दर से बढ़ा है। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय विशेषतौर से Xवीं योजना (2002-07) की अवधि के दौरान उत्प्लावक था। Xवीं योजना अवधि के दौरान संघ सरकार के व्यय के प्रतिमान में प्रवृत्तियां ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता जैसे क्षेत्रों पर बढ़े व्यय को प्रकट करती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण सड़कें, आवास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी संरचनात्मक सुविधाओं पर व्यय भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है।

3.1 संघ सरकार अपने संप्रभु क्रियाकलापों के निष्पादन, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के वितरण के अपने मौजूदा नेटवर्क के रखरखाव, पूंजीगत व्यय और निवेशों के माध्यम से इन सेवाओं के नेटवर्क के विस्तार और ऋण सेवा की बाध्यताओं के निर्वहन

संसाधनों का उपयोग : व्यय

के लिए संसाधन जुटाती है। सरकार ने 2005-06 के दौरान जुटाए अपने संसाधनों से संवितरण के लिए कुल 2292,037 करोड़ रु. का उपयोग किया था जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : संसाधनों का उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

| | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------|----------|
| I | उपलब्ध संसाधन | | 2292,037 |
| II | संसाधनों का उपयोग | | 2226,549 |
| | क. ऋणों का पुनर्भुगतान | | 1115,210 |
| | | आन्तरिक ऋण | 1108,212 |
| | | बाह्य ऋण | 6,998 |
| | ख. लोक लेखे की देयताओं को चुकाना | | 407,255 |
| | | अल्प बचत तथा भविष्य निधि | 278,943 |
| | | आरक्षित निधि | 31,822 |
| | | जमा तथा अग्रिम | 63,872 |
| | | अन्य | 32,618 |
| | ग. वास्तविक व्यय | | 609,249 |
| | | राजस्व व्यय | 540,637 |
| | | पूंजीगत व्यय | 56,119 |
| | | ऋण और अग्रिम | 12,493 |
| | घ. करों में राज्यों का अंश | | 94,385 |
| | 3 आकस्मिक निधि को विनियोग | | 450 |
| III | रोकड़ अन्तशेष | | 65,488 |

3.2 ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे की देयताओं को चुकाने (1522,465 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (141,375 करोड़ रु.), अपनी सकल कर प्राप्ति के अधिदेशित अंश को राज्यों के सुपुर्द करने (94,385 करोड़ रु.) राज्यों को सहायता अनुदान (72,367 करोड़ रु.) और रोकड़ अन्तशेष (65,488 करोड़ रु.) में इसके कुल संसाधनों का लगभग 83 प्रतिशत चला गया। अतः सरकार के पास चालू सेवाओं पर खर्च के लिए कुल संग्रहण का केवल 17 प्रतिशत ही शेष बचा था।

कुल संवितरण

3.3 संघ सरकार के कुल संवितरण के चार मुख्य घटक हैं: राज्यों को सहायता अनुदान सहित वास्तविक व्यय; राज्यों को संघ करों की प्राप्ति में से अनिवार्य अन्तरण; ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे से संवितरण। इन व्यय वर्गों के आर-पार सापेक्ष गतियों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।


तालिका 3.2: कुल संवितरण के घटक

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | वास्तविक व्यय | करों में राज्यों का अंश | ऋण का पुनर्भुगतान | लोक लेखे में संवितरण | कुल संवितरण | स.घ.उ. (बाजार मूल्य) |
|---|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1985-2006 | 272721 | 34814 | 254626 | 149447 | 711608 | 1413723 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 203539 | 26391 | 126525 | 77261 | 433716 | 1035315 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 374502 | 44622 | 310011 | 207404 | 936539 | 1914401 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 476310 | 56122 | 339677 | 270224 | 1142333 | 2469564 |
| 2003-04 | 506817 | 65766 | 430963 | 391783 | 1395329 | 2760025 |
| 2004-05 | 549333 | 78595 | 556269 | 400388 | 1584585 | 3105512 |
| 2005-06 | 609249 | 94385 | 1115210 | 407255 | 2226099 | 3531451 |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में) | | | | | | |
| 1985-2006 | 12.02 | 12.99 | 11.01 | 16.95 | 12.34 | 13.72 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 11.87 | 14.41 | 20.90 | 14.32 | 14.84 | 16.54 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 8.86 | 11.05 | -2.34 | 22.05 | 7.00 | 10.43 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 6.92 | 6.21 | 5.58 | 25.06 | 10.25 | 8.21 |
| 2003-04 | 6.40 | 17.18 | 26.87 | 44.98 | 22.15 | 11.76 |
| 2004-05 | 8.39 | 19.51 | 29.08 | 2.20 | 13.56 | 12.52 |
| 2005-06 | 10.91 | 20.09 | 100.48 | 1.71 | 40.48 | 13.72 |

3.4 केन्द्र सरकार का कुल संवितरण VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 433,716 करोड़ रु. की औसत से निरंतर बढ़ कर चालू वर्ष में, 2226,099 करोड़ रु. हो गया था। 1985-2006 के दौरान 12.34 प्रतिशत की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि दर, जो कि उसी अवधि में औसतन 13.72 प्रतिशत थी, से कम थी। VIIIवीं और IXवीं योजना के दौरान व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि की दर भी स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी। Xवीं योजना (2002-2007) ने अब तक इस प्रवृत्ति के उत्क्रमण को प्रदर्शित किया है तथा कुल वितरण की वृद्धि दर स.घ.उ. वृद्धि से बढ़ गई। स.घ.उ. वृद्धि दर से वास्तविक व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर हमेशा कम रही, जबकि लोक लेखों से संवितरण के मामले में VIIIवीं योजना और Xवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के अलावा, जब इन घटकों ने सिर्फ 2 प्रतिशत की औसतन दर की नाममात्र वृद्धि दर्शाई थी, यह उच्च थी। स.घ.उ. वृद्धि दर के प्रति दो अन्य संघटकों में वृद्धि दर ने अवधि के दौरान मिली-झुली प्रवृत्ति दर्शाई थी। लोक लेखा से संवितरण के मामले के अलावा दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान कुल संवितरण के अन्य घटकों में वृद्धि दर में लहर दर्शाई गई है, चालू वर्ष के दौरान त्वरण अपेक्षाकृत अधिक था। यदि 1985-86 में कुल संवितरण के सभी चार घटक 100 पर स्थित हों, तो लोक लेखे में से संवितरण हेतु 2256 के मूल्य की तुलना में ऋण के पुनर्भुगतान के घटक के

सूचकांक का मूल्य 836 होगा। अन्य दो घटक, वास्तविक व्यय तथा करों में राज्यों के अंश के मूल्य क्रमशः 921 और 1263 होंगे। चार्ट 3.1, 1985-2006 की अवधि के दौरान कुल संवितरण में विभिन्न घटकों में प्रवृत्ति को दर्शाता है।



3.5 कुल संवितरण के चार घटकों के आपेक्षिक अंश में वर्षानुवर्ष आधार पर और योजना अवधियों में बहुत उतार-चढ़ाव दिखाई दिया जैसा कि निम्न तालिका 3.3 में वर्णित है।

तालिका 3.3: संवितरण घटक: सापेक्ष अंश


(प्रतिशत)

| अवधि | वास्तविक व्यय | करों में राज्यों का अंश | ऋण का पुनर्भुगतान | लोक लेखे से संवितरण |
|---|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1985-2006 | 38.32 | 4.89 | 35.78 | 21.00 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 46.94 | 6.08 | 29.17 | 17.81 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 39.99 | 4.76 | 33.10 | 22.15 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | |
| 2002-03 | 41.70 | 4.91 | 29.74 | 23.66 |
| 2003-04 | 36.32 | 4.71 | 30.89 | 28.08 |
| 2004-05 | 34.67 | 4.96 | 35.11 | 25.27 |
| 2005-06 | 27.37 | 4.24 | 50.10 | 18.29 |
| अपने सापेक्ष अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर | | | | |
| (1985-2006) | -0.29 | 0.58 | -1.19 | 4.10 |

3.6 वास्तविक व्यय का अंश (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम को आच्छादित करके वर्तमान प्रचालनों पर व्यय को दर्शाना) VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 46.94 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर से IXवीं योजना (1997-2002) के अंतर्गत मंदन प्रवृत्ति दर्शाता है। Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान पहले वर्ष (2002-03) में वास्तविक व्यय के अपेक्षित अंश ने कुछ बढ़ोतरी दर्शाई थी लेकिन उसके बाद मंदन प्रवृत्ति जारी रही और चालू वर्ष में उसका अंश 27.37 प्रतिशत पर गिर गया। अत्वरित प्रवृत्ति भी VIIIवीं योजना के बाद 1985-2006 के दौरान ऋणात्मक विचलन दर भी दर्शाती थी। ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय के आपेक्षिक अंश VIIIवीं योजना (1992-1997), IXवीं योजना (1997-2002) और Xवीं योजना (2002-2007) की अवधि के दौरान मिलीझुली प्रवृत्ति दर्शाते हैं जो कि अंत में 1985-2006 के दौरान अपनी दीर्घावधि प्रवृत्ति में ऋणात्मक वार्षिक औसत दर को अभिसरित करता है। 1985-2006 के दौरान लोक लेखे से संवितरण ने 21 प्रतिशत की दीर्घावधि प्रवृत्ति अंश दर्शाया। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान इस घटक का सापेक्ष अंश कुल संवितरणों का 17.81 प्रतिशत था जो बाद में IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 22.15 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक बढ़ कर, रा.ल.ब.नि. के सृजन तथा अल्पबचतों के शेषों के दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1999-2000 में 33.76 प्रतिशत के शिखर तक पहुँच गया। लोक लेखे से संवितरण का अंश घटकर 2004-05 में 25.27 प्रतिशत और चालू वर्ष में 18.29 प्रतिशत हो गया। पिछले दो वर्षों के दौरान अपने अंश में अवनति के बावजूद इस घटक की 1985-2006 के दौरान 4.10 प्रतिशत की महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन दर थी जबकि इसने अवनति प्रवृत्ति दर्शाई थी।

व्यय: प्रमुख समुच्चय

3.7 तालिका 3.4 और चार्ट 3.2 संघ सरकार के वास्तविक व्यय (ऋण के पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे में से संवितरण शामिल नहीं हैं जिनकी चर्चा राजकोषीय देयताओं के अध्याय में अलग की गई है) तथा योजना अवधियों के दौरान इसके विभिन्न घटकों की अवलोकित प्रवृत्ति वृद्धि दरों को प्रस्तुत करती है।




तालिका 3.4: व्यय घटक

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | राजस्व व्यय | पूंजीगत व्यय | ऋण और अग्रिम | कुल व्यय | राजस्व व्यय/ कुल व्यय | अन्य/ कुल व्यय | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|----------------|--|--|
| 1985-2006 | 224472 | 23192 | 25057 | 272721 | 82.31 | 17.69 | | |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 160541 | 19550 | 23447 | 203539 | 78.88 | 21.12 | | |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 313109 | 26234 | 35159 | 374502 | 83.61 | 16.39 | | |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | | |
| 2002-03 | 409591 | 30497 | 36222 | 476310 | 85.99 | 14.01 | | |
| 2003-04 | 440086 | 35401 | 31330 | 506817 | 86.83 | 13.17 | | |
| 2004-05 | 455571 | 53654 | 40108 | 549333 | 82.93 | 17.07 | | |
| 2005-06 | 540637 | 56119 | 12493 | 609249 | 88.74 | 11.26 | | |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर | | | | | | | | |
| 1985-2006 | 13.52 | 8.18 | 4.43 | 12.02 | 1.34 | -4.83 | | |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 14.64 | -8.44 | 11.91 | 11.87 | विचलन की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत) | | | |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 10.40 | 9.22 | -3.42 | 8.86 | | | | |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | | |
| 2002-03 | 9.06 | -2.55 | -6.19 | 6.92 | | | | |
| 2003-04 | 7.45 | 16.08 | -13.51 | 6.40 | | | | |
| 2004-05 | 3.52 | 51.56 | 28.02 | 8.39 | | | | |
| 2005-06 | 18.67 | 4.59 | -68.85 | 10.91 | | | | |

3.8 परिशिष्ट-III-क 1985-1986 से 2005-06 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय और उसके तीन उप-घटकों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा (चार्ट 3.3) तथा इसका अंश VIIIवीं योजना के दौरान 78.88 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) में 83.61 प्रतिशत और चालू वर्ष के दौरान 88.74 प्रतिशत के उच्चतम स्तर के पहुंचने के बाद Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 86.12 प्रतिशत था। राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2005-06 के दौरान 85066 करोड़ रु. राशि की 18.67 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी जो मुख्यतः आर्थिक सेवाओं पर 39894 करोड़ रु. (27.12 प्रतिशत), राज्य सरकार और स.शा. सरकार को 19804 करोड़ रु. (36.76 प्रतिशत) के सहायता अनुदान सामान्य सेवाओं पर 17064 करोड़ रु. (7.66 प्रतिशत) के बढ़े हुए व्यय के कारण बताए गए थे। 2005-06 के दौरान राजस्व व्यय बजट अनुमान की अपेक्षा 3.42 प्रतिशत अधिक था जो कि राज्यों के लिए अनुशंसित ऋण राहत को समाविष्ट करने के बाद केन्द्रीय सरकार के लिए बा.वि.आ. द्वारा किए गए नियामक अनुमान की अपेक्षा स्वयं से 35.40 प्रतिशत अधिक था। 1985-2006 के दौरान इसका अपेक्षित अंश में 1.34 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सकारात्मक विचलन दर थी।



3.9 राजस्व व्यय में इन प्रवृत्तियों के प्रति, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का सापेक्षित अंश VIIवीं योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत की औसत से गिरकर IXवीं योजना (1997-2002) में 16.39 प्रतिशत एवं इसके आगे चालू वर्ष के दौरान 11.26 प्रतिशत के न्यूनतम अंश के साथ Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 13.88 प्रतिशत की औसत पर पहुंचा था। चालू वर्ष के दौरान, पूंजीगत व्यय अपने बजट अनुमानों की अपेक्षा 62537 करोड़ रु. कम था, जो स्वयं इसके अधिनिर्णय अवधि के सीमान्त वर्ष (2009-10) द्वारा स.घ.उ. के 3.5 प्रतिशत के लक्षित स्तर को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ने के लिए 2005-06 हेतु बा.वि.आ. द्वारा प्रक्षेपित स्तर से बहुत नीचे निर्धारित किया गया था। 1985-2006 के दौरान केन्द्र सरकार का राजस्व व्यय (करों में राज्यों का निवल अंश) 13.52 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा था। तथापि इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः 8.18 एवं 4.43 प्रतिशत की निम्न दर से बढ़े। 1985-2006 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति, जिनमें ये तीनों घटक शामिल थे, 12.20 प्रतिशत था।

3.10 VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान, पूंजीगत व्यय ने संकुचन को प्रदर्शित किया तथा ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि की 9.22 प्रतिशत की पूर्ति हुई। तथापि, Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम वर्ष ने पुनः पूंजीगत व्यय में संकुचन प्रदर्शित किया लेकिन अगले दो वर्षों के दौरान इसमें महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई तथा 2004-05 के दौरान बृहत आधार बना जिसका परिणाम चालू वर्ष के दौरान वृद्धि दर में गिरावट में हुआ। तथापि, ऋण एवं अग्रिम ने IXवीं योजना के दौरान वृद्धि दर ऋणात्मक बदलाव वृद्धि साथ एक भिन्न चित्र प्रदर्शित

किया तथा Xवीं योजना (2002-07) की अवधि के दौरान अब तक ऋणात्मक प्रवृत्ति को इंगित किया। 2005-06 के दौरान ऋण एवं अग्रिम में तीव्र गिरावट राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य योजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण लेने में केन्द्र सरकार की मध्यस्थता के संबंध में बा.वि.आ. की संस्तुति के स्वीकारोक्ति के कारण था। इसलिए राज्यों में केन्द्रीय योजना सहायता के ऋण घटक को केन्द्र सरकार के बजटीय मध्यस्थता के बिना सीधे बाजार से उगाहा। यह तंत्र वर्ष 2005-06 से बा.वि.आ. की संस्तुति के आधार पर है।

राजस्व व्यय: प्रवृत्ति एवं घटक

3.11 नीचे दी गई तालिका 3.5 अपने मुख्य उद्देश्य-वार वर्गीकरण के संदर्भ में राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों पर किए गए व्यय को दर्शाती है।

तालिका 3.5: राजस्व व्यय एवं इसके घटक

(करोड़ रूपयों में)

| अवधि | राजस्व व्यय | वेतन एवं भत्ते** | ब्याज भुगतान | पेंशन* | राज्यों के अनुदान | अन्य |
|---|-------------|------------------|--------------|--------|-------------------|--------|
| 1985-2006 | 224472 | 25888 | 62384 | 10215 | 26216 | 99769 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 160541 | 21620 | 44280 | 5661 | 20630 | 68351 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 313109 | 42783 | 91102 | 15852 | 32423 | 130949 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 409591 | 33317 | 124573 | 19085 | 42136 | 190480 |
| 2003-04 | 440086 | 34554 | 128114 | 20702 | 47320 | 209396 |
| 2004-05 | 455571 | 38653 | 130958 | 24085 | 52686 | 209189 |
| 2005-06 | 540637 | 37870 | 141375 | 24750 | 72367 | 264275 |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत) | | | | | | |
| 1985-2006 | 13.52 | 8.58 | 16.89 | 16.68 | 11.22 | 13.23 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 14.64 | 12.10 | 17.44 | 15.65 | 5.60 | 16.55 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 10.40 | -2.09 | 14.90 | 17.07 | 11.06 | 8.34 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 9.06 | 6.15 | 9.11 | 0.80 | 1.55 | 12.32 |
| 2003-04 | 7.45 | 3.71 | 2.84 | 8.47 | 12.30 | 9.93 |
| 2004-05 | 3.52 | 11.86 | 2.22 | 16.34 | 11.34 | -0.10 |
| 2005-06 | 18.67 | -2.03 | 7.95 | 2.76 | 37.36 | 26.33 |

* विविध सामान्य सेवाएं शामिल हैं।

**टिप्पणियां:

- 1) संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारियों एवं रक्षा विभाग के गैर-सिविलियन कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा प्रकाशित विवरणिका के अनुसार 2001-02 तक के वेतन एवं भत्ते पर व्यय। 2002-03 से रक्षा के गैर-सिविलियन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के व्यय आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

- 2) वेतन एवं भत्ते पर व्यय जिनमें यात्रा भत्ता, उत्पादकता सह बोनस, तदर्थ बोनस, अर्जित अवकाश का नगदीकरण एवं मानदेय सम्मिलित नहीं हैं।
- 3) 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 वर्षों हेतु केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों हेतु वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा प्रकाशित विवरणिका के अनुसार वास्तविक आंकड़े। 2005-06 के लिए वेतन एवं भत्तों पर व्यय संशोधित अनुमान हैं क्योंकि वास्तविक आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं।

3.12 1985-2006 के दौरान, वेतन एवं भत्तों के प्रकरण के सिवाए राजस्व व्यय के सभी घटकों की दो-अंकीय वृद्धि प्रवृत्ति थी। राज्यों एवं पेंशन को अनुदान के सिवाए इन घटकों की वृद्धि की औसत वार्षिक दर VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान अपेक्षाकृत अधिक थी। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान वृद्धि दर में मंदन विशेषतौर से वेतन एवं भत्तों के लिया सुस्पष्ट था जिसने संकुचन को प्रदर्शित किया है तथा राजस्व व्यय के अवशिष्ट घटकों को 'अन्य' के अन्तर्गत समूहित किया है। IX वीं योजना के दौरान ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर ने भी सामान्य मंदन को प्रदर्शित किया था। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान अब तक, अधिकांशतः आंतरिक ऋण हेतु ब्याज दरों में एक सामान्य गिरावट के कारण ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर आगे 5.53 प्रतिशत की औसत तक कम हुई। Xवीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा आसान ब्याज दर व्यवस्था के बावजूद, अवधि के दौरान मुख्य रूप से उत्तरोत्तर बकाया ऋण के कारण ब्याज भुगतान लगातार बढ़ा है। घटता ब्याज भुगतान चालू घाटे में ह्रास की अपेक्षा करता है ताकि भविष्य में ब्याज भुगतान घट सके। तकनीकी रूप से, यदि सरकार मुख्य अधिशेषों के सृजन में समर्थ होगी तभी ऋण एवं भविष्य के ब्याज भुगतानों में ह्रास हो सकता है। तथापि, मुख्य घाटे के लगातार व्यापकता के कारण ऋण स्तर लगातार बढ़ता रहा जिसका परिणाम अवधि के दौरान ब्याज भुगतानों की वृद्धि में हुआ। रक्षा एवं विभागीय उपक्रमों में सिविल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय, 1997-98 में 33.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराने के बाद, पंचम वेतन आयोग की सिफारिश को लागू होने के परिणामस्वरूप, बाद के वर्षों में कम हुआ तथा IXवीं योजना अवधि के दौरान औसतन एक गिरावट दर्ज की। तिसपर भी मजदूरी पश्च वेतन आयोग वर्षों में बढ़ा है, राजस्व व्यय के इस घटक की वृद्धि की प्रवृत्ति स.घ.उ. की वृद्धि से कम थी।

3.13 राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग प्रायः प्रतिबद्ध है यानि कि व्यय का वह भाग जिस पर सरकार का बहुत कम स्वनिर्णय होता है। ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन एवं मजदूरी तथा ज्यादातर राज्य/संघ शासित क्षेत्र को सहायता अनुदान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रतिबद्धता एवं अन्य देयताओं के संदर्भ में राजस्व व्यय के संयोजन तथा राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां एवं गैर-ऋण प्राप्तियों (तालिका 3.6) के साथ समय पर उनके संबंध का अध्ययन आवश्यक है। तालिका 3.6 में प्रतिबद्ध व्यय को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् 'ब्याज भुगतान' एवं 'अन्य'। अवशिष्ट श्रेणी 'अन्य' में वेतन एवं भत्तों तथा विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय सहित पेंशन पर व्यय समाविष्ट है।

तालिका 3.6: कुल राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का अंश

(प्रतिशत)

| अवधि | राजस्व व्यय | | | राजस्व प्राप्तियां | | | गैर-ऋण प्राप्तियां | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| | ब्याज भुगतान | अन्य | कुल | ब्याज भुगतान | अन्य | कुल | ब्याज भुगतान | अन्य | कुल |
| 1985-2006 | 27.79 | 16.08 | 43.87 | 35.29 | 20.42 | 55.71 | 31.97 | 18.50 | 50.47 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 27.58 | 16.99 | 44.57 | 33.65 | 20.73 | 54.38 | 31.41 | 19.35 | 50.76 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 29.10 | 18.73 | 47.83 | 38.38 | 24.70 | 63.08 | 35.75 | 23.01 | 58.76 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | | | |
| 2002-03 | 30.41 | 12.79 | 43.20 | 41.55 | 17.48 | 59.03 | 36.45 | 15.33 | 51.78 |
| 2003-04 | 29.11 | 12.56 | 41.67 | 37.78 | 16.29 | 54.07 | 30.08 | 12.97 | 43.05 |
| 2004-05 | 28.75 | 13.77 | 42.52 | 34.75 | 16.65 | 51.40 | 29.39 | 14.08 | 43.47 |
| 2005-06 | 26.15 | 11.58 | 37.73 | 32.81 | 14.53 | 47.34 | 31.82 | 14.09 | 45.91 |
| अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर | | | | | | | | | |
| 1985-86 | 2.43 | -2.57 | 0.38 | 3.06 | -1.97 | 1.00 | 2.92 | -2.11 | 0.86 |

टिप्पणी: राजस्व प्रप्तियां एवं राजस्व व्यय दोनों विभिन्न करों में राज्य के अंश का निवल है।

व्यय: योजनागत एवं योजनेतर

3.14 वित्त लेखे व्यय वितरण को आगे योजनागत और योजनेतर में बांटते गया है। योजनागत व्यय सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर वृद्धिसंबंधि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है और इसमें राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्यय शामिल होते हैं। दूसरी तरफ, योजनेतर व्यय सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि, योजनागत और योजनेतर व्यय, दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि यह सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क के विस्तार और पूंजी निर्माण को जन्म देती है। तालिका 3.7 संघ सरकार के योजनागत एवं योजनेतर व्यय की वृद्धि तथा गठन को प्रस्तुत करती है जबकि तालिका 3.8 कुल व्यय में योजनागत और योजनेतर व्यय के सापेक्षिक अंश में प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 3.7: व्यय के घटक - योजनागत एवं योजनेतर

(करोड़ रूपयों में)

| अवधि | योजनागत | | | | योजनेतर | | | |
|---------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------------|
| | कुल | राजस्व | पूंजीगत | ऋण | कुल | राजस्व | पूंजीगत | ऋण एवं अग्रिम |
| 1985-2006 | 63107 | 37863 | 10005 | 15239 | 209614 | 186609 | 13187 | 9818 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 48190 | 26749 | 8380 | 13061 | 155348 | 133792 | 11170 | 10386 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 78595 | 47090 | 10132 | 21373 | 295907 | 266019 | 16102 | 13786 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-2006

| अवधि | योजनागत | | | | योजनेतर | | | |
|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------------|
| | कुल | राजस्व | पूंजीगत | ऋण | कुल | राजस्व | पूंजीगत | ऋण एवं अग्रिम |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | | |
| 2002-03 | 111471 | 71570 | 14643 | 25258 | 364839 | 338021 | 15854 | 10964 |
| 2003-04 | 122281 | 78638 | 16913 | 26730 | 384536 | 361448 | 18488 | 4600 |
| 2004-05 | 132932 | 87494 | 19372 | 26066 | 416401 | 368077 | 34282 | 14042 |
| 2005-06 | 140637 | 111858 | 19457 | 9322 | 468612 | 428779 | 36662 | 3171 |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत) | | | | | | | | |
| 1985-2006 | 10.48 | 14.27 | 5.37 | 6.31 | 12.56 | 13.36 | 11.39 | 0.64 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 7.53 | 11.48 | -4.45 | 7.28 | 13.24 | 15.27 | -11.36 | 18.27 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 13.49 | 14.50 | 4.56 | 15.71 | 7.63 | 9.69 | 13.12 | -29.30 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | | |
| 2002-03 | 6.36 | 16.08 | 30.52 | -20.90 | 7.09 | 7.68 | -21.03 | 64.08 |
| 2003-04 | 9.70 | 9.88 | 15.50 | 5.83 | 5.40 | 6.93 | 16.61 | -58.04 |
| 2004-05 | 8.71 | 11.26 | 14.54 | -2.48 | 8.29 | 1.83 | 85.43 | 205.26 |
| 2005-06 | 5.80 | 27.85 | 0.44 | -64.24 | 12.54 | 16.49 | 6.94 | -77.42 |

* वित्त लेखों में पूंजीगत व्यय रा.ल.ब.नि. को जारी प्रतिभूतियों के मोचन को सम्मिलित नहीं करता। इसका परिणाम राजकोषीय कमियों में परिवर्तन भी है, जिसे तालिका 1.3 में स्पष्ट किया गया है।

तालिका 3.8: योजनागत एवं योजनेतर व्यय: सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत)

| अवधि | यो.व्य./कु.व्य. | गै.यो.व्य./कु.व्य. | यो.रा.व्य./यो.व्य. | गै.यो.रा.व्य./गै.यो.व्य. |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1985-2006 | 23.14 | 76.86 | 60.00 | 89.02 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 23.68 | 76.32 | 55.51 | 86.12 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 20.99 | 79.01 | 59.91 | 89.90 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | |
| 2002-03 | 23.40 | 76.60 | 64.20 | 92.65 |
| 2003-04 | 24.13 | 75.87 | 64.31 | 94.00 |
| 2004-05 | 24.20 | 75.80 | 65.82 | 88.39 |
| 2005-06 | 23.08 | 76.92 | 79.54 | 91.50 |

टिप्पणी: यो.व्य. = योजनागत व्यय, गै.यो.व्य. = गैर योजनागत व्यय, यो.रा.व्य. = योजनागत राजस्व व्यय, गै.यो.रा.व्य. = गैर योजनागत राजस्व व्यय तथा कु.व्य. = कुल व्यय


3.15 1985-2006 के दौरान कुल व्यय में योजनागत व्यय का अंश लगभग स्थिर था। VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान कुल व्यय के 23.68 प्रतिशत की औसत की तुलना में इसके अंश में 2004-05 में 24.20 प्रतिशत तक केवल थोड़ा सा सुधार था लेकिन यह चालू वर्ष में 1.12 प्रतिशतता अंकों से गिरकर 1985-2006 की अवधि हेतु औसत प्रवृत्ति से भी नीचे पहुंच गया। तथापि, स्थिर दिखाई देने वाला यह अंश, कुल योजना तथा इसके उप-घटक स्तरों पर वर्ष तथा योजना के अन्दर परिवर्तन को छिपाता है।

3.16 योजनागत व्यय की वृद्धि दर VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 7.53 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 13.49 प्रतिशत हो कर छः प्रतिशतता अंकों के एक त्वरण को प्रदर्शित किया। यह त्वरण अपने तीनों उप-घटकों को पार कर गयी थी। यद्यपि योजनेतर व्यय की दीर्घावधि वृद्धि प्रवृत्ति VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 13.24 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत ऊंची थी, तथापि IXवीं योजना के दौरान इसकी वृद्धि दर में करीब 6 प्रतिशतता अंकों का महत्वपूर्ण मंदन देखा गया। Xवीं योजना (2002-06) के प्रथम चार वर्षों के दौरान, वृद्धि दर, विशेषरूप से उप-घटकों के स्तर पर, विस्तृत रूप से बदलती रही। तथापि, योजनागत एवं योजनेतर व्यय दोनों की समग्र वृद्धि प्रवृत्ति, स.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्ति की वृद्धि से कम था। 1985-2006 के दौरान स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्ति के साथ योजनागत व्यय की उत्प्लावकता क्रमशः 0.763 एवं 0.815 थी। योजनेतर व्यय के मामले में, उत्प्लावकता गुणांक क्रमशः 0.915 एवं 0.977 (तालिका 3.9) से महत्वपूर्ण रूप से अधिक था लेकिन एक से कम था जो इस तथ्य को दर्शाता था कि उनकी औसत वृद्धि दर यद्यपि सीमान्त रूप से ही, अवधि के दौरान स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दरों से भी कम थी।

3.17 योजनागत तथा योजनेतर व्यय दोनों के लिए राजस्व घटक न केवल सबसे प्रधान रहा अपितु यह 1985-2006 के दौरान सापेक्षिक रूप से अधिकतम उत्प्लावक था। योजनागत व्यय में राजस्व घटक का अंश, जो VIIIवीं योजना के दौरान औसतन 55.51 प्रतिशत था धीरे-धीरे बढ़कर 2004-05 में 65.82 प्रतिशत तक पहुंच गया तथा आगे चालू वर्ष के दौरान 79.54 प्रतिशत तक चढ़ गया। यद्यपि योजनागत व्यय 2005-06 के दौरान 5.80 प्रतिशत की मंद दर से बढ़ा लेकिन इसका राजस्व घटक 27.85 प्रतिशत बढ़ा। योजनागत व्यय के राजस्व घटक में वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों को योजनागत अनुदानों में वृद्धि तथा सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत व्यय वचनबद्धताओं को पूरा करने के कारण था। क्षेत्रों/कार्यक्रमों के संदर्भ में मुख्य वृद्धियां ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण जल आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, पुनःउत्पाद एवं बाल स्वास्थ्य, प्रतिरक्षीकरण, चिकित्सा शिक्षा, ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक सहायता, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, व्यक्ति सिंचाई तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग में थी। पूंजीगत प्रकृति के योजनागत व्यय तथा योजनागत ऋणों एवं अग्रिमों ने अपने राजस्व घटक के सापेक्ष काफी कम प्रकृति वृद्धि को दर्ज किया। यद्यपि योजनागत पूंजीगत व्यय ने Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण त्वरण को प्राप्त किया लेकिन चालू वर्ष में यह 2004-05 के स्तर पर प्रायः स्थिर रहा। बा.वि.आ. की संस्तुति की स्वीकृति के कारण, राज्य घरेलू ऋणों को बढ़ाने में संघ सरकार की अमध्यस्थता को प्रदर्शित करते हुए योजनागत ऋणों ने चालू वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संकुचन को भी प्रदर्शित किया।

3.18 योजनेतर व्यय में राजस्व घटक का अंश VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 86.12 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 89.9 प्रतिशत तथा इसके अतिरिक्त 2003-04 में 94 प्रतिशत के शीर्ष स्तर तक पहुंचने के बाद Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान इसकी औसत और बढ़कर 91.64 प्रतिशत हो गई। ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, आर्थिक सहायता एवं पेंशन केन्द्र सरकार के योजनेतर राजस्व व्यय के मुख्य घटक का निर्माण करते हैं। 2005-06 के दौरान योजनेतर राजस्व व्यय में 60702 करोड़ रु. की कुल वृद्धि में ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, आर्थिक सहायता एवं पेंशन ने एक साथ मिलकर 16495 करोड़ रु. (27.17 प्रतिशत) का योगदान किया जिसका अनुसरण राज्यों तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को योजनेतर सहायता अनुदान के रूप में 15692 करोड़ रु. (25.85 प्रतिशत) ने किया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर योजनेतर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 27723 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जिसका परिणाम 2005-06 के दौरान समग्र योजनेतर राजस्व व्यय में उत्प्लावकता में हुआ। ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, आर्थिक सहायता एवं पेंशन पर व्यय न केवल निजी बजटीय प्राक्कलनों से अधिक थे बल्कि 2005-06 हेतु बा.वि.आ. द्वारा वर्ष के दौरान तैयार किए गए मानकी प्रक्षेपणों से भी वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण रूप से क्रमशः 5556 करोड़ रु., 4695 करोड़ रु., 6538 करोड़ रु. एवं 8183 करोड़ रु. अधिक थे। योजनेतर पूंजीगत परिव्यय, जिसमें मुख्य रूप से रक्षा सेवाएं के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं, ने 2005-06 के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा अपनी वृद्धि दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की जो वर्ष अवधि के दौरान मुख्य रूप से रक्षा पूंजीगत व्यय की धीमी गति के कारण था।

3.19 1985-2006 की अवधि में केन्द्र संघ के व्यय का संयोजन, जो वर्षों से बढ़ रहा है (चार्ट 3.4), प्रकट करता है कि योजनेतर व्यय योजनागत व्यय से बहुत अधिक प्रभावशाली है तथा राजस्व व्यय पूरी तरह से पूंजीगत व्यय पर छा गया है। योजनागत राजस्व व्यय की प्रधानता मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि राज्यों के विकास की गतिविधियों को केन्द्रीय सहायता, चाहे वे केन्द्रीय सहायता के माध्यम से अथवा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से हों, इस बाद पर ध्यान दिए बिना कि राज्यों अथवा कार्यान्वित अभिकरणों द्वारा किस उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया गया, राजस्व व्यय को वर्गीकृत किया जाता है।



व्यय की उत्प्लावकता


3.20 सांकेतिक व्यय में वृद्धि या इसकी परम मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण आधार के सापेक्ष में इसके विभिन्न घटकों की उत्प्लावकता है। नीचे दी गई तालिका 3.9, 1985-2006, VIIIवीं एवं IXवीं योजना अवधियों के साथ-साथ Xवीं योजना के प्रथम चार वर्षों हेतु पृथक रूप से राजस्व प्राप्तियों एवं स.घ.उ. के सापेक्ष व्यय के विभिन्न घटकों के औसत उत्प्लावकता अनुपातों को मुहैया कराता है।

तालिका 3.9: स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय की उत्प्लावकता में प्रवृत्तियां

| व्यय का प्रकार | 1985-2006 | | VIIIवीं योजना (1992-97) | | IXवीं योजना (1997-2002) | | Xवीं योजना (2002-07) (चार वर्ष) | |
|------------------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| | स.घ.उ. | राजस्व प्राप्तियां | स.घ.उ. | राजस्व प्राप्तियां | स.घ.उ. | राजस्व प्राप्तियां | स.घ.उ. | राजस्व प्राप्तियां |
| योजनागत व्यय | 0.764 | 0.815 | 0.455 | 0.489 | 1.294 | 1.572 | 0.662 | 0.592 |
| गैर-योजनागत व्यय | 0.915 | 0.977 | 0.800 | 0.859 | 0.732 | 0.889 | 0.721 | 0.646 |
| राजस्व व्यय | 0.985 | 1.052 | 0.885 | 0.950 | 0.997 | 1.211 | 0.837 | 0.750 |
| पूंजीगत व्यय | 0.596 | 0.637 | -0.510 | -0.548 | 0.884 | 1.074 | 1.508 | 1.350 |
| ऋण एवं अग्रिम | 0.323 | 0.344 | 0.720 | 0.773 | -0.328 | -0.399 | -1.310 | -1.173 |
| कुल व्यय | 0.876 | 0.935 | 0.718 | 0.770 | 0.850 | 1.032 | 0.706 | 0.632 |

3.21 IXवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षाकृत उच्चतर उत्प्लावकता अनुपात निश्चित तौर पर स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों में निम्नतर वृद्धि दरों के कारण था। स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियां, दोनों के ही संबंध में कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय की अपेक्षाकृत उच्चतर उत्प्लावकता इंगित करती थी कि कुल व्यय की वृद्धि की दर से मंदन मुख्यतः पूंजीगत व्यय और/अथवा ऋणों और अग्रिमों का घटा कर हासिल किया गया था। 1985-2006 के दौरान राजस्व व्यय के लिए एक के निकट रही उत्प्लावकता के प्रति स.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के साथ पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता 0.5 और 0.6 के बीच रही है। इसी प्रकार, स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियां, दोनों के संबंध में योजनेतर व्यय की उत्प्लावकता योजनागत व्यय की उत्प्लावकता के सापेक्ष अधिक रही है।

3.22 1985-2006 की अवधि हेतु स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय के प्रकार द्वारा उत्प्लावकता अनुपातों को भी चार्ट 3.5 में दर्शाया गया है।



आर्थिक सहायता प्रबन्धन

3.23 किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के सुविधा वंचित वर्गों को आर्थिक सहायताएं/राजकीय सहायताएं प्रदान करना एवं भुगतान हस्तांतरित करना तथा इमदादी मूल्यों पर उत्कर्ष पदार्थों¹ का प्रावधान करने के रूप में भी सहायताएं असामान्य नहीं है। यदि आर्थिक सहायताओं का प्रभाव वस्तुओं या आगतों की कीमतों को कम करने में होता है, जो बदले में इन वस्तुओं को लक्षित वर्गों के लिए सुगमता से प्राप्य बनाता है या/और उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहित/सुगम करता है, तो ऐसी आर्थिक सहायताएं कल्याण-प्रेरक हो सकती हैं। तालिका 3.10, सरकार द्वारा VIIIवीं एवं IXवीं योजनाओं के दौरान तथा Xवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान मुख्य मदों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदान की गई आर्थिक सहायताओं का चित्र प्रस्तुत करती है।

¹ प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण उत्कर्ष पदार्थों के उदाहरण हैं।

तालिका 3.10: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं

(करोड़ रूपयों में)

| अवधि | खाद्य | उर्वरक @ | उर्वरक # | पेट्रोलियम आर्थिक सहायता | अन्य * | कुल आर्थिक सहायताएं | आर्थिक सहायताएं (अ) | आर्थिक सहायताएं (ब) |
|-------------------------|-------|----------|----------|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| औसत वार्षिक मूल्य | | | | | | | | |
| VIIIवीं योजना (1992-97) | 4976 | 6088 | - | - | 2405 | 13469 | 1.30 | 8.39 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 11199 | 11376 | - | - | 3516 | 26091 | 1.36 | 8.33 |
| 2002-03 | 24176 | 7790 | 3225 | 5225 | 3592 | 44008 | 1.78 | 10.74 |
| 2003-04 | 25160 | 8521 | 3326 | 6292 | 1669 | 44968 | 1.63 | 10.22 |
| 2004-05 | 23280 | 10985 | 5142 | 2956 | 1976 | 44339 | 1.43 | 9.73 |
| 2005-06 | 23077 | 11863 | 6596 | 2683 | 849 | 45068 | 1.28 | 8.34 |

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दिए गए आर्थिक सहायता को दर्शाता है

अनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दिए गए आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

* अन्य में इमदादी ब्याज, नैफेड को दिया गया अनुदान, एवं विनिमय हानि हेतु क्षतिपूर्ति आदि शामिल हैं।

(अ) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में (ब) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

3.24 सम्पूर्ण रूप से, सुस्पष्ट आर्थिक सहायता VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 13469 करोड़ रु. की औसत से संगत रूप से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 26091 करोड़ रु. तथा आगे Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान यह औसत और बढ़कर 44596 करोड़ रु. हो गई। स.घ.उ. के सापेक्ष, VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान आर्थिक सहायता 1.30 प्रतिशत से सांकेतिक रूप से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 1.36 प्रतिशत की औसत तक हो गई। यह अनुपात Xवीं योजना के प्रथम वर्ष में आर्थिक सहायता पर व्यय में भारी वृद्धि तथा वर्ष के दौरान स.घ.उ. वृद्धि दर में प्रदर्शित अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत कमजोर निष्पादन के संयुक्त संघात के कारण 1.78 प्रतिशत तक और बढ़ा। बाद के वर्षों में, यद्यपि आर्थिक सहायताओं पर व्यय ने थोड़े-बहुत बदलाव को इंगित किया लेकिन उत्प्लावक स.घ.उ. वृद्धि दरों ने इन वर्षों के दौरान अनुपात को क्रमशः दक्षिणवर्ती दिशा में धकेल दिया। आर्थिक सहायता ने 1992-2002 के दशक के दौरान VIII वीं योजना एवं IXवीं योजना की अवधि के अनुरूप होते हुए कुल राजस्व व्यय के लगभग 8 प्रतिशत की भागीदारी की जो Xवीं योजना (2002-07) के दौरान अब तक लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ी जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम क्षेत्र में ए.पी.एम. को विघटित करने के निर्णय के बावजूद अदा की जा रही पेट्रोलियम आर्थिक सहायता के कारण थी।

3.25 यह सुस्पष्ट है कि खाद्य आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता पर कुल व्यय में VIII वीं योजना के दौरान 37 प्रतिशत की औसत से बदल कर 2003-04 में 56 प्रतिशत के प्रभावी अंश को संस्थापित करती है। आर्थिक सहायता के इस घटक ने चालू

वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के राजस्व व्यय के 4.27 प्रतिशत को संस्थापित किया। यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान खाद्य आर्थिक सहायता को लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर रखा गया लेकिन यह बा.वि.आ. द्वारा संस्तुत 22000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष के स्तर से बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान खाद्य एवं उर्वरकों ने मिलकर आर्थिक सहायता पर कुल व्यय के 92 प्रतिशत से अधिक संस्थापित किया। चालू वर्ष के दौरान, 45068 करोड़ रु. की कुल आर्थिक सहायता व्यय वर्ष हेतु बा.वि.आ. द्वारा संस्तुत 38530 करोड़ रु. के स्तर से बहुत उपर था। चूंकि मध्यावधि दृष्टिकोण आर्थिक सहायता पर व्यय में तीव्र संकुचन का समर्थन करते प्रतीत नहीं होता इसलिए सभी आर्थिक सहायतों का बेहतर लक्ष्य करने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3.26 आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, यानि कि बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा द्वारा गुप्त रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार के आर्थिक सहायताओं को सामान्यताया अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, लो.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। नीचे दी गई तालिका 3.11 निवेश एवं बकाया अग्रिमों पर वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं हेतु राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में उपभोक्ता प्रभार को दर्शाता है।

तालिका 3.11: निवेश एवं अग्रिमों पर वापसी तथा उपभोक्ता प्रभारों (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं हेतु राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में) की वसूली

(प्रतिशत)

| अवधि | ऋण एवं अग्रिम | निवेश | सामाजिक सेवाएं | आर्थिक सेवाएं |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| 1985-2006 | 11.96 | 5.21 | 6.68 | 52.34 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 11.23 | 2.35 | 9.57 | 57.22 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 14.15 | 5.30 | 3.59 | 55.80 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | |
| 2002-03 | 15.11 | 8.83 | 2.03 | 43.07 |
| 2003-04 | 15.91 | 9.84 | 1.91 | 45.27 |
| 2004-05 | 14.30 | 13.29 | 1.49 | 51.37 |
| 2005-06 | 13.36 | 18.78 | 4.28 | 45.39 |
| वापसी में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर | | | | |
| 1985-2006 | 3.93 | 14.24 | -10.46 | -1.14 |

(उपयोग प्रभार की वसूली सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में उनकी राजस्व प्राप्तियां हैं)

3.27 सरकार के निवेश (निवेश के प्रारम्भिक स्टाक के आधार पर) पर वापसी की औसत दर VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 2.35 प्रतिशत से बढ़कर IXवीं

योजना (1997-2002) के दौरान 5.30 प्रतिशत तक तथा चालू वर्ष के दौरान 18.78 प्रतिशत के शीर्ष स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 12.69 प्रतिशत वार्षिक औसत हुई। तथापि, यह वापसी निवल मूल्य या बाजारू पूंजीकरण पर आधारित न होकर निवेश के पुस्तकीय मूल्य पर आधारित था। ऋणों एवं अग्रिमों (अथशेष) पर इसके ब्याज की औसत दर भी 11.23 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 14.15 प्रतिशत तथा 2003-04 के दौरान 15.91 प्रतिशत के शीर्ष स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 14.67 के वार्षिक औसत तक बढ़ी। यद्यपि सरकार की वित्तीय मध्यस्थता पर अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता नहीं थी क्योंकि प्राप्त किए गए ब्याज की औसत दर, लिये गये उधारों पर ब्याज के मूल्य से अधिक थी इसलिए सरकार के निवेश पर 5.21 प्रतिशत की वापसी की प्रवृत्ति दर, सरकार द्वारा लिये गये उधारों पर ब्याज की दर (7.93 प्रतिशत) से बहुत नीचे थी। तथापि निवेश पर वापसी की दर में महत्वपूर्ण त्वरण देखा गया तथा 1985-2006 के दौरान इसकी 14.24 प्रतिशत की विचलन परिवर्तन दर थी। वर्तमान स्तरों पर, निवेशों पर वापसी, संसाधन बढ़ाने (7.75 प्रतिशत) की लागत से बहुत अधिक थी।

3.28 सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में, वापसी दरों (राजस्व प्राप्तियां/राजस्व व्यय) ने मंद प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं दोनों में ही राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम थी, जो प्रचालन खर्चों के सदृश है। सामाजिक अवसंरचना, विशेषतौर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार, के सृजन एवं सुदृढीकरण में किया गया लोक व्यय, हाल के वर्षों के दौरान केवल मामूली लागू प्रयोक्ता प्रभारों के साथ विविध रूप से बढ़ा है। परिणामस्वरूप, सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराने में किए गए राजस्व व्यय की तुलना में सामाजिक सेवाओं से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 9.57 प्रतिशत के संगत गिरावट के साथ 2004-05 में 1.49 प्रतिशत हो गया। 2005-06 के दौरान इस अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि, विशेषतौर से पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान 'सूचना एवं प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत प्रकटतः एक बारगी 1139 करोड़ रु. की राशि की बढ़ी हुई वसूली के कारण देखी गई। आर्थिक सेवाओं से राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का समग्र अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 57.22 प्रतिशत से गिरकर 2005-06 में 45.39 प्रतिशत हुआ तथा इस प्रकार 1985-2006 की अवधि के दौरान एक ऋणात्मक विचलन दर को प्रदर्शित किया। तथापि, रेलवे (चूंकि रेलवे के प्रचालन से प्राप्त अधिशेष को रेलवे विकास रिजर्व निधि में स्थानांतरित कर दिया गया था इसलिए राजस्व सही ढंग से व्यय से मिल गया) के लिए वसूली दर, राजस्व व्यय का 100 प्रतिशत थी। दूर संचार क्षेत्र में वसूली 100 प्रतिशत से भी आगे बढ़ गई क्योंकि म.दू.नि.लि. एवं भा.स.नि.लि. का निगमीकरण होने के कारण, दूरसंचार क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में लाइसेन्स शुल्क शामिल था तथा प्रचालन पर व्यय एवं सेवाओं के अनुसंधान पर पूर्व में कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

3.29 क्रियाकलापों के अनुसार, समग्र व्यय को सामान्य सेवाओं (जिसमें प्रशासन और रक्षा शामिल है), सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं से संघटित हुआ माना जा सकता है। बाद की दो श्रेणियां भी विकासात्मक प्रकृति की समझी जाती हैं। नीचे दी गई तालिका 3.12 सामाजिक सेवाओं और उनके विभिन्न घटकों पर व्यय में प्रवृत्तियां दर्शाती है।

तालिका 3.12: सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) - प्रवृत्तियां एवं संघटन

(करोड़ रूपयों में)

| अवधि | सामाजिक सेवाएं | शिक्षा | स्वास्थ्य | जलापूर्ति | सू.प्र. | श्रमिक कल्याण | अन्य |
|--|----------------|--------|-----------|-----------|---------|---------------|--------|
| 1987-2006 | 13138 | 5532 | 1924 | 2264 | 847 | 594 | 1978 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 6903 | 2696 | 901 | 887 | 986 | 465 | 968 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 15998 | 6457 | 2227 | 3217 | 568 | 768 | 2761 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | |
| 2002-03 | 21810 | 9846 | 3164 | 4044 | 1170 | 764 | 2822 |
| 2003-04 | 24593 | 10965 | 3907 | 4669 | 1219 | 823 | 3010 |
| 2004-05 | 31115 | 13997 | 4465 | 5997 | 1237 | 994 | 4425 |
| 2005-06 | 39160 | 16841 | 6847 | 6101 | 1344 | 1233 | 6794 |
| औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत) | | | | | | | |
| 1987-2006 | 15.48 | 15.82 | 16.48 | 22.80 | 0.00 | 9.88 | 18.94 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 19.61 | 16.02 | 11.39 | 35.64 | 12.93 | 9.52 | 36.63 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 7.96 | 11.38 | 19.15 | 12.90 | 0.00 | 10.68 | 25.93 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | |
| 2002-03 | 33.94 | 30.10 | 7.04 | 1.46 | 0.00 | -9.37 | -30.23 |
| 2003-04 | 12.76 | 11.37 | 23.48 | 15.45 | 4.19 | 7.72 | 6.66 |
| 2004-05 | 26.52 | 27.65 | 14.28 | 28.44 | 1.48 | 20.78 | 47.01 |
| 2005-06 | 25.86 | 20.32 | 53.35 | 1.73 | 8.65 | 24.04 | 53.54 |

3.30 सामाजिक सेवाओं पर संघ सरकार का समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 6903 करोड़ रु. की वार्षिक औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 15998 करोड़ रु. तथा आगे चालू वर्ष के दौरान 39160 करोड़ रु. के शीर्ष स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान यह वार्षिक औसत और बढ़ कर 29170 करोड़ रु. हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि की दीर्घावधि प्रवृत्ति की 15.48 प्रतिशत (1987-2006) दर, स.घ.उ., राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से अधिक थी। तथापि IXवीं योजना के दौरान इन दरों में बहुत मन्दन था और पिछली योजना की तुलना में, संकुचन 12 प्रतिशतता अंक (VIIIवीं

योजना के दौरान 19.61 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से IXवीं योजना के दौरान औसत 7.96 प्रतिशत की औसत तक) के आस-पास था। सामाजिक सेवाओं पर व्यय Xवीं योजना (2002-07) के दौरान विशेष रूप से उत्प्लावक थे। सामाजिक सेवाओं में ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता (आवास और शहरी विकास सहित) पर व्यय अपेक्षाकृत उत्प्लावक था। चालू वर्ष में भी शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय में बहुत उत्प्लावकता देखी गई।

3.31 आर्थिक सेवाओं के घटकों पर व्यय नीचे तालिका 3.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.13: आर्थिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व व पुंजीगत) - प्रवृत्तियां और संरचना

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | आर्थिक सेवाएं | कृषि एवं अनुषंगी | ग्रामीण विकास | ऊर्जा | उद्योग एवं खनिज | परिवहन | डाक | दूरसंचार | अन्य |
|--|---------------|------------------|---------------|--------|-----------------|--------|-------|----------|--------|
| 1987-2006 | 96495 | 16324 | 5000 | 7540 | 10243 | 36514 | 2961 | 7260 | 10653 |
| VIIIवीं योजना (1992-97) | 69161 | 9665 | 3263 | 3061 | 7229 | 24246 | 1598 | 8417 | 11682 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 121107 | 20048 | 5146 | 10158 | 12294 | 44714 | 3937 | 13554 | 11256 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | | | |
| 2002-03 | 154041 | 31101 | 11737 | 12118 | 13965 | 60415 | 5416 | 3486 | 15803 |
| 2003-04 | 166058 | 32911 | 12174 | 13664 | 16761 | 64379 | 5681 | 3102 | 17387 |
| 2004-05 | 165885 | 36366 | 9478 | 9897 | 17664 | 69578 | 5940 | 3579 | 13383 |
| 2005-06 | 207331 | 37622 | 15660 | 25978 | 19857 | 83325 | 6503 | 2827 | 15559 |
| औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत) | | | | | | | | | |
| 1987-2006 | 11.25 | 15.32 | 23.41 | 11.90 | 7.93 | 11.75 | 13.60 | 2.71 | 6.82 |
| VIIIवीं योजना (1992-97) | 9.35 | 14.89 | 81.37 | 4.36 | 2.17 | 9.22 | 13.62 | 26.75 | -9.69 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 6.36 | 18.28 | 2.79 | 1.23 | 8.78 | 14.26 | 19.11 | -27.41 | -5.55 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | | | |
| 2002-03 | 8.98 | 9.92 | 89.64 | -28.90 | 4.40 | 5.69 | 4.82 | -6.77 | 52.21 |
| 2003-04 | 7.80 | 5.82 | 3.72 | 12.76 | 20.02 | 6.56 | 4.89 | -11.02 | 10.02 |
| 2004-05 | -0.10 | 10.50 | -22.15 | -27.57 | 5.39 | 8.08 | 4.56 | 15.38 | -23.03 |
| 2005-06 | 24.98 | 3.45 | 65.22 | 162.48 | 12.42 | 19.76 | 9.48 | -21.01 | 16.26 |

3.32 आर्थिक सेवाओं पर समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 69,161 करोड़ रु. की औसत से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 121107 करोड़ रु. तथा चालू वर्ष के दौरान 207331 करोड़ रु. के उच्च स्तर पर पहुंच कर Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान और बढ़कर 173329 करोड़ रु. हो गया। 1987-2006 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय की वृद्धि की वार्षिक प्रवृत्ति दर 11.25 प्रतिशत थी। सामाजिक सेवाओं की भांति, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दरों में मन्दन देखा गया था। तीन प्रतिशतता अंक का यह मन्दन आर्थिक सेवाओं के लिए सापेक्षतया मामूली था। 2004-

05 में मुख्यतः ग्रामीण विकास और ऊर्जा क्षेत्रों पर व्यय में गिरावट के कारण वृद्धि दर और भी ऋणात्मक हो गई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान इन दो क्षेत्रों में एकाएक परिवर्तन का परिणाम आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में उत्प्लावकता में हुआ। वृद्धि दरों में वर्ष और सेवाओं के अन्दर बहुत अधिक विचलन थे। कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित) पर व्यय VIIIवीं एवं IXवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षाकृत उत्प्लावक थे लेकिन Xवीं योजना अवधि के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति के साथ वृद्धि दर में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आई। तथापि, ग्रामीण विकास के मामले में, व्यय की वृद्धि दर में, VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 81.37 प्रतिशत औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 2.79 प्रतिशत की औसत तक की तीव्र गिरावट आई जो Xवीं योजना के दौरान विस्तृत परिवर्तन के साथ चालू वर्ष के दौरान 65.22 प्रतिशत तक फिर उछला। ऊर्जा पर व्यय VIIIवीं योजना के दौरान केवल सामान्य दर से बढ़ रहा था तथा IXवीं योजना में पुनः गिरा एवं Xवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान वृहद घूर्णन को प्रदर्शित किया। चालू वर्ष के दौरान, प्रशासकीय मूल्यों के तहत तेल कम्पनियों के दावों का मूलतः समझौता कराने के प्रति पेट्रोलियम क्षेत्र में 16989 करोड़ रु. के बढ़े हुए चालू व्यय के कारण तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। VIIIवीं योजना के दौरान निम्न वृद्धि दर के साथ 'उद्योग एवं खनिज' अन्तर्वर्षीय परिवर्तनों के साथ चालू वर्ष में 12.42 प्रतिशत तक बढ़ा। VIIIवीं योजना अवधि की अपेक्षा IXवीं योजना में परिवहन क्षेत्र पर व्यय ने उत्प्लावन प्रदर्शित किया लेकिन उसके बाद Xवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सामान्य दर से बढ़ा। चालू वर्ष के दौरान 19.76 प्रतिशत से महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से 'सड़क एवं पुल' के अंतर्गत रिजर्व निधि में संसाधनों के स्थानान्तरण के कारण था। पिछले कुछ वर्षों, विशेष रूप से Xवीं योजना अवधि के दौरान संघ सरकार के व्यय के प्रतिमान में प्रवृत्तियों ने प्रकट किया कि राजकोषीय नीति ने ग्रामीण रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़े हुए खर्च पर ज्यादा बल दिया है। इसके अतिरिक्त, वृद्धि प्रक्रिया को सर्वसमावेशी बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों, आवास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी संरचनात्मक सुविधाओं पर व्यय को पिछले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ा दिया गया है।

3.33 यह अधिक महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के व्यय को स.घ.उ. की सापेक्षता में देखा जाये जो कि वह इन क्षेत्रों को प्रदान की गई सापेक्षिक प्राथमिकता और इन व्यापक समूहों में किसी विशिष्ट क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को दर्शाता है। 1987-2006 के दौरान संघ सरकार का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय, स.घ.उ. का औसत 7.755 प्रतिशत था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान सामाजिक व आर्थिक सेवाओं पर स.घ.उ. की 7.347 प्रतिशत का किया गया व्यय IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 7.162 प्रतिशत तक तथा आगे Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 6.84 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक नीचे गिरा। स.घ.उ. के सापेक्षिक चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमशः तालिका 3.14 तथा 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: स.घ.उ. के सापेक्ष सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)

(प्रतिशत)

| अवधि | सामाजिक सेवाएं | शिक्षा | स्वास्थ्य एवं प.क. | ज.आ. स्व.* | सू.प्र.** | अन्य |
|--|----------------|--------|--------------------|------------|-----------|-------|
| 1987-2006 | 0.929 | 0.391 | 0.136 | 0.160 | 0.060 | 0.182 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 0.667 | 0.260 | 0.087 | 0.086 | 0.095 | 0.138 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 0.836 | 0.337 | 0.116 | 0.168 | 0.030 | 0.184 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 0.883 | 0.399 | 0.128 | 0.164 | 0.047 | 0.145 |
| 2003-04 | 0.891 | 0.397 | 0.142 | 0.169 | 0.044 | 0.139 |
| 2004-05 | 1.002 | 0.451 | 0.144 | 0.193 | 0.040 | 0.174 |
| 2005-06 | 1.109 | 0.477 | 0.194 | 0.173 | 0.038 | 0.227 |
| उनके सापेक्षिक अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर | | | | | | |
| 1987-2006 | 1.825 | 2.121 | 2.706 | 8.277 | 0.00 | 4.872 |

* जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

** सूचनाएं एवं प्रसारण

3.34 1987-2006 के दौरान सामाजिक सेवाओं (इस क्षेत्र में ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर) पर व्यय में की स.घ.उ. के सापेक्ष उनके अंश में सकारात्मक विचलन दर थी। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन क्षेत्र के मामले में एक अर्थपूर्ण सकारात्मक विचलन दर्शाता है कि पिछले कुछ समय से सरकार के योजनाबद्ध विनिधान तथा व्यय में, सभी आवासों को पेयजल की आपूर्ति तथा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान को महत्व प्राप्त हुआ है। दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं - शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक विचलन दर देखी गई थी। तथापि, सकारात्मक विचलन दर के बावजूद, सामाजिक क्षेत्रों के लिए पूर्व में समग्र आबंटन स.घ.उ. के एक प्रतिशत से कम था और इसने पिछले दो वर्षों के दौरान इसी सीमा को मात्र पार ही किया है। सामाजिक सेवाओं के सुदृढीकरण तथा विस्तार हेतु लागत को पुनः प्राथमिकता प्रदान करने के प्रति प्रयास जारी रखने की जरूरत थी।

तालिका 3.15: स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)

(प्रतिशत)

| अवधि | आर्थिक सेवाएं | कृषि | ग्रामीण विकास | ऊर्जा | उद्योग एवं खनिज | परिवहन | डाक | दूरसंचार | अन्य |
|--|---------------|-------|---------------|--------|-----------------|--------|-------|----------|--------|
| 1987-2006 | 6.826 | 1.155 | 0.354 | 0.533 | 0.725 | 2.583 | 0.209 | 0.514 | 0.754 |
| VIIIवीं योजना (1992-97) | 6.680 | 0.934 | 0.315 | 0.296 | 0.698 | 2.342 | 0.154 | 0.813 | 1.128 |
| IXवीं योजना (1997-02) | 6.326 | 1.047 | 0.269 | 0.531 | 0.642 | 2.336 | 0.206 | 0.708 | 0.588 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | | | | |
| 2002-03 | 6.238 | 1.259 | 0.475 | 0.491 | 0.565 | 2.446 | 0.219 | 0.141 | 0.640 |
| 2003-04 | 6.017 | 1.192 | 0.441 | 0.495 | 0.607 | 2.333 | 0.206 | 0.112 | 0.630 |
| 2004-05 | 5.342 | 1.171 | 0.305 | 0.319 | 0.569 | 2.240 | 0.191 | 0.115 | 0.431 |
| 2005-06 | 5.871 | 1.065 | 0.443 | 0.736 | 0.562 | 2.360 | 0.184 | 0.080 | 0.441 |
| उनके सापेक्षिक अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर | | | | | | | | | |
| 1987-2006 | -1.908 | 1.678 | 8.814 | -1.336 | -4.845 | -1.469 | 0.168 | -9.438 | -5.570 |

3.35 स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय के अंशों में ऋणात्मक विचलन दर थी। स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय का समग्र अंश VIIIवीं योजना (1992-97) में स.घ.उ. के 6.68 प्रतिशत की औसत से गिरकर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान सीमान्त रूप से 6.326 प्रतिशत तथा आगे Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 5.867 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक रह गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 'अन्य' के अधीन वर्गीकृत अवशिष्ट आर्थिक सेवाओं सहित, परिवहन, उद्योग तथा ऊर्जा ने 1987-2006 के दौरान अपने सापेक्ष अंशों में विचलन की ऋणात्मक दर दर्शाई। सिंचाई परियोजनाओं हेतु किए गए व्यय में बढ़ोतरी के कारण, कृषि तथा सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सहित अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों पर व्यय, मोटे तौर पर पूरी अवधि में स.घ.उ. के लगभग एक प्रतिशत के बराबर बना रहा है। ग्रामीण विकास में एक अर्थपूर्ण सकारात्मक विचलन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने के संदर्भ में, इस क्षेत्र हेतु सरकार की अत्यधिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

अध्याय 4

घाटा: राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन

तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा - एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संघ अथवा राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। संघ सरकार का राजस्व घाटा, जिसने Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया था, पिछले वर्ष की तुलना में 2005-06 के दौरान 39.39 प्रतिशत बढ़ा है। स.घ.उ. के संबंध में, राजस्व घाटा 2004-05 में 2.53 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वर्ष के दौरान 3.11 प्रतिशत हो गया था। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटा भी पिछले वर्ष की तुलना में 58.89 प्रतिशत बढ़ा तथा चालू वर्ष के दौरान 164,927 करोड़ रु. (स.घ.उ. का 4.67 प्रतिशत) के स्तर पर पहुंचा। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का प्रमुख घटक बना रहा जो 1985-2006 के दौरान 61.47 प्रतिशत आंका गया। समग्र राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का समानुपात की औसत VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 46.26 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 के दौरान शीर्ष स्तर पर पहुंचते हुए Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 87 प्रतिशत हो गया। 1985-2006 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे के बढ़ते अंश ने निवल पूंजीगत व्यय के औसत अंश को नीचे ढकेल दिया जिसका परिणाम 2.24 प्रतिशत की ऋणात्मक विचलन दर में हुआ।

प्राथमिक घाटा, जो ब्याज भुगतानों के निवल वर्तमान असंतुलनों को प्रस्तुत करता है, का औसत VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 18,285 करोड़ रु. से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 28,573 करोड़ रु. हो गया। संघ सरकार के मुख्य लेखे ने Xवीं योजना के चार वर्षों के दौरान 2003-04 में 47177 करोड़ रु. अधिशेष के शीर्ष-स्तर को सूचित करते हुए वृहत उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित किया। तथापि, अधिशेष के शीर्ष-स्तर ने अगले वर्ष में मंद प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा चालू वर्ष में एक बार फिर 23552 करोड़ रु. के घाटे पर पहुंच गया। स.घ.उ. के संदर्भ में, प्राथमिक घाटा VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 1.77 प्रतिशत की औसत से घटकर 2002-03 में 0.41 प्रतिशत हो गया। यह बाद में 2003-04 एवं 2004-05 में धनात्मक हो गया लेकिन चालू वर्ष में प्रवृत्ति पुनः विपरीत हो गई तथा स.घ.उ. के संदर्भ में प्राथमिक घाटा बढ़कर 0.67 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक घाटे में सुधार मुख्य रूप से 2003-04 एवं 2004-05 में ऋण विनिमय योजना के अन्तर्गत उच्च लागत ऋणों के पूर्वभुगतान के साथ ऋणों की वसूली में वृद्धि के कारण था। परिणाम के तौर पर, शासकीय व्यय में वृद्धि के साथ-साथ गैर-ऋण प्राप्तियों में संकुचन ने राजकोषीय घाटे में गिरावट को प्रेरित किया जिसके कारण 2005-06 में प्राथमिक घाटे की स्थिति और भी खराब हो गई।

2005-06 के दौरान, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में वृद्धि, रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में फिसलन को प्रदर्शित करते हैं। स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर सामान्यतः, ऋण-स.घ.उ. अनुपात में तीव्र वृद्धि उत्पन्न करते हैं। इसलिए, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के संबंध में रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों का पालन बृहत-आर्थिक, वित्तीय, बाह्य क्षेत्र बजटीय स्थिरता हेतु निर्णायक समझा जाता है।

4.1 तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा - एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान केन्द्र या राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। केन्द्रीय बजट प्रति वर्ष इन राजकोषीय पैरामीटरों हेतु पिछले वर्ष के वास्तविक अनुमान, चालू वर्ष के संशोधित अनुमान तथा

आगामी वर्ष के बजट अनुमान की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। यह अध्याय इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं वित्तपोषण की रीति को प्रदर्शित करता है। घाटे, राजस्व तथा व्यय में असंतुलनों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये असंतुलन अस्थायी अथवा संरचनात्मक हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, राजकोषीय असंतुलन दीर्घकालिक तथा निरन्तर, दोनों प्रकार के हुए हैं। आकार तथा नियमितता के अतिरिक्त, इसकी संरचना, विशेष रूप से राजस्व घाटे की, जो वर्तमान उपभोग की वित्त व्यवस्था के लिए हुआ है, भी चिंता का विषय रही है। बृहद आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राजकोषीय नियमावली के सूत्रीकरण में घाटे के आकार के संबंध में निर्धारित नियमों को शामिल करना आवश्यक है जिसे वित्त व्यय को वहन किया जा सकता था। समाविष्ट होते हैं। यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रदर्शित करता है।

राजस्व घाटा

4.2 राजस्व घाटा, सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। यह सरकार की निवल गैर-बचत तथा वर्तमान उपयोग को इसके विचलन को दर्शाता है। राजस्व घाटा का परिणाम उधारों व उसके तदनु रूप पूँजी/परिसंपत्ति के निर्माण के बिना वृद्धि का कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति संबल नहीं होता तथा एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन विशेषताओं के कारण, राजस्व घाटा साधारणतया कम वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियाँ तथा उसके कुछ मुख्य पैरामीटर तालिका 4.1 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 4.1: राजस्व घाटा तथा उसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)


| अवधि | राजस्व प्राप्ति | राजस्व व्यय | राजस्व घाटा | निम्न के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------|
| | | | | स.घ.उ. | राजस्व प्राप्ति | राजस्व व्यय |
| 1985-2006 | 176760 | 224472 | 47712 | 3.37 | 26.99 | 21.25 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 131601 | 160541 | 28941 | 2.80 | 21.99 | 18.03 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 237397 | 313109 | 75711 | 3.95 | 31.89 | 24.18 |
| Xवीं योजना (2002-2007) | | | | | | |
| 2002-03 | 299826 | 409591 | 109765 | 4.44 | 36.61 | 26.80 |
| 2003-04 | 339100 | 440086 | 100986 | 3.66 | 29.78 | 22.95 |
| 2004-05 | 376871 | 455571 | 78700 | 2.53 | 20.88 | 17.28 |
| 2005-06 | 430940 | 540637 | 109697 | 3.11 | 25.46 | 20.29 |

घाटा : राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन


| वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत) | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|--------|---|------|------|
| 1985-2005 | 12.95 | 13.52 | 16.51 | 2.45 | 3.27 | 2.64 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 15.61 | 14.64 | 10.88 | सापेक्ष अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर | | |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 8.12 | 10.40 | 17.29 | | | |
| Xवीं योजना (2002-2007) | | | | | | |
| 2002-03 | 13.02 | 9.06 | -0.49 | | | |
| 2003-04 | 13.10 | 7.45 | -8.00 | | | |
| 2004-05 | 11.14 | 3.52 | -22.07 | | | |
| 2005-06 | 14.35 | 18.67 | 39.39 | | | |

4.3 संघ सरकार का समग्र राजस्व घाटा VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 28,941 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 75,711 करोड़ रु. हो गया। IXवीं योजना के अंतिम वर्ष 2001-02 में 110,303 करोड़ रु. के राजस्व घाटे ने बाद के तीन वर्ष के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 2004-05 में 78,700 करोड़ रु. के स्तर तक कम हुआ। तथापि, चालू वर्ष के दौरान राजस्व घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 39.39 प्रतिशत बढ़ा तथा लगभग 2002-03 के स्तर तक पहुंच गया। 1985-2006 की अवधि के दौरान राजस्व घाटे की वृद्धि की औसत वार्षिक दर 16.51 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति के बीच एक नकारात्मक फैलाव ने राजस्व घाटे की वृद्धि में योगदान दिया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर, Xवीं योजना (2002-07) की प्रथम तीन वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्ति से कम थी जिसका परिणाम राजस्व घाटे की नकारात्मक वृद्धि में हुआ। इन तीन वर्षों ने अपेक्षाकृत उत्प्लावक राजस्व प्राप्तियों तथा सामान्य गति से बढ़ते हुए राजस्व व्यय के कारण राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के बीच चार से सात प्रतिशत के एक सकारात्मक फैलाव को प्रदर्शित किया। परिणामस्वरूप, राजस्व घाटे ने 2002-03 से गिरावट की प्रवृत्ति को इंगित किया लेकिन वर्ष 2004-05 में गिरावट 22.07 प्रतिशत के रूप में बहुत बढ़ी तथा असाधारण थी। किन्तु, राजस्व व्यय में वृद्धि दर, पुनः राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर से 4.32 प्रतिशतता अंक अधिक थी जिसका परिणाम चालू वर्ष के दौरान राजस्व घाटे में 30997 करोड़ रु. की वृद्धि में हुआ जिससे पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदर्शित इसकी गिरावट की प्रवृत्ति में विराम लगना प्रतीत होता है।

4.4 स.घ.उ. के संबंध में राजस्व घाटा 2004-05 के 2.53 प्रतिशत के स्तर पर अवतरण से पूर्व VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान स.घ.उ. की 2.8 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2001-02 में 4.80 प्रतिशत हो गया था। तथापि, अनुपात ने वर्ष 2005-06 की अवधि के दौरान त्वरणीय प्रवृत्ति को इंगित किया जैसा कि संघ सरकार द्वारा मध्य-वर्षीय पुनरावलोकन में प्रदर्शित किया गया तथा वर्ष के दौरान 3.11 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया (ग्राफ 4.1)। स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटे के अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर 2.45 प्रतिशत थी।



4.5 राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात 1985-2006 की अवधि के दौरान स.घ.उ. के साथ इसके अनुपात के आस-पास था (चार्ट-4.2)। राजस्व प्राप्ति के समानुपात के रूप में, 2005-06 में राजस्व घाटे का स्तर 2004-05 के दौरान प्राप्त अब तक के सबसे कम स्तर से 4.58 प्रतिशतता अंक अधिक था तथा 1985-2006 की अवधि के दीर्घावधि औसत के नजदीक था जो इंगित करता था कि राजस्व प्राप्तियां औसतन करीब चतुर्थांश से राजस्व व्यय से कम थी। राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में, चालू वर्ष के दौरान राजस्व घाटा 20.29 प्रतिशत था जो दीर्घावधि औसत के नजदीक था तथा राजस्व व्यय के उस समानुपात को इंगित करता है जो कर्ज से वित्तपोषित था (सारणी 4.1)।



राजकोषीय घाटा

4.6 राजकोषीय घाटा, गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां, विविध पूंजीगत प्राप्तियां तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली) पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटा साधारणतः सरकार की बढ़ती हुई देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों का प्रतिनिधित्व करता है। कमी को या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखाओं से अधिशेष का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता था। मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियों के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियाँ तालिका 4.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.2: राजकोषीय घाटा तथा इसके पैरामीटर


(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | गैर-ऋण प्राप्तियां | कुल व्यय | राजकोषीय घाटा | निम्न के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा | | |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------------|---|--------------------|-------|
| | | | | स. घ. उ. | गैर-ऋण प्राप्तियां | व्यय |
| 1985-2006 | 195105 | 272721 | 77616 | 5.49 | 39.78 | 28.46 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 140973 | 203539 | 62565 | 6.04 | 44.38 | 30.74 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 254827 | 374502 | 119675 | 6.25 | 46.96 | 31.96 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 341722 | 476310 | 134588 | 5.45 | 39.39 | 28.26 |
| 2003-04 | 425880 | 506817 | 80937 | 2.93 | 19.00 | 15.97 |
| 2004-05 | 445535 | 549333 | 103798 | 3.34 | 23.30 | 18.90 |
| 2005-06 | 444322 | 609249 | 164927 | 4.67 | 37.12 | 27.07 |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर | | | | | | |
| 1985-2006 | 12.98 | 12.02 | 9.55 | -3.67 | -3.03 | -2.20 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 14.51 | 11.87 | 6.42 | समानुपात में विचलन की औसत वार्षिक दर | | |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 8.74 | 8.86 | 9.00 | | | |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 17.97 | 6.92 | -13.63 | | | |
| 2003-04 | 24.63 | 6.40 | -39.86 | | | |
| 2004-05 | 4.62 | 8.39 | 28.25 | | | |
| 2005-06 | -0.27 | 10.91 | 58.89 | | | |

4.7 VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटा 62565 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 119675 करोड़ रु. हो गया एवं इसके आगे Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान औसत 121063 करोड़ रु. बढ़ा। राजस्व घाटा 2000-01 के दौरान 155833 करोड़ रु. के पूर्व शीर्ष को पार करने के पश्चात चालू वर्ष के दौरान 164927 करोड़ रु. के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। 1985-2006 के दौरान राजकोषीय घाटे की वृद्धि की प्रवृत्ति दर 9.55

प्रतिशत थी। Xवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे के तीव्र हास को बाद के दो वर्षों के दौरान तीव्र वृद्धि पार कर गयी जिसका परिणाम Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 8.41 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर, प्रवृत्ति वृद्धि दर के साथ-साथ IXवीं योजना अवधि की औसत वृद्धि दर के प्रायः नजदीक रहा। चालू वर्ष के दौरान, मुख्य रूप से ऋण की वसूली के अंतर्गत प्राप्तियों में गिरावट के कारण गैर-ऋण प्राप्तियों में पूर्व वर्ष के स्तर से 1213 करोड़ रु. का संकुचन तथा विशेषतौर से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं तथा राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को सहायता अनुदान पर बढ़ाये गए खर्च के कारण सम्पूर्ण व्यय में 59916 करोड़ रु. की वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटे में तीव्र उछाल थी।

4.8 स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 6.04 प्रतिशत से 1997-98 में 6.90 प्रतिशत से लेकर 2000-01 में 5.79 प्रतिशत तक के वृहत अंतःवर्षीय परिवर्तन के साथ, बढ़कर IXवीं योजना के दौरान 6.25 प्रतिशत हो गया। X वीं योजना (2002-07) के प्रथम दो वर्षों में स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय घाटे के अनुपात में गिरावट आई लेकिन अंतिम दो वर्षों के दौरान इसने एक बढ़त प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। 1985-2006 के दौरान इसके अंश में औसतन वार्षिक परिवर्तन दर (-) 3.67 प्रतिशत थी। गैर-ऋण प्राप्तियों के समानुपात के रूप में राजकोषीय घाटे ने 1985-2006 के दौरान 3.03 प्रतिशत के ऋणात्मक विचलन दर के साथ 1993-94 में 63.6 प्रतिशत से 2003-04 के दौरान 19 प्रतिशत के वृहत् घूर्णन बदलाव को प्रदर्शित किया (चार्ट 4.3)। कुल व्यय की तुलना में राजकोषीय घाटा की विचलन दर भी ऋणात्मक थी लेकिन अवधि के दौरान गति अपेक्षाकृत धीमी थी।



4.9 पूंजी/परिसम्पत्तियों के निर्माण अथवा या आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना के सृजन के लिए निधियों उधार लेना तथा राजकोषीय घाटे को चलाना सरकार के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसे उधारों के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियां, एक आय प्रवाह का सृजन करके उधार की अदायगी संभव कर सकती हैं। पूंजीगत निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था की समग्र आय सृजन क्षमता में भी वृद्धि कर सकती है तथा कर आधार को व्यापक कर सकता है। आगे, ऐसी स्थिति में जहाँ अवसंरचना, वृद्धि के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबंध बन जाता है, सरकार द्वारा ऐसी पूंजीगत रचना, वृद्धि में त्वरण को अधिक व्यावहारिक बना सकती है। अतः ऐसे में राजकोषीय घाटे के विभिन्न संघटकों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग पूंजीगत व्यय को धारणीय बनाये रखने के लिए या पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। नीचे दी गई तालिका 4.3, Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों सहित VIIIवीं एवं IXवीं योजना अवधि में राजकोषीय घाटे की संघटकों की गति को दर्शाती है।


तालिका 4.3: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत)


| अवधि | राजस्व घाटा | निवल पूंजीगत व्यय | निवल ऋण एवं अग्रिम |
|----------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1985-2006 | 61.47 | 26.28 | 11.89 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 46.26 | 28.25 | 25.49 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 63.26 | 19.53 | 17.21 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | |
| 2002-03 | 81.56 | 20.32 | -1.88 |
| 2003-04 | 124.77 | 22.79 | -47.56 |
| 2004-05 | 75.82 | 47.43 | -23.25 |
| 2005-06 | 66.51 | 33.07 | 0.42 |
| परिवर्तन की औसत वार्षिक दर | | | |
| 1985-2006 | 6.35 | -2.24 | |

4.10 राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का प्रमुख घटक बना रहा जो 1985-2006 के दौरान राजकोषीय घाटे का 61.47 प्रतिशत आंका गया। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का समानुपात 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 63.26 प्रतिशत तथा आगे 2003-04 के दौरान शीर्ष स्तर पर पहुंचते हुए Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान इसकी औसत 87 प्रतिशत हो गई (चार्ट 4.4)। 1985-2006 के दौरान राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में 6.35 प्रतिशत की एक सकारात्मक परिवर्तन दर थी। चालू वर्ष के दौरान राजस्व घाटे में दर्ज वृद्धि की अपेक्षा राजकोषीय घाटे में वृद्धि करीब 20 प्रतिशत थी जिसका परिणाम पूर्व वर्ष की अपेक्षा राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात की गिरावट में हुआ।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06



4.11 1985-2006 के दौरान निवल पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय-पूंजीगत प्राप्तियां) राजकोषीय घाटे के एक-चौथाई से अधिक के लिए जिम्मेदार था। 1985-2006 की अवधि में राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे के बढ़ते भाग ने निवल पूंजीगत व्यय के औसत अंश को नीचे ढकेल दिया जिसका परिणाम इसकी 2.24 प्रतिशत की ऋणात्मक विचलन दर में हुआ। प्रवृत्तियां प्रकट करती हैं कि जब ब्याज भुगतान (प्रतिबद्ध व्यय के अन्य घटकों के साथ) सरकार के चालू राजस्वों के सापेक्ष बढ़ते हैं तो सरकारी व्यय में समायोजन की एक प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जो सामान्यतया सरकार के पूंजीगत व्यय के प्रतिकूल है। ब्याज भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों की सह-गतियों ने प्रदर्शित किया कि हालांकि ब्याज भुगतान में वृद्धि ने सरकारी पूंजीगत व्यय को ऋणात्मक रूप से प्रभावित किया, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का एक सकारात्मक प्रभाव था। राजकोषीय घाटे ने निवल ऋणों एवं अग्रिमों के करीब 12 प्रतिशत को वित्त पोषित किया। Xवीं योजना के दौरान अब तक, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली नये ऋणों के निर्गम से प्रायः अधिक थी तथा अधिशेष ने राजकोषीय घाटे के भाग का वास्तविक रूप से वित्त पोषण किया (चार्ट 4.5)। चालू खर्चों को पूरा करने हेतु हेतु उधार ली गयी निधियों के लगातार उपयोग ने न केवल परिसंपत्ति आधार में अपरदन प्रदर्शित किया बल्कि इसने पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) को समायोजन का चर भी बना दिया।



4.12 बृहत आर्थिक स्थिरता के अनुक्षण में राजकोषीय नीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तथापि, राजकोषीय उपकरणों की क्षमता एवं प्रभावकारिता राजकोषीय घाटे की संरचना पर निर्भर करती है। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजकोषीय घाटे के तीन घटक होते हैं - प्राथमिक संरचनात्मक घाटा, स.घ.उ. के सापेक्ष संरचनात्मक ब्याज भुगतान तथा चक्रीय राजकोषीय घाटा। प्रवृत्तियां प्रकट करती हैं कि संरचनात्मक ब्याज भुगतान VIIIवीं योजना (1992-97) के प्रारम्भ से अधिकांश वर्षों के दौरान वास्तविक राजकोषीय घाटे के एक बड़े भाग के लिए जिम्मेवार रहा है। संरचनात्मक ब्याज भुगतान का प्रभाव नब्बे के दशक में तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक एवं अधिक स्थायी हुआ है। 'प्राथमिक अन्तराल' को वास्तविक संरचनात्मक प्राथमिक घाटे एवं ऋण-स्थिरक प्राथमिक घाटे के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित करते हुए, संरचनात्मक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि प्राथमिक घाटा नब्बे के दशक तथा उसके बाद के अधिकांश वर्षों के दौरान, 'ऋण-स्थिरक' प्राथमिक घाटे से बढ़ा हुआ है। अस्सी के दशक के अंत तथा नब्बे के दशक के अंतिम भाग के आसपास लम्बी अवधियां ऐसे रही हैं जिनमें प्राथमिक घाटा, ऋण-स्थिरक प्राथमिक घाटे से बहुत अधिक रहा है। संरचनात्मक प्राथमिक घाटे एवं संरचनात्मक ब्याज भुगतान ने मिलकर संरचनात्मक राजकोषीय घाटे को विशाल बना दिया है। भारी संरचनात्मक राजकोषीय घाटे को देखते हुए, चक्रीय घाटा जो भूमिका अदा कर सकता है, वह उतार-चढ़ाव की अवधि के दौरान बहुत ही सीमित हो गई है।

4.13 संरचनात्मक प्रकृति के मुख्य घटक वाले भारी राजकोषीय घाटा किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के प्रदर्शन हेतु निहितार्थ है। स.घ.उ. की वृद्धि दरों तथा राजकोषीय घाटे में प्रवृत्तियां VIIIवीं योजना (1992-97), IXवीं योजना (1997-2002) के साथ ही साथ Xवीं योजना (2002-07) के हाल के वर्षों की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के विकास प्रदर्शन के बीच एक प्रतिलोम सहसम्बन्ध को दर्शाती थीं। आठवीं योजना (1992-97) में जब घाटा संकुचित हो रहा था तब 6.7 प्रतिशत का तीव्र वृद्धि प्रदर्शित हुआ; नौवीं योजना (1997-2000) में जब घाटा बढ़ रहा था तब कुछ मंदन दर्ज किया गया तथा Xवीं योजना (2002-07) में जब राजकोषीय घाटा पुनः घट रहा था तब पुनरुत्थानशील वृद्धि दर्ज की।

प्राथमिक घाटा

4.14 यद्यपि राजकोषीय घाटा साधारणतया अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निरूपित करता है फिर भी ऐसे संसाधनों के एक भाग की आवश्यकता ब्याज भुगतानों के वित्तपोषण के लिए पड़ सकती है। ब्याज के भुगतान पिछले दायित्वों के व्यय को दर्शाती हैं तथा चालू नियतात्मक वरीयताओं से स्वतंत्र हैं। यदि असंतुलन के वर्तमान स्वरूप को देखना हो तो इन भुगतानों को कुल असंतुलन में से पृथक करने की और घटाये जाने की आवश्यकता है। प्राथमिक घाटा, जो ब्याज भुगतानों के निवल वर्तमान असंतुलों को प्रस्तुत करता है, का औसत VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

18,285 करोड़ रु. से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 28,573 करोड़ रु. हो गया। तथापि, इसने Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 10193 करोड़ रु. के औसत वार्षिक अधिशेष को प्रदर्शित किया। संघ सरकार के मुख्य लेखे ने Xवीं योजना के चार वर्षों के दौरान 2003-04 में 47177 करोड़ रु. अधिशेष के शीर्ष-स्तर को ब्याज भुगतान के रूप में वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे, जो 1997-98 से राजकोषीय घाटे का न्यूनतम स्तर था, से बढ़ गया, को सूचित करते हुए वृहत उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित किया। तथापि अधिशेष के शीर्ष स्तर ने अगले वर्ष में मंद प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा चालू वर्ष में एक बार फिर 23552 करोड़ रु. के घाटे पर पहुंच गया। यथार्थ में, ब्याज भुगतान में निवल वृद्धि के 61129 करोड़ रु. का बढ़ा हुआ राजकोषीय घाटा चालू वर्ष के दौरान मुख्य लेखे में 50712 करोड़ रु. का घाटा मुहैया कराता है। तथापि, 27160 करोड़ रु. के मुख्य अधिशेष के अधिशेष का परिणाम चालू वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत निम्न प्राथमिक घाटे में हुआ।

तालिका 4.4: प्राथमिक घाटा तथा इनके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | राजस्व घाटा | राजकोषीय घाटा | ब्याज भुगतान | प्राथमिक घाटा* | स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा |
|---|-------------|---------------|--------------|----------------------------|--|
| 1985-2006 | 47712 | 77616 | 62384 | 15232 | 1.08 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 28941 | 62565 | 44280 | 18285 | 1.77 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 75711 | 119675 | 91102 | 28573 | 1.49 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | |
| 2002-03 | 109765 | 134588 | 124573 | 10015 | 0.41 |
| 2003-04 | 100986 | 80937 | 128114 | -47177 | -1.70 |
| 2004-05 | 78700 | 103798 | 130958 | -27160 | -0.87 |
| 2005-06 | 109697 | 164927 | 141375 | 23552 | 0.67 |
| वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर (प्रतिशत) | | | | | |
| 1985-2006 | 16.51 | 9.55 | 16.89 | परिवर्तन की औसत वार्षिक दर | |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 10.88 | 6.42 | 17.44 | | |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 17.29 | 9.00 | 14.90 | | |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | |
| 2002-03 | -0.49 | -13.63 | 9.11 | | |
| 2003-04 | -8.00 | -39.86 | 2.84 | | |
| 2004-05 | -22.07 | 28.25 | 2.22 | | |
| 2005-06 | 39.39 | 58.89 | 7.95 | | |

* ऋणात्मक आंकड़ा प्राथमिक अधिशेष के विद्यमान होने का संकेत करता है।

4.15 स.घ.उ. के संदर्भ में, प्राथमिक घाटा VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 1.77 प्रतिशत की औसत से घटकर 2002-03 में 0.41 प्रतिशत हो गया। यह बाद में 2003-04 एवं 2004-05 में धनात्मक हो गया लेकिन चालू वर्ष में प्रवृत्ति पुनः विपरीत

हो गई तथा स.घ.उ. के संदर्भ में सापेक्ष प्राथमिक घाटा बढ़कर 0.67 प्रतिशत हो गया। स.घ.उ. के 1.77 प्रतिशत से 2004-05 में स.घ.उ. के (-) 0.87 प्रतिशत की औसत तक मुख्य घाटे में सुधार, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि 2003-04 एवं 2004-05 में पूंजीगत व्यय तथा ब्याज भुगतानों से निवल ऋणों एवं अग्रिमों, सहित उस वर्ष में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियां पर्याप्त थीं। तथापि, वह मुख्य रूप से लघु-ऋण व्यवस्था का लाभ लेने के लिए 2003-04 एवं 2004-05 में ऋण विनिमय योजना के अंतर्गत राज्यों के साथ साथ कुछ लोक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ऋणों की वसूली के साथ उच्च मूल्य के ऋणों के पूर्वभुगतान के कारण था। परिणाम के तौर पर, अपेक्षाकृत उच्च गति से शासकीय व्यय में वृद्धि के साथ-साथ गैर-ऋण प्राप्तियों में संकुचन ने राजकोषीय घाटे में गिरावट को प्रेरित किया जिसके कारण 2005-06 में प्राथमिक घाटे की स्थिति और भी खराब हो गई। तथापि, ऋणों की वसूली या विविध पूंजीगत प्राप्तियों की संभूति सरकार की परिसम्पत्ति आधार में गिरावट को प्रदर्शित करती है तथा इसे अधिक से अधिक एक सीमित एवं एक अस्थायी विकल्प के रूप में देखा जा सकता था।

लक्ष्य/रा.उ.ब.प्र.अधिनियम/नियमावली की अपेक्षाओं की तुलना में वास्तविक घाटा

4.16 सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने एवं रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के सूत्रीकरण के पश्चात में रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 जुलाई 2004 से प्रभाव में आया। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम 2003, यथासंशोधित की धारा 4(1) प्रावधान करता है कि संघ सरकार, राजकोषीय घाटे एवं राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी ताकि 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके। अधिनियम एवं नियमावली, जैसा कि मौजूदा समय में लागू है, ने अनुबंधित किया है कि न्यूनतम वार्षिक हास लक्ष्य में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशतता अंक के साथ 2008-09 तक राजस्व घाटे के निवारण हेतु तथा राजकोषीय घाटे को न्यूनतम वार्षिक हास लक्ष्य के रूप में स.घ.उ. के 0.3 प्रतिशतता अंक के साथ स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के स्तर पर लाया जा सके। राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में हास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में पूर्व से ही कुछ नम्यता है क्योंकि उसका एक उपबन्ध है कि विनिर्दिष्ट सीमा को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार अथवा आधारों या राष्ट्रीय विपदा या ऐसे अपवादात्मक आधारों जिसे केन्द्र सरकार निर्दिष्ट करे, के कारण पार किया जा सकता है। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य/अपेक्षाओं के अनुसार अन्य विषयों के साथ-साथ राजकोषीय प्रबन्धन में अन्तःउत्पादन इक्विटी तथा दीर्घावधि बृहत-आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

4.17 बजट के साथ-साथ तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित, केन्द्र सरकार 2004-05 से मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण (म.अ.रा.नी.वि.) के साथ-साथ राजस्व एवं राजकोषीय घाटे हेतु तथा कर राजस्व हेतु 3-वर्षीय परिवर्तनशील लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में केन्द्र सरकार के

कुल बकाया दायित्वों को प्रस्तुत कर रही है। इन्हें वृद्धि के पूर्वानुमानों तथा सरकार के नीतिगत रवैये के आधार पर प्राप्त किया गया है। 2004-05 हेतु म.अ.रा.नि. विवरण में 2005-06 हेतु निर्धारित राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, बजट अनुमान के साथ-साथ उनके वास्तविक स्तरों, जैसा कि वर्ष हेतु संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रदर्शित है, को तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: रा.उ.ब.पु. नियमावली के अधीन लक्ष्यों की तुलना में परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

| राजकोषीय संकेतक | म.अ.रा.नि.वि. 2004-05 में निर्धारित लक्ष्य | बजट अनुमान 2005-06 | संशोधित अनुमान 2005-06 | वास्तविक स्तर (2005-06 के वित्त लेखाओं से कटौती के अनुरूप) | ब.अ. से विचलन |
|-----------------|--|--------------------|------------------------|--|---------------|
| राजस्व घाटा | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 3.11 | 0.41 |
| राजकोषीय घाटा | 4.0 | 4.28 | 4.1 | 4.67 | 0.39 |

4.18 केन्द्रीय बजट 2005-06 में प्रस्तुत राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान, बजट 2004-05 के साथ प्रस्तुत म.अ.रा.नि.वि. में कार्यान्वित 2005-06 के प्रक्षेपणों पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। बजट 2004-05 में निर्धारित किए गए परिवर्तनशील सूचकों ने 2005-06 तक राजस्व घाटे को स.घ.उ. के 1.8 प्रतिशत तक गिराने के लिए लक्षित किया था, लेकिन बजट 2005-06 में 2.7 प्रतिशत का अधिक यथार्थवादी राजस्व घाटे का लक्ष्य है। इसी तरह, 2005-06 हेतु राजकोषीय घाटे को बजट 2005-06 में स.घ.उ. के 4.28 प्रतिशत पर लक्षित किया गया है जबकि पिछले वर्ष में बजट के साथ प्रस्तुत म.अ.रा.नि.वि. में लक्ष्य बहुत अधिक नीचे 4 प्रतिशत पर था। तथापि, बजट 2005-06 ने स्पष्ट किया कि चालू वर्ष से बजटीय प्रक्रिया में राजकोषीय सूचकों की गणना पर प्रभाव डालने वाले दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सा.क्षे.उ.) में सरकारी इक्विटी की बिक्री लाभ हेतु ब.अ. 2005-06 में कोई भी क्रेडिट नहीं लिया गया था क्योंकि राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु स्रोत के रूप में दीर्घावधि तक इनको गणना में नहीं लिया जा सकता था। इसके बजाय, इन प्राप्तियों को राष्ट्रीय 'निवेश निधि' में क्रेडिट किया जाना था, जिसकी आय को सामाजिक अवसंचना के व्यय के वित्तपोषण तथा महत्वपूर्ण सा.क्षे.उ. को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाया जाए। दूसरा, राज्यों तथा विधान सभा वाले संघ शासित राज्यों को ऋण हेतु बजट 2005-06 में कोई उपबंध नहीं बनाया गया था, जिन्हें केन्द्र सरकार की बजटीय मध्यस्थता के बिना सीधे बाजार से आवश्यक कर्ज लेना था। इसने यह भी उल्लेख किया कि राजस्व में कमी, जो मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2005 से लागू करने के कारण उत्पन्न हो सकता थी, के कारण राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 करोड़ रु. के प्रावधान को बजट 2005-06 में पहले ही सम्मिलित कर

लिया गया था, अन्यथा राजस्व घाटे हेतु बजट अनुमान 2.7 प्रतिशत के बजाय 2.6 प्रतिशत होता। चूंकि इस राशि को वर्ष के दौरान ही खर्च किया जाना था इसलिए राजस्व तथा राजकोषीय घाटों के लिए 2006-07 के बजट के साथ अधोमुखी संशोधन को प्रदर्शित करते हुए संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए। 2005-06 हेतु केन्द्रीय वित्त लेखों के अनुसार राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर महत्वपूर्ण रूप से अपने बजट प्राक्कलनों से क्रमशः 0.41 एवं 0.39 प्रतिशतता अंक उन्ने थे। ह्रास के न्यूनतम दर से कम से कम गिरावट को प्रदर्शित करने के बजाय 2005-06 के दौरान अपने बजटीय स्तरों से राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में वृद्धि, रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में फिसलन को प्रदर्शित करती है।

4.19 स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर सामान्यतः ऋण-स.घ.उ. अनुपात में तीव्र वृद्धि उत्पन्न करते हैं तथा बचतों एवं निवेश व परिणामस्वरूप विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के संबंध में रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों का पालन बृहत-आर्थिक, वित्तीय, बाह्य क्षेत्र बजटीय स्थिरता हेतु निर्णायक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू व्यय की पूर्ति हेतु किए जाने का परिणाम पिछले वर्षों की अपेक्षा परिसंपत्ति-देयताओं के बेमेल में हुआ है, इसलिए राजस्व घाटे का निवारण तथा पर्याप्त राजस्व अधिशेष का सृजन आवश्यक है जिसे देयताएं सृजित किए बिना परिसम्पत्तियों हेतु प्रयोग में लाया जा सके। अब रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों की प्राप्ति में फिसलन, पूर्व में प्राप्त लाभों का क्षरण कर सकती है।

अध्याय 5

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

सरकार ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अपनी संसाधन आवश्यकताओं, लोक लेखा पर देयताओं को चुकाने, पूंजीगत व्यय और इस प्रकार की अन्य चालू व्यय अपेक्षाओं, जो कि राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा वसूली की जानी शेष होती है, को पूरा करने के लिए राजकोषीय देयताओं को वहन करती है। सकल राजकोषीय देयताएं VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 628,608 करोड़ रु. की औसत से लगातार बढ़कर Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 1749972 करोड़ रु. हो गईं। 1985-2006 के दौरान इन देयताओं की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर 13.74 प्रतिशत थी। 1991-92 के दौरान सकल राजकोषीय देयताएं - स.घ.उ. अनुपात उन्नाई पर था जब यह स.घ.उ. के 65.43 प्रतिशत तक पहुंचा। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान इस अनुपात का औसत 60.72 प्रतिशत और इसके आगे IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 59.08 प्रतिशत तक अवत्वरित हुआ। Xवीं योजना के दौरान अब तक, स.घ.उ. की तुलना में सकल देयताओं का अनुपात अंतर्वर्षीय विचलन के साथ लगभग IXवीं योजना (1997-2002) के स्तर पर बना रहा। इसलिए स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति ने स्थिरता को प्रदर्शित किया परन्तु इसके घटकों के अंश ने आन्तरिक ऋण के अंश के साथ समय के साथ परिवर्तित हो कर अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। आन्तरिक ऋण न केवल सकल देयताओं का सर्वाधिक प्रबल घटक था, जो 2005-06 में इनका लगभग 70.59 प्रतिशत आंका गया, बल्कि अपनी 16.57 प्रतिशत औसत वृद्धि के साथ सबसे तेज वृद्धि वाला घटक भी था। लोक लेखा देयताएं 1985-2006 के दौरान 9.91 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। ये दोनों घटक, जो कि अपने उद्भव के आधार पर घरेलू देयताएं हैं, ने 2005-06 में लगभग 90 प्रतिशत सकल देयताएं स्थापित की, जो कि VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 78 प्रतिशत की औसत से बढ़ी हैं।

राजकोषीय देयताएं वहनीय हैं यदि सरकार पूर्वानुमानित भविष्य के दौरान इन देयताओं के सम्भार की पूर्ति में समक्ष होती है और ऋण-स.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय सीमा तक नहीं बढ़ता है। ऋण-स.घ.उ. उत्पाद अनुपात के अपेक्षाकृत उच्चतर स्तरों के बावजूद, वृद्धि संबंधी कुल देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का अनुपात 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान स.घ.उ. का क्रमशः 5.27 प्रतिशत तथा 4.12 प्रतिशत था जो रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अन्दर था। ग्यारहवें तथा बारहवें वित्त आयोग ने भी सलाह दी थी कि ऋण धारिता को अर्थपूर्ण ढंग से सरल बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती। 1985-2006 के दौरान यह देखा जा सकेगा कि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बढ़ते हुए राजस्व व्यय को पूरा करने में 20.94 प्रतिशत कम थीं। यह अन्तराल IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 45.47 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान व्यय में सामान्य वृद्धि तथा ब्याज दर में नरमी के कारण बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बढ़ते हुए राजस्व व्यय से अधिक थी जिसका परिणाम सकारात्मक अन्तराल में हुआ, जो तीन वर्षों 2002-05 के दौरान लगातार बढ़ा। 2005-06 में, प्रवृत्ति प्रतिकूल थी तथा 36.44 प्रतिशत का संसाधन अन्तराल था। यह अनुपात IXवीं योजना के दौरान 94.70 प्रतिशत की उन्नाई पर था जो Xवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 99.61 प्रतिशत तक और बदतर हो गया जो ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की सीमा को दर्शाता था।

5.1 आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताएं, देयताओं के तीन सेट हैं जिनसे संघ सरकार का ऋण संघटित है। आन्तरिक एवं बाह्य ऋण, लोक ऋण को गठित करते हैं और भारत की समेकित निधि के अधीन सुरक्षित किए जाते हैं। आन्तरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और राष्ट्रीय लघु बचत निधि, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध-पत्र और अन्य रूपया प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋणों का द्योतक है। सरकार की अन्य देयताएं उधारकर्ता की अपेक्षा बैंकर या न्यासी के रूप में इसकी हैसियत से अधिक उद्भूत होती हैं जिसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि, आरक्षित निधि और निक्षेप निधि (व्यय प्रभारित द्वारा सृजित हालांकि वास्तविक व्यय/संवितरण अभी किया जाना है) और जमा समाविष्ट है। ये उधार या संभूतियां भा.स.नि. के अधीन सुरक्षित नहीं हैं और लोक लेखों के भाग के रूप में दर्शाई जाती हैं। तथापि, यह सभी देयताएं उनकी वापसी अथवा विनिर्देशित व्यय के सम्बन्ध में सरकार के दायित्व हैं।

5.2 सरकार ऋण के पुनर्भुगतान, लोक लेखा पर देयताओं के उन्मोचन; पूंजीगत व्यय और इस प्रकार की अन्य वर्तमान व्यय आवश्यकताओं, जो कि राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा पूरी न हो पाई हो; के लिए अपनी संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन देयताओं को वहन करती है।

सकल राजकोषीय देयताएँ: प्रवृत्तियां तथा संरचना

5.3 तालिका 5.1 सरकार की कुल देयताएं प्रस्तुत करती है जिसमें 1985-2006 के दौरान आंतरिक ऋण एवं वर्तमान विनिमय दर तथा ऐतिहासिक दर (जिस दर पर ऋण मूल रूप से अनुबंधित किया गया था) दोनों पर संगणित बाह्य ऋण एवं लोक लेखा सम्मिलित हैं। परिशिष्ट-V-क में उसके संघटन के आधार पर वार्षिक कुल देयता दर्शाई गई है।

तालिका 5.1: सकल राजकोषीय देयताएं - प्रवृत्तियां तथा संरचना

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | आन्तरिक ऋण | ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण | लोक लेखा* | कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर) | बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)# | कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर) |
|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1985-2006 | 490567 | 47602 | 219492 | 757660 | 130580 | 840638 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 272725 | 49206 | 218152 | 540082 | 137732 | 628608 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 655942 | 61703 | 292049 | 1009694 | 183073 | 1131064 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 1020689 | 59612 | 331419 | 1411720 | 196068 | 1548176 |
| 2003-04 | 1141706 | 46125 | 333725 | 1521556 | 184203 | 1659634 |
| 2004-05 | 1275971 | 60877 | 356037 | 1692885 | 191271 | 1823279 |
| 2005-06 | 1389758 | 94243 | 384842 | 1868843 | 194199 | 1968799 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-2006


| अवधि | आन्तरिक ऋण | ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण | लोक लेखा* | कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर) | बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)# | कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर) |
|---|------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत) | | | | | | |
| 1985-2006 | 16.57 | 6.72 | 9.91 | 13.79 | 10.33 | 13.74 |
| VIII वीं योजना (1992-1997) | 14.13 | 5.95 | 14.80 | 13.62 | 5.88 | 12.48 |
| IX वीं योजना (1997-2002) | 25.42 | 6.77 | -7.05 | 12.80 | 5.05 | 11.85 |
| X वीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 11.79 | -16.68 | 15.65 | 11.06 | -1.92 | 10.62 |
| 2003-04 | 11.86 | -22.63 | 0.70 | 7.78 | -6.05 | 7.20 |
| 2004-05 | 11.76 | 31.98 | 6.69 | 11.26 | 3.84 | 9.86 |
| 2005-06 | 8.92 | 54.81 | 8.09 | 10.39 | 1.53 | 7.98 |

* 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में, विशिष्ट राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित सीमा तक लघु बचतों के कारण देयताएं शामिल नहीं हैं।

वित्त लेखाओं में बाह्य ऋण को विनिमय की वर्तमान दर पर दर्शाना 1991-92 से शुरू हुआ था। बाह्य ऋण के पूर्व आंकड़े विनिमय की वर्तमान दर पर शृंखला को पूरा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए हैं।


5.4 कुल राजकोषीय देयताएं VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 628,608 करोड़ रु. की औसत से निरंतर बढ़कर IXवीं (1997-02) योजना के दौरान 1131,064 करोड़ रु. तथा इसके बाद Xवीं योजना (2002-07) प्रथम चार वर्षों के दौरान 1749972 करोड़ रु. की औसत पर पहुंचकर चालू वर्ष के दौरान पर पहुंच गई थी। 1985-2006 के दौरान इन देयताओं की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर 13.74 प्रतिशत थी। 2005-06 में कुल देयताओं के लगभग 70.59 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार आंतरिक ऋण न केवल सबसे प्रमुख घटक था, बल्कि वह अपनी वृद्धि 16.57 प्रतिशत औसत वृद्धि के साथ तीव्रतम वृद्धि वाला घटक भी था। लोक लेखे देयताओं में 1985-2006 के दौरान 9.91 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई थी। ये दो घटक, जो अपने उद्गम की दृष्टि से घरेलू देयताएं हैं, 2005-2006 में सकल देयताओं के लगभग 90 प्रतिशत के बराबर थे, जो VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 78 प्रतिशत के औसत आगे बढ़ गई हैं। 2005-06 में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य देयताएं, सकल देयताओं का लगभग 10 प्रतिशत बनती थीं। सकल देयताओं की वृद्धि दर VIIIवीं योजना के दौरान 12.48 प्रतिशत से कम हो कर IXवीं योजना के दौरान 11.85 प्रतिशत हो गई तथा इसने Xवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान मंद प्रवृत्ति भी प्रदर्शित की। ऐतिहासिक दर पर बाह्य देयताओं की वृद्धि निम्न थी। तथापि, यह केवल ब्याज की गणना के लिए है क्योंकि इस ऋण के पुनर्भुगतान के दायित्वों को केवल विनिमय की वर्तमान दर पर ही पूरा किया जाना है। चार्ट 5.1; 1985-2006 के दौरान कुल देयताओं तथा घरेलू देयताओं के अंश की प्रकृति को दर्शाता है।

5.5 रा.उ.ब.प्र. अधिनियम उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली निर्धारित करते थे कि केन्द्र सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. की 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताएं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) धारण नहीं करेगी और बाद के प्रत्येक वर्ष में, 9 प्रतिशत की सीमा में प्रगामी रूप से स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशतता अंक की कमी की जाएगी। 2004-05 और 2005-06 के दौरान स.घ.उ. का क्रमशः 5.27 प्रतिशत तथा 4.12 प्रतिशत पर वृद्धि संबंधी सकल देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) का अनुपात रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित सीमा में था।



स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

5.6 तालिका 5.2 स.घ.उ. की तुलना में संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं को दर्शाती है। 1991-92 के दौरान सकल राजकोषीय देयताएं-स.घ.उ. अनुपात अधिकतम ऊंचाई को छू गया जब यह स.घ.उ. के 65.43 प्रतिशत तक पहुंच गया था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान यह अनुपात 60.72 प्रतिशत तथा इसके आगे IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 59.08 प्रतिशत की औसत तक अवत्वरित हुआ। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान अब तक स.घ.उ. की



तुलना में सकल देयताओं का अनुपात अंतर्वर्षीय विचलन के साथ लगभग IXवीं योजना (1997-2002) के स्तर पर रहा। पिछले दो वर्षों में यह दीर्घावधि प्रवृत्ति स्तर की अपेक्षा निचले स्तर तक अवत्वरित हो गया। अतः स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति ने 1985-2006 के दौरान, केवल 0.02 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर के विचलन के साथ स्थिरता प्रदर्शित की। यद्यपि, 1985-2006 की अवधि के दौरान स.घ.उ. से संबंधित राजकोषीय देयताएं लगभग स्थिर रही लेकिन इसके घटकों के अंश आंतरिक ऋण के अंश के साथ समय के अनुसार परिवर्तित होना अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है (चार्ट 5.2)। जहां आंतरिक ऋण-स.घ.उ. के अनुपात में विचलन की औसत वार्षिक दर 2.50 प्रतिशत थी, अन्य दो घटकों में ऋणात्मक विचलन दर ने ऋण-स.घ.उ. के अनुपात को प्रवृत्ति स्तर पर ही बनाए रखा।

तालिका 5.2: स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

(प्रतिशत)

| अवधि | आन्तरिक ऋण | ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण | लोक लेखे | कुल देयताएं | चालू दरों पर बाह्य ऋण | कुल देयताएं |
|--|------------|---------------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1985-2006 | 34.70 | 3.37 | 15.53 | 53.59 | 9.24 | 59.46 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 26.34 | 4.75 | 21.07 | 52.16 | 13.30 | 60.72 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 34.26 | 3.22 | 15.26 | 52.74 | 9.56 | 59.08 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 41.33 | 2.41 | 13.42 | 57.16 | 7.94 | 62.69 |
| 2003-04 | 41.37 | 1.67 | 12.09 | 55.13 | 6.67 | 60.13 |
| 2004-05 | 41.09 | 1.96 | 11.46 | 54.51 | 6.16 | 58.71 |
| 2005-06 | 39.35 | 2.67 | 10.90 | 52.92 | 5.50 | 55.75 |
| सापेक्षित अंशों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर | | | | | | |
| 1985-2006 | 2.50 | -6.16 | -3.35 | 0.06 | -2.98 | 0.02 |

5.7 यदि 1985-86 में राजकोषीय देयताओं के विभिन्न घटकों को 100 पर रखा जाए तो 2005-06 में देयताओं के आंतरिक तथा कुल ऋण संघटकों के लिए उत्प्लावकता को एक से अधिक इंगित करते हुए, स.घ.उ. सूचकांक 1270 के प्रति आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण एवं सकल देयताओं का सूचकांक क्रमशः 1956, 729 एवं 1349 होगा। 1985-2006 के दौरान स.घ.उ. के संदर्भ में आंतरिक ऋण तथा कुल देयताओं (चालू विनिमय दर पर परिकलित किए जा रहे बाह्य ऋण के साथ) की उत्प्लावकता क्रमशः 1.21 एवं 1.0 थी।


5.8 सकल राजकोषीय देयताओं को संघ सरकार की प्राप्तियों के सापेक्ष देखना उचित होगा। यह अनुपात ऋण स्टॉक का एक बेहतर सूचक माना जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से उन स्रोतों से सम्बन्धित है जो इसकी सेवा और प्रतिदान के लिए उपलब्ध हैं। तालिका 5.3 गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया राजकोषीय देयताओं के अनुपात को दर्शाती है।

तालिका 5.3: गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया राजकोषीय देयताएं (चालू विनिमय दर पर)

| अवधि | गैर-ऋण प्राप्तियाँ | राजस्व प्राप्तियाँ |
|---|--------------------|--------------------|
| 1985-2006 | 431 | 476 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 446 | 478 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 444 | 476 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | |
| 2002-03 | 453 | 516 |
| 2003-04 | 390 | 489 |
| 2004-05 | 409 | 484 |
| 2005-06 | 443 | 457 |
| सापेक्षित अंश में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर | | |
| 1985-2006 | 0.68 | 0.82 |
| पैरामीटर की वृद्धि की औसत वार्षिक दर | | |
| 1985-2006 | 12.98 | 12.85 |

टिप्पणी:- गैर-ऋण प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ (करों में राज्यों के अंश का निवल) तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं।

5.9 1985-2006 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात में विचलन दर घनात्मक थी। राजकोषीय देयताओं की वृद्धि की प्रवृत्ति दर उपरोक्त दो पैरामीटरों की वृद्धि की दर से अधिक थी। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं का औसत, 446 प्रतिशत से बढ़ कर, 2004-05 में 409 के स्तर तक मंदन से पूर्व 2001-02 में 483 की चरम सीमा तक बढ़ गया था। यह मंदन पिछले तीन वर्षों में गैर-ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की मंद वृद्धि के कारण था। चालू वर्ष के दौरान 0.27 प्रतिशत की गैर-ऋण प्राप्तियों में गिरावट के साथ कुल राजकोषीय देयताओं में 8 प्रतिशत के लगभग बढ़ोतरी का परिणाम उनके पिछले वर्ष में 409 के स्तर से 2005-06 में 443 के गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी में हुआ। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजकोषीय देयताओं का अनुपात VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधियों के दौरान 477 के औसत स्तर पर स्थिर रहा लेकिन यह 2002-03 में उच्चतम सीमा तक पहुंचने के उपरान्त Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 487 की औसत से इसमें 10 प्रतिशतता अंकों की बढ़ोतरी हुई। पिछले वर्ष की कुल देयताओं में 8 प्रतिशत के सापेक्षिक राजस्व प्राप्तियों में 14.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण चालू वर्ष के दौरान यह अनुपात पिछले वर्ष में 484 के स्तर से 457 पर नीचे आया। 1985-2006 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता क्रमशः 1.06 तथा 1.07 थी। किंतु, आंतरिक ऋण तथा घरेलू ऋण (आंतरिक ऋण के साथ संयुक्त किया गया लोक लेखा अधिशेष) में अधिक उत्प्लावकता थी क्योंकि बाह्य ऋण देयताओं की कम वृद्धि का प्रभाव



नियंत्रणकारी था। स.घ.उ. के तीन पैरामीटरों, गैर-ऋण प्राप्तियां, और राजस्व प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय देयताओं का अनुपात चार्ट 5.3 में दर्शाया गया है।

ऋण धारिता

5.10 यदि सरकार निकट भविष्य में इन देयताओं के सम्भार की चुकौती में सक्षम है और ऋण-स.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय अनुपातों तक नहीं बढ़ता है, तो राजकोषीय देयताओं को जारी रखने योग्य समझा जाता है। इस स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त डोमर का ऋण स्थिरता समीकरण है। यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर ऋण पर ब्याज की दर से अधिक हो तो ऋण-स.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक या नाममात्र नकारात्मक हों। ऐसी स्थिति में जहाँ ब्याज की दर, उत्पादन की वृद्धि की दर से अधिक है, ऋण-स.घ.उ. अनुपात का बढ़ना तब तक जारी रहेगा जब तक प्राथमिक शेष सकारात्मक नहीं हो जाते। ऋण की धारिता, अंतः अस्थायी बजट प्रतिबंधों के संबंध में भी जांची जाती है; अन्तःधारिता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उधारदाताओं से किसी प्रतिकूल आशय या प्रति उत्तर के बिना, राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटे के पूर्व व्यवहार को अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता था। इस प्रकार, ऋण की धारिता के प्रश्न पर यह विचारणीय है कि क्या पोंजी वित्तपोषण को ऋण प्रबंधन योजना के रूप में उपयोग किया गया था। सम्पन्नता या समग्र बजट प्रतिबंधों के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रारंभिक ऋण स्टॉक, भविष्य में प्राथमिक आधिक्य के वर्तमान कटौती किये गये मूल्य के बराबर हो। चालू ऋण की समानता और अधिशेष के वर्तमान मूल्य से, अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ऋण का अंत में पुनर्भुगतान हो चुका है या कि ऋण अन्त में स्थिर रहा। इन सबसे यह परिणाम निकलता है कि ऋण अन्त में ब्याज दर से कम तीव्रता से बढ़ता है। ऋण स्थिरता दो संभव उपायों में से

एक में हो सकती है। यदि अर्थव्यवस्था की नाममात्र वृद्धि दर, घरेलू ऋण पर ब्याज की नाममात्र दर से बढ़ती है, जो वित्तीय दमन के अंतर्गत हो सकता है, जब प्राथमिक घाटा चल रहा हो तभी घरेलू ऋण की स्थिरता संभव है (मुद्रिकरण की अधिकता में भी)। परन्तु यदि नाममात्र ब्याज दर वृद्धि दर से अधिक है तो ऋण स्थिरता की सम्भावना के लिए प्राथमिक घाटा मुद्रिकरण से पर्याप्त रूप से कम होना चाहिए।

5.11 काफी समय से कुल ऋण पर औसत ब्याज दर (नाममात्र) 1985-2006 के दौरान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर से कम रही, जैसे कि तालिका 5.4 में दर्शाया गया है। तथापि विस्तार का औसत VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 8.63 प्रतिशत की औसत से कम हो कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 1.37 प्रतिशत हो गया था। 2002-03 में स.घ.उ. वृद्धि तथा ब्याज दरों के बीच विस्तार नकारात्मक हो गया था परन्तु औसत रूप से यह चालू वर्ष के दौरान 5.97 प्रतिशत के अधिकतम सकारात्मक फ़ैलाव के साथ Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान सकारात्मक 3.35 प्रतिशत था।

5.12 किन्तु, राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दरें, एक संकुचित सीमा में बढ़ीं। 1985-2006 के दौरान बाह्य ऋण पर ब्याज की औसत वार्षिक दर 2.82 प्रतिशत थी। यह VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 3.07 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 2.51 प्रतिशत तथा इसके आगे Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 1.73 प्रतिशत की औसत तक कम हुई। घरेलू देयताओं के लिए (लोक ऋण तथा लोक लेखे) ब्याज की औसत दर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 10.42 प्रतिशत थी जो Xवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान गिरती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 9.11 के औसत तक घट गई। घरेलू देयताओं पर ब्याज की औसत दरों में 1999-2000 में 10.79 प्रतिशत की उच्चतम दर तक पहुंचने के उपरान्त गिरावट आरम्भ हुई तथा तब से इसमें चालू वर्ष के दौरान 232 आधार अंकों की गिरावट देखने में आई।

तालिका 5.4: चालू विनिमय दरों पर राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

| अवधि | आन्तरिक देयताएं | बाह्य ऋण | कुल देयताएं | स.घ.उ. की वृद्धि दर | ब्याज विस्तार |
|---------------------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|---------------|
| 1985-2006 | 9.76 | 2.82 | 7.93 | 13.72 | 5.79 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 9.37 | 3.07 | 7.91 | 16.54 | 8.63 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 10.42 | 2.51 | 9.06 | 10.43 | 1.37 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | |
| 2002-03 | 10.03 | 2.13 | 8.90 | 8.21 | -0.69 |
| 2003-04 | 9.24 | 1.60 | 8.28 | 11.76 | 3.48 |
| 2004-05 | 8.69 | 1.52 | 7.89 | 12.52 | 4.63 |
| 2005-06 | 8.47 | 1.65 | 7.75 | 13.72 | 5.97 |
| वृद्धि की औसत वार्षिक दर | | | | | |
| 1985-2006 | 1.51 | -3.76 | 1.56 | | |

औसत ब्याज दर = अदा किया गया ब्याज/वर्ष के शुरु में बकाया देयताएं*100

5.13 सरकार के लिए पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ सृजित करने या निवेश करने के लिए निधियाँ उधार लेना आम बात है। यद्यपि सरकारी लेखांकन पद्धति में तुलन-पत्र सरकार द्वारा अपने स्वामित्व की स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन आदि का विस्तृत हिसाब करने के लिए सृजित नहीं किए जाते हैं, तथापि लेखे, किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को भी दर्शाते हैं व उनका प्रावधान करते हैं। सरकारी निवेश, बकाया ऋण एवं अग्रिम तथा संचित पूँजीगत व्यय को उसकी परिसम्पत्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इसकी कुल राजकोषीय देयताओं की तुलना में इन परिसम्पत्तियों के अनुपात को उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता मापने के प्रतिस्थानी उपाय के रूप में माना जा सकता है।

तालिका 5.5: परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता तथा देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का अनुपात

(रूपये करोड़ में, अनुपात तथा वृद्धि दर प्रतिशत में)

| अवधि | कुल देयताएं | कुल परिसम्पत्तियां | देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात | देयताओं की वार्षिक वृद्धि | परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि | परिसंपत्तियों की उत्प्लावकता |
|---------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1985-2006 | 840638 | 386356 | 45.96 | 13.74 | 10.00 | 0.73 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 628608 | 362555 | 57.68 | 12.48 | 10.31 | 0.83 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 1131064 | 575689 | 50.90 | 11.85 | 8.28 | 0.70 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | | |
| 2002-03 | 1548176 | 693286 | 44.78 | 10.62 | 4.20 | 0.40 |
| 2003-04 | 1659634 | 688434 | 41.48 | 7.20 | -0.70 | -0.10 |
| 2004-05 | 1823279 | 717675 | 39.36 | 9.86 | 4.25 | 0.43 |
| 2005-06 | 1968799 | 774082 | 39.32 | 7.98 | 7.86 | 0.98 |

5.14 देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों के अनुपात ने VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 57.68 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 50.90 प्रतिशत की दीर्घकालीन गिरावट प्रदर्शित की जो और आगे Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान चालू वर्ष के दौरान 39.32 प्रतिशत की न्यूनतम औसत के साथ 41.24 प्रतिशत तक कम हो गई थी। इस अनुपात में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर 1985-2006 के दौरान (-) 3.56 प्रतिशत थी। 2005-06 तक संघ सरकार की लगभग 60 प्रतिशत देयताओं के समर्थन में कोई परिसंपत्तियां नहीं रही थी। परिसंपत्तियों की समग्र वृद्धि दर न केवल देयताओं की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कम रही बल्कि इन वृद्धि दरों के बीच विस्तार और भी बढ़ रहा था। देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में भी VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 0.83 से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 0.70 प्रतिशत और आगे Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 0.43 प्रतिशत की औसत तक की गिरावट आई थी (तालिका 5.5)। 2003-04 में ऋणों व अग्रिमों की बढ़ी हुई वसूली के कारण समग्र परिसम्पत्तियों में वास्तव में गिरावट आई जबकि देयताओं में वृद्धि जारी रही। तथापि

इसने 2003-04 के दौरान नकारात्मक मूल्य प्राप्त करने के उपरान्त बढोतरी की प्रवृत्ति प्रदर्शित की और चालू वर्ष के दौरान 0.98 की अधिकतम सीमा पर पहुँची।

5.15 ऋण धारिता का एक अन्य मामला कुल ऋण प्राप्ति की तुलना में ऋण मोचन का अनुपात है। उच्चतर अनुपात यह दर्शाता है कि जिस सीमा तक ऋण प्राप्ति, ऋण मोचन में प्रयुक्त होती थी, संसाधनों की निवल संभूति कम थी। तालिका 5.6, 1985-2006 तथा Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के लिए सूचना सहित VIIIवीं और IXवीं योजना अवधियों के दौरान ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण मोचन का अनुपात दर्शाती है।

तालिका 5.6: ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण मोचन का अनुपात

| अवधि | ऋण प्राप्ति* (करोड़ रु. में) | ऋण पुनर्भुगतान | | मूल ऋण पुनर्भुगतान (1)/ ऋण प्राप्ति* (प्रतिशत) | कुल ऋण पुनर्भुगतान (2)/ऋण प्राप्ति* (प्रतिशत) |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|------------|---|---|
| | | मूल* | मूल+ ब्याज | | |
| | | (1) | (2) | | |
| 1985-2006 | 445951 | 365239 | 427623 | 81.90 | 95.89 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 266443 | 203787 | 248066 | 76.48 | 93.10 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 530341 | 411106 | 502208 | 77.52 | 94.70 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | |
| 2002-03 | 623645 | 485764 | 610337 | 77.89 | 97.87 |
| 2003-04 | 811010 | 726131 | 854245 | 89.53 | 105.33 |
| 2004-05 | 1070716 | 894577 | 1025535 | 83.55 | 95.78 |
| 2005-06 | 1671997 | 1521331 | 1662706 | 90.99 | 99.44 |

*ऋण प्राप्ति तथा पुनर्भुगतान में भा.स.नि. में ऋण आंकड़े तथा लोक लेखे में निवल अर्थोपाय अग्रिम तथा प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान सम्मिलित है।

5.16 ऋण धारिता के मामलों की क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा भी चर्चा की गई थी। नौवें वित्त आयोग ने पाया कि अन्ततः सरकारी ऋण समस्या का समाधान उधार ली गई निधियों के (क) वित्तपोषित राजस्व व्यय के लिए उपयोग न किए जाने तथा (ख) पूँजीगत व्यय के लिए प्रभावशाली व उत्पादकतापूर्ण ढंग से उपयोग किए जाने में निहित है जो व्यय या तो प्रत्यक्षतः लाभ प्रदान करता है या परिणामतः साधारण तौर पर आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सलाह दी कि ऋण धारिता को पर्याप्त रूप से सरल बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए बारहवें वित्त आयोग ने अनुभव किया कि इसके लिए राजस्व प्राप्ति में वृद्धि तथा व्यय में संकुचन के उपायों को अपना कर, राजस्व शेष हासिल करना पूर्वापेक्षित है।

5.17 तालिका 5.7, VIIIवीं तथा IXवीं योजना और Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के लिए उपरोक्त परिभाषित संसाधन अन्तराल को दर्शाती है। यह दिखेगा कि 1985-2006 के दौरान, संवृद्धि राजस्व प्राप्तियां, संवृद्धि राजस्व व्यय को पूरा करने में 20.94 प्रतिशत तक कम रहीं। यह अन्तराल IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 45.47 प्रतिशत तक बढ़ा। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान व्यय में मंद वृद्धि तथा ब्याज दरों में मंद वृद्धि के कारण संवृद्धि राजस्व प्राप्तियां, संवृद्धि राजस्व व्यय से अधिक थीं जिसका परिणाम सकारात्मक अन्तराल में हुआ जिसमें तीन वर्षों 2002-05 के दौरान नियमित रूप से वृद्धि हुई। चालू वर्ष में जहां संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों में 43 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, गैर ब्याज राजस्व व्यय और ब्याज भुगतानों में अनुरूप वृद्धियां क्रमशः 5.91 तथा 3.66 गुणा सूचित की गई थी। वृद्धियों की दरों में विस्तृत अन्तरों के कारण 30997 करोड़ रु. का बड़ा नकारात्मक अन्तराल हुआ जो वर्ष में संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच में दर्ज की गई अधिकतम अपसारिता थी और वास्तव में 2005-06 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व कमी में पूर्ण बढ़ोतरी को दर्शाता है।

तालिका 5.7 : राजस्व व्यय संवृद्धि तथा ब्याज भुगतानों को पूरा करने के लिए संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों में कमी

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | संवृद्धि | | | | संसाधन अन्तराल |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| | प्राप्तियां | गैर ब्याज राजस्व व्यय | ब्याज व्यय | कुल राजस्व व्यय | |
| 1985-2006 | 19655 | 18168 | 6693 | 24862 | -5207 |
| VIIIवीं योजना (1992-1997) | 16887 | 13589 | 6576 | 20166 | -3279 |
| IXवीं योजना (1997-2002) | 18621 | 23212 | 10939 | 34151 | -15530 |
| Xवीं योजना (2002-07) | | | | | |
| 2002-03 | 34547 | 23609 | 10400 | 34009 | 538 |
| 2003-04 | 39274 | 26954 | 3541 | 30495 | 8779 |
| 2004-05 | 37771 | 12641 | 2844 | 15485 | 22286 |
| 2005-06 | 54069 | 74649 | 10417 | 85066 | -30997 |

राजकोषीय घाटा तथा ऋण धारिता

5.18 राजकोषीय धारिता के संदर्भ में बा.वि.आ. ने महसूस किया कि ऋण धारिता के मामले को ऋण तथा राजकोषीय कमी में मेल हेतु देखे जाने की भी आवश्यकता थी क्योंकि यदि राजकोषीय घाटे ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसका परिणाम ऋण-स.घ.उ. अनुपात में स्व-परिरक्षित उभार में होता है तो ऋण अस्थिर हो जाएगा। एक धारणीय ऋण-घाटा संयोजन, ऋण-स.घ.उ. अनुपात तथा प्राथमिक व्यय के अनुज्ञेय स्तर के साथ संगत राजकोषीय स.घ.उ. अनुपात की पदावली में स्थिर होगा। इसलिए संबंधित मुद्दा राजकोषीय घाटे के उस स्तर को निर्धारित करने का है जो ऋण-स.घ.उ. अनुपात को स्थिर करेगा और उसी के साथ वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकेगा। अपने नियमों तथा परवर्ती संशोधनों के साथ पठित, केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित रा.उ.ब.प्र. अधिनियम,

2008-09 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स.घ.उ. के प्रति राजकोषीय घाटे का 3 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य का विनिर्देशित करता है। 7 प्रतिशत ब्याज दर तथा 12 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि दर के संयोजन हेतु राजकोषीय घाटे के इस कमी का लक्ष्य को देखते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने लोक वित्त पुनःसंरचना हेतु सुझाए गए कार्यक्रम में अनुशंसा की कि प्राथमिक घाटा स.घ.उ. के 1.25 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए। बा.वि.आ. ने आगे अनुमान लगाया कि एक बार समायोजन अवस्था बीत जाए तथा केन्द्र की राजकोषीय कमी 3 प्रतिशत तक नियंत्रित हो जाए तो 2008-09 तक संघ का ऋण-सं.घ.उ. अनुपात स.घ.उ. के 44 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा।

5.19 वर्तमान में संघ का ऋण-सं.घ.उ. अनुपात ऐतिहासिक दरों पर मापे गए बाह्य ऋण के साथ तथा रा.ल.ब.नि. देयताओं जिनके विरुद्ध वहां राज्य प्रतिभूतियों के रूप में परिसम्पत्तियां तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (बा.स्थि.यो.) देयताएं हैं जिनके प्रति भा.रि.बैं. के पास बराबर नकद धनराशि रखी जाती है, को अलग करने के उपरान्त 53 प्रतिशत के निकट है। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति ने अब तक प्रकट किया कि 2003-04 में 2.93 प्रतिशत की तीव्र गिरावट प्रदर्शित करने के उपरान्त इसने पिछले दो वर्षों के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। इसी प्रकार, स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटा में पिछले वर्ष के दौरान 2.53 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के उपरान्त चालू वर्ष में उसमें 3.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। स.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में गति बा.वि.आ. द्वारा, 2008-09 तक ऋण स.घ.उ. अनुपात को लक्षित स्तर पर स्थिर करने के लिए, पूर्वानुमानित मार्ग पर प्रतीत नहीं होती थी।

रोकड़ प्रबंधन

5.20 संघ सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 1994 में एक अनुबन्ध होने के साथ ही 1997 में बजट घाटे की स्वचालित मुद्रीकरण की एक पद्धति को क्रमबद्ध किया गया था। अप्रैल 1997 से लागू अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) की नई योजना को सरकार के लिए उसके नकद प्रवाह में अस्थायी बेमेल को काबू करने को सुगम बनाने हेतु प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2002-03 के बाद कोई बकाया अ.अ. शेष नहीं थे (तालिका 5.8)।

तालिका 5.8: अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | अथ शेष | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान वापस दिए गए | बकाया अर्थोपाय अग्रिम |
|---------|--------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1999-00 | 3042 | 124972 | 127032 | 982 |
| 2000-01 | 982 | 131300 | 126887 | 5395 |
| 2001-02 | 5395 | 170953 | 171172 | 5176 |
| 2002-03 | 5176 | 118961 | 124137 | शून्य |
| 2003-04 | शून्य | 96615 | 96615 | शून्य |
| 2004-05 | शून्य | 62080 | 62080 | शून्य |
| 2005-06 | शून्य | 1134 | 1134 | शून्य |

5.21 केन्द्र सरकार को अ.अ. की सीमाएं राजकोषीय वर्ष 2005-06 के पूर्वार्ध (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान 10000 करोड़ रु. तथा वर्ष के उत्तरार्ध (अक्टूबर-मार्च) हेतु 6000 करोड़ रु. पर थीं। 2005-06 के दौरान, केन्द्र ने वर्ष के दौरान अ.अ. का केवल दो दिन (3 मई तथा 4 जून) लाभ उठाया जबकि पिछले वर्ष में सितम्बर 2004 तक कई अवसरों पर अ.अ. का लाभ उठाया था। तब से, केन्द्र सरकार ने मार्च 2006 के अन्त तक भा.रि.बैं. के साथ चालू खातों में अधिशेष नकद शेषों का अनुक्षण किया। जहां 2004-05 के दौरान केन्द्र के अधिशेष की वृद्धि ने ऋण विनिमय योजना के अन्तर्गत राज्यों द्वारा उच्च लागत ऋण के पूर्व भुगतान के प्रति मुख्य रूप से रोकड़ अन्तःप्रवाह को दर्शाया था, 2005-06 के दौरान वृद्धि ने राज्य सरकारों के 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों तथा नीलामी ट्रेजरी बिलों में निवेश को दर्शाया। केन्द्र सरकार के गैर-ब्याज वाली जमाओं के रूप में नकद शेष, भा.रि.बैं. के पास पिछले वर्ष में 26,202 करोड़ रु. की तुलना में मार्च 2006 के अन्त तक 48,928 करोड़ रु. तक पड़े रहे। बड़े नकद शेषों का, बैंकिंग प्रणाली जो की तरलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव था जिसने अधिशेष नकद शेषों के चुस्त प्रबन्धन को अनिवार्य बनाया। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में विचार की गई नई व्यवस्था 1 अप्रैल, 2006 से पहले ही मौजूद है जिसमें भा.रि.बैं. की केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को मुख्य रूप से जारी करने की भागीदारी निषेध कर दी गई है तथा अ.अ. प्रबंधनों को संशोधित कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत अ.अ. सीमाओं को अब मौजूदा अर्धवार्षिक आधार के स्थान पर तिमाही आधार पर निर्धारित किया जाएगा। नई प्रणाली में परिवर्तन के लिए व्यापार/ निपटान तथा संस्थानिक संरचना को सुधारते हुए बाजार को गहरा, विस्तृत और तरल बनाने के लिए उपायों को करने की आवश्यकता होगी।

अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

5.22 31 मार्च 2006 को अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता 56806 करोड़ रु. थी। अप्रयुक्त बाह्य सहायता का क्षेत्र-वार विवरण परिशिष्ट-V-ख में दिया गया है तथा नीचे तालिका 5.9 विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनआहरित शेष दर्शाती है। क्षेत्रवार विवरण प्रकट करते हैं कि अप्रयुक्त बाह्य सहायता का एक चौथाई से कुछ अधिक भाग 2005-06 के दौरान मार्ग क्षेत्र से संबंधित है तथा Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान अनआहरित वास्तविक राशि 15000 करोड़ रु. के आसपास रही थी। ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा ने 2005-06 के दौरान पहली बार 8054 करोड़ रु. की अप्रयुक्त सहायता दर्शाई। पर्यावरण तथा वानिकी, विद्युत, शहरी विकास तथा जल संसाधन जैसे क्षेत्र चालू वर्ष के दौरान 17446 करोड़ रु. धनराशि की बाह्य सहायता की निकासी करने में असमर्थ रहे जो 2005-06 के दौरान कुल अनआहरित शेष का लगभग 31 प्रतिशत है। इन चार क्षेत्रों से संबंधित अप्रयुक्त शेष तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान भी देखा गया था। अधिक महत्वपूर्ण रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र, इस तथ्य के बावजूद कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु अधिक निधियों की आवश्यकता है, भी 1182 करोड़ रु. की विभिन्न परियोजनाओं हेतु वचनबद्ध बाह्य

सहायता का प्रयोग नहीं कर सका। चूंकि बाह्य सहायता मूल्यवान है तथा वचनबद्ध प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है, इन क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध निधियों का उपयोग न करने में सामना की जा रही समस्याओं का पता लगाने के लिए पहल की जाने की आवश्यकता है।

तालिका 5.9: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | राशि |
|---------|-------|
| 2000-01 | 56920 |
| 2001-02 | 62565 |
| 2002-03 | 67365 |
| 2003-04 | 64521 |
| 2004-05 | 68435 |
| 2005-06 | 56806 |

5.23 अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। क्योंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 5.10, 2000-2006 के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह इस सम्बन्ध में निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करता है जिसका परिणाम 2005-06 में 148.17 करोड़ रु. के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

तालिका 5.10: वचनबद्धता प्रभार

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | ए.वि.बैं. | फ्रांस | जर्मनी | अ.पु.वि.बैं. | जोड़ |
|---------|-----------|--------|--------|--------------|--------|
| 2000-01 | 13.52 | 0.27 | 0.19 | 26.25 | 40.23 |
| 2001-02 | 12.84 | 0.22 | 0.76 | 34.64 | 48.46 |
| 2002-03 | 26.45 | 0.19 | 0.95 | 39.60 | 67.19 |
| 2003-04 | 38.23 | 0.02 | 8.99 | 45.91* | 93.15 |
| 2004-05 | 45.10 | शून्य | 2.07 | 117.94* | 165.11 |
| 2005-06 | 53.42 | 0.0 | 1.86 | 92.89* | 148.17 |

स्रोत: सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा का नियंत्रण, बाह्य सहायता विवरणिका 2005-2006

* अ.वि.सं. सहायता सम्मिलित है।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

5.24 संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं, निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने और उधार जोखिम कम करने में इसकी अपनी भूमिका, विशेषकर उन क्रियाकलापों में जहाँ लम्बी अवधि की परिपक्वता, निवेश के स्वरूप की विशेषता है, के कारण उत्पन्न

होती हैं। जहां गारंटियां रूढ़िगत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, इससे सरकार की ऋण स्थिति में तेजी की संभावना होती है। गारंटियों का मामला, अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता; इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीधारी और इसके आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। रिसर्जेन्ट इण्डिया बॉण्ड्स और इण्डिया मिलेनियम डिपोजिट्स के लिए उपलब्ध विनिमय जोखिम गारंटियों में, सरकारी प्राप्तियों से पर्याप्त वित्तीय व्यय हुआ था। तालिका 5.11, 1999-2006 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि तथा गारंटीकृत राशियां तथा बकाया राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 5.11: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष के अंत में स्थिति | गारंटी की अधिकतम राशि | बकाया गारंटीकृत राशि | बकाया बाह्य गारंटियां | स्तम्भ (4) से स्तम्भ (3) का प्रतिशत |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1999-2000 | 144438 | 83954 | 47663 | 56.77 |
| 2000-01 | 135678 | 86862 | 55664 | 64.08 |
| 2001-02 | 168712 | 96859 | 57006 | 58.85 |
| 2002-03 | 174487 | 90617 | 51097 | 56.39 |
| 2003-04 | 184420 | 87780 | 50328 | 57.33 |
| 2004-05 | 132728 | 107957 | 48276 | 44.72 |
| 2005-06 | 118560 | 110626 | 47358 | 42.81 |

5.25 कुल बकाया गारंटियाँ, स.घ.उ. का 3.13 प्रतिशत थी तथा संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 25.67 प्रतिशत थी। तथापि, ये गारंटियाँ अनिर्णीत पेंशन भुगतानों के रूप में अस्पष्ट आकस्मिक देयताओं की राशि को शामिल नहीं करती हैं।

अध्याय 6

विनियोग लेखे 2005-06: प्रस्तावना

संवैधानिक प्रावधान

6.1 लोकसभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मांगें पारित होने के तत्काल पश्चात्, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशि के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में संवितरण, जो अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत किए गए हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण शामिल हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में व्यय की गई सकल राशि की तुलना में विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

6.2 नियंत्रक महालेखा (नि.म.ले.) सिविल मंत्रालयों के 98 अनुदानों और विनियोजन के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने-अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार अलग-अलग विनियोग लेखे, प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो कि उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2005-06 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्न प्रकार था:

| क्रियाकलाप का क्षेत्र | अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या |
|-----------------------|--|
| सिविल | 98 |
| रक्षा सेवाएं | 6 |
| डाक सेवाएं | 1 |
| रेलवे | 16 |
| योग : | 121 |

6.3 इस प्रतिवेदन में, आबंटन से अधिक व्यय, जिसकी संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अवास्तविक बजट, तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण, शामिल करते हुए विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाओं), की लेखापरीक्षा टिप्पणियां, निहित हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर समालोचना की सुविधा हेतु सिविल विभागों, डाक तथा रक्षा विनियोग सम्बन्धी सभी अनुदानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग लेखे की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कवर करने के अनुक्रम में जहां आवश्यक है रेलवे विनियोगों को संदर्भित किया गया है। तथापि रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2007 की संख्या 6 के प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

सारांश

6.4 तालिका 6.1 वर्ष 2005-06 के दौरान कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत-दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। परिशिष्ट-VI-क सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

तालिका 6.1: 2005-06 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

| विभाग | कुल प्रावधान | संवितरण | (करोड़ रुपयों में) |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | बचत (ब) आधिक्य (अ) |
| सिविल | 1523189 | 1590085 | 66896(अ) |
| डाक | 6699 | 6698 | 1(ब) |
| रक्षा सेवाएं | 86299 | 83660 | 2639(ब) |
| रेलवे | 98312 | 97090 | 1222(ब) |
| कुल योग | 1714499 | 1777533 | 63034(अ) |

6.5 66896 करोड़ रु. का निविल आधिक्य आठ अनुदानों के अंतर्गत 97063 करोड़ रु. के अधिक व्यय तथा सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबधित 30167 करोड़ रु. के अव्ययित प्रावधान के कारण था। 97063 करोड़ रु. के समग्र अधिक व्यय में से 93529 करोड़ रु., अनुदान सं. 38-ऋण का पुनर्भुगतान के अंतर्गत उच्च-लागत के बाह्य कर्जों का पूर्व-भुगतान करने के कारण थे। 30167 करोड़ रु. के समग्र अव्ययित प्रावधान में से 411 करोड़ रु. विशेष केन्द्र/राज्य सरकार प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशियों के पुनः निवेश के प्रति एन.एस.एस.एफ. को जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश तथा अर्थोपाय पर ब्याज के बजट से कम भुगतान के कारण थे। इसको छोड़कर, सकल अव्ययित प्रावधान 29756 करोड़ रु. था।

6.6 सिविल मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 199 अनुभागों में निवल अव्ययित प्रावधान और 8 अनुभागों में आधिक्य, डाक विभाग के 3 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान और 1 अनुभाग में आधिक्य, रक्षा मंत्रालय के 10 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान और 2 अनुभागों में आधिक्य रेलवे के 15 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान तथा 15 अनुभागों में आधिक्य थे। परिशिष्ट-VI-ख विवरणों के सार को दर्शाता है।

प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

6.7 परिशिष्ट-VI-ग में वर्ष 1994-2006 के लिए सिविल मंत्रालयों की अनुमोदित मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण निहित है। इन वर्षों, दौरान, सिविल मंत्रालयों के लिए कुल संवितरणों का 70 से 81 प्रतिशत भारत की समेकित निधि को प्रभारित था।

6.8 2005-06 के दौरान सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत कुल संवितरण 1590085 करोड़ रु. के थे जो 2004-2005 के दौरान 977196 करोड़ रु. के कुल संवितरण से 612889 करोड़ रु. अधिक थे। यह 1994-95 में 304012 करोड़ रु. से 423 प्रतिशत तक बढ़ गया था। प्रभारित संवितरण 1994-95 में 216958 करोड़ रु. से 494 प्रतिशत तक बढ़ कर 2005-06 में 1288816 करोड़ रु. थे तथा दत्तमत संवितरण उसी अवधि में 87054 करोड़ रु. से 246 प्रतिशत तक बढ़ कर 301269 करोड़ रु. तक हो गए थे। 2005-06 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित संवितरण मुख्यतः, ब्याज भुगतानों (141375 करोड़ रु. जो 2004-05 के लिए 130958 करोड़ रु. से आठ प्रतिशत अधिक था), ऋण की अदायगी (1115210 करोड़ रु.), मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदानों के संबंध में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण, राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण आदि के कारण था तथा कुल संवितरणों का 81 प्रतिशत बनता था।

6.9 जबकि प्रभारित संवितरणों के लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती, संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र सिविल मंत्रालयों में कुल संवितरण के केवल 19 प्रतिशत तक ही सीमित हो जाता है। तथापि, भा.स.नि. से कुल संवितरण (सकल - 1777534 करोड़ रु.) की पृष्ठभूमि में देखने पर प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 73 प्रतिशत (डाक, रक्षा एवं रेलवे सहित 1288929 करोड़ रु.) बनती थी।

संवितरण

6.10 परिशिष्ट-VI-घ में दिए गए विवरण यह दर्शाते हैं कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को दिए गए सहायता अनुदानों, पूंजीगत परिव्यय और निवेश पर संवितरण का मुख्य भाग 2006 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ही जारी किया गया

था। चूंकि मार्च में विभिन्न संगठनों को जारी की गई निधियां वर्ष, जो उसी महीने/ तिमाही के अंतिम दिन बन्द हो जाता है, के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं हो सकती, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि इन निधियों का उन्हीं प्रयोजनों, जिनके लिए वे प्राधिकृत की गई थी, हेतु उपयोग किया गया था। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (अनुदान संख्या-29) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की (दिसम्बर 2006) और बताया कि अंतिम तिमाही में अंधाधुन्ध व्यय से बचने के सचेतन प्रयास किये जा रहे हैं। गृह मंत्रालय (अनुदान सं. 54 तथा 55), कानून एवं न्याय मंत्रालय (अनुदान सं. 63) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान सं. 88) द्वारा अन्धाधुन्ध व्यय राज्य सरकारों द्वारा राज्य पुलिस संगठनों को बलशाली बनाने के संबंध में किया, नया व्यय, चुनाव संबंधी व्यय के दावों की प्रतिपूर्ति की देरी से प्राप्ति और योजना का अंतिम रूप देने में विलम्ब आदि पर आरोपित किया (दिसम्बर 2006)। कम्पनी कार्य मंत्रालय (अनुदान संख्या 17) द्वारा अंधाधुन्ध व्यय को टी.सी.एस. और चंडीगढ़ प्रशासन के लिए सू.प्र. परियोजना लागू करने और प्लाट के अधिग्रहण में देरी से भुगतान पर आरोपित किया (दिसम्बर 2006 और जनवरी 2007)। वित्त मंत्रालय (अनुदान सं. 32 तथा 42) द्वारा अंधाधुन्ध व्यय को आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण योजना के उन्नयन हेतु नवम्बर 2005/जनवरी 2006 में हुई बैठक, राज्य सरकारों द्वारा दावों में प्रस्ताव करने में देरी चिकित्सा दावों की प्राप्ति में देरी तथा एम.ई.ए. द्वारा खर्चों की प्रतिपूर्ति पर आरोपित किया (दिसम्बर 2006 और फरवरी 2007)। अनुदान सं. 75 एवं 76- लोक सभा/राज्य सभा के संबंध में घरेलू यात्रा बिलों के समायोजन और रेल मंत्रालय, म.द.स.नि.लि. और म.दि.न.नि. आदि से डेबिट दावों की प्राप्ति में देरी को अंधाधुन्ध व्यय का कारण बताया गया (दिसम्बर 2006 और फरवरी 2007)। भारतीय कार्य मंत्रालय (अनुदान सं. 66) द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में यात्रा प्रभारों के भुगतान, समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ-साथ कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि के आबंटन के लिए किए गए भुगतान की देरी में अंधाधुन्ध व्यय आरोपित किया (सितम्बर 2006)। योजना मंत्रालय (अनुदान सं. 72) ने बताया (दिसम्बर 2006) कि योजनाएं सुनामी राहत कार्यक्रम, योजनागत योजनाओं के अनुमोदन में और सलाहकार दल की बैठक के संचालन आदि में देरी अंधाधुन्ध व्यय का कारण था।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अंधाधुन्ध व्यय हेतु दिए गए उत्तर तथा कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दावे प्रस्तुत करने और संस्वीकृतियां जारी करने तथा दावों के समायोजन इत्यादि में देरियों से बचा जा सकता था यदि पहले से ही कार्यवाही आरम्भ की गई होती और प्रत्येक माह/तिमाही के अंत में व्यय के प्रवाह को बारीकी से मानीटर किया गया होता।

अध्याय 7

विनियोग लेखे 2005-06: एक विश्लेषण

अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक संवितरण

7.1 संविधान के अनुच्छेद 114(3) में व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अधीन को छोड़कर, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से, आहरित नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 52(3) में अनुबद्ध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक हो जाए। तालिका 7.1 में भा.स.नि. से अनुमोदन से अधिक कुल आधिक्य का सार सम्मिलित है। 2005-06 के दौरान, सिविल मंत्रालयों में आठ अनुदानों/विनियोगों के आठ खण्डों में 970626944827 रु. (अर्थात् 97062.69 करोड़ रु.), रेलवे के 11 अनुदानों/विनियोगों के 15 खण्डों के अंतर्गत 22961261165 रु. (2296.13 करोड़ रु.), रक्षा में 2 अनुदान के 2 खंडों में 448398109 रु. (44.84 करोड़ रु.) तथा डाक में 1 अनुदान के 1 खंड में 976456000 रु. (97.65 करोड़ रु.) का अधिक संवितरण था। इनका विस्तृत विवरण तालिका 7.2 में दिया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 7.1: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

| | | (रुपयों में) | | | |
|------------------------------|---------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | | सिविल | रेलवे | रक्षा | डाक |
| दत्तमत | राजस्व | 1882961634 | 1325468639 | 427563997 | 976456000 |
| | पूंजीगत | 2834562 | 21585164145 | 20834112 | - |
| प्रभारित | राजस्व | 33448906410 | 24278381 | - | - |
| | पूंजीगत | 935292242221 | 26350000 | - | - |
| अनुदानों/विनियोगों की संख्या | | 8 | 11 | 2 | 1 |
| कुल आधिक्य | | 970626944827 | 22961261165 | 448398109 | 976456000 |

तालिका 7.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण का विवरण

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग | रूप | सरकार द्वारा बताए गए कारण | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|
| सिविल: | | | | |
| राजस्व (प्रभारित) | | | | |
| 1. | 11- खान मंत्रालय | अनुदान व्यय आधिक्य | 1000000 1153227 153227 | कानूनी प्रतिबद्धता, जो वर्ष के अंत में उत्पन्न हुई थी, को पूरा करने के कारण |
| 2. | 33- मुद्रा, सिक्के एवं डाक टिकटें | अनुदान व्यय आधिक्य | 5500000 24026011 18526011 | न्यायालय में लम्बित मुकदमों के कारण उत्पन्न भुगतान |
| 3. | 35-विनियोग-ब्याज भुगतान | अनुदान व्यय आधिक्य | 1380318600000 1413748827172 33430227172 | पुनः जारी करने वाले तंत्र के माध्यम से उधार हेतु बिक्री योग्य प्रतिभूतियों के चयन के अनुसरण में कूपन अदायगी तथा अदा की गई छूट, अप्रतियोगितात्मक बोलियां, खजाना बिलों के अधिक जारी करने आदि के अन्तर्गत उच्च अंशदान के कारण ब्याज का भुगतान |
| पूँजीगत (प्रभारित) | | | | |
| 4. | 38-विनियोग-कर्ज की अदायगी | विनियोग व्यय आधिक्य | 10216808400000 11152100642221 935292242221 | खजाना बिलों का प्रत्याशा से अधिक विमोचन |
| राजस्व (वसतत) | | | | |
| 5. | 8-उर्वरक विभाग | अनुदान व्यय आधिक्य | 192481100000 194155504796 1674404796 | अधिक चिकित्सा दारों का भुगतान, मंहगाई भत्ता में वृद्धि, कार्यालय भवन का नवीकरण, आयातित उर्वरक आदि पर छूट के लम्बित दावों का भुगतान |
| 6. | 61-श्रम तथा रोजगार मंत्रालय | अनुदान व्यय आधिक्य | 13839400000 14012098810 172698810 | बीड़ी के उत्पादन पर दरों में संशोधन के कारण उपकर के अधिक संग्रहण के कारण प्रावधान की वृद्धि |
| 7. | 99-लक्षदीप | अनुदान व्यय आधिक्य | 2340900000 2376758028 35858028 | तेल की अधिप्राप्ति हेतु आ.नि.म.नि. को भुगतान तथा लक्षदीप बन्दरगाह कार्यों हेतु अपेक्षित निधियां |

विनियोग लेखे 2005-06: एक विश्लेषण

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग | रूप | सरकार द्वारा बताए गए कारण |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| पूँजीगत (दत्तमत्त) | | | |
| 8 | 96 - चण्डीगढ़ | विनियोग व्यय आधिक्य | 1518300000 1521134562 2834562 |
| | | | प्रगतिशील निर्माण कार्यों का समापन/उच्चीकरण |
| रक्षा: | | | |
| राजस्व (दत्तमत्त) | | | |
| 9. | 25-रक्षा सेवाएं-वायु सेना | अनुदान व्यय आधिक्य | 93490800000 93918363997 427563997 |
| | | | म.नि.र.ले. द्वारा बुकिंग की हड़बडी तथा वर्ष के अंत में अनुबंधित प्रतिबद्धता के प्रति भुगतान/अन्तिम रूप दिया जाना |
| राजस्व (प्रभारित) | | | |
| 10. | 23-रक्षा सेवाएं-सेना | विनियोग व्यय आधिक्य | 143300000 164134112 20834112 |
| | | | प्रत्याशा से अधिक संख्या में अदालती मुकदमों का निपटान |
| रेलवे: | | | |
| राजस्व (दत्तमत्त) | | | |
| 11. | 04-स्थायी मार्गों की मरम्मत तथा रखरखाव | अनुदान व्यय आधिक्य | 36404867000 36506503633 101636633 |
| | | | विवरण 2007 के प्रतिवेदन संख्या-6 (रेलवे) में हैं |
| 12. | 06-गाडी एवं वैगन की मरम्मत एवं रखरखाव | अनुदान व्यय आधिक्य | 39213052000 39483114503 270062503 |
| | | | वही |
| 13. | 10- प्रचालन खर्च-ईंधन | अनुदान व्यय आधिक्य | 101884343000 102838112503 953769503 |
| | | | वही |
| राजस्व (प्रभारित) | | | |
| 14. | 03-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं | विनियोग व्यय आधिक्य | 699000 709850 10850 |
| | | | वही |
| 15. | 04-स्थायी मार्गों की मरम्मत तथा रखरखाव | विनियोग व्यय आधिक्य | 13157000 17770542 4613542 |
| | | | वही |
| 16. | 05-प्रेरक शक्ति की मरम्मत तथा रखरखाव | विनियोग व्यय आधिक्य | 90000 295171 205171 |
| | | | वही |
| 17. | 06-गाडी एवं वैगन की मरम्मत एवं रखरखाव | विनियोग व्यय आधिक्य | 73000 77518 4518 |
| | | | वही |
| 18. | 07- संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं रखरखाव | विनियोग व्यय आधिक्य | 495000 640184 145184 |
| | | | वही |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग | रुपए | सरकार द्वारा बताए गए कारण | |
|--|---|---------------------------|---|---|
| 19. | 08-प्रचालन खर्च-रेलिंग भण्डार एवं उपकरण | विनियोग व्यय आधिक्य | 600000 1259312 659312 | वही |
| 20. | 09-प्रचालन खर्च-यातायात | विनियोग व्यय आधिक्य | 2608000 3124678 516678 | वही |
| 21. | 10-प्रचालन खर्च-ईंधन | विनियोग व्यय आधिक्य | 5000000 21100000 16100000 | वही |
| 22. | 11-कर्मचारी कल्याण एवं सुख सुविधा | विनियोग व्यय आधिक्य | 2252000 3968156 1716156 | वही |
| 23. | 13-भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ | विनियोग व्यय आधिक्य | 8053000 8359970 306970 | वही |
| पूँजीगत (दत्तमत्त) | | | | |
| 24. | 16-परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण आदि | अनुदान व्यय आधिक्य | 226792828000 248377992145 21585164145 | वही |
| पूँजीगत (प्रभारित) | | | | |
| 25. | 16-परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण आदि, रेलवे निधियां | विनियोग व्यय आधिक्य | 11068000 37418000 26350000 | वही |
| डाक सेवाएं: राजस्व (दत्तमत्त) | | | | |
| 26. | 14-डाक विभाग | अनुदान व्यय आधिक्य | 63314600000 64291056000 976456000 | जी.डी.एस. हेतु टी.आर.सी.ए. में वृद्धि अधिक सेवा निवृत्ति मामलों के निपटान तथा मुख्य डाकिय नैटवर्क-मौजूदा डाक घर के अन्तर्गत ग्रामीण डाक सेवक हेतु आवंटित निधियों के पृथकरण लेकिन व्यय को अलग नहीं किया गया। |

7.2 रेलवे के अधिक संवितरणों के विवरण तथा अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2007 के प्रतिवेदन सं. 6 में उल्लिखित हैं।

उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय

7.3 भुगतान एवं लेखा अधिकारी किसी उप-शीर्ष अथवा प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आवंटन से अधिक भुगतान के केवल अनुदान नियंत्रित करने वाले

विभागाध्यक्ष से यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात ही कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश इत्यादि जारी करने पर प्रदान की जाएगी। यद्यपि, 2005-06 वर्ष के शीर्ष-वार विनियोग खातों में 18 अनुदानों तथा विनियोगों के 46 मामलों में देखा गया कि यद्यपि उपशीर्षों में उपलब्ध प्रावधानों से 101786.70 करोड़ रुपए का अधिक व्यय किया गया संबंधित अनुदान/विनियोग को प्रबंधित करने वाले प्राधिकारी ने व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे, जो बजटीय नियंत्रण में ढिलाई को दर्शाते हैं। कुछ मामले (दो करोड़ या इससे अधिक) परिशिष्ट VII-क में दिए गए हैं।

100 करोड़ रु. अथवा अधिक के अव्ययित प्रावधान

7.4 एक अनुदान अथवा विनियोग में अव्ययित प्रावधान या तो खराब बजटीय अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान 44 अनुदानों के 53 मामलों में 100 करोड़ रु. से अधिक के अव्ययित प्रावधान हुए, जिनकी लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाने की आवश्यकता है। अधिक अव्ययित प्रावधान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा, वित्तीय संस्थानों को भुगतान, रक्षा सेवाएं (थल सेना), राजस्व विभाग, परिवार कल्याण, भारी उद्योग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा रेलवे-प्रचालन व्यय-यातायात जैसे क्षेत्रों में थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा अव्ययित प्रावधानों के लिए कुछ योजनाओं को आरम्भ करने में असफल होना बताया गया था। परिशिष्ट-VII-ख अव्ययित प्रावधानों के ब्यौरे दर्शाता है।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

7.5 सा.वि.नि. 56 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से अव्ययित प्रावधान का जैसे ही पूर्वानुमान लग जाए उसे वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। 2005-06 के दौरान, सिविल मंत्रालयों के 96 अनुदानों/विनियोगों के 199 खण्डों के अंतर्गत 30166.70 करोड़ रु. का अव्ययित प्रावधान था। यह चार अनुदानों तथा चार विनियोगों के आठ खण्डों के अंतर्गत 97062.69 करोड़ रु. के आधिक्य के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था जिसका परिणाम 66895.99 करोड़ रु. के निवल आधिक्य में हुआ।

अभ्यर्पित की गई राशियाँ तालिका 7.3 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 7.3: अव्ययित प्रावधान तथा अभ्यर्पण का विवरण

| | निवल अव्ययित प्रावधान | अभ्यर्पित की गई राशि | अन्तिम तिथि को अभ्यर्पित की गई राशि | अभ्यर्पित न की गई राशि |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| (करोड़ रुपयों में) | | | | |
| राजस्व | | | | |
| दत्तमत | 21101.72 | 19575.85 | 19035.03 | 1525.87 |
| प्रभारित | (+)2526.58 | 809.04 | 809.04 | - |
| कुल : राजस्व | 18575.14 | 20384.89 | 19844.07 | - |
| पूंजीगत | | | | |
| दत्तमत | 7680.53 | 7334.85 | 6010.42 | 345.68 |
| प्रभारित | (+) 93151.66 | 369.91 | 369.90 | - |
| कुल : राजस्व | (+) 85471.13 | 7704.76 | 6380.32 | - |
| सकल योग | (+) 66895.99 | 28089.65 | 26224.39 | - |

7.6 उर्वरक विभाग, दूरसंचार विभाग, मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं मोहर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, विदेशी भारतीय मामले मंत्रालय रक्षा सेवाएं-सेना तथा रक्षा सेवाएं-वायु सेना के संबंध में अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत अभ्यर्पित की गई राशि अव्ययित प्रावधानों से अधिक थी। विवरण परिशिष्ट-VII-ग में दिए गए हैं।

निधियों का पुनर्विनियोग

7.7 संवितरण के लिए कोई अनुदान अथवा विनियोग उन उपशीर्षों अथवा मानक विषयों में वितरित किया जाता है जिनके अन्तर्गत उसे लेखाबद्ध किया जाता है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले सक्षम अधिशासी प्राधिकारी द्वारा एक अनुदान अथवा विनियोग के भीतर प्राथमिक इकाइयों के बीच जिसके साथ ऐसी अनुदान अथवा विनियोग सम्बन्धित है, का पुनर्विनियोजन अनुमोदित कर सकता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि उस इकाई के विनियोग, जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा अथवा अव्ययित प्रावधान को पुनर्विनियोजन की इकाई में प्रभावी किया जा सकता है।

7.8 2005-06 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों के संदर्भ में विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि संसद द्वारा प्राधिकृत मूल प्रयोजन/कार्यकलाप को विफल करते हुए विभिन्न प्राथमिक इकाइयों के बीच निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किए गए थे। कुछ मामले जहाँ पर निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किये गये थे, वित्तीय संस्थानों को भुगतान (1216 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (2289 करोड़ रु.), राज्य तथा संघ

शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण (9281 करोड़ रु.), विनियोग-ऋण की वापसी (10378 करोड़ रु.), परिवार कल्याण विभाग (1735 करोड़ रु.) तथा ग्रामीण विकास विभाग (3582 करोड़ रु.) में थे।

उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

7.9 लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि तेरह अनुदानों/विनियोगों के बीस मामलों में, कुल 194.65 करोड़ रु. का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा अन्तर्गत की गई थी उनके अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। दो करोड़ रु. से अधिक के कुछ मामले परिशिष्ट-VII-घ में दिए गए हैं। परिणामतः उप-शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचतें इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। लोक सभा (अनुदान सं.75) द्वारा संसद परिसर में संस्थापित एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के संबंध में भारतीय इलैक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड (भा.इ.नि.लि.) से वार्षिक रखरखाव संविदा (वा.र.सं.) बिलों की देरी से प्राप्ति को बचतों के लिए जिम्मेदार ठहराया (फरवरी 2007)। गृह मंत्रालय (अनुदान सं. 52) ने वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा कार्यालय व्यय में अपनाए गए अति अनुशासित उपाय, नार्थ ब्लॉक तथा जैसलमेर हाउस में कें.लो.नि.वि. द्वारा सिविल तथा इलैक्ट्रीकल कार्यों के पूरा न करने तथा भूमि की अधिप्राप्ति हेतु नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को अतिरिक्त निधियों का देरी से आबंटन को बचतों के लिए जिम्मेदार ठहराया।

अनियमित पुनर्विनियोग

7.10 वित्त मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये थे कि वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोजन आदेश जिसका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा पांच करोड़ रु. जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने का प्रभाव हो, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। विशेष मामलों में, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के प्रस्तुतीकरण के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किसी भी पुनर्विनियोजन आदेश की उपरोक्त सीमा बढ़ जाने पर सचिव/अपर सचिव, व्यय विभाग, का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

7.11 2005-06 के लिए विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 60 अनुदानों/विनियोगों के 253 उप-शीर्ष/मामले ऐसे थे जिनमें पांच करोड़ रूपए से अधिक का पुनर्विनियोजन किया गया था। इनमें से, 43 अनुदान/विनियोगों के 138 उप-शीर्षों/मामलों में पुनर्विनियोजन बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत से बढ़ गया तथा इन्हें अनुपूरक अनुदान मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना अपेक्षित था। केवल 121 मामलों में ऐसे पुनर्विनियोजन संसद को सूचित किए गए थे।

सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन के बिना पुनर्विनियोजन

7.12 सभी पुनर्विनियोजन जिनका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत पांच करोड़ रु. अथवा अधिक से बजट प्रावधान बढ़ाने में प्रभाव पड़ता हो, सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन से ही किए जाने चाहिए, चाहे पुनर्विनियोजित राशि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित पुनर्विनियोजन नियन्त्रण की सीमा प्रावधान के 25 प्रतिशत के भीतर हो। तालिका 7.4 में उल्लिखित मामलों में, पांच करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्विनियोजन के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन नहीं लिया गया था।

तालिका 7.4: मामले, जिनमें पुनर्विनियोग के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान की सं. एवं नाम | मुख्य शीर्ष | उप-शीर्ष | राशि |
|----------|-----------------------|---|-----------------------------|---|
| 1. | 31 - विदेश मंत्रालय | 2052 -सचिवालय-सामान्य सेवाएं | विदेश मंत्रालय | मू. 120.34 अ. 3.50 पु.वि. 10.83 |
| 2. | --वही-- | 2061 -विदेश मामले | अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन | मू. 1.59 अ. 3.53 पु.वि. 11.77 |
| 3. | --वही-- | 3605 -अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग | मालदीप को सहायता | मू. 3.20 पु.वि. 12.00 |
| 4. | --वही-- | --वही-- | अन्य विकसित देशों को सहायता | मू. 280.81 अ. 109.98 पु.वि. 12.60 |

मू. = मूल प्रावधान अ. = अनुपूरक पु.वि. = पुनर्विनियोजन

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

7.13 1999-2000 से आगे सिविल मन्त्रालयों/रक्षा सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा मूल प्रावधानों से अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति परिशिष्ट-VII- ड में दी गई है। 20 अनुदानों से सम्बन्धित 24 मामलों में, जिनके ब्यौरे तालिका 7.5 में दिए गए हैं, जबकि अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में 2005-06 के दौरान 443.80 करोड़ रु. प्राप्त किये थे, अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ था। अनुपूरक प्रावधान की कुल राशि का अनावश्यक शेष रहना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने को इंगित करता है।

विनियोग लेखे 2005-06: एक विश्लेषण

तालिका 7.5: अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक अव्ययित प्रावधान

(करोड रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग | मूल प्रावधान | प्राप्त अनुपूरक अनुदान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान |
|------------------------|---|--------------|------------------------|------------------|------------------|
| सिविल | | | | | |
| राजस्व-दत्तमत | | | | | |
| 1. | 07 - रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग | 748.78 | 10.17 | 709.46 | 49.49 |
| 2. | 44 - प्रत्यक्ष कर | 1458.67 | 1.01 | 1361.35 | 98.33 |
| 3. | 51 - सार्वजनिक उपक्रम विभाग | 32.93 | 0.38 | 30.08 | 3.23 |
| 4. | 59 - महिला एवं बाल विकास विभाग | 3931.11 | 0.29 | 3929.37 | 2.03 |
| 5. | 63 - विधि एवं न्याय | 493.98 | 100.02 | 376.26 | 217.74 |
| 6. | 72 - योजना मंत्रालय | 106.80 | 11.26 | 104.54 | 13.52 |
| 7. | 76 - राज्य सभा | 94.90 | 2.73 | 88.53 | 9.10 |
| 8. | 81 - पेयजल आपूर्ति विभाग | 4751.42 | 10.11 | 4737.61 | 23.92 |
| 9. | 85 - जहाजरानी विभाग | 670.71 | 49.33 | 670.01 | 50.03 |
| 10. | 86 - सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग | 8451.63 | 132.75 | 8136.21 | 448.17 |
| 11. | 87 - लघु उद्योग मंत्रालय | 442.10 | 4.05 | 438.44 | 7.71 |
| 12. | 98 - दमन एवं दीव | 257.89 | 0.50 | 257.65 | 0.74 |
| 13. | 100 - शहरी विकास विभाग | 1605.54 | 6.53 | 893.78 | 718.29 |
| 14. | 101 - लोक कार्य | 718.32 | 6.30 | 651.22 | 73.40 |
| राजस्व-प्रभारित | | | | | |
| 15. | 70 - कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | 7.27 | 0.33 | 7.07 | 0.53 |
| पूजीगत-दत्तमत | | | | | |
| 16. | 7 - रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग | 164.47 | 10.01 | 72.07 | 102.41 |
| 17. | 65 - गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय | 70.05 | 5.00 | 44.70 | 30.35 |
| 18. | 70 - कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | 21.16 | 1.48 | 2.36 | 20.28 |
| 19. | 87 - लघु उद्योग मंत्रालय | 18.20 | 9.47 | 15.00 | 12.67 |
| 20. | 93 - पर्यटन मंत्रालय | 489.25 | 12.01 | 482.68 | 18.58 |
| पूजीगत-प्रभारित | | | | | |
| 21. | 54 - पुलिस | 17.35 | 2.26 | 6.49 | 13.12 |
| 22. | 100 - शहरी विकास विभाग | 11.60 | 1.00 | 11.52 | 1.08 |
| रक्षा सेवाएं | | | | | |
| 23. | 23 - रक्षा सेवाएं, थल सेना | 32084.37 | 0.01 | 31545.49 | 538.89 |
| 24. | 26 - रक्षा आयुध कारखाना | 1158.24 | 66.80 | 1143.80 | 81.24 |
| योग | | | 443.80 | | |

व्यय/संशोधित अनुमानों का अवास्तविक अनुमान

7.14 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने तालिका 7.6 में दर्शाई गई योजनाओं/गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी राशि की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना संसद को दी परन्तु अन्ततः वे न केवल समस्त अनुपूरक अनुदानों या उसके भाग, बल्कि कुछ मामलों में मूल बजट प्रावधान को भी व्यय करने में असमर्थ रहे।

तालिका 7.6 उप-शीर्षों के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुपूरक निधियों को दर्शाती विवरण

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान सं. व नाम | मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण |
|----------|--------------------------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1. | 31-विदेश मंत्रालय | 2061.00.105.01-केन्द्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास संगठन | 117.55 | 16.18 | 118.53 | 15.20 | बचत सुरक्षा प्रैस नासिक से बिलों की कम प्राप्ति के कारण थी। |
| 2. | -वही- | 2061.00.800.07-विशेष प्रतिनिधिमंडल | 4.25 | 1.00 | 4.12 | 1.13 | सं.रा. विधान सभा के प्रतिनिधिमंडल के आकार में कमी के कारण बचत थी। |
| 3. | -वही- | 4216.01.700.18 – विदेश मामले | 15.00 | 6.10 | 15.28 | 5.82 | इस्लामाबाद, कराची, स्टाकहोम, बर्न तथा हेग में आवास तथा चार दीवारी के निर्माण/मरम्मत तथा रखरखाव हेतु प्रदान की गई निधियों के अप्रयुक्त रहने के कारण। |
| 4. | 34- वित्तीय संस्थाओं को भुगतान | 2416.00.800.01-राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) को अनुदान | 609.99 | 4.69 | 13.63 | 601.05 | लघु अवधि क्रेडिट ढाँचे के पुनरुज्जीवन हेतु टास्कफोर्स की अनुशंसाओं के अनुसार निधियों का प्रयोग न करने के कारण |
| 5. | -वही- | 2885.01.800-विशिष्ट परिसंपत्ति सुदृढीकरण निधि हेतु प्रतिभूतियों का विमोचन | शून्य | 1000.00 | 134.00 | 866.00 | कम्पनी द्वारा देरी से कार्य आरम्भ करने के कारण |
| 6. | 43-प्रत्यक्ष कर | 2020.00.001.03 – संगठन तथा प्रबंधन सेवाएं | 33.60 | 0.71 | 4.47 | 29.84 | सू.प्रौ.शीर्ष के अन्तर्गत निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण |
| 7. | -वही- | 2020.00.800.02 – उन्नत नियमावली प्राधिकरण | 1.42 | 0.03 | 1.30 | 0.15 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के कम दौरों के कारण। |

विनियोग लेखे 2005-06: एक विश्लेषण

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान सं. व नाम | मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण |
|----------|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 8. | 50 – भारी उद्योग विभाग | 2852.06.103.45 – भारी अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड | शून्य | 11.01 | शून्य | 11.01 | माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरुज्जीवन योजना का अनुमोदन न होने के कारण। |
| 9. | -वही- | 6854.60.800.01 – सा.क्षे.उ. की पुनरुज्जीवन योजना का कार्यान्वयन | 150.00 | 116.00 | शून्य | 266.00 | सा.क्षे.उ. के अन्तर्गत निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण |
| 10. | -वही- | 6858.60.190.22 – भारी उद्योग विभाग में सा.क्षे.उ. के पुनर्गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान | 1.00 | 94.00 | शून्य | 95.00 | सा.क्षे.उ. के अन्तर्गत निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण |
| 11. | 53- मंत्रीमंडल | 2055.00.118.01-स्थापना | 101.13 | 25.07 | 101.30 | 24.90 | संचार प्रणाली हेतु मशीनरी एवं उपकरण, बी.एम.डब्ल्यू. कार की अधिप्राप्ति हेतु प्रस्तावों को अन्तिम रूप न देने तथा नई शस्त्र प्रणाली पर कम खर्च के कारण। |
| 12. | 54- पुलिस | 4055.00.800.04- भारत-पाक सीमा कार्य (प्रभारित) | 0.20 | 2.26 | - | 2.46 | प्रस्तावों को अन्तिम रूप न देने के कारण। |
| 13. | 60- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 2205.00.109.02 – केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्ड | 4.05 | 0.30 | 3.42 | 0.93 | योजना के अनुमोदन न होने, मितोपभोग उपाय तथा दोषी अभिकरणों को किए गए भुगतान के कारण |
| 14. | -वही- | 2220.01.105.01 – फिल्म प्रभाग | 26.95 | 0.65 | 26.50 | 1.10 | नगर पालिका करों में विचलन, व्यवसायियों की कम संख्या में नियुक्ति, फिल्म के प्रिंटों की संख्या में कमी तथा मितोपभोग उपायों के कारण |
| 15. | 70 – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | 4055.00.800.05 – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो | 20.07 | 1.48 | 1.47 | 20.08 | व्यय वित्त समिति द्वारा विलम्बित अनुमोदन के कारण निर्माण कार्यों में विलम्ब के कारण। |

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान सं. व नाम | मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण |
|----------|--------------------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 16. | 72 - योजना मंत्रालय | 3451.00.101.02 - कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन | 2.82 | 0.14 | 2.77 | 0.19 | रिक्त पदों को न भरने तथा प्रत्याशा की अपेक्षा अ.या.रि. दावों की कम प्राप्ति के कारण। |
| 17. | 87 - लघु उद्योग मंत्रालय | 6851.00.102.01 - स्वै.से.यो. आदि के कार्यान्वयन हेतु प्रावधान | शून्य | 9.47 | शून्य | 9.47 | ब्याज की उच्चतर दर पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ऋण की स्वीकृति न होने के कारण |

“नवीन सेवा/सेवा की नई मद” पर व्यय

7.15 जिन वित्तीय सीमाओं से परे अतिरिक्त व्यय “नवीन सेवा/सेवा की नई मद” माना जाएगा, उन्हें निर्धारित करने वाले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान में बचत के पुनर्विनियोजन द्वारा अपेक्षाकृत भारी व्यय की पूर्ति हेतु संसद का पूर्वानुमादन आवश्यक है।

वर्ष 2005-06 हेतु अनुदान सं. 58-माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग की संवीक्षा से प्रकट हुआ की मंत्रालय ने अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उप-शीर्षों में भारी पुनर्विनियोजन किया जो पूर्ण रूप से संसद को सूचित नहीं किए गए थे। संसद को सूचित किए गए पुनर्विनियोजन से अधिक किए गए व्यय का परिणाम संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उल्लंघन में हुआ तथा इसको नियमित किया जाना अपेक्षित है।

(लाख रूपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | संसद को सूचित तथा अनुमोदित पुनर्विनियोजन | संसद को सूचित नहीं किए गए पुनर्विनियोजन |
|----------|---|---|---------------|--|---|
| 1. | 2202.02.004.01 - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद | मू. 6323.00 अ. 0.10 पु.वि. 1190.00 | 7513.00 | 1000.00 | 189.90 |
| 2. | 2202.02.110.01- केन्द्रीय विद्यालय संगठन | मू. 76364.00 अ. 0.15 पु.वि. 5930.00 | 82294.00 | 4100.00 | 1829.85 |
| 3. | 2202.02.110.09 - आदर्श विद्यालयों (नवोदय विद्यालय) की स्थापना | मू. 63885.00 अ. 0.10 पु.वि. 8300.00 | 72185.00 | 700.00 | 7599.90 |
| 4. | 2202.03.102.02 - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | मू. 192717.00 अ. 0.15 पु.वि. 24874.00 | 217591.00 | 17126.00 | 7747.85 |

अवास्तविक बजट पूर्वानुमान

7.16 प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र अनुबद्ध करते हैं कि अनुमानों की रूपरेखा तैयार करते समय पूर्व निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सूत्रीकरण/कार्यान्वयन के स्तर, योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वित अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्यय करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यय पर नियंत्रण आदि पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसका उद्देश्य बाद की अवस्था में अपरिहार्य अभ्यर्णों हेतु क्षेत्र को न्यूनतम करना है। इसके अतिरिक्त सामान्यता परियोजनाओं/योजनाओं की बजट पूर्व संवीक्षा को पूर्ण किए बिना बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। तथापि जहाँ आवश्यक संवीक्षा किए बिना प्रावधान किए गए हैं, संसद द्वारा बजट पारित करने तक वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ऐसी संवीक्षा पूर्ण कर लेनी चाहिए तथा समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लेने चाहिए। शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों ने अत्यधिक प्रावधान किए थे जिसका परिणाम अन्ततः वर्ष के अन्त में भारी बचतों तथा अभ्यर्ण में हुआ। परिशिष्ट-VII-छ में विवरण दिए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (अनुदान सं. 61) ने बचत के लिए राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण किए गए आवासों के संबंध में आवासीय प्रस्तावों/सूचना की गैर-प्राप्ति को जिम्मेदार ठहराया (नवम्बर 2006)। भारतीय विदेशी मामले (अनुदान सं. 66) में सूचित किया (दिसम्बर 2006) की योजनाओं/कार्यक्रमों को अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कमी तथा कार्यालय भवन हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भूमि का देरी से आवंटन के कारण बनाया/कार्यान्वित नहीं किया जा सका। गृह मंत्रालय (अनुदान सं. 52, 54 तथा 55 ने रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा दावे, संयंत्र एवं मशीनरी की गैर-अधिप्राप्ति, योजनाओं की देरी से अनुमोदन/अंतिम रूप दिए जाने, बहुउद्देशीय पहचान पत्र योजना को अंतिम रूप न दिए जाने, जम्मू एवं कश्मीर सरकार से दावों की अप्राप्ति तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम हेतु अभियान को अंतिम रूप देने में विलम्ब को बचतों के लिए जिम्मेदार ठहराया (दिसम्बर 2006 तथा फरवरी 2007)। योजना मंत्रालय (अनुदान सं. 72) ने सुनामी पुर्नवास कार्यक्रम हेतु आबंटित निधियों के अभ्यर्ण के लिए संबंधित प्रभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन/संस्वीकृति न होने को जिम्मेदार ठहराया (दिसम्बर 2006)। कम्पनी कार्य मंत्रालय (अनुदान सं. 17) ने एम.सी.ए. 21 परियोजना के कार्यान्वयन/राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की स्थापना में विलम्ब को बचत के लिए जिम्मेदार ठहराया (दिसम्बर 2006)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (अनुदान सं. 88) ने सूचित किया (जनवरी 2007) की स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा 'अ.जा. योजना हेतु आवासीय विद्यालय' के गैर-सूत्रीकरण के कारण बचते थी। वित्त मंत्रालय (अनुदान सं. 32, 34 तथा 37) ने विद्यमान कार्यक्रमों में मन्द वितरण, विभिन्न योजनाओं को अंतिम रूप न देने, प्रत्याशा की अपेक्षा सरकारी कर्मचारियों से दावों की कम प्राप्ति, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक/संरचनात्मक विकास वित्त कम्पनी लि. से दावों की अप्राप्ति, लघु अवधि सहकारी ढाँचे पुनरुज्जीवन हेतु निधियों को जारी न करने आदि को बचतों के लिए जिम्मेदार ठहराया (दिसम्बर 2006, जनवरी 2007 तथा फरवरी

2007) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (अनुदान सं. 53) ने केन्द्रीय विद्यालय, पार्किंग शेड के निर्माण तथा भूमि अधिग्रहण आदि हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब को बचतों के लिए जिम्मेदार ठहराया (दिसम्बर 2006)। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (अनुदान सं. 29) ने बचतों के लिए मणिपुर के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में एक परियोजना के गैर-कार्यान्वयन को जिम्मेदार ठहराया (जनवरी 2007)।

अव्ययित प्रावधान हेतु मंत्रालय द्वारा दिए गए औचित्य तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक मामले में दर्शाए गए अंशदायी कारणों से बचा जा सकता है यदि परियोजनाओं, योजनाओं तथा क्रियाकलापों की बजट पूर्व उचित संवीक्षा की गई होती जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने समय-समय पर निर्देश भी जारी किए हैं। यह सुस्पष्ट है कि मंत्रालयों ने प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया था तथा बजट पूर्व संवीक्षा पूर्ण किए बिना बजट प्रावधान बनाए थे।

अवास्तविक बजटीकृत प्रक्षेपण के कारण भारी अनुपूरक अनुदान

7.17 भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियां विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के संबंध में अनुगामी विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। व्यय के अनुमान तैयार करते समय मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्षों के दौरान वितरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना तथा पूर्ण सावधानी बरतना अपेक्षित है ताकि वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले अनुमानों में सभी अनिवार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान किए जा सकें। वित्त मंत्रालय विचार विमर्श तथा बजट पूर्व बैठकों/संवीक्षा पश्चात बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देती है। वर्ष 2005-06 के लिए विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों ने बड़ी संख्या में मूल प्रावधानों से भी अधिक अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए थे नीचे दर्शाए गए कुछ मामलों में अनुपूरक अनुदान मूल प्रावधानों के 65 से 535 प्रतिशत के बीच थे। यह मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा बजट अनुमानों के वास्तविक आधार पर तैयार नहीं करने तथा वास्तविक बजटीकृत प्रक्षेपण को सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पूर्व बैठकों के आयोजन तथा संवीक्षा तंत्र के अभिप्रेत प्रभाव के न होने को दर्शाता था।

तालिका 7.7: अवास्तविक बजटीकृत प्रक्षेपण के कारण भारी अनुपूरक अनुदानों के विवरण दर्शाती विवरणी

| (करोड़ रूपयों में) | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------|--|
| क्र. सं. | अनुदान सं. | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | मूल प्रावधान की तुलना में अनुपूरक की प्रतिशतता |
| 1. | 50- भारी उद्योग विभाग | राजस्व- दत्तमत्त 308.80 | 1651.21 | 535 |
| 2. | 71- पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय | राजस्व- दत्तमत्त 3669.00 | 17262.85 | 471 |

विनियोग लेखे 2005-06: एक विश्लेषण

| क्र. सं. | अनुदान सं. | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | मूल प्रावधान की तुलना में अनुपूरक की प्रतिशतता |
|----------|--|--------------------------------|------------------|--|
| 3. | 36- राज्य तथा सं.शा.क्ष. सरकारों को अन्तरण | पूँजीगत- दत्तमत्त 1000.00 | 4674.00 | 467 |
| 4. | 10-कोयला मंत्रालय | पूँजीगत- दत्तमत्त 25.00 | 43.00 | 172 |
| 5. | 30- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | पूँजीगत- दत्तमत्त 10.92 | 18.41 | 169 |
| 6. | 56-सं.शा.क्ष. सरकारों को अन्तरण | पूँजीगत- दत्तमत्त 72.00 | 75.00 | 104 |
| 7. | 38- विनियोग-ऋण की अदायगी | पूँजीगत- दत्तमत्त 601477.12 | 420203.72 | 70 |
| 8. | 73- विद्युत मंत्रालय | राजस्व- दत्तमत्त 1670.57 | 1110.34 | 66 |
| 9. | 34- वित्तीय संस्थानों को भुगतान | पूँजीगत- दत्तमत्त 988.03 | 743.03 | 75 |
| | | राजस्व- दत्तमत्त 3102.47 | 2009.74 | 65 |

डाक सेवाएं (अनुदान सं.14)

7.18 2001-06 वर्षों के दौरान अनुदान के पूजीगत अनुभाग मुख्यतः 5201.104- 'डाक सेवाओं का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण' के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई थी जिसका विवरण तालिका 7.8 में दिया गया है।

तालिका 7.8: पूँजीगत (दत्तमत्त) अनुभाग के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | बजट प्रावधान तथा अनुपूरक अनुदान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान | प्रतिशतता |
|---------|---------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| 2001-02 | 107.38 | 51.92 | 55.46 | 52 |
| 2002-03 | 128.56 | 41.54 | 87.02 | 68 |
| 2003-04 | 129.18 | 48.16 | 81.02 | 63 |
| 2004-05 | 178.75 | 126.29 | 52.46 | 29 |
| 2005-06 | 367.09 | 268.98 | 98.11 | 31 |

7.19 विभाग द्वारा पूजीगत (दत्तमत्त) अनुभाग के अन्तर्गत बचतों के लिए बताये गये कारण निम्न प्रकार थे:

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

तालिका 7.9 : अनुदान में बचतें

(करोड़ रुपयों में)

| अनुदान सं. 14 | कुल अनुदान या विनियोग | वार्षिक व्यय | बचतें | डाक विभाग द्वारा बताये गये अंशदायी कारण |
|------------------|-----------------------|--------------|-------|---|
| पूँजीगत (दत्तमत) | 367.09 | 268.98 | 98.11 | - नई परियोजना के आरम्भ होने में विलम्ब - आपूर्तिकर्ता से बिलों की गैर-प्राप्ति - गैराज उपकरण की अधिप्राप्ति हेतु दुबारा निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया - उच्चत लेखे का निपटान |
| योग | 367.09 | 268.98 | 98.11 | |

रक्षा सेवाएं

7.20 रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने चार अनुदानों के दत्तमत भाग के अन्तर्गत 2003-06 के वर्षों के दौरान अव्ययित प्रावधान की निरन्तर प्रवृत्ति को प्रकट किया जिसका विवरण तालिका 7.10 में दिया गया है।

तालिका 7.10 : निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

| अनुदान सं. उप-मुख्य/ लघु शीर्ष | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | अव्ययित राशि के लिए विनियोग लेखाओं में दिये गये कारण |
|--|---------|---------|---------|---|
| 23- रक्षा सेवाएं - थल सेना | | | | |
| 800- अन्य व्यय | 11.87 | 32.84 | 31.20 | बड़ी संख्या में अनुमान लगाने वाली प्राधिकरणों के निपटान/दर्ज करने तथा कमी में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण |
| 25- रक्षा सेवाएं - वायु सेना | | | | |
| 111- निर्माण कार्य | 23.15 | 55.67 | 10.22 | मुख्य परियोजना को अंतिम रूप न देने के कारण |
| 26- रक्षा आयुध कारखाने | | | | |
| 110- भंडार | 31.18 | 10.43 | 26.55 | सरकारी आपूर्ति को कम दर्ज करने, डेबिट वाउचरों की अप्राप्त तथा इंजन, सड़क व्हील, ए.डी. गन कलपुर्जे तथा गोला बारूद पर कम विदेशी खरीद के कारण। |
| 800- अन्य व्यय | 24.22 | 8.43 | 17.23 | बिजली तथा जल की मांग में कमी, ओ.एफ.टी. ए.एम.आर. के टी.ओ.टी. भुगतान को स्थगित करना। |
| 28- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | | | | |
| 02- जल सेना | | | | |
| 104-संयुक्त स्टाफ | 29.26 | 27.67 | 12.17 | कुछ बिलों के प्रति कम दर्ज करने, मद प्रगति तथा समय पर कार्यों को पूरा न होने के कारण |

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी अव्ययित प्रावधानों की निरन्तर प्रवृत्ति, रक्षा मंत्रालय द्वारा निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने को प्रदर्शित करती है।

विषय “सहायता अनुदान” की शब्दावली का नए विषय शीर्ष “अंशदान” में अनियमित परिवर्तन

7.21 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं तथा उन पर आगे विचार-विमर्श के आधार पर 1.4.1977 से केन्टीन स्टोर विभाग (के.स्टो.वि.) की निधियां भारत की समेकित निधि के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाई गईं। अतः के.स्टो.वि. द्वारा सृजित सभी प्राप्तियां भा.स.नि. ने जमा की जाती थी तथा सम्बन्धित वर्षों के दौरान सभी व्यय बजटीय आबंटन के माध्यम से विनियोजित किए जाने थे। मंत्रालय उस कार्यप्रणाली का अनुसरण कर रहा था जिसके अन्तर्गत किसी विशेष वर्ष में के.स्टो.वि. द्वारा सृजित कुल निवल लाभ का पचास प्रतिशत के बराबर निधियां के.स्टो.वि. के विभिन्न लाभभोगियों को ‘सहायता अनुदान’ के रूप में विनियोजित/वितरित किए गए थे। वर्ष 2004-05 तक रक्षा मंत्रालय ने 2075.00.108.01.00.31 शीर्ष के अन्तर्गत ‘सहायता अनुदान’ के रूप में अनुदान हेतु उनकी मांगों में इस राशि को प्रदान किया। तथापि, वर्ष 2005-06 से मंत्रालय ने इस व्यय को महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवा की पूर्व सहमति के बिना नए विषय शीर्ष ‘अंशदान’ (2075.00.108.01.00.32) के अन्तर्गत दर्ज करना आरम्भ कर दिया, जो अनियमित था। लेखापरीक्षा ने इस अनियमितता को अक्टूबर 2005 में इंगित किया था परन्तु मंत्रालय ने 2006-07 के लिए अनुदानों हेतु मांगों में सुधारात्मक उपाय नहीं किए तथा ‘अंशदान’ शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज करना/प्रावधान करना जारी रखा जिसे दुबारा मई 2006 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया।

वर्ष 2005-06 के दौरान विषय शीर्ष ‘अंशदान’ के अन्तर्गत 77.38 करोड़ रु की राशि गलत रूप से दर्ज की गई। इस व्यय को विषय शीर्ष ‘अंशदान’ के अन्तर्गत प्रावधान करना तथा दर्ज करना उचित नहीं है क्योंकि भारत की समेकित निधि से किए गए भुगतान पूर्णतया ऐच्छिक है जिसे विषय शीर्ष ‘सहायता अनुदान’ के अन्तर्गत उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

अध्याय 8

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

अनुदान सं. 60 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रस्तावना

8.1 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मीडिया इकाइयों नामतः प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) एवं इसके संघटकों आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि द्वारा समाचारों और विचारों के कुशल प्रचार हेतु मार्गदर्शी नीति बनाने का उत्तरदायित्व दिया गया है। मंत्रालय के प्रमुख कार्य सरकार और मीडिया के बीच एक स्थिर कड़ी के रूप में कार्य करना तथा संघ सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित आधिकारिक सूचना एवं प्रामाणिक डाटा के वितरण गृह के तौर पर कार्य करना है। लोगों को सरकार की विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में अधिक भागीदारीपूर्ण सम्बद्धता हेतु शिक्षित एवं प्रेरित करना इसके उद्देश्य हैं। यह सूचना एवं प्रचार के क्षेत्र में राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क भी रखता है।

समग्र स्थिति

8.2 पिछले तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 8.1: समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | कुल प्रावधान | | वास्तविक संवितरण | | अव्ययित प्रावधान | |
|-----------------|--------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| दत्तमत्त | | | | | | |
| 2003-04 | 1289.57 | 231.59 | 1229.48 | 94.18 | 60.09 | 137.41 |
| 2004-05 | 1281.87 | 250.86 | 1248.96 | 95.47 | 32.91 | 155.39 |
| 2005-06 | 1428.48 | 273.99 | 1338.25 | 205.28 | 90.23 | 68.71 |
| प्रभारित | | | | | | |
| 2003-04 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - |
| 2004-05 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | - |
| 2005-06 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | - |

निरन्तर अव्ययित प्रावधान तथा आधिक्य व्यय

8.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व और पूंजीगत भागों के अंतर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अनुदान के अंतर्गत भारी अव्ययित प्रावधान मंत्रालय द्वारा गलत बजट बनाने को दर्शाते हैं। कुछ उपशीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक आधिक्य व्यय के मामले भी थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान निरन्तर अव्ययित प्रावधानों एवं आधिक्य व्यय के उदाहरण क्रमशः परिशिष्ट-VIII-क तथा परिशिष्ट-VIII-ख में दिए गए हैं। यद्यपि मंत्रालय ने 2001 के प्रतिवेदन सं.-1 के पैराग्राफ संख्या 12.29 पर अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणी (अप्रैल 2003) में आश्वासन दिया था कि निधियों के अव्ययित शेष को कम से कम रखने हेतु यथोचित सावधानी बरती जाएगी, फिर भी वे बने हुए थे। इसके विपरीत वर्ष 2003-06 के दौरान बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति थी। मंत्रालय ने व्यय को मानीटर करने तथा ब.अ. एवं सं.अ. अवस्थाओं पर बजटीय प्रक्षेपणों एवं प्रत्याशाओं का इनकी व्यय संभावनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रसार भारती को एक तंत्र स्थापित करने के अनुदेश भी जारी किए थे (जून 2002)। प्रसार भारती ने आश्वासन दिया था (जून 2002) कि एक उचित मानीटरिंग तंत्र स्थापित किया जायेगा। तथापि इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती। अतः 'दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग की तुलना में आधिक्य' पर लो.ले.स. के अठावनवें प्रतिवेदन (13वीं लोकसभा) के पैराग्राफ 17.1 में निहित अनुशंसाओं और इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों को जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए बजटीय कल्पनाओं को अधिक यथार्थवादी बनाने की आवश्यकता है।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.4 नमूना जांच से प्रकट हुआ कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(2) के प्रावधानों के विपरीत मंत्रालय ने अव्ययित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2003-2006 की समाप्ति पर अभ्यर्पित किए। 2003-06 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के विवरण निम्न प्रकार है:

तालिका 8.2 : अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | अव्ययित प्रावधान | | अभ्यर्पित राशि | | अभ्यर्पण की तिथि |
|---------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | |
| 2003-04 | 60.14 | 137.41 | 52.34 | 135.92 | 31.03.2004 |
| 2004-05 | 32.94 | 155.39 | 27.68 | 154.79 | 31.03.2005 |
| 2005-06 | 90.26 | 68.71 | 84.03 | 64.05 | 31.03.2006 |

यदि उपरोक्त अव्ययित प्रावधानों को तभी अभ्यर्पित कर दिया जाता जब उनका पूर्व अनुमान किया गया था तो सरकार की अन्य योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उनका लाभदायक उपयोग किया जा सकता था।

अव्ययित प्रावधानों से प्रभावित योजनाएं

8.5(i) केन्द्रीय मानीटरिंग सेवाएं

केन्द्रीय मानीटरिंग सेवाएं (के.मा.से.) महत्वपूर्ण विदेशी रेडियो एवं टी.वी. नेटवर्कों तथा कुछ भारतीय टी.वी. चैनलों के समाचार एवं समाचार आधारित कार्यक्रमों की मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी था। के.मा.से. महत्वपूर्ण समाचारों पर साप्ताहिक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों तथा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी रेडियो और टी.वी. नेटवर्कों के भारत विरोधी कार्यक्रमों पर विशेष साप्ताहिक प्रतिवेदन भी निकालता है और इन्हें भारत की प्रासंगिकता/हित के लिए नवीनतम विकासों का अद्यतन परिचय देने के उद्देश्य से चुनीदां अधिकारियों/मंत्रालयों/विभागों आदि को भेजता है। के.मा.से., केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यक्रम विज्ञापन संहिता के अतिक्रमण के निरीक्षण हेतु टी.वी.चैनलों की विषय-वस्तु के पहलू को भी मानीटर करता है। किन्तु इन महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए किए गए सम्पूर्ण बजट प्रावधान वर्ष 2003-06 के दौरान निरन्तर अव्ययित रहे जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 8.3: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| 2003-04 | 7.56 | - | 7.56 |
| 2004-05 | 6.06 | - | 6.06 |
| 2005-06 | 15.10 | - | 15.10 |

(ii) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (भा.रा.फि.अ.) हेतु चरण-II भवन का निर्माण

मंत्रालय की स्थायी वित्तीय समिति ने राष्ट्रीय सिनेमा एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को अर्जित एवं संरक्षित करने, फिल्म वर्गीकरण, प्रलेखन एवं अनुसंधान एवं फिल्म उच्च अध्ययन को प्रोत्साहित करने तथा देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को सक्षम बनाने की दृष्टि से भा.रा.फि.अ. के लिए चरण-II भवन का निर्माण अनुमोदित किया था (अप्रैल 2004)। किन्तु इस प्रयोजन के लिए किया गया बजट प्रावधान वर्ष 2003-06 के दौरान पूर्णतः/मुख्यतः अव्ययित रहा जिसने दर्शाया कि मंत्रालय की योजनागत योजना का मूल उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका। बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 8.4 : अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| 2003-04 | 0.50 | - | 0.50 |
| 2004-05 | 2.50 | 0.40 | 2.10 |
| 2005-06 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |

(iii) प्रैस सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रैस केन्द्र एवं लघु मीडिया केन्द्रों की स्थापना

प्रैस सूचना ब्यूरो ने Xवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 के दौरान राष्ट्रीय प्रैस केन्द्र एवं लघु मीडिया केन्द्रों की स्थापना की योजनागत योजना लागू की। प्रैस सूचना केन्द्र भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में जनता को सूचित करने हेतु केन्द्रक अभिकरण है। तथापि इस प्रयोजन के लिए किए गए बजट प्रावधान वर्ष 2003-06 के दौरान पूर्णतः/मुख्यतः अव्ययित रहे तथा इसके कारण जिस प्रयोजन के लिए बजट प्रावधान किए गए थे वह पूरा नहीं हो पाया। बजट प्रावधानों एवं व्यय के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 8.5: अव्ययित प्रावधान

| वर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | (करोड़ रूपयों में) |
|---------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | अव्ययित प्रावधान |
| 2003-04 | 2.19 | 0.07 | 2.12 |
| 2004-05 | 5.00 | - | 5.00 |
| 2005-06 | 18.20 | 7.60 | 10.60 |

(iv) भारतीय जन संचार संस्थान की भवन एवं आवास परियोजना

भारतीय जन संचार संस्थान के आवासीय कॉम्प्लेक्स में स्टाफ क्वार्टरों, 14-कमरे के छात्रावास भवन के निर्माण, विशेष नवीनीकरण कार्यों, परिसर के चारों ओर सुरक्षा बाड़ आदि के लिए वर्ष 2003-06 के दौरान कुल 3.94 करोड़ रु. के योजनागत आबंटन के प्रति योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय 0.65 करोड़ रु. था जो 10वीं योजना अवधि के निम्नलिखित तीन वर्षों के दौरान केवल 16 प्रतिशत उपलब्धि को प्रदर्शित करता था।

तालिका 8.6 : अव्ययित प्रावधान

| वर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | (करोड़ रूपयों में) |
|---------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | अव्ययित प्रावधान |
| 2003-04 | 1.43 | 0.50 | 0.93 |
| 2004-05 | 1.35 | 0.15 | 1.20 |
| 2005-06 | 1.16 | - | 1.16 |

उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

8.6 जिन मामलों में मौजूदा प्रावधान भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं हैं, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का) अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त होने पर ही भुगतान कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनिर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जायेगी।

वर्ष 2003-06 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि यद्यपि, निम्न मामलों में संबंधित उपशीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान से अधिक भुगतान किया गया था, किन्तु अनुदान/विनियोग के प्रशासन अधिकारी ने उपलब्ध

प्रावधान से अधिक अंतिम व्यय को पर्याप्त रूप से समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया था। यह त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण को दर्शाता था।

शीर्ष-वार विनियोग लेखों की जांच से यह भी प्रकट हुआ कि मंत्रालय ने 6 मामलों में उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग स्वीकृत किए। परिणामस्वरूप इन उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम संवितरण, पुनर्विनियोग के बाद उपलब्ध निधियों से अधिक था। तीन मामलों में अंतिम संवितरण मूल प्रावधान से भी अधिक था। मामले नीचे दिए गए हैं:

तालिका 8.7: उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | उप-शीर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | आधिक्य |
|-----------------------|---|----------------------------------|---------------|--------|
| राजस्व अनुभाग | | | | |
| 2003-04 | 2251.00.090.05- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | मू. 15.22 पु. (-) 0.10 | 18.92 | 3.80 |
| 2003-04 | 2205.00.109.02- केन्द्रीय फिल्म प्रमाणिकरण बोर्ड | मू. 4.56 पु. (-) 2.22 | 3.12 | 0.78 |
| 2003-04 | 2220.60.798.02- वार्षिक सदस्यता का भुगतान, एशिया पैसिफिक प्रसारण विकास संस्थान (ए.पै.प्र.वि.सं.) को सदस्यता शुल्क | मू. 0.16 पु. (-) 0.04 | 0.45 | 0.33 |
| 2004-05 | 2251.00.090.05- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | मू. 15.85 पु. (-) 0.34 | 20.79 | 5.28 |
| 2005-06 | 2251.00.090.05- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | मू. 17.61 अ. 0.37 पु. 1.77 | 19.89 | 0.14 |
| पूँजीगत अनुभाग | | | | |
| 2005-06 | 4220.60.052.03- गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपस्कर का अर्जन | मू. 0.04 | 0.24 | 0.20 |

अवास्तविक बजट बनाना

8.7 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48(2) के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण-प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मितव्ययी अनुदेशों जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं।

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ब.अ. एवं सं.अ. की अवस्थाओं पर बजटीय प्रक्षेपणों व अनुमानित व्यय की संभावना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक तंत्र अपनाते के अनुदेशों (जून 2002) के बावजूद 2003-06 की अवधि के दौरान विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण अथवा/एवं भारी प्रावधान अप्रयुक्त रहे और

अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किए गए जिससे वह उद्देश्य विफल हो गया जिसके लिए संसद द्वारा बजट प्रावधान पारित किए गए थे। परिशिष्ट-VIII-ग में दर्शाए गए उप-शीर्षों ने भारी अव्ययित प्रावधान अंकित किए।

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

8.8 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय मंत्रालय को उपलब्ध या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा अतिरिक्त बजट के लिए निधियों की आवश्यकता के पूर्व अनुमान के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। केवल अपवादात्मक एवं अत्यावश्यक मामलों में ही अनुपूरक मांगों का सहारा लेना चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में यद्यपि अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे लेकिन इन निधियों से कोई व्यय नहीं किया गया। यह मानीटरिंग के अभाव को दर्शाता है।

तालिका 8.8: अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | उप-शीर्ष | प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान |
|---------|---|--|------------------|------------------|
| 2003-04 | 2221.80.102- प्रसार भारती | मू. 1005.60 अ. 0.01 पु. (-) 3.80 | 1001.47 | 4.14 |
| 2005-06 | 2205.00.109.02- केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड | मू. 4.05 अ. 0.30 पु. (-) 0.60 | 3.42 | 0.93 |
| 2005-06 | 2220.01.105.01- फिल्म प्रभाग | मू. 26.95 अ. 0.65 | 26.50 | 1.10 |
| 2005-06 | 2220.60.112.01- रोजगार समाचार सेवाएं | मू. 23.06 अ. 0.37 पु. (+) 3.21 | 25.52 | 1.12 |

उप-शीर्षों हेतु निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.9 निम्नलिखित उप-शीर्षों हेतु निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधान आवश्यकता से अधिक पाए गए थे। फलस्वरूप उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत इन उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी जैसा कि तालिका 8.9 में दिखाया गया है।

तालिका 8.9 : उप-शीर्ष हेतु निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | वर्ष | उप-शीर्ष | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत |
|----------|---------|---|-----------------------|---------------|------|
| 1. | 2003-04 | 2220.01.800.03- भारतीय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान | मू. 5.33 पु. 0.73 | 5.20 | 0.86 |
| 2. | 2003-04 | 2220.02.001 -केन्द्रीय मानीटरिंग सेवाएं- निदेशन एवं प्रशासन | मू. 3.20 पु. 0.66 | शून्य | 3.86 |
| 3. | 2004-05 | 2220.60.110.01- प्रकाशन विभाग | मू. 12.09 पु. 0.06 | 11.94 | 0.21 |
| 4. | 2005-06 | 2220.60.103.01- प्रेस सूचना ब्यूरो | मू. 20.81 पु. 0.56 | 20.77 | 0.60 |
| 5. | 2005-06 | 4220.60.052.01 प्रेस सूचना ब्यूरो हेतु उपस्कर का अर्जन | मू. 0.18 पु. 0.03 | शून्य | 0.21 |
| 6. | 2005-06 | 4220.60.052.06 आई.आई.एम.एस. हेतु उपस्करों का अर्जन | मू. 0.58 पु. 0.06 | 0.52 | 0.12 |

अनियमित पुनर्विनियोग

8.10 वित्त मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये थे कि वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोजन आदेश जिसका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा एक करोड़ रु. (2005-06 से 5 करोड़ रु.) जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने का प्रभाव हो, अनुपूरक मांगों की अंतिम खेप के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। विशेष मामलों में, अनुपूरक मांगों के अंतिम खेप के प्रस्तुतीकरण के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किसी भी पुनर्विनियोजन आदेश के उपरोक्त सीमा से बढ़ जाने पर सचिव/अपर सचिव, व्यय विभाग, का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

तथापि, नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निम्नलिखित में से एक मामले में सचिव (व्यय) का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। दूसरे मामले में पुनर्विनियोग की राशि सचिव (व्यय) द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक थी।

तालिका 8.10: अनियमित पुनर्विनियोग

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | वर्ष | उप-शीर्ष | पुनर्विनियोजित राशि | अभ्युक्तियां |
|----------|---------|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1. | 2003-04 | 2220.60.112.01 रोजगार समाचार सेवाएं | 5.17 | सचिव (व्यय) का अनुमोदन केवल 4.44 करोड़ रु. हेतु था। |
| 2. | 2004-05 | 2220.60.103.01 प्रेस सूचना ब्यूरो | 1.79 | सचिव (व्यय) का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। |

अन्धाधुन्ध व्यय

8.11 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति के 58वें प्रतिवेदन (13वीं लोकसभा) के पैरा 17.1 में निहित अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय को बजटीकृत राशि के 33 प्रतिशत तक सीमित रखने के अनुदेश जारी किए। इसके विपरीत वर्ष 2003-06 में मार्च के दौरान कुल संवितरण के 30 से 100 प्रतिशत के बीच संवितरण किए गए जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका 8.11 : अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | मुख्य शीर्ष | संवितरण | |
|---------|--|---------------|----------------------------|
| | | वर्ष के दौरान | मार्च के दौरान (प्रतिशतता) |
| 2003-04 | 2205-कला एवं संस्कृति | 3.20 | 1.23 (38) |
| | 4220 -सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय | 9.53 | 8.35 (88) |
| 2005-06 | 2221- प्रसारण | 1078.02 | 321.97 (30) |
| | 4220 -सूचना एवं प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय | 25.04 | 16.14 (64) |
| | 6220- सूचना एवं प्रचार हेतु ऋण | 4.77 | 4.77 (100) |

आन्तरिक लेखापरीक्षा

8.12 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध मंत्रालय के मुख्य लेखा-नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है तथा इस मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली इकाइयों एवं सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों की आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालित करने हेतु उत्तरदायी है। आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता स्थित चार आंचलिक आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों से बना है। मुख्यालय स्थित आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध उत्तरी अंचल की लेखापरीक्षा करता है और शेष तीन आंचलिक दलों के लेखापरीक्षा कार्य का समन्वयन करता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध के प्राधिकार के अधीन 599 इकाइयाँ हैं। इनमें मंत्रालय की 96 इकाइयाँ तथा प्रसार भारती की 503 इकाइयाँ शामिल हैं। वर्ष 2003-06 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 8.12 : आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमी

| वर्ष | निर्धारित लक्ष्य | वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयां | कमी | कमी की प्रतिशतता |
|---------|------------------|---------------------------------|-----|------------------|
| 2003-04 | 187 | 148 | 39 | 21 |
| 2004-05 | 145 | 86 | 59 | 41 |
| 2005-06 | 115 | 54 | 61 | 53 |

अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा के संचालन में 21 से 53 प्रतिशत के बीच कमी थी जो कि एक असंतोषजनक स्थिति थी। मंत्रालय द्वारा निधियों की भारी राशि के संचालन तथा इसकी गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए व्यय की नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता पर नजदीकी निगरानी रखने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अनुदान सं.82 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.13 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (वि.प्रौ.वि.), विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (वि.औ.अ.वि.) तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (जै.प्रौ.वि.) नामक तीन विभाग अंतर्विष्ट हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का केन्द्रक विभाग है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (भा.मौ.वि.वि.), नई दिल्ली, राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्रण संगठन (रा.ए.वि.मा.सं.), नई दिल्ली तथा भारतीय सर्वेक्षण (भा.स.), देहरादून नामक तीन अधीनस्थ विभाग इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त विभाग 16 स्वायत्त अनुसंधान संस्थाओं/अन्य निकायों तथा पांच विज्ञान/अभियान्त्रिक संस्थानों/संघों को भी सहायता प्रदान करता है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रवर्तन हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर नीतियां एवं दिशानिर्देश तैयार करना एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का उन्नयन है।

समग्र स्थिति

8.14 पिछले तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है :

तालिका 8.13: समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | कुल प्रावधान | | वास्तविक संवितरण | | अव्ययित प्रावधान | |
|-----------------|--------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| दत्तमत्त | | | | | | |
| 2003-2004 | 1133.90 | 56.31 | 930.78 | 55.05 | 203.12 | 1.26 |
| 2004-2005 | 1410.53 | 79.71 | 1236.73 | 45.63 | 173.80 | 34.08 |
| 2005-2006 | 1504.20 | 154.06 | 1297.86 | 117.04 | 206.34 | 37.02 |

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

| वर्ष | कुल प्रावधान | | वास्तविक संवितरण | | अव्ययित प्रावधान | |
|-----------|--------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| प्रभारित | | | | | | |
| 2003-2004 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - |
| 2004-2005 | 0.07 | - | - | - | 0.07 | - |
| 2005-2006 | 0.07 | - | - | - | 0.07 | - |

विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

8.15 उन मामलों में जहाँ विद्यमान प्रावधान भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं हैं, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.)। अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त होने पर ही भुगतान कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जाएंगी।

वर्ष 2003-06 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि यद्यपि, निम्न मामलों में उपलब्ध प्रावधान से अधिक भुगतान किया गया था, किन्तु विभाग ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अंतिम व्यय आधिक्य को पर्याप्त रूप से समायोजित करने के लिए पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया था जो संबंधित अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा निष्प्रभावी व्यय नियंत्रण को दर्शाता है।

तालिका 8.14: विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | मूल (मू.) पुनर्विनियोग (पु.) | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+) |
|---------|--|---------------------------------|---------------|------------|
| 2003-04 | 3451.00.090.22 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | मू. 20.87 पु. 0.59 | 21.50 | 0.04 |
| | 3425.01.001.01 महा सर्वेक्षक | मू. 27.74 पु. 0.51 | 28.52 | 0.27 |
| | 3425.60.200.26 प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम | मू. 23.00 पु. (-) 0.20 | 22.81 | 0.01 |
| | 3425.60.798.04 अन्य कार्यक्रम | मू. 5.00 | 5.05 | 0.05 |
| | 5455.00.101.01 उपस्कर | मू. 3.00 | 3.59 | 0.59 |
| | 5455.00.102.01 उपस्कर | मू. 28.47 | 28.98 | 0.51 |
| 2004-05 | 5425.00.800.03 विशेष निर्माण कार्य - भवन एवं वातानुकूलन तथा उपस्कर (सचिवालय) | मू. 0.95 पु. (-) 0.17 | 0.79 | 0.01 |
| 2005-06 | 5455.00.101.01 उपस्कर | मू. 5.00 | 8.74 | 3.74 |

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.16 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56 के अनुसार अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर उसको वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को सम्भावित भावी आधिक्य हेतु भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। वर्ष 2003-06 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि नियम के विपरीत वि.प्रौ.वि. ने जनवरी माह में संशोधित अनुमानों के अनुमोदन के बावजूद प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किये। 2003-06 के दौरान अभ्यर्पित राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 8.15 : अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | अव्ययित प्रावधान | | अभ्यर्पित राशि | | अभ्यर्पण की तिथि |
|---------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | |
| 2003-04 | 203.12 | 1.26 | 194.72 | -- | 31 मार्च 2004 |
| 2004-05 | 173.87 | 34.08 | 150.17 | 28.51 | 31 मार्च 2005 |
| 2005-06 | 206.41 | 37.02 | 176.65 | 29.51 | 21 मार्च 2006 |

उप-शीर्षों हेतु निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.17 निम्नलिखित उप-शीर्षों हेतु निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधान आवश्यकता से अधिक पाए गए थे। फलस्वरूप उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 8.16 : निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | उप-शीर्ष | मूल (मू.) पुनर्विनियोग (पु.) | वास्तविक व्यय | बचत |
|---------|--|---------------------------------|---------------|------|
| 2003-04 | 3425.01.800.01 - अन्य योजनाएं | मू. 18.24 पु. 0.31 | 17.80 | 0.75 |
| | 5425.00.800.03 - विशेष निर्माण कार्य - भवन एवं वातानुकूलन तथा उपस्कर | मू. 0.95 पु. 0.06 | 0.89 | 0.12 |
| 2004-05 | 3425.01.003.01 - प्रशिक्षण संगठन | मू. 3.92 पु. 0.27 | 3.88 | 0.31 |
| | 3425.01.103.01 - मानचित्र प्रकाशन कार्यालय | मू. 25.42 पु. 0.83 | 24.15 | 2.10 |
| | 3425.60.798.04 - अन्य कार्यक्रम | मू. 5.00 पु. 0.30 | 4.79 | 0.51 |
| | 3455.00.004.01 - अनुसंधान एवं विकास सेवाएं | मू. 11.50 पु. 0.58 | 10.63 | 1.45 |
| | 3455.00.102.01 वेधशाला सेवाएं | मू. 71.34 पु. 2.04 | 70.89 | 2.49 |

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

| वर्ष | उप-शीर्ष | मूल (मू.) पुनर्विनियोग (पु.) | वास्तविक व्यय | बचत |
|---------|---|---------------------------------|---------------|------|
| 2005-06 | 3425.60.102.01 - रा.ए.वि.मा.सं. कार्यालय | मू. 9.05 पु. 1.53 | 8.80 | 1.78 |
| | 3455.00.001.01 - महानिदेशक मौसम विज्ञान | मू. 10.90 पु. 0.72 | 10.63 | 0.99 |
| | 3455.00.102.01 - वेधशाला सेवाएं | मू. 78.65 पु. 1.29 | 73.32 | 6.62 |
| | 3425.01.001.01 - महासर्वेक्षक | मू. 31.93 पु. 0.77 | 31.87 | 0.83 |

अन्धाधुन्ध व्यय

8.18 अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2003-2006 के मार्च माह के दौरान भारी संवितरण किए गए। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 8.17: अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | मुख्य शीर्ष | वर्ष के दौरान व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय की प्रतिशतता |
|---------|---|--------------------|----------------|-----------------------|
| 2003-04 | 5425- अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 15.61 | 8.97 | 57 |
| | 5455- मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय | 39.43 | 19.30 | 49 |
| 2004-05 | 5425- अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 11.48 | 8.72 | 76 |
| | 7425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु ऋण | 9.00 | 9.00 | 100 |
| 2005-06 | 5425- अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 20.14 | 9.38 | 47 |
| | 5455- मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय | 32.60 | 27.01 | 83 |
| | 7425- दवा उद्योगों को ऋण एवं अग्रिम | 64.30 | 60.30 | 94 |

अवास्तविक बजट बनाना

8.19 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48(2) के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान उनकी संवितरण-प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी मितव्ययी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं।

वर्ष 2003-06 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नीचे दर्शाए गए उप-शीर्षों के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे जिसका परिणाम योजनाओं/कार्यक्रमों के गैर-कार्यान्वयन तथा संसद द्वारा पारित बजट प्रावधान के मूल उद्देश्य के विफल होने में हुआ।

तालिका 8.18 : अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | उप-शीर्ष | मूल प्रावधान | अव्ययित प्रावधान |
|---------|--|--------------|------------------|
| 2003-04 | 5455.00.800.01 भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र | 0.03 | 0.03 |
| | 3455.00.800.02 भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र | 0.05 | 0.05 |
| 2004-05 | 3455.00.798.03 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 2.40 | 2.40 |
| | 5425.00.800.04 डिजिटल मानचित्रण प्रणाली (रा.ए.वि.मा.सं.) | 0.50 | 0.50 |
| | 5455.00.200.02 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 5.00 | 5.00 |
| | 5455.00.800.01 भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र | 0.03 | 0.03 |
| 2005-06 | 3425.60.200.36 नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन | 200.00 | 200.00 |

निरन्तर बचत

8.20 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान उनकी संवितरण-प्रवृत्ति तथा अन्य सम्बद्ध कारकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं। वर्ष 2003-06 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नीचे दर्शाए गए उपशीर्षों के अंतर्गत प्रावधानों का निरन्तर कम उपयोग हो रहा था जो अयथार्थवादी बजटीकरण, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही को दर्शाता था। कुछ उपशीर्षों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

तालिका 8.19 : निरन्तर बचत

(करोड़ रुपयों में)

| मुख्य शीर्ष | वर्ष | | वर्ष | | वर्ष | |
|--|----------|------|----------|------|----------|------|
| | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | |
| | प्रावधान | बचत | प्रावधान | बचत | प्रावधान | बचत |
| 3425.01.003.01 प्रशिक्षण संगठन | 3.77 | 0.01 | 4.20 | 0.31 | 5.57 | 0.10 |
| 3425.01.101.01 सर्वेक्षण दल | 79.61 | 0.66 | 83.83 | 3.12 | 81.06 | 2.82 |
| 3425.01.103.01 मानचित्र प्रकाशन विभाग | 24.20 | 0.33 | 26.25 | 2.10 | 26.04 | 0.39 |
| 3425.01.800.01 अन्य योजनाएं | 18.55 | 0.75 | 21.51 | 1.32 | 27.89 | 1.00 |
| 3425.60.600.01 राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र | 10.26 | 0.56 | 17.03 | 2.29 | 12.82 | 0.86 |
| 3455.00.004.01 अनुसंधान एवं विकास सेवाएं | 9.95 | 0.36 | 12.08 | 1.45 | 12.63 | 1.92 |
| 3455.00.102.01 वेधशालाएं सेवाएं | 67.71 | 0.28 | 73.38 | 2.50 | 79.94 | 6.62 |
| 3455.00.200.01 मौसम विज्ञान सेवाएं | 33.62 | 0.08 | 36.34 | 2.18 | 36.91 | 3.85 |
| 5455.00.102.01 उपस्कर | - | - | 25.38 | 2.34 | 28.55 | 5.94 |

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.21 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध, मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है तथा मंत्रालय के अधीन इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु उत्तरदायी है जिसमें अन्य के अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, अधीनस्थ विभाग, स्वायत्त अनुसंधान संस्थान/अन्य निकाय तथा वैज्ञानिक/अभियांत्रिकी/शैक्षिक संघ शामिल हैं। वर्तमान में आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध के क्षेत्राधिकार में वि.प्रौ.वि. की 86 इकाइयों को सम्मिलित करके 94 इकाइयां हैं। निम्नलिखित तालिका लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाइयों की वर्षवार कुल संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों तथा कमी के प्रतिशतता को दर्शाती है।

तालिका 8.20: निरन्तर बचत

| वर्ष | योजित इकाइयां | लेखापरीक्षित | कमी की प्रतिशतता |
|---------|---------------|--------------|------------------|
| 2003-04 | 74 | 32 | 57 |
| 2004-05 | 92 | 48 | 48 |
| 2005-06 | 69 | 42 | 39 |

2003-06 के दौरान लेखापरीक्षा संचालन में 39 से 57 प्रतिशत के बीच की कमी थी। वि.प्रौ.वि. द्वारा निधियों की भारी राशि के संचालन तथा इसकी विभिन्न क्रियाकलापों की व्यापक रेंज को ध्यान में रखते व्यय की प्रमात्रा, प्रवाह, नियमितता, औचित्य तथा मितव्ययता के उपर निगरानी रखने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

8.22 सा. वि. नि. के नियम 212(2)(1) के अनुसार संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुदान के उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र, लेखा नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं। इन प्रमाणपत्रों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया गया है जिनके लिए ये स्वीकृत की गई थीं तथा जहां अनुदान कुछ शर्तों के जारी किए गए थे वहां निर्धारित शर्तों की पूर्ति हो गई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में विभाग ने बताया कि 2003-04 तक बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति 'शून्य' है तथा 2004-05 हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र अभी प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2006)। अभिलेखों के सत्यापन पर यह पाया गया कि इस सच्चाई के बावजूद कि मंत्रालय ने वर्ष 2003-06 के दौरान कुल 2360.71 करोड़ रुपये के कुल अनुदान जारी किए थे न तो भू.ले.का. और न ही वि.प्रौ.वि. ने प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु रजिस्टर/दस्तावेज अनुरक्षित कर रहा था।

अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग

(जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.23 जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग को पड़ोसी देशों के साथ यानीय यातायात के संचालन के लिए प्रबंध करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों (रा.रा.) के निर्माण एवं रखरखाव, मोटर गाड़ी अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटर गाड़ी नियमावली के प्रबंधन, सड़क परिवहन, पर्यावरण मामले, आटोमोटिव मापदण्डों इत्यादि से सम्बन्धित विस्तृत नीतियां प्रतिपादित करने का कार्य सौंपा गया है।

विभाग, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित नीतियों को प्रतिपादित एवं कार्यान्वित करने, केन्द्रीय क्षेत्र निधि योजना, केन्द्रीय सड़क निधि प्रबंधन तथा सड़क कार्यों से संबंधित अनुसंधानों के लिए भी उत्तरदायी है।

समग्र स्थिति

8.24 वर्ष 2003-06 के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

तालिका 8.21 : समग्र स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | कुल प्रावधान | | वास्तविक संवितरण | | अव्ययित प्रावधान | |
|-----------------|--------------|----------|------------------|---------|------------------|---------|
| | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| दत्तमत | | | | | | |
| 2003-04 | 5615.47 | 6478.47 | 5466.01 | 5521.28 | 149.46 | 957.19 |
| 2004-05 | 5458.20 | 7232.96 | 5030.89 | 5392.71 | 427.31 | 1840.25 |
| 2005-06 | 8584.38 | 10635.02 | 8136.21 | 9071.39 | 448.17 | 1563.63 |
| प्रसारित | | | | | | |
| 2003-04 | 0.40 | 5.40 | 0.33 | 4.21 | 0.07 | 1.28 |
| 2004-05 | 0.50 | 5.40 | 0.22 | 0.64 | 0.28 | 4.76 |
| 2005-06 | 0.75 | 5.90 | 0.51 | 4.87 | 0.24 | 1.03 |

निरंतर अधिक व्यय/अव्ययित प्रावधान

8.25 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व और पूँजीगत भागों के अन्तर्गत निरन्तर अधिक व्यय/अव्ययित प्रावधान थे। तीन वर्षों के दौरान अधिक व्यय तथा अव्ययित प्रावधानों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

तालिका 8.22: निरंतर अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | मुख्य/उप-शीर्ष | संस्वीकृत उपलब्ध प्रावधान | वास्तविक व्यय | अधिक व्यय |
|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------|
| 2003-04 | 3054.02.800.02 - सड़क कार्य | 14.02 | 14.15 | 0.13 |
| 2004-05 | -वही- | 23.10 | 24.24 | 1.14 |
| 2005-06 | -वही- | 16.72 | 16.79 | 0.07 |

तालिका 8.23: निरंतर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | वर्ष | मुख्य/उप-शीर्ष | संस्वीकृत उपलब्ध प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान |
|----------|---------|--|---------------------------|---------------|------------------|
| 1. | 2003-04 | 3451.00.090.11 - सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय | 37.28 | 35.19 | 2.09 |
| | 2004-05 | -वही- | 39.83 | 38.33 | 1.50 |
| | 2005-06 | -वही- | 46.74 | 42.66 | 4.08 |
| 2. | 2003-04 | 3054.01.052.01 - मशीनरी एवं उपस्कर का रखरखाव | 1.20 | 0.33 | 0.87 |
| | 2004-05 | -वही- | 1.20 | 0.38 | 0.82 |
| | 2005-06 | -वही- | 1.55 | 0.03 | 1.52 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| क्र. सं. | वर्ष | मुख्य/उप-शीर्ष | संस्वीकृत उपलब्ध प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान |
|----------|---------|--|---------------------------|---------------|------------------|
| 3 | 2004-05 | 3054.04.337.07 - बिना विधायिका वाली संघ शासित सरकारों हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | 5.47 | 2.02 | 3.45 |
| | 2005-06 | -वही- | 4.46 | 2.00 | 2.46 |
| 4 | 2003-04 | 3055.00.004.20 - सड़क सुरक्षा | 28.16 | 27.62 | 0.54 |
| | 2004-05 | -वही- | 30.90 | 27.85 | 3.05 |
| | 2005-06 | -वही- | 28.56 | 22.21 | 6.35 |
| 5 | 2003-04 | 3601.02.105.01 - राज्य सड़कों हेतु अनुदान | 875.60 | 767.07 | 108.53 |
| | 2004-05 | -वही- | 835.53 | 603.74 | 231.79 |
| | 2005-06 | -वही- | 1478.55 | 1297.28 | 181.27 |
| 6 | 2003-04 | 3601.04.105.01 - अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व वाली सड़कें | 70.00 | 64.52 | 5.48 |
| | 2004-05 | -वही- | 92.00 | 16.88 | 75.12 |
| | 2005-06 | -वही- | 162.05 | 86.09 | 75.96 |
| 7 | 2003-04 | 5054.01.101.02 - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य | 86.00 | 67.03 | 18.97 |
| | 2004-05 | -वही- | 90.00 | 19.96 | 70.04 |
| 8 | 2003-04 | 5054.01.052.02 - मशीनरी एवं उपस्कर | 8.00 | 6.29 | 1.71 |
| | 2004-05 | -वही- | 3.00 | 2.72 | 0.28 |
| | 2005-06 | -वही- | 13.00 | 12.62 | 0.38 |
| 9 | 2003-04 | 5054.01.337.01 - सड़क स्कंध के अंतर्गत कार्य प्रभारित | 4.80 | 3.73 | 1.07 |
| | 2004-05 | -वही- | 4.60 | 0.03 | 4.57 |
| | 2005-06 | -वही- | 5.00 | 4.05 | 0.95 |
| | | दत्तमत | | | |
| | 2003-04 | -वही- | 2679.62 | 2654.51 | 25.11 |
| | 2004-05 | -वही- | 3237.76 | 2587.10 | 650.66 |
| | 2005-06 | -वही- | 4633.29 | 4626.16 | 7.13 |

अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

8.26 सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 56(2) प्रावधान करता है कि अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को सम्भावित भावी आधिक्य हेतु भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से प्रकट हुआ की इसके विपरीत मंत्रालय ने प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किए। 2003-06 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के विवरण नीचे दिए गए है :

तालिका 8.24: अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | अव्ययित प्रावधान | | अभ्यर्पित राशि | | अभ्यर्पण की तिथि |
|-----------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------------------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व (प्रतिशत) | पूंजीगत (प्रतिशत) | |
| 2003-2004 | 149.53 | 958.47 | 79.38 | 932.09 | 24.3.2004 31.3.2004 |
| 2004-2005 | 427.58 | 1845.01 | 22.09 | 1183.80 | 28.3.2005 31.3.2005 |
| 2005-2006 | 448.40 | 1564.66 | 141.67 | 1539.58 | 24.3.2006 31.3.2006 |

अन्धाधुन्ध व्यय

8.27 अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2003-2006 के मार्च माह के दौरान भारी संवितरण किए गए। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 8.25: अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | मुख्य शीर्ष | कुल व्यय | मार्च में वहनित व्यय | वर्ष के मार्च माह के दौरान व्यय की प्रतिशतता |
|---------|--|----------|----------------------|--|
| 2003-04 | 3054 - सड़क एवं पुल | 3952.28 | 3685.47 | 93 |
| | 3055 सड़क परिवहन | 34.55 | 15.92 | 46 |
| | 5054 - सड़क एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय | 5235.62 | 1929.94 | 37 |
| | 7075 - अन्य परिवहन एवं सेवा हेतु ऋण | 289.78 | 174.94 | 60 |
| 2004-05 | 3055 - सड़क परिवहन | 36.09 | 13.54 | 38 |
| | 5054 - सड़क एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय | 5032.85 | 1944.88 | 39 |
| 2005-06 | 3055 - सड़क परिवहन | 30.39 | 8.84 | 29 |
| | 3601 - राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान | 2062.19 | 458.68 | 22 |

विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

8.28 उन मामलों में जहाँ भुगतान के लिए विद्यमान प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का) अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त होने पर ही भुगतान कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जाएंगी। वर्ष 2003-06 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध प्रावधान से अधिक भुगतान किया गया था, किन्तु विभाग ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अंतिम व्यय को पर्याप्त रूप से समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया था जो संबंधित अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा निष्प्रभावी व्यय नियंत्रण को दर्शाता है।

तालिका 8.26: विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | मूल (मू.) पुनर्विनियोग (पु.) | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+) |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2003-04 | | | | | |
| 1 | 3054.01.337.01 - सड़क स्क्व द्वारा रखरखाव | मू. 689.54 अ. 4.25 | 693.79 | 714.63 | 20.84 |
| 2 | 3054.02.337.01 - सड़क रखरखाव | मू. 51.82 पु. 6.76 | 58.58 | 63.04 | 4.46 |
| 3 | 3054.02.800.02 - सड़क कार्य | मू. 22.09 पु. (-) 8.07 | 14.02 | 14.15 | 0.13 |
| 4 | 3601.01.821.02 - बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य (दत्तमत) | मू. 373.66 पु. 10.67 | 384.33 | 411.22 | 26.89 |
| 5 | 3601.03.821.02 - बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य | मू. 17.50 पु. 5.00 | 22.50 | 24.50 | 2.00 |
| 6 | 5054.02.337.03 - बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य (दत्तमत) | मू. 356.40 अ. 0.01 पु. 133.57 | 489.98 | 510.67 | 20.69 |
| 2004-05 | | | | | |
| 7 | 3054.02.337.01 - सड़क रखरखाव | मू. 55.67 अ. 20.06 | 75.73 | 75.83 | 0.10 |
| 8 | 3054.02.800.02 - सड़क कार्य | मू. 14.30 अ. 08.80 | 23.10 | 24.24 | 1.14 |
| 9 | 3601.01.821.02 - बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य (दत्तमत) | मू. 395.52 अ. 52.00 | 447.52 | 447.70 | 0.18 |
| 10 | 3601.01.821.03 - सड़क रखरखाव | मू. 160.80 अ. 1.42 | 162.22 | 168.02 | 5.80 |
| 11 | 3601.01.821.04 - सुरक्षा आवरण पर व्यय | मू. 15.24 | 15.24 | 16.11 | 0.87 |
| 12 | 5054.02.337.03 - बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य (दत्तमत) | मू. 372.55 पु. 97.85 | 470.40 | 574.42 | 104.02 |

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | मूल (मू.) पुनर्विनियोग (पु.) | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+) |
|----------------|---|---|------------|---------------|------------|
| 2005-06 | | | | | |
| 13 | 3054.02.337.01 - सड़क रखरखाव | मू. 77.50 अ. 8.32 पु. (-) 6.32 | 79.50 | 81.17 | 1.67 |
| 14 | 3054.02.337.02 - सीमा सड़क स्क्वैड द्वारा रखरखाव | मू. 0.51 अ. 0.03 | 0.54 | 0.86 | 0.32 |
| 15 | 3601.01.821.02 - बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य (दत्तमत) | मू. 433.12 अ. 24.30 पु. (-) 16.42 | 441.00 | 446.64 | 5.64 |
| 16 | 5054.01.101.02 - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य | मू. 90.00 पु. (-) 55.00 | 35.00 | 35.48 | 0.48 |
| 17 | 3054.02.800.02 सड़क कार्य | 25.00 (-) 8.28 | 16.72 | 16.79 | 0.07 |

उप-शीर्षों हेतु निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.29 निम्नलिखित उप-शीर्षों हेतु निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधान पर्याप्तता से अधिक पाए गए थे। फलस्वरूप उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी।

तालिका 8.27: निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(लाख रूपयों में)

| वर्ष | उप-शीर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत (-) |
|---------|---|------------------------------------|---------------|---------|
| | प्रभारित | | | |
| 2003-04 | 5054.02-337.03 - बी.आर.डी.बी.के अंतर्गत कार्य | मू. 30.00 अ. 10.00 पु. 20.00 | 39.17 | - 20.83 |
| | दत्तमत | | | |
| 2005-06 | 3054-01.337.03 - राष्ट्रीय राजमार्ग अभिकरण | अ. 1.00 पु. 4.30 | -- | - 5.30 |

अनुपूरक अनुदानों का अवास्तविक अनुमान

8.30 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय मंत्रालय को उपलब्ध या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा अतिरिक्त बजट के लिए निधियों की आवश्यकता के पूर्वानुमान के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। अनुपूरक मांगों का सहारा अपवादात्मक एवं अत्यावश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए।

यद्यपि निम्नलिखित मामलों में अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे फिर भी अंतिम व्यय मूल अनुदानों से भी बहुत कम था। यह मानीटरिंग तथा व्यय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

तालिका 8.28: अव्ययित अनुपूरक अनुदान

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | उप-शीर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान (-) |
|---------|--|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 2003-04 | 5054.02.337.03 - बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत कार्य | मू. 30.00 | 39.17 | 20.83 |
| | | अ. 10.00 | | |
| | | पु. 20.00 | | |
| 2004-05 | 3054.02.800.01 - भूटान प्रतिपूरक भत्ता | मू. 229.00 | 222.58 | 23.42 |
| | | अ. 17.00 | | |
| | 3601.01.821.02 - बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य (प्रभारित) | मू. 40.00 | 22.26 | 12.74 |
| | | अ. 10.00 पु. -15.00 | | |
| 2005-06 | 3054.01.337.01 - सड़क स्कंध द्वारा रखरखाव | मू. 74714.00 | 82258.50 | 2311.50 |
| | | अ. 9896.00 | | |
| | | पु. -40.00 | | |
| | | अ. 1.00 पु. 4.30 | | |
| 2005-06 | 3055.00.004.20 - सड़क सुरक्षा | मू. 3555.00 | 2221.35 | 634.65 |
| | | अ. 1.00 | | |
| | | पु. -700.00 | | |
| | | मू. 50.00 अ. 25.00 पु. -5.00 | | |
| 2005-06 | 3601.01.821.02 - बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य (प्रभारित) | मू. 50.00 | 51.17 | 18.83 |
| | | अ. 25.00 | | |
| | | पु. -5.00 | | |
| | | मू. 50.00 अ. 25.00 पु. -5.00 | | |

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.31 जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग का आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध इस मंत्रालय के अंतर्गत इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालन करने हेतु उत्तरदायी है। आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 36 इकाइयां हैं जिनमें से वर्ष 2003-06 के दौरान केवल 9 से 17 इकाइयों की जांच की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

तालिका 8.29 : आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

| वर्ष | इकाइयों की कुल संख्या | वास्तविक लेखापरीक्षित इकाइयाँ | जांच की गई इकाइयों की प्रतिशतता |
|---------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2003-04 | 36 | 9 | 25 |
| 2004-05 | 36 | 17 | 47 |
| 2005-06 | 36 | 10 | 28 |

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। मंत्रालय द्वारा भारी मात्रा में निधियों के निक्षेप तथा इसके कार्यकलापों की रेंज को ध्यान में रखते हुए व्यय की प्रमात्रा, प्रवाह, नियमितता, औचित्य तथा मितव्ययता पर निगरानी रखने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अनुदान सं. 89- अन्तरिक्ष विभाग

प्रस्तावना

8.32 अन्तरिक्ष विभाग (अ.वि.) तथा उसकी घटक इकाइयाँ राष्ट्रीय अन्तरिक्ष गतिविधियों की योजना बनाने तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक लाभ हेतु अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा अन्तरिक्ष विज्ञान के विकास एवं अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है।

समग्र स्थिति

8.33 वर्ष 2003-06 के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय तथा अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 8.30: समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | कुल प्रावधान | | वास्तविक संवितरण | | अव्ययित प्रावधान | |
|-----------------|--------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| दत्तमत्त | | | | | | |
| 2003-04 | 1888.23 | 480.08 | 1810.67 | 457.69 | 77.56 | 22.39 |
| 2004-05 | 2166.94 | 564.35 | 1971.61 | 562.44 | 195.33 | 1.91 |
| 2005-06 | 2539.76 | 607.89 | 2103.81 | 563.40 | 435.95 | 44.49 |
| प्रभारित | | | | | | |
| 2003-04 | 0.23 | 0.35 | 0.13 | 0.32 | 0.10 | 0.03 |
| 2004-05 | 0.38 | 0.35 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.23 |
| 2005-06 | 0.42 | 0.35 | 0.04 | 0.35 | 0.38 | - |

अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

8.34 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(2) प्रावधान करता है कि अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर उसको वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए।

नमना जांच से प्रकट हुआ की नियम के विपरीत विभाग ने वित्तीय वर्ष 2003-06 की समाप्ति पर अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किए। 2003-06 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत अनुभागों के अंतर्गत अभ्यर्पित की गई तथा नहीं की गई राशियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 8.31: अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | कुल अव्ययित प्रावधान | | अभ्यर्पित राशियां | | अभ्यर्पित नहीं की गई राशियां | अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण की तिथि |
|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | | |
| 2003-04 | 77.67 | 22.42 | 74.39 | 18.80 | 6.90 | 20.03.2004 |
| 2004-05 | 195.54 | 2.13 | 191.23 | -- | 6.44 | 21.03.2005 |
| 2005-06 | 436.33 | 44.49 | 430.00 | 42.90 | 7.92 | 21.03.2006 |

अव्ययित प्रावधान द्वारा प्रभावित प्रयोजनाएं/योजनाएं

8.35 अव्ययित प्रावधानों द्वारा प्रभावित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की चर्चा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

(i) ओशनसैट-2

समुद्र एवं तटीय अनुप्रयोग कार्यक्रम के लिए "ओशनसैट-2" हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान पृथ्वी प्रेषण प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2003-05 के लिए विनियोग लेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 20.00 करोड़ रु तथा 19.50 करोड़ रु के बजट प्रावधान प्रयोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहे। निम्न तालिका विवरणों को दर्शाती है:

तालिका 8.32 : अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|---------|--------------|------------------|-------|
| 2003-04 | 20.00 | - | 20.00 |
| 2004-05 | 19.50 | - | 19.50 |
| 2005-06 | 48.50 | 24.89 | 23.61 |

(iii) रिसोर्ससैट-2

समुन्नत सामर्थ्य के साथ सेवाओं की निरन्तरता प्रदान करने के लिए संसाधन प्रबंधन उपयोग कार्यक्रम हेतु "रिसोर्ससैट-2" कार्यक्रम के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

(2002-07) के दौरान पृथ्वी प्रेषण प्रणाली आरम्भ की गई थी। विनियोग लेखों की जांच से प्रकट हुआ कि इसके लिए वर्ष 2003-06 के दौरान बनाए गए बजट प्रावधान परियोजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहे। निम्न तालिका विवरणों को दर्शाती है:

तालिका 8.33: अव्ययित प्रावधान

| (करोड़ रूपयों में) | | | |
|--------------------|--------------|------------------|------|
| वर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
| 2004-05 | 5.00 | - | 5.00 |
| 2005-06 | 5.00 | - | 5.00 |

अवास्तविक बजट बनाना

8.36 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान उनकी संवितरण-प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मितव्ययी अनुदेशों जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं।

वर्ष 2003-06 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कई उप-शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2003-06 के दौरान प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किए गए जिससे संसद द्वारा पारित बजट प्रावधान का मूल उद्देश्य विफल हो गया। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 8.34 : अवास्तविक बजट बनाना

| (करोड़ रूपयों में) | | | | |
|--|--------------|---------------|--------|------------------|
| मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत | बचत की प्रतिशतता |
| राजस्व अनुभाग | | | | |
| 2003-04 | | | | |
| 3402.00.101.29 - आई.आर.एस.-II बी/सी (ओशनसैट -2/रिसोर्ससैट-2) | 20.00 | - | 20.00 | 100 |
| 3402.00.103.10-एस्ट्रोसैट | 10.00 | - | 10.00 | 100 |
| 2004-05 | | | | |
| 3402.00.101.29 -ओशनसैट-II | 19.50 | - | 19.50 | 100 |
| 3402.00.101.37 -रिसोर्ससैट -II | 5.00 | - | 5.00 | 100 |
| 2005-06 | | | | |
| 3402.00.101.27 - सेकिंड लांच पैड एवं सामान्य सुविधाएं | 0.10 | - | 0.10 | 100 |
| 3402.00.101.37 - रिसोर्ससैट-II | 5.00 | - | 5.00 | 100 |
| 3402.00.101.38- सैटेलाइट नेवीगेशन | 340.00 | - | 340.00 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत | बचत की प्रतिशतता |
|--|--------------|---------------|-------|------------------|
| पूंजीगत अनुभाग | | | | |
| 2003-04 | | | | |
| 5402.00.101.29 - जी.एस.ए.टी-4 - | 1.00 | - | 1.00 | 100 |
| 5402.00.283.06 - रिजनल रिमोट सेन्सींग सर्विस सेन्टर | 0.02 | - | 0.02 | 100 |
| 2004-05 | | | | |
| 5402.00.101.13 - आई.आर.एस.पी.6 (रिसोर्ससेट) | 0.10 | - | 0.10 | 100 |
| 5402.00.101.26 - स्पेस कैपसूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट (एसआरआई) | 1.75 | - | 1.75 | 100 |
| 5402.00.101.30 - ओशनसेट -2 | 0.50 | - | 0.50 | 100 |
| 5402.00.103.02 - अन्तरिक्ष विज्ञान (एस्ट्रोसेट) | 1.00 | - | 1.00 | 100 |
| 5402.00.283.04 - इसरो टेलिमेट्री ट्रेकिंग एण्ड कमांड नेटवर्क | 0.01 | - | 0.01 | 100 |
| 2005-06 | | | | |
| 5402.00.101.26 - स्पेस कैपसूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट (एसआरआई) | 1.00 | - | 1.00 | 100 |
| 5402.00.101.31 - सैटेलाइट नेवीगेशन | 10.00 | - | 10.00 | 100 |
| 5402.00.283.04 - इसरो टेलिमेट्री ट्रेकिंग एण्ड कमांड नेटवर्क | 0.01 | - | 0.01 | 100 |

उप-शीर्षों हेतु निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.37 निम्नलिखित उप-शीर्षों को पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उनके अंतर्गत मूल प्रावधान आवश्यकता से अधिक पाए गए थे। फलस्वरूप उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी।

तालिका 8.35 : उप-शीर्षों हेतु निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(करोड़ रूपयों में)

| मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत (-) आधिक्य (+) |
|--|------------|---------------|--------------------|
| 2003-04 | | | |
| 5402.00.283.04 - इसरो टेलिमेट्री ट्रेकिंग एण्ड कमांड नेटवर्क | मू. | 0.05 | - 0.07 |
| | पु. | 0.06 | |
| 2004-05 | | | |
| 3402.00.101.30- रडार विकास स्कंध (र.वि.स्क.) | मू. | 1.06 | - 0.02 |
| | पु. | .02 | |
| 3402.00.798.02 -अन्य कार्यक्रम | मू. | 0.41 | - 0.03 |
| | पु. | 0.02 | |

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

अन्धाधुन्ध व्यय

8.38 अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, लेखों के निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2003-2006 के मार्च माह के दौरान भारी संवितरण किए गए:

तालिका 8.36 : अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रुपयों में)

| मुख्य शीर्ष | 2003-04 | | | 2004-05 | | | 2005-06 | | |
|---|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|
| | कुल व्यय | मार्च 2004 में व्यय | प्रतिशतता | कुल व्यय | मार्च 2005 में व्यय | प्रतिशतता | कुल व्यय | मार्च 2006 में व्यय | प्रतिशतता |
| 3252 - उपग्रह प्रणाली | 434.04 | 101.23 | 23 | 308.49 | 127.67 | 41 | 415.58 | 215.07 | 52 |
| 3402 - अन्तरिक्ष अनुसंधान | 1372.70 | 356.84 | 26 | 1658.44 | 564.69 | 34 | 1683.14 | 348.99 | 21 |
| 5252 - उपग्रह प्रणाली पर पूंजीगत परिव्यय | 45.24 | 12.20 | 27 | 28.63 | 14.26 | 50 | 16.57 | 4.99 | 30 |
| 5402 - अन्तरिक्ष प्रणाली पर पूंजीगत परिव्यय | 412.45 | 253.15 | 61 | 533.81 | 335.87 | 63 | 546.83 | 331.63 | 61 |

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

8.39 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212(1) के अनुसार संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुदान के उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र, लेखा नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं। इन प्रमाणपत्रों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया गया है जिनके लिए ये स्वीकृत की गई थीं तथा जहां अनुदान कुछ शर्तों के जारी किए गए थे वहां निर्धारित शर्तों की पूर्ति हो गई थी।

अन्तरिक्ष विभाग द्वारा 2004-05 तक जारी अनुदानों हेतु उपयोग प्रमाणपत्रों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 31.3.2006 तक 23.95 करोड़ रु. को सम्मिलित करते हुए 336 मामलों में उपयोग प्रमाणपत्र बकाया थे जैसा कि परिशिष्ट-VIII-घ दिखाया गया है।

अनुदान सं. 94 - जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रस्तावना

8.40 मंत्रालय का गठन अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के एकीकृत सामाजिक - आर्थिक विकास पर समन्वित एवं योजनाबद्ध तरीके से अधिक केन्द्रित ध्यान देने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन द्वारा अक्टूबर 1999 में किया गया था।

समग्र स्थिति

8.41 वर्ष 2003-06 के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय तथा अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 8.37 : समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | कुल प्रावधान | | वास्तविक संवितरण | | अव्ययित प्रावधान | |
|-----------------|--------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| दत्तमत्त | | | | | | |
| 2003-04 | 128.02 | 41.26 | 73.78 | 17.29 | 54.24 | 23.97 |
| 2004-05 | 138.32 | 50.26 | 88.16 | 24.75 | 50.16 | 25.51 |
| 2005-06 | 97.14 | 36.01 | 86.31 | --- | 10.83 | 36.01 |
| प्रभारित | | | | | | |
| 2003-04 | 928.43 | - | 810.05 | - | 118.38 | - |
| 2004-05 | 970.43 | - | 949.82 | - | 20.61 | - |
| 2005-06 | 1376.61 | - | 1313.62 | - | 62.99 | - |

निरन्तर अव्ययित प्रावधान

8.42 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व और पूंजीगत भागों के अंतर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान निरन्तर अव्ययित प्रावधानों एवं आधिक्य व्यय के उदाहरण परिशिष्ट VIII-ड तथा परिशिष्ट-च में दिए गए हैं। इसलिए बजट के पूर्वानुमानों तथा कार्यक्रम प्रबंधन की कार्यकुशलता की समीक्षा की आवश्यकता है।

विनियोग/पुनर्विनियोग से आधिक्य व्यय

8.43 उन मामलों में जहाँ भुगतान के लिए विद्यमान प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) अनुदान नियन्त्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त होने पर ही भुगतान कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जाएगी।

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2003-06 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि यद्यपि निम्नलिखित मामलों में संबंधित उप-शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय किया गया था, किन्तु अनुदान/विनियोग को नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अंतिम व्यय को पर्याप्त रूप से समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया था। यह त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण को दर्शाता था।

तालिका 8.38 : विनियोग/पुनर्विनियोग की तुलना में आधिक्य व्यय

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | उप-शीर्ष | | मूल/पुनर्विनियोग | वास्तविक व्यय | अंतिम आधिक्य व्यय |
|---------|---|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2003-04 | 2251.00.090.16 - जनजातीय कार्य मंत्रालय | मू. पु. | 4.74 (-1.12) | 3.71 | 0.09 |
| | 2225.02.800.10 - जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास हेतु कम साक्षरता वाले स्थल पर शैक्षिक कॉम्प्लैक्स | मू. पु. | 8.00 (-2.28) | 5.75 | 0.03 |
| | 2225.02.800.19 - गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | मू. पु. | 30.50 (-) 3.61 | 26.90 | 0.01 |
| 2004-05 | 2251.00.090.16 - जनजातीय कार्य मंत्रालय | मू. पु. | 6.16 (-)1.87 | 4.33 | 0.04 |
| | 2225.02.277.05 - आदिम जनजातीय समूहों का विकास | मू. पु. | 6.00 (-)0.34 | 5.80 | 0.14 |
| | 2225.02.277.10 - गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | मू. पु. | 0.50 (-)0.37 | 0.14 | 0.01 |
| | 2225.02.800.11 - जनजातीय क्षेत्रों व्यवसायिक प्रशिक्षण | मू. पु. | 4.00 (-)3.58 | 0.57 | 0.15 |
| 2005-06 | 2225.02.001.06 - अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग | मू. पु. | 4.56 (-)1.37 | 3.28 | 0.09 |
| | 2225.02.800.19 - गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | मू. पु. | 22.35 3.73 | 26.11 | 0.03 |
| | 2225.02.800.21 - अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य | मू. पु. | 2.20 (-)0.91 | 1.37 | 0.08 |

अवास्तविक बजट बनाना

8.44 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48 प्रावधान करता है कि मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान उनकी संवितरण-प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मितव्ययी अनुदेशों जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं। वर्ष 2003-06 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि परिशिष्ट VIII-छ में दिखाए गए उप-शीर्षों के अंतर्गत 53 से 100 प्रतिशत तक प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किए गए जिससे संसद द्वारा पारित बजट प्रावधान का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

8.45 सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 56 प्रावधान करता है कि अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को सम्भावित भावी आधिक्य हेतु भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। विनियोग लेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि नियम के विपरीत मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किए। 2003-06 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 8.39 : अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | अव्ययित प्रावधान | | अभ्यर्पित राशि | | अभ्यर्पण की तिथि |
|---------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | |
| 2003-04 | 172.61 | 23.97 | 171.34 | 23.97 | 31.03.2004 |
| 2004-05 | 70.77 | 25.51 | 69.61 | 25.51 | 31.03.2005 |
| 2005-06 | 73.82 | 36.01 | 73.61 | 36.01 | 31.03.2006 |

अन्धाधुन्ध व्यय

8.46 अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, पिछले तीन वर्षों में मार्च माह के दौरान मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच व्यय वहन किया गया जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 8.40: अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | मुख्य शीर्ष | वर्ष के दौरान | मार्च के दौरान (प्रतिशतता) |
|---------|--|---------------|----------------------------|
| 2003-04 | 2225 – अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. का कल्याण | 54.08 | 15.83 (29) |
| | 4225 – अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 17.29 | 15.42 (89) |
| 2004-05 | 2225 – अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. का कल्याण | 58.81 | 21.70 (37) |
| | 2251 – सचिवालय – सामाजिक सेवाएं | 4.33 | 0.85 (20) |
| | 4225 – अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 24.75 | 24.75 (100) |
| | 3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 974.82 | 269.29 (28) |
| 2005-06 | 2225 – अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. का कल्याण | 55.64 | 28.26 (51) |

समस्त निधियों का अनुपयोग अथवा उनका विनियोग

8.47 2003-06 के दौरान परिशिष्ट-VIII-ज में दर्शाए गए 23 उप-शीर्षों के अंतर्गत समस्त प्रावधान या तो अप्रयुक्त रहे अथवा पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किए गए। स्पष्टतया, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए गए बजट परिपत्रों में निहित अनुदेशों के उल्लंघन करते हुए परियोजनाओं एवं योजनाओं की पर्याप्त पूर्व-बजट संवीक्षा किए बिना तैयार किए गए थे।

अव्ययित प्रावधानों द्वारा प्रभावित योजनाएं

8.48 अव्ययित प्रावधानों द्वारा प्रभावित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर अनुवर्ती पैराग्राफों में विचार किया गया है।

(i) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

योजना को 1992-93 में विभिन्न नौकरियों के साथ-साथ स्वरोजगार हेतु जनजाति नौजवानों की निपुणता के विकास तथा उनकी आय में वृद्धि द्वारा उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के विचार से आरम्भ किया गया था। बजट प्रावधानों तथा वास्तविक संवितरण के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2003-06 के दौरान आबंटन के बढ़ते हुए अंश अप्रयुक्त रहे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 8.41 : जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | संस्वीकृत प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान | प्रतिशतता | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|---------|--------------------|---------------|------------------|-----------|---|
| 2003-04 | 4.00 | 1.18 | 2.82 | 71 | बचत व्यय विभाग द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर लगाई गई कटौती तथा पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थी। |
| 2004-05 | 4.00 | 0.57 | 3.43 | 86 | बचत पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थी। |
| 2005-06 | 1.40 | 0.73 | 0.67 | 48 | बचत राज्य समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण थी। |

योजना के लक्षित परिव्यय के मात्र 14 से 52 प्रतिशत का प्रयोग शिथिल कार्यान्वयन को दर्शाता था जो इस योजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त नहीं होने का कारण बना।

(ii) आदिवासी भवन का निर्माण

जनजातियों को उनकी जनजातीय एवं लोक कला तथा संस्कृति के प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान करने हेतु आंतरिक उद्घाटन का अवसर और गैर जनजातीय लोगों के लिए जनजातीय संस्कृति का वातायन प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक आदिवासी भवन का निर्माण किया जाना था। इसका उद्देश्य जनजातियों से संबंधित इतिहास के प्रलेखन, कला तथा संस्कृति को घर-घर पहुंचाना था। वर्ष 2004-05 के इस योजना हेतु 7 करोड़ रु. का बजट प्रावधान था। बजट प्रावधान तथा वास्तविक संवितरण के विशलेषण से प्रकट हुआ कि 2004-06 के दौरान समस्त आबंटन अप्रयुक्त रहा जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 8.42 : आदिवासी भवन का निर्माण

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | संस्वीकृत प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान | प्रतिशतता | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|---------|--------------------|---------------|------------------|-----------|---|
| 2004-05 | 7.00 | --- | 7.00 | 100 | आदिवासी भवन हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे। |
| 2005-06 | 0.01 | --- | 0.01 | 100 | |

योजना के समस्त प्रावधानों का अप्रयोग शिथिल कार्यान्वयन को दर्शाता था जो लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त नहीं होने का कारण बना।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.49 जनजातीय कार्य मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा प्र. भुगतान एवं लेखा कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रारम्भ होने से अभी तक इस मंत्रालय की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी। यह एक गम्भीर त्रुटि है तथा इस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्याय 9

सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: एक सामान्य मूल्यांकन

राजकोषीय निष्पादन के संकेतक

9.1 यह अध्याय उन मूलभूत सूचकों, जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करने, चिन्ताजनक क्षेत्रों को उजागर करने तथा सरकार की वित्त व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण करने में सहायता करते हैं, के संदर्भ में 1985-2006 के दौरान सरकार के वित्त की संक्षिप्त स्थिति को दर्शाता है। संघ सरकार के राजकोषीय मापदण्डों को मौटे तौर पर चार मुख्य घटकों के समूह में बाँट दिया गया है और प्रत्येक घटक के लिए संकेतकों के समूहों की कल्पना की गई है जिससे समय के साथ राजकोषीय विकास का मूल्यांकन किया जाये। संसाधन संग्रहण, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन और राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन चार मुख्य घटक हैं।

संसाधन संग्रहण

9.2 इस मुख्य घटक के अंतर्गत संसाधनों की पर्याप्तता, इन संसाधनों की वृद्धि और पूर्व निवेश पर वापसी, वित्तीय अंतर्वहन और आज तक हुए पूँजीगत व्यय के चित्रण हेतु तालिका 9.1 में दर्शाए गए आठ संकेतकों को शामिल किया गया है। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजस्व प्राप्ति वर्तमान सेवाओं के प्रावधान के लिए संसाधनों के वर्तमान प्रवाह की पर्याप्तता का संकेत देता है। राजस्व प्राप्तियों में कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की वसूली सम्मिलित हैं। संसाधनों की पर्याप्तता का दूसरा संकेतक, कर-स.घ.उ. अनुपात है, जो राजस्व प्राप्तियों का एक उप-समुच्चय है। यह अनुपात ऐसे संसाधनों तक सरकार की पहुँच का संकेत देता है जिनके लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा प्रावधान बाध्यता नहीं है। राजस्व और कर उत्प्लावकता संसाधनों को जुटाने के लिए किये गये प्रयासों की प्रगति के संकेतक हैं। अन्य चार, पूर्व निवेश की वापसी और उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के संकेतक हैं। तालिका 9.1, 1985-2006, VIIIवीं और IXवीं योजनाओं (1992-1997 और 1997-2002) तथा Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के लिए इन संकेतकों के मान में गति का सारांश दर्शाती है।

तालिका 9.1: संसाधन संग्रहण के संकेतक

(प्रतिशत)

| संकेतक | 1985-2006 | VIIIवीं योजना (1992-1997) | IXवीं योजना (1997-2002) | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|-----------|------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| राजस्व प्राप्ति/स.घ.उ. | 12.51 | 12.71 | 12.40 | 12.14 | 12.29 | 12.14 | 12.20 |
| सकल कर प्राप्ति/स.घ.उ. | 9.35 | 9.32 | 8.68 | 8.76 | 9.22 | 9.82 | 10.37 |
| राजस्व उत्प्लावकता* | 0.94 | 0.94 | 0.78 | 1.59 | 1.11 | 0.89 | 1.05 |
| कर उत्प्लावकता* | 0.93 | 0.96 | 0.86 | 1.90 | 1.50 | 1.59 | 1.46 |
| अग्रिमों पर वापसी | 11.96 | 11.23 | 14.15 | 15.11 | 15.91 | 14.30 | 13.36 |
| निवेश पर वापसी | 5.21 | 2.35 | 5.30 | 8.83 | 9.84 | 13.29 | 18.78 |
| उपभोक्ता प्रभारों की वसूली -सामाजिक सेवाएं | 6.68 | 9.57 | 3.59 | 2.03 | 1.91 | 1.49 | 4.28 |
| उपभोक्ता प्रभारों की वसूली -आर्थिक सेवायें | 52.34 | 57.22 | 55.80 | 43.07 | 45.27 | 51.37 | 45.39 |

* राजस्व और कर उत्प्लावकता के गुणांक अनुपात में है।

9.3 स.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में मन्द प्रवृत्ति को देखा गया था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान मूल्यों की तुलना में IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान अनुपात 12.40 तक तथा उसके बाद Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों में 12.19 की औसत तक कम हुआ। तथापि, कर वसूली Xवीं योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान उत्प्लावक बनी रही तथा वह कर-स.घ.उ. अनुपात की वृद्धि में प्रदर्शित हुआ। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान अनुपात लगातार वृद्धि को दर्शाता था तथा 1992-93 के बाद पहली बार चालू वर्ष में 10 प्रतिशत बढ़ा। यद्यपि हाल के वर्षों के दौरान उत्प्लावक में सुधार था, इसे कायम रखने की आवश्यकता है। राजस्व उत्प्लावक, जो कि VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान एक से कम था तथा IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान और बढ़ता हुआ, Xवीं योजना अवधि के दौरान चार में से तीन वर्षों में न केवल सुधर गया था बल्कि एक से भी बढ़ गया था। निवेश और ऋणों एवं अग्रिमों से वापसी में सकारात्मक सुधार प्रतीत होता था, परन्तु वर्षों के दौरान उपभोक्ता प्रभार की वसूली में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गयी थी। अतः संसाधन संग्रहण प्रयासों ने एक मिलीजुली स्थिति प्रस्तुत की थी।

व्यय प्रबंधन

9.4 व्यय प्रबंधन में इसकी वृद्धि और गुणवत्ता के चित्रण के लिए, तालिका 9.2 में दर्शाए गए आठ संकेतकों की पहचान की गई थी। योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय और विकास व्यय, व्यय की गुणवत्ता के संकेतक हैं। स.घ.उ. की तुलना में व्यय के अनुपात के पैरामीटर और उत्प्लावकता (राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में) स.घ.उ. के साथ व्यय के

सम्बन्ध तथा इन मापदण्डों में बदलाव के प्रति इसकी अनुक्रियाशीलता को दर्शाते हैं। निश्चित समय सीमा में इन मापदण्डों के मूल्य, तालिका 9.2 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 9.2: व्यय प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

| संकेतक | 1985-2006 | VIII वीं योजना (1992-1997) | IX वीं योजना (1997-2002) | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|--|-----------|----------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| कुल व्यय/स.घ.उ. | 19.29 | 19.66 | 19.56 | 19.29 | 18.36 | 17.69 | 17.25 |
| राजस्व व्यय/स.घ.उ. | 15.88 | 15.51 | 16.36 | 16.59 | 15.95 | 14.67 | 15.31 |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय | 82.31 | 78.88 | 83.61 | 85.99 | 86.83 | 82.93 | 88.74 |
| योजनागत व्यय/कुल व्यय | 23.14 | 23.68 | 20.99 | 23.40 | 24.13 | 24.20 | 23.08 |
| पूँजीगत व्यय/कुल व्यय | 8.50 | 9.61 | 7.01 | 6.40 | 6.98 | 9.77 | 9.21 |
| विकास व्यय*/कुल व्यय | 42.01 | 42.24 | 40.40 | 39.96 | 40.10 | 38.69 | 41.31 |
| निवल राजस्व प्राप्तियों के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता (अनुपात) | 0.93 | 0.76 | 1.09 | 0.53 | 0.49 | 0.75 | 0.76 |
| निवल राजस्व प्राप्तियों के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता (अनुपात) | 1.04 | 0.94 | 1.28 | 0.70 | 0.57 | 0.32 | 1.30 |

* विकास व्यय सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय है और यहां हर कुल व्यय में ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

9.5 संसाधन संग्रहण पर मापदण्डों के मामले की भाँति व्यय के संबंध में मापदण्डों की गति भी मिली जुली स्थिति प्रस्तुत करती थी। कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूँजीगत व्यय में VIII वीं योजना (1992-1997) में 9.61 प्रतिशत के स्तर से IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 7.01 प्रतिशतता मन्दन देखा गया। तथापि पिछले दो वर्षों के दौरान इसने त्वरित प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा इसने VIII वीं योजना अवधि के अनुपात स्तर की लगभग पुनः प्राप्ति की। कुल व्यय में विकास व तथा योजनागत व्यय का भाग कुछ समय तक लगभग स्थिर रहा जबकि राजस्व व्यय ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया तथा VIII वीं योजना (1992-1997) में 78.88 प्रतिशत की औसत से IX वीं योजना (1997-2002) में 83.61 तथा इसके बाद X वीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 86.12 प्रतिशत की औसत तक बढ़ा। 1985-2006 अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के साथ कुल तथा राजस्व व्यय की उत्प्लावकता ने मिली-जुली प्रवृत्ति प्रदर्शित की।

राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन

9.6 राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन को दर्शाने हेतु तालिका 9.3 में दर्शाए गए पाँच संकेतकों की पहचान की गई थी। इसमें स.घ.उ. की तुलना में राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे के अनुपात, राजस्व घाटे राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे

का अनुपात और चालू राजस्व का बकाया (चा.रा.ब.) शामिल था। यद्यपि, घाटे निश्चित ही सरकार की प्राप्ति और व्यय के बारे में इसकी नीति के परिणाम हैं, ये राजकोषीय स्वास्थ्य का उपयोगी प्रतिनिधित्व करते हैं। 2003 का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम तथा उनके अधीन बनाई गई नियमावली, जैसे की अब वे हैं, (i) सरकार को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने और उसके पश्चात पर्याप्त राजस्व आधिक्य बनाने, तथा (ii) 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं नीचे आने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिदेश दिया गया था। इन मापदण्डों के निश्चित अवधि में मान, जो ऊपर उल्लिखित किया गया है, को तालिका 9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.3: राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन के संकेतक

| संकेतक | 1985-2006 | VIIIवीं | IXवीं | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|--|-----------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | योजना | योजना | | | | |
| | | (1992-1997) | (1997-2002) | | | | |
| राजस्व घाटा/स.घ.उ. | 3.37 | 2.80 | 3.95 | 4.44 | 3.66 | 2.53 | 3.11 |
| राजकोषीय घाटा/स.घ.उ. | 5.49 | 6.04 | 6.25 | 5.45 | 2.93 | 3.34 | 4.67 |
| प्राथमिक घाटा/स.घ.उ. | 1.08 | 1.77 | 1.49 | 0.41 | -1.70 | -0.87 | 0.67 |
| राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा | 61.47 | 46.26 | 63.26 | 81.56 | 124.77 | 75.82 | 66.51 |
| चालू राजस्व का बकाया (करोड़ रुपयों में) | -9849 | -2191 | -28622 | -38195 | -22348 | 8794 | 2161 |

9.7 स.घ.उ. की तुलना में घाटे का अनुपात और राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात अनुपात संघीय वित्त की सुभेद्यता के सूचक हैं। वित्त उस स्तर तक सुभेद्य हो जाता है जब राजकोषीय घाटा परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि पुनर्भुगतान क्षमता में कोई पुनर्भुगतान वृद्धि नहीं होती तथा वहनित देयताओं के पीछे परिसम्पत्ति का सम्बल नहीं होता। यह अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2003-2004 में 124.77 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक बढ़ गया। यह पहली बार था कि राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटा अधिक हो गया था। यद्यपि बाद के वर्षों के दौरान अनुपात ने सुधार प्रदर्शित किया था परन्तु अब भी यह VIIIवीं एवं IXवीं योजना अवधियों में पहले से ही प्राप्त स्तरों से विचारणीय उच्च तथा अधिक है। इसलिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 के आदेश द्वारा राजस्व घाटे के पूर्ण निरसन के लिए वृहदतर प्रयासों की आवश्यकता है। पूर्व कर्जों की वसूली में बढ़ोतरी के कारण 2003-04 में स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय घाटे के अनुपात में जो तीव्र सुधार देखा गया था, उसके वेग को बनाए नहीं रखा जा सका, हालांकि 2004-05 तक कर्जों व अग्रिमों की वसूलियां नए अग्रिमों से अधिक होती रहीं तथा चालू वर्ष में कमी केवल सीमांतक थी। दीर्घ-आर्थिक स्थिरता

बनाए रखने में राजकोषीय नीति की सार्थक भूमिका है परन्तु इसकी प्रभावोत्पादकता एवं प्रभावकारिता राजकोषीय घाटे की संरचना पर निर्भर है। तथापि, वृहद संरचनात्मक राजकोषीय घटा, संरचनात्मक प्राथमिक घाटे के प्रबल भाग के कारण था तथा दीर्घ-आर्थिक उतार चढ़ाव के दौरान संरचनात्मक ब्याज भुगतानों ने राजकोषीय घाटे के चक्रीय घटक की होने वाली भूमिका को कम कर दिया। प्राथमिक अधिशेष, जो कि 30 वर्षों में पहली बार 2003-04 तथा 2004-05 में दो वर्षों के लिए निरन्तर कम हुआ था, मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि के कारण तथा राज्य एवं स.शा.क्षे. सरकारों को सहायता अनुदान के कारण चालू वर्ष में दुबारा घाटे में बदला। चालू राजस्व का बकाया गैर-योजना राजस्व बकाया को प्रदर्शित करता है और यदि ये धनात्मक है, वहाँ उस सीमा तक, चालू राजस्व में से योजनागत व्यय निधिकृत है। चा.रा.ब., जो कि 1990-91 में ऋणात्मक हो गया था, 2004-05 में धनात्मक हो गया। चा.रा.ब. चालू वर्ष में लगातार धनात्मक बना रहा परन्तु उसने मन्द प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। राजकोषीय असंतुलन, जो चालू वर्ष के दौरान बदतर प्रवृत्ति को दर्शाता है, की पहचान के लिए वृहद प्रयास करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

9.8 ऋण की वहनियता सरकार की वित्त व्यवस्था के मूल्यांकन का मुख्य मुद्दा है। स.घ.उ. की तुलना में ऋण का अनुपात जितना अधिक होगा, सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की संभावित लागत उतनी ही अधिक होगी। औसत ब्याज दर, ब्याज तथा स.घ.उ. वृद्धि में अन्तर (डोमर अन्तराल के रूप में संदर्भित) तथा राजकोषीय देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों (उधार ली गई निधियों का उपयोग) का अनुपात, ऋण प्रबंधन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उधार की प्रतिशतता के रूप में ब्याज को सम्मिलित करते हुये ऋण विमोचन भी चालू उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुप्रयोग के स्वायत्तता की मात्रा दर्शाता है। यह अनुपात जितना बड़ा होगा, वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उधारों से उपलब्ध राशि उतनी ही कम होगी। राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के सात संकेतकों के मूल्यों को नीचे दी गई तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4: राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)


| संकेतक | 1985-2006 | VIIIवीं योजना (1992-1997) | IXवीं योजना (1997-2002) | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| राजकोषीय देयताएं/स.घ.उ. | 59.46 | 60.72 | 59.08 | 62.69 | 60.13 | 58.71 | 55.75 |
| ऋण प्राप्ति की तुलना में ऋण विमोचन | 95.89 | 93.10 | 94.70 | 97.87 | 105.33 | 95.78 | 99.44 |
| औसत ब्याज दर - कुल देयताएं | 7.93 | 7.91 | 9.06 | 8.90 | 8.28 | 7.89 | 7.75 |

| संकेतक | 1985-2006 | VIIIवीं योजना (1992-1997) | IXवीं योजना (1997-2002) | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|-----------|------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| डोमर अंतराल | 5.79 | 8.63 | 1.37 | -0.69 | 3.48 | 4.63 | 5.97 |
| देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात | 45.96 | 57.68 | 50.90 | 44.78 | 41.48 | 39.36 | 39.32 |
| राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति | 476 | 478 | 476 | 516 | 489 | 484 | 457 |
| परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता | 0.73 | 0.83 | 0.70 | 0.40 | -0.10 | 0.43 | 0.98 |

9.9 राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन से सम्बन्धित मापदण्डों में प्रवृत्तियाँ भी एक मिलीजुली स्थिति प्रस्तुत करती हैं। स.घ.उ. की तुलना में ऋण अनुपात IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान समेकन के उपरान्त 2001-02 में तीव्र वृद्धि देखी गयी थी तथा 2002-03 में उच्चतम सीमा पर पहुँचने के उपरांत इसने बाद के वर्षों में कमी की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। हालांकि, स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की निम्न वृद्धि के कारण पिछले तीन वर्षों में अनुपात संतुलित हो गया, यह अभी भी काफी उच्च है। जबकि IXवीं योजना के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की दर बढ़ गयी थी हाल के वर्षों में इसमें मंदन पाया गया था। तथापि, अधिक ऋण प्रलंबन के कारण सरकार ब्याज दरों में संतुलन का पूरा लाभ नहीं उठा सकी। डोमर अंतराल 2002-03 को छोड़कर शेष समय में धनात्मक बना रहा। देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात VIIIवीं पांच वर्षीय योजना के दौरान 57.68 प्रतिशत के औसत से कम होकर 2005-06 में 39.32 प्रतिशत हो गया था जो यह संकेत देता है कि संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं के लगभग 60 प्रतिशत का कोई परिसम्पत्ति सम्बल नहीं था। परिसम्पत्तियाँ भी राजकोषीय देयताओं की अपेक्षा निम्न दर पर बढ़ रही थीं। 1985-2006 के दौरान परिसम्पत्तियों की समग्र उत्प्लावकता 0.73 थी जो देयताओं में प्रत्येक एक प्रतिशत की बढ़त के प्रति परिसम्पत्तियाँ में केवल 0.73 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती थीं। VIIIवीं योजना अवधि से 2003-04 तक परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में गिरावट जारी रही जबकि वास्तव में पिछले वर्ष में परिसम्पत्तियाँ कम हुई थी परन्तु परिवर्ती वर्षों में उत्प्लावकता ने तेजी पकड़ी और चालू वर्ष में उच्चतम सीमा तक पहुँची।

9.10 चूंकि वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध संसाधन, स.घ.उ. के सापेक्ष कम हो गए थे, यह आवश्यक है कि इनका उपयोग अधिकतम दक्षता के साथ किया जाए। ये अदक्षताएं, संसाधनों का समय पर उपयोग करने की अयोग्यता, परियोजनाओं में विलम्ब करने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की कठोरताओं जैसे कि निधियों के व्यपगत होने तथा बजट प्रस्तावों में अपारदर्शिताओं का परिणाम हैं। ये तथा इस प्रतिवेदन में अन्यत्र इंगित किए गए दूसरे मुद्दे सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं सहित सरकारी वित्त व्यवस्था तथा लेखाओं में सुधार के विभिन्न उपायों की मांग करते हैं।

नई दिल्ली
दिनांक 19 मार्च, 2007



(डा. अ.कु. बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 21 मार्च, 2007



(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्टों की सूची

| क्र. सं. | परिशिष्ट सं. | | पृष्ठ सं. |
|----------|--------------|--|-----------|
| 1. | I-क | आयातकों द्वारा देय प्रमुख राशियां | 150 |
| 2. | III-क | संघ सरकार का कुल व्यय | 151 |
| 3. | V-क | संघ सरकार की कुल देयताएं | 152 |
| 4. | V-ख | अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार | 153 |
| 5. | VI- क | प्राधिकरण तथा संवितरण | 154 |
| 6. | VI- ख | अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान | 156 |
| 7. | VI- ग | सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात | 157 |
| 8. | VI- घ | मार्च माह 2006 तथा 2005-06 की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय | 158 |
| 9. | VII- क | निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण (दो करोड़ रुपये और उससे अधिक) | 172 |
| 10. | VII- ख | अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे | 176 |
| 11. | VII- ग | उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया | 178 |
| 12. | VII- घ | मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे (केवल दो करोड़ रु से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित है) | 179 |
| 13. | VII- ङ | मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति | 181 |
| 14. | VII- च | अयथार्थवादी बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (दो करोड़ रुपये तथा अधिक की बचत) | 182 |
| 15. | VIII-क | निरन्तर अव्ययित प्रावधान | 192 |
| 16. | VIII-ख | निरन्तर आधिक्य | 198 |
| 17. | VIII-ग | अवास्तविक बजट बनाना | 199 |
| 18. | VIII-घ | 1976-77 (लेखों के विभागीयकरण की तिथि से) से 2004-05 के दौरान अदा किए गए अनुदान जिनके उपयोग प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं | 203 |
| 19. | VIII-ङ | निरन्तर अव्ययित प्रावधान | 204 |
| 20. | VIII-च | संस्वीकृत प्रावधानों से अधिक व्यय के विवरण | 206 |
| 21. | VIII-छ | अवास्तविक बजट बनाना | 207 |
| 22. | VIII-ज | समस्त बजट प्रावधान का अप्रयुक्त रहना | 210 |

परिशिष्ट-1 क
(पैराग्राफ 1.23 के संदर्भ में)
आयातकों द्वारा देय प्रमुख राशियाँ* (1997 से बकाया)**

(करोड़ रुपयों में)

| क्र.सं. | आयातक का नाम | ऋणों की संख्या | राशि |
|---------|--|----------------|--------|
| 1. | विदेश संचार निगम लि. | 1 | 0.69 |
| 2. | रेल मंत्रालय | 3 | 5.37 |
| 3. | रेल बोर्ड | 1 | 1.21 |
| 4. | रेल कुंडली कमान्नी | 1 | 0.71 |
| 5. | पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. | 2 | 15.04 |
| 6. | भा.टे.उ. नैनी, इलाहाबाद | 1 | 1.41 |
| 7. | जल संसाधन मंत्रालय | 2 | 0.52 |
| 8. | पवन हंस लि. | 1 | 49.17 |
| 9. | बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय | 1 | 5.66 |
| 10. | दूर संचार विभाग | 6 | 1.47 |
| 11. | हिन्दुस्तान कांस्य लि. | 2 | 2.35 |
| 12. | भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लि. | 3 | 1.43 |
| 13. | खनिज तथा धातु व्यापार निगम | 1 | 1.44 |
| 14. | सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय | 1 | 6.41 |
| 15. | दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम | 1 | 7.80 |
| 16. | लक्षद्वीप प्रशासन | 1 | 0.57 |
| 17. | भिलाई इस्पात संयंत्र | 1 | 0.51 |
| 18. | कोल इंडिया लि. (प.ब.) | 3 | 16.76 |
| 19. | सी.एम.पी.डी.आई., रांची | 1 | 0.86 |
| 20. | तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग | 2 | 6.79 |
| 21. | आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड | 1 | 4.75 |
| 22. | भारतीय हेलिकॉप्टर निगम | 1 | 67.24 |
| 23. | क्रिभको | 1 | 0.71 |
| 24. | फंड बैंक IV | 1 | 0.77 |
| 25. | विद्युत मंत्रालय | 1 | 0.85 |
| 26. | जिला गरीबी पहल परियोजना | 1 | 0.53 |
| 27. | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | 1 | 0.80 |
| | योग | 42 | 201.82 |

*0.50 करोड़ रु. से अधिक **9 अगस्त 2006 को स्थिति

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-III-क
(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)
संघ सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | राजस्व | पूंजीगत | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|---------|--------|---------|---------------|--------|
| 1985-86 | 49032 | 8900 | 13805 | 71737 |
| 1986-87 | 57911 | 10991 | 13431 | 82333 |
| 1987-88 | 65895 | 10523 | 13794 | 90212 |
| 1988-89 | 76415 | 11340 | 15205 | 102960 |
| 1989-90 | 90138 | 13399 | 17370 | 120907 |
| 1990-91 | 102964 | 13387 | 20708 | 137059 |
| 1991-92 | 116091 | 13911 | 18703 | 148705 |
| 1992-93 | 132794 | 20586 | 17619 | 170999 |
| 1993-94 | 152317 | 24650 | 21874 | 198841 |
| 1994-95 | 177699 | 19266 | 23898 | 220863 |
| 1995-96 | 198302 | 17544 | 24810 | 240656 |
| 1996-97 | 226372 | 15704 | 29035 | 271111 |
| 1997-98 | 277732 | 20225 | 35471 | 333428 |
| 1998-99 | 300456 | 25200 | 46594 | 372250 |
| 1999-00 | 343195 | 29023 | 27359 | 399577 |
| 2000-01 | 342647 | 25426 | 27761 | 395834 |
| 2001-02 | 375582 | 31295 | 38614 | 445491 |
| 2002-03 | 409591 | 30497 | 36222 | 476310 |
| 2003-04 | 440086 | 35401 | 31330 | 506817 |
| 2004-05 | 455571 | 53654 | 40108 | 549333 |
| 2005-06 | 540637 | 56119 | 12493 | 609249 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-V-क
(पैराग्राफ 5.3 के संदर्भ में)
संघ सरकार की कुल देयताएं

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | आंतरिक कर्ज | बाह्य कर्ज | | लोक लेखा | | कुल देयताएं | |
|---------|-------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | एतिहासिक दर पर | वर्तमान दर पर | लघु बचत, भविष्य निधि | आरक्षित निधि एवं जमा | एतिहासिक दर पर | वर्तमान दर पर |
| 1976-77 | 14458 | 8611 | * | 7709 | 2830 | 33608 | * |
| 1977-78 | 18996 | 8985 | * | 9130 | 3062 | 40173 | * |
| 1978-79 | 19855 | 9373 | * | 10756 | 3499 | 43483 | * |
| 1979-80 | 24319 | 9964 | * | 12486 | 3445 | 50214 | * |
| 1980-81 | 30864 | 11298 | * | 13953 | 3633 | 59748 | * |
| 1981-82 | 35653 | 12328 | * | 16578 | 3626 | 68185 | * |
| 1982-83 | 46939 | 13682 | * | 19887 | 4364 | 84872 | * |
| 1983-84 | 50264 | 15120 | * | 23874 | 6003 | 95261 | * |
| 1984-85 | 58537 | 16636 | * | 29705 | 8563 | 113441 | * |
| 1985-86 | 71039 | 18153 | * | 36859 | 11433 | 137484 | * |
| 1986-87 | 86312 | 20299 | * | 44928 | 15006 | 166545 | * |
| 1987-88 | 98646 | 23223 | * | 54528 | 19165 | 195562 | * |
| 1988-89 | 114498 | 25746 | * | 68536 | 20991 | 229771 | * |
| 1989-90 | 133193 | 28343 | * | 87065 | 19592 | 268193 | * |
| 1990-91 | 154004 | 31525 | * | 107107 | 21922 | 314558 | * |
| 1991-92 | 172750 | 36948 | 109608 | 121500 | 23464 | 354662 | 427322 |
| 1992-93 | 199100 | 42269 | 120813 | 136802 | 23752 | 401923 | 480467 |
| 1993-94 | 245712 | 47345 | 127798 | 160355 | 24556 | 477968 | 558421 |
| 1994-95 | 266467 | 50928 | 142389 | 192222 | 28993 | 538610 | 630071 |
| 1995-96 | 307869 | 51249 | 148583 | 213435 | 33680 | 606233 | 703567 |
| 1996-97 | 344475 | 54239 | 149077 | 239042 | 37919 | 675675 | 770513 |
| 1997-98 | 388998 | 55332 | 161442 | 291867 | 42097 | 778294 | 884404 |
| 1998-99 | 459696 | 57254 | 177934 | 333261 | 41595 | 891806 | 1012486 |
| 1999-00 | 714254 | 58437 | 186075 | 172212 | 47508 | 992411 | 1120049 |
| 2000-01 | 803698 | 65945 | 190017 | 186592 | 58535 | 1114770 | 1238842 |
| 2001-02 | 913061 | 71546 | 199897 | 213449 | 73133 | 1271189 | 1399540 |
| 2002-03 | 1020689 | 59612 | 196068 | 251293 | 80126 | 1411720 | 1548176 |
| 2003-04 | 1141706 | 46125 | 184203 | 241349 | 92376 | 1521556 | 1659634 |
| 2004-05 | 1275971 | 60877 | 191271 | 263048 | 92989 | 1692885 | 1823279 |
| 2005-06 | 1389758 | 94243 | 194199 | 275380 | 109462 | 1868843 | 1968799 |

* वर्तमान विदेशी मुद्रा दर उपलब्ध नहीं है

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-V-ख
(पैराग्राफ 5.22 के संदर्भ में)
अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार

(करोड़ रूपयों में)

| क्र.सं. | क्षेत्र | वर्तमान दर पर अप्रयुक्त बाह्य सहायता |
|---------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | विद्युत | 2462.93 |
| 2. | सड़क | 14960.11 |
| 3. | सामाजिक | 2331.23 |
| 4. | शहरी विकास | 8051.70 |
| 5. | जल संसाधन प्रबंधन | 4962.15 |
| 6. | परमाणु ऊर्जा | 8053.99 |
| 7. | कृषि एवं ग्रामीण विकास | 3213.68 |
| 8. | पर्यावरण एवं वानिकी | 1969.15 |
| 9. | अवसंचना क्षेत्र (सामान्य) | 2516.56 |
| 10. | अन्य | 1948.35 |
| 11. | रेलवे | 1892.92 |
| 12. | सार्वजनिक निर्माण कार्य | 1785.20 |
| 13. | ऊर्जा (गैर-पारम्परिक) | 761.00 |
| 14. | संरचना समायोजन/तीव्र संवितरण | 156.21 |
| 15. | स्वास्थ्य | 1181.61 |
| 16. | उद्योग एवं वित्त | 85.23 |
| 17. | अवसंचना क्षेत्र (दूरसंचार) | 16.88 |
| 18. | ऊर्जा क्षेत्र | 7.96 |
| 19. | उर्वरक | 0.62 |
| 20. | कोयला | 0.38 |
| 21. | जल आपूर्ति एवं स्वच्छता | 447.90 |
| | योग | 56805.76 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-VI- क
(पैराग्राफ 6.4 के संदर्भ में)
प्राधिकरण तथा संवितरण

(करोड़ रूपयों में)

| संवितरणों का प्रकार | मूल अनुदान/ विनियोग | अनुपूरक अनुदान/विनियोग | योग | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| क - सिविल | | | | | |
| दत्तमत | | | | | |
| I. राजस्व | 260248.55 | 34783.94 | 295032.49 | 273930.81 | 21101.68 |
| II. पूंजीगत | 25971.77 | 1101.41 | 27073.18 | 20225.15 | 6848.03 |
| III. ऋण एवं अग्रिम | 6301.90 | 1643.44 | 7945.34 | 7112.84 | 832.50 |
| योग | 292522.22 | 37528.79 | 330051.01 | 301268.80 | 28782.21 |
| प्रभारित | | | | | |
| IV. राजस्व | 164935.93 | 611.61 | 165547.54 | 168074.09 | *(+)2526.55 |
| V. पूंजीगत | 53.11 | 4.19 | 57.30 | 25.44 | 31.86 |
| VI. लोक ऋण | 601477.12 | 420203.72 | 1021680.84 | 1115210.06 | *(+)93529.22 |
| VII. ऋण एवं अग्रिम | 1178.77 | 4674.00 | 5852.77 | 5507.06 | 345.71 |
| योग | 767644.93 | 425493.52 | 1193138.45 | 1288816.65 | *(+)95678.20 |
| कुल योग | 1060167.15 | 463022.31 | 1523189.46 | 1590085.45 | (+)66895.99 |
| संवितरण की कटौती में वसूलियां | | | 18341.74 | 19185.24 | |
| कुल निवल प्रावधान | | | 1504847.72 | | |
| कुल निवल संवितरण | | | | 1570900.21 | |
| ख - डाक | | | | | |
| दत्तमत | | | | | |
| I. राजस्व | 6279.84 | 51.62 | 6331.46 | 6429.11 | (+)97.65 |
| II. पूंजीगत | 318.19 | 48.90 | 367.09 | 268.98 | 98.11 |
| योग | 6598.03 | 100.52 | 6698.55 | 6698.09 | 0.46 |
| प्रभारित | | | | | |
| III. राजस्व | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| IV. पूंजीगत | - | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.14 |
| योग | 0.02 | 0.44 | 0.46 | 0.26 | 0.20 |
| कुल योग | 6598.05 | 100.96 | 6699.01 | 6698.35 | 0.66 |
| संवितरण की कटौती में वसूलियां | | | 111.25 | 195.78 | |
| कुल निवल प्रावधान | | | 6587.76 | | |
| कुल निवल संवितरण | | | | 6502.57 | |

*आधिक्य

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| संवितरणों का प्रकार | मूल अनुदान/ विनियोग | अनुपूरक अनुदान/विनियोग | योग | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | |
|---|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ग - रक्षा सेवाएं | | | | | | |
| दत्तमत | | | | | | |
| I. राजस्व | 51362.97 | 541.25 | 51904.22 | 51302.99 | 601.23 | |
| II. पूंजीगत | 34360.28 | - | 34360.28 | 32326.31 | 2033.97 | |
| योग | 85723.25 | 541.25 | 86264.50 | 83629.30 | 2635.20 | |
| प्रभारित | | | | | | |
| III. राजस्व | 18.27 | 1.25 | 19.52 | 19.36 | 0.16 | |
| IV. पूंजीगत | 14.86 | - | 14.86 | 11.57 | 3.29 | |
| योग | 33.13 | 1.25 | 34.38 | 30.93 | 3.45 | |
| कुल योग | 85756.38 | 542.50 | 86298.88 | 83660.23 | 2638.65 | |
| संवितरण की कटौती में वसूलियां | | | 284.60 | 281.27 | | |
| कुल निवल प्रावधान | | | 86014.28 | | | |
| कुल निवल संवितरण | | | | 83378.96 | | |
| घ - रेलवे | | | | | | |
| दत्तमत | | | | | | |
| | 88496.24 | 9721.98 | 98218.22 | 97008.77 | 1209.45 | |
| प्रभारित | 42.27 | 51.86 | 94.13 | 80.94 | 13.19 | |
| योग | 88538.51 | 9773.84 | 98312.35 | 97089.71 | 1222.64 | |
| संवितरण की कटौती में वसूलियां | | | 28820.07 | 32962.75 | | |
| कुल निवल प्रावधान | | | 69492.28 | | | |
| कुल निवल संवितरण | | | | 64126.96 | | |
| कुल | दत्तमत | 473339.74 | 47892.54 | 521232.28 | 488604.96 | 32627.32 |
| भा.स.नि. | प्रभारित | 767720.35 | 425547.07 | 1193267.42 | 1288928.78 | *(+)95661.36 |
| कुल योग भा.स.नि. | | 1241060.09 | 473439.61 | 1714499.70 | 1777533.74 | *(+)63034.04 |
| व्यय की कटौती में कुल वसूली | | | | 52625.04 | | |
| वित्त लेखे के अनुसार कुल भा.स.नि. | | | | 1724908.70 | | |
| * आधिक्य | | | | | | |
| टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है। | | | | | | |
| भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि | | | | | | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-VI-ख
(पैराग्राफ 6.6 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

| प्रभावित अनुदान तथा विनियोग | अव्ययित प्रावधान | | आधिक्य | | निवल अव्ययित प्रावधान | |
|--------------------------------|------------------|---------|---------|----------|-----------------------|--------------|
| | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| क - सिविल | | | | | | |
| दत्तमत | 21290.01 | 7680.81 | 188.29 | 0.28 | 21101.72 | 7680.53 |
| अनुदानों की संख्या | 89 | 64 | 3 | 1 | | |
| प्रभारित | 818.31 | 377.56 | 3344.89 | 93529.22 | (+)2526.58 | *(+)93151.66 |
| विनियोगों की संख्या | 35 | 11 | 3 | 1 | | |
| ख - डाक | | | | | | |
| दत्तमत | - | 98.11 | 97.65 | - | *(+)97.65 | 98.11 |
| अनुदानों की संख्या | - | 1 | 1 | - | | |
| प्रभारित | 0.06 | 0.14 | - | - | 0.06 | 0.14 |
| विनियोगों की संख्या | 1 | 1 | - | - | | |
| ग - रक्षा सेवाएं | | | | | | |
| दत्तमत | 643.99 | 2033.97 | 42.76 | - | 601.23 | 2033.97 |
| अनुदानों की संख्या | 4 | 1 | 1 | - | | |
| प्रभारित | 2.24 | 3.29 | 2.08 | - | 0.16 | 3.29 |
| विनियोगों की संख्या | 4 | 1 | 1 | - | | |
| घ - रेलवे | | | | | | |
| दत्तमत | 2306.09 | 1194.42 | 132.55 | 2158.52 | 2173.54 | (+)964.10 |
| अनुदानों की संख्या | 12 | 1 | 3 | 1 | | |
| प्रभारित | 9.95 | 8.29 | 2.43 | 2.64 | 7.52 | 5.65 |
| विनियोगों की संख्या | 1 | 1 | 10 | 1 | | |

* आधिक्य

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-VI- ग
(पैराग्राफ 6.7 के संदर्भ में)
सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | वर्ष | अनुमोदन | | | संवितरण | | | प्रतिशतता | |
|----------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| | | दत्तमत | प्रभारित | जोड़ | दत्तमत | प्रभारित | योग | दत्तमत | प्रभारित |
| | | | | | | | | को | को |
| 1. | 1994-95 | 94380 | 254781 | 349161 | 87054 | 216958 | 304012 | 29 | 71 |
| 2. | 1995-96 | 96720 | 282079 | 378799 | 90196 | 231831 | 322027 | 28 | 72 |
| 3. | 1996-97 | 107583 | 313320 | 420903 | 96316 | 280355 | 376671 | 26 | 74 |
| 4. | 1997-98 | 145613 | 486038 | 631651 | 132239 | 452232 | 584471 | 23 | 77 |
| 5. | 1998-99 | 139083 | 504105 | 643188 | 139488 | 468679 | 608167 | 23 | 77 |
| 6. | 1999-2000 | 157780 | 512075 | 669855 | 148642 | 453196 | 601838 | 25 | 75 |
| 7. | 2000-01 | 173677 | 530530 | 704207 | 160753 | 405289 | 566042 | 28 | 72 |
| 8. | 2001-02 | 218136 | 481679 | 699815 | 201574 | 473950 | 675524 | 30 | 70 |
| 9. | 2002-03 | 230649 | 547152 | 777801 | 213833 | 504119 | 717952 | 30 | 70 |
| 10. | 2003-04 | 254328 | 564275 | 818603 | 231100 | 599889 | 830989 | 28 | 72 |
| 11. | 2004-05 | 278555 | 703835 | 982390 | 252254 | 724942 | 977196 | 26 | 74 |
| 12. | 2005-06 | 330051 | 1193138 | 1523189 | 301269 | 1288817 | 1590085 | 19 | 81 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-VI-घ

(पैराग्राफ 6.10 के संदर्भ में)

मार्च माह 2006 तथा 2005-06 की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 1 - कृषि तथा सहकारिता विभाग | | | | | | |
| 1. | 4401 - फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 7.05 | 4.64 | 66 | 5.27 | 75 |
| 3 - पशुपालन तथा डेरी विभाग | | | | | | |
| 2. | 4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 1.70 | 1.70 | 100 | 1.70 | 100 |
| 4 - कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय | | | | | | |
| 3. | 6851 - गांवों और लघु उद्योगों के लिए ऋण | 1.16 | 1.01 | 87 | 1.01 | 87 |
| 5 - परमाणु ऊर्जा | | | | | | |
| 4. | 4859 - संचार एवं इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 9.00 | - | - | 9.00 | 100 |
| 6 नाभिकीय शक्ति योजनाएं | | | | | | |
| 5. | 6801 - शक्ति परियोजनाओं के लिए ऋण | 1194.55 | 587.55 | 49 | 597.55 | 50 |
| 7 - रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग | | | | | | |
| 6. | 6856 - भेषजीय उद्योगों के लिए ऋण | 1.49 | 0.42 | 28 | 1.29 | 87 |
| 7. | 6857 - रसायन तथा भेषजीय उद्योगों के लिए ऋण | 70.58 | 33.06 | 47 | 41.56 | 59 |
| 8 - उर्वरक विभाग | | | | | | |
| 8. | 6855 - उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण | 104.64 | 40.03 | 38 | 64.28 | 61 |
| 10 - कोयला मंत्रालय | | | | | | |
| 9. | 3451 - आर्थिक सेवा सचिवालय | 6.92 | 2.59 | 37 | 3.50 | 51 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|--|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 10. | 2803 - कोयला तथा भूरा कोयला | 229.98 | 137.05 | 60 | 141.82 | 62 |
| 11 - खान मंत्रालय | | | | | | |
| 11. | 6853 - अधातु खनिज एवं मैटालुर्जिकल उद्योगों के लिए ऋण | 25.00 | 25.00 | 100 | 25.00 | 100 |
| 13 - औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग | | | | | | |
| 12. | 2852 - उद्योग | 239.77 | 101.40 | 42 | 110.46 | 46 |
| 13. | 2885 - उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय | 160.21 | 76.57 | 48 | 76.67 | 48 |
| 16 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | | | | | | |
| 14. | 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं | 0.80 | 0.15 | 19 | 0.35 | 44 |
| 15. | 3453- विदेशी व्यापार एवं निर्यात उन्नयन | 3.10 | - | - | 3.10 | 100 |
| 16. | 3606- सहायता सामग्री एवं उपकरण | 2.50 | 2.50 | 100 | 2.50 | 100 |
| 17. | 4859-संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय | 15.95 | 10.52 | 66 | 11.01 | 69 |
| 18. | 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 74.94 | 17.84 | 24 | 30.77 | 41 |
| 17 - कम्पनी कार्य मंत्रालय | | | | | | |
| 19. | 3451- आर्थिक सेवा सचिवालय | 31.20 | 18.10 | 58 | 21.10 | 68 |
| 20. | 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 5.70 | - | - | 4.13 | 72 |
| 18 - उपभोक्ता कार्य विभाग | | | | | | |
| 21. | 2852- उद्योग | 0.50 | 0.50 | 100 | 0.50 | 100 |
| 22. | 7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण | 0.42 | 0.42 | 100 | 0.42 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|--|--|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 19- खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग | | | | | | |
| 23. | 3456- नागरिक आपूर्ति | 20.36 | 19.80 | 97 | 19.84 | 97 |
| 24. | 4408- खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय | 36.44 | 19.72 | 54 | 29.40 | 81 |
| 20 - संस्कृति मंत्रालय | | | | | | |
| 25. | 2205- कला एवं संस्कृति | 630.71 | 149.86 | 24 | 257.68 | 41 |
| 26. | 2251- सामाजिक सेवा सचिवालय | 12.52 | 3.29 | 26 | 5.05 | 40 |
| 27. | 3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 0.08 | -- | -- | 0.08 | 100 |
| 28. | 4202- शिक्षा खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 25.34 | 7.45 | 29 | 12.97 | 51 |
| 29- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय | | | | | | |
| 29. | 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 2.44 | 0.34 | 14 | 0.83 | 34 |
| 30. | 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं | 12.63 | 4.93 | 39 | 9.86 | 78 |
| 31. | 2552 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र | 115.43 | 19.70 | 17 | 43.23 | 37 |
| 32. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 968.87 | 200.76 | 21 | 347.10 | 36 |
| 33. | 4552- उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय | 54.89 | 18.10 | 33 | 21.89 | 40 |
| 34. | 6851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण | 3.56 | - | - | 1.56 | 44 |
| 35. | 6885-उद्योगों एवं खनिजों के लिए अन्य ऋण | 22.33 | 22.33 | 100 | 22.33 | 100 |
| 30- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | | | | | | |
| 36. | 2406-वानिकी एवं वन्य जीवन | 429.57 | 62.09 | 14 | 193.67 | 45 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 37. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 160.91 | 15.48 | 10 | 99.20 | 62 |
| 38. | 4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय | 2.58 | 0.18 | 7 | 0.97 | 38 |
| 39. | 5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 6.38 | 0.88 | 14 | 2.21 | 35 |
| 40. | 6406- वानिकी एवं वन्य जीवन के लिए ऋण | 18.39 | 10.39 | 56 | 10.39 | 56 |
| 31-विदेश मंत्रालय | | | | | | |
| 41. | 2061-विदेश मामले | 2028.01 | 396.80 | 20 | 720.45 | 36 |
| 42. | 4059- लोक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 75.78 | 26.61 | 35 | 30.12 | 40 |
| 32- आर्थिक कार्य विभाग | | | | | | |
| 43. | 2052-सामान्य कार्य सचिवालय | 81.84 | 12.33 | 15 | 36.51 | 45 |
| 44. | 2075 - विविध सामान्य सेवाएं | 2.73 | 2.54 | 93 | 2.68 | 98 |
| 45. | 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 1.47 | 0.0004 | - | 1.16 | 79 |
| 46. | 3054-सड़क एवं पुल | 1421.62 | 710.81 | 50 | 710.81 | 50 |
| 47. | 3075-अन्य यातायात सेवाएं | 985.68 | 985.68 | 100 | 985.68 | 100 |
| 48. | 3605- अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग | 89.56 | 29.36 | 33 | 47.11 | 53 |
| 49. | 7465- सामान्य वित्त के लिए ऋण | 700.00 | 697.70 | 100 | 700.00 | 100 |
| 50. | 7999 - आकस्मिकता निधि हेतु विनियोग | 450.00 | - | - | 450.00 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 34- वित्तीय संस्थानों को भुगतान | | | | | | |
| 51. | 2075- विविध सामान्य सेवाएं | 125.00 | 40.00 | 32 | 40.00 | 32 |
| 52. | 2416- कृषीय वित्तीय संस्थान | 35.45 | 13.63 | 38 | 13.63 | 38 |
| 53. | 2885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों पर परिव्यय | 1418.25 | 180.89 | 13 | 557.82 | 39 |
| 54. | 3465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थान | 21.36 | 21.36 | 100 | 21.36 | 100 |
| 55. | 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 42.72 | 42.72 | 100 | 42.72 | 100 |
| 56. | 4885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय | 110.00 | 10.00 | 9 | 110.00 | 100 |
| 35-विनियोग - ब्याज भुगतान | | | | | | |
| 57. | 2049- ब्याज भुगतान | 141374.88 | 23449.38 | 17 | 65961.50 | 47 |
| 36-राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अन्तरण | | | | | | |
| 58. | 2075- विविध सामान्य सेवाएं | 230.93 | 230.93 | 100 | 230.93 | 100 |
| 59. | 3602- संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान | 325.00 | 142.19 | 44 | 218.40 | 67 |
| 60. | 7602- राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम (प्रभारित) | 5323.47 | 1334.70 | 25 | 2134.71 | 40 |
| 42- राजस्व विभाग | | | | | | |
| 61. | 2020- आय एवं व्यय पर करों की वसूली | 0.21 | 0.05 | 24 | 0.08 | 38 |
| 62. | 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 2471.27 | 974.38 | 39 | 1155.64 | 47 |
| 43- प्रत्यक्ष कर | | | | | | |
| 63. | 4059 - लोक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय | 14.50 | 10.68 | 74 | 10.68 | 74 |
| 44- अप्रत्यक्ष कर | | | | | | |
| 64. | 2216-आवास | 0.58 | 0.26 | 45 | 0.33 | 57 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 65. | 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 1.05 | 0.93 | 89 | 1.05 | 100 |
| 66. | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 5.77 | 5.16 | 89 | 5.16 | 89 |
| 45- विनिवेश विभाग | | | | | | |
| 67. | 3451- सचिवालय, आर्थिक सेवाएं | 6.03 | 4.37 | 72 | 4.79 | 79 |
| 46- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय | | | | | | |
| 68. | 240 5-मत्स्य | 14.47 | 5.30 | 37 | 8.13 | 56 |
| 47-स्वास्थ्य विभाग | | | | | | |
| 69. | 2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 3214.75 | 717.67 | 22 | 990.18 | 31 |
| 70. | 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 237.09 | 68.64 | 29 | 116.36 | 49 |
| 71. | 3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 2.28 | 0.86 | 38 | 0.91 | 40 |
| 72. | 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 334.83 | 81.59 | 24 | 131.32 | 39 |
| 48-आयुष विभाग | | | | | | |
| 73. | 3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 0.13 | 0.07 | 53 | 0.07 | 53 |
| 49-परिवार कल्याण विभाग | | | | | | |
| 74. | 3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 13.36 | 6.09 | 45 | 6.09 | 45 |
| 75. | 3606-सहायता सामग्री एवं उपकरण | 102.62 | 88.35 | 86 | 88.35 | 86 |
| 50- भारी उद्योग विभाग | | | | | | |
| 76. | 2852- उद्योग | 768.96 | 488.75 | 64 | 572.31 | 74 |
| 77. | 4854- सिमेंट एवं अधातु खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 17.54 | 10.01 | 57 | 10.01 | 57 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 78. | 6854- सिमेंट एवं अधातु खनिज उद्योगों के लिए ऋण | 137.70 | 128.94 | 94 | 130.16 | 95 |
| 51-लोक उपक्रम विभाग | | | | | | |
| 79. | 3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | 3.45 | 0.98 | 28 | 1.50 | 43 |
| 52- गृह मंत्रालय | | | | | | |
| 80. | 4059- लोक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय | 19.98 | 1.86 | 9 | 7.96 | 40 |
| 81. | 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 4.29 | 0.01 | - | 4.24 | 99 |
| 54- पुलिस | | | | | | |
| 82. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 921.88 | 323.33 | 35 | 399.12 | 43 |
| 83. | 3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 3.75 | 3.75 | 100 | 3.75 | 100 |
| 84. | 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (प्रभारित) (दत्तमत्त) | 0.06 1971.76 | 0.02 434.29 | 33 22 | 0.06 1415.56 | 100 72 |
| 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय | | | | | | |
| 85. | 2056- कारावास | 0.40 | - | - | 0.40 | 100 |
| 86. | 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 9.94 | 0.54 | 5 | 3.98 | 40 |
| 87. | 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 405.83 | 13.96 | 3 | 388.21 | 96 |
| 88. | 2245- प्राकृति आपदाओं हेतु राहत | 50.62 | 35.86 | 71 | 38.84 | 77 |
| 89. | 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं | 0.46 | 0.42 | 91 | 0.42 | 91 |
| 90. | 3053- नागरिक उद्‌डयन | 19.74 | 7.75 | 39 | 7.54 | 38 |
| 91. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 328.14 | 147.12 | 45 | 179.95 | 55 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 56-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण | | | | | | |
| 92. | 3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 897.83 | 388.39 | 43 | 520.74 | 58 |
| 93. | 7602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों के लिए ऋण एवं अग्रिम | 147.00 | 75.00 | 51 | 102.00 | 69 |
| 57-प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | | | | | | |
| 94. | 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 28.57 | 25.54 | 89 | 26.00 | 91 |
| 95. | 3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 26.00 | 12.97 | 50 | 18.23 | 70 |
| 58-माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग | | | | | | |
| 96. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 202.90 | 85.09 | 42 | 111.46 | 55 |
| 97. | 3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 0.73 | 0.73 | 100 | 0.73 | 100 |
| 59-महिला एवं बाल विकास विभाग | | | | | | |
| 98. | 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 206.37 | 80.39 | 39 | 105.04 | 51 |
| 99. | 2236- पोषण आहार | 10.94 | 3.66 | 33 | 5.29 | 48 |
| 60-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | | | | | | |
| 100. | 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 21.17 | 4.56 | 22 | 7.83 | 37 |
| 101. | 4220- सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय | 25.04 | 16.14 | 64 | 16.57 | 66 |
| 102. | 6220- सूचना एवं प्रचार के लिए ऋण | 4.77 | 4.77 | 100 | 4.77 | 100 |
| 61-श्रम एवं रोजगार | | | | | | |
| 103. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 33.75 | 13.76 | 41 | 18.97 | 56 |
| 63 - विधि एवं न्याय | | | | | | |
| 104. | 2014- न्याय प्रशासन | 121.33 | 102.85 | 85 | 105.96 | 87 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|--|--|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 105. | 2015- चुनाव | 187.68 | 133.13 | 71 | 133.20 | 71 |
| 106. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 11.20 | 11.20 | 100 | 11.20 | 100 |
| 107. | 3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों (विधान मंडल सहित) को सहायता अनुदान | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 100 |
| 65-गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय | | | | | | |
| 108. | 2501- ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम | 0.34 | 0.34 | 100 | 0.34 | 100 |
| 109. | 2810- ऊर्जा का गैर-परम्परागत स्रोत | 238.41 | 70.96 | 30 | 159.47 | 67 |
| 110. | 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 8.40 | 8.12 | 97 | 8.40 | 100 |
| 111. | 3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 0.05 | 0.05 | 100 | 0.05 | 100 |
| 112. | 6810-ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत हेतु ऋण | 20.00 | - | - | 20.00 | 100 |
| 66-भारतीय विदेशी कार्य मंत्रालय | | | | | | |
| 113. | 2052- सचिवालय - सामान्य सेवाएं | 7.78 | 3.88 | 50 | 4.22 | 54 |
| 114. | 2061- विदेश मामले | 9.47 | 4.00 | 42 | 4.42 | 47 |
| 115. | 4059- लोक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.21 | 0.21 | 100 | 0.21 | 100 |
| 67-पंचायती राज मंत्रालय | | | | | | |
| 116. | 2215- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 35.15 | 23.46 | 67 | 24.59 | 70 |
| 117. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 13.50 | 3.37 | 25 | 5.47 | 41 |
| 68-समुद्री विकास विभाग | | | | | | |
| 118. | 3403- समुद्र विज्ञान अनुसंधान | 265.44 | 103.07 | 39 | 138.88 | 52 |

नि.मं.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 119. | 5403- समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय (प्रभारित) | 0.52 | 0.52 | 100 | 0.52 | 100 |
| 70-कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय | | | | | | |
| 120. | 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 1.47 | - | - | 1.47 | 100 |
| 121. | 4059- लोक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.88 | 0.88 | 100 | 0.88 | 100 |
| 71-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | | | | | | |
| 122. | 2802- पेट्रोलियम | 19946.41 | 12214.20 | 61 | 14183.56 | 71 |
| 72-योजना मंत्रालय | | | | | | |
| 123. | 2245- प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत | 0.88 | 0.88 | 100 | 0.88 | 100 |
| 124. | 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 18.39 | 5.46 | 30 | 10.27 | 56 |
| 125. | 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 2.91 | 1.71 | 59 | 1.71 | 59 |
| 73-विद्युत मंत्रालय | | | | | | |
| 126. | 2801-विद्युत | 2766.96 | 773.93 | 28 | 1213.48 | 44 |
| 75- लोक सभा | | | | | | |
| 127. | 2011- लोकसभा/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मंडल (दत्तमत्त) | 209.53 | 51.25 | 24 | 76.31 | 36 |
| 76-राज्य सभा | | | | | | |
| 128. | 2011- लोकसभा/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मंडल (दत्तमत्त) | 88.53 | 11.77 | 13 | 37.20 | 42 |
| 79-ग्रामीण विकास विभाग | | | | | | |
| 129. | 2505-ग्रामीण रोजगार | 12954.88 | 4639.60 | 36 | 7317.93 | 56 |
| 80-भूसंसाधन विभाग | | | | | | |
| 130. | 2506-भूमि सुधार | 0.94 | 0.54 | 57 | 0.94 | 100 |
| 131. | 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 184.07 | 82.34 | 45 | 92.74 | 50 |
| 132. | 3602-संघ शासित क्षेत्र | 0.37 | 0.37 | 100 | 0.37 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण | मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय | मार्च में व्यय | कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता | अंतिम तिमाही में वहनित व्यय | वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता |
|---|--|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | सरकारों को सहायता अनुदान | | | | | |
| 82-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | | | | | | |
| 133. | 5425-अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधानों पर पूंजीगत परिव्यय | 20.14 | 9.38 | 47 | 9.58 | 48 |
| 134. | 5455- माप विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय | 32.60 | 27.00 | 83 | 27.21 | 83 |
| 135. | 7425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों हेतु ऋण | 64.30 | 60.30 | 94 | 60.30 | 94 |
| 83-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग | | | | | | |
| 136. | 4859- संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 10.00 | 5.00 | 50 | 5.00 | 50 |
| 85-जहाजरानी विभाग | | | | | | |
| 137. | 3052- जहाजरानी | 33.18 | 11.80 | 36 | 16.00 | 48 |
| 138. | 3056- अन्तर्देशीय जल यातायात | 144.75 | 94.42 | 65 | 96.62 | 67 |
| 139. | 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 15.00 | 14.91 | 99 | 15.00 | 100 |
| 140. | 3605- अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग | 1.42 | - | - | 1.42 | 100 |
| 141. | 5051- पत्तन एवं प्रकाशस्तम्भ पर पूंजीगत परिव्यय | 73.26 | 18.19 | 25 | 32.88 | 45 |
| 142. | 5052- जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय | 3.19 | 1.76 | 55 | 1.76 | 55 |
| 143. | 6858- अभियांत्रिकी उद्योग हेतु ऋण | 47.25 | 32.53 | 69 | 38.35 | 81 |
| 144. | 7051- पत्तन एवं प्रकाशस्तम्भ हेतु ऋण | 15.00 | 15.00 | 100 | 15.00 | 100 |
| 86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग | | | | | | |
| 145. | 3055- सड़क परिवहन | 30.39 | 8.84 | 29 | 14.42 | 47 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| 87-लघु उद्योग मंत्रालय | | | | | | |
|---|--|---------|--------|----|--------|----|
| 146. | 2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग | 430.30 | 164.82 | 38 | 214.33 | 50 |
| 88-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | | | | | | |
| 147. | 2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 99.31 | 27.89 | 28 | 62.41 | 63 |
| 148. | 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 283.82 | 130.40 | 46 | 136.20 | 48 |
| 149. | 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं | 5.93 | 1.36 | 23 | 2.20 | 37 |
| 150. | 4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 107.10 | 56.00 | 52 | 57.00 | 53 |
| 151. | 4235- सामाजिक सुरक्षा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 11.00 | 6.00 | 55 | 6.00 | 55 |
| 89-अंतरिक्ष विभाग | | | | | | |
| 152. | 3252-उपग्रह प्रणाली | 415.58 | 215.07 | 52 | 268.87 | 65 |
| 153. | 3402- अंतरिक्ष अनुसंधान | 1683.14 | 348.99 | 21 | 769.62 | 46 |
| 154. | 5252- उपग्रह प्रणालियों पर पूंजीगत परिव्यय | 16.57 | 4.99 | 30 | 8.15 | 49 |
| 155. | 5402- अंतरिक्ष अनुसंधान पर परिव्यय | 546.83 | 331.63 | 61 | 381.08 | 70 |
| 90-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | | | | | | |
| 156. | 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 7.86 | 3.39 | 43 | 6.06 | 77 |
| 91-इस्पात मंत्रालय | | | | | | |
| 157. | 2852- लोहा एवं इस्पात उद्योग | 68.36 | 30.39 | 44 | 38.58 | 56 |
| 158. | 6852- लोहा एवं इस्पात उद्योग हेतु ऋण | 8.00 | 4.00 | 50 | 4.00 | 50 |
| 92-कपड़ा मंत्रालय | | | | | | |
| 159. | 2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग | 449.15 | 134.02 | 30 | 198.22 | 44 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-----|--------|-----|
| 160. | 4851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय | 6.72 | 6.72 | 100 | 6.72 | 100 |
| 161. | 4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 27.00 | 27.00 | 100 | 27.00 | 100 |
| 93-पर्यटन मंत्रालय | | | | | | |
| 162. | 3452- पर्यटन | 315.88 | 159.93 | 51 | 180.49 | 57 |
| 100-शहरी विकास विभाग | | | | | | |
| 163. | 2075-विविध सामान्य सेवाएं | 2.01 | 2.01 | 100 | 2.01 | 100 |
| 164. | 2217- शहरी विकास | 31.52 | 19.99 | 63 | 21.35 | 68 |
| 165. | 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 314.00 | 157.00 | 50 | 157.00 | 50 |
| 101-लोक कार्य | | | | | | |
| 166. | 4059- लोक कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय | 167.49 | 48.18 | 29 | 74.13 | 44 |
| 167. | 5425-वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 4.47 | 1.43 | 32 | 1.93 | 43 |
| 102-लेखन सामग्री एवं मुद्रण | | | | | | |
| 168. | 4058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय | 0.02 | 0.01 | 50 | 0.01 | 50 |
| 103- शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय | | | | | | |
| 169. | 2216- आवास | 179.70 | 76.33 | 42 | 179.70 | 100 |
| 170. | 3475- अन्य सामाजिक आर्थिक सेवाएं | 3.22 | 1.51 | 47 | 3.01 | 93 |
| 171. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 155.88 | 53.98 | 35 | 68.27 | 44 |
| 104-जल संसाधन मंत्रालय | | | | | | |
| 172. | 2705- कमाण्ड एरिया डिवलपमेंट | 3.40 | 2.11 | 62 | 2.22 | 65 |
| 173. | 4701- मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 0.94 | 0.94 | 100 | 0.94 | 100 |
| 174. | 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 3.83 | 3.83 | 100 | 3.83 | 100 |
| 175. | 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय | 6.97 | 6.97 | 100 | 6.97 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| | | | | | | |
|--|---|----------|----------|-----|----------|-----|
| 176. | 7601- राज्य सरकारों हेतु ऋण एवं अग्रिम | 1.61 | 1.61 | 100 | 1.61 | 100 |
| 105- युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय | | | | | | |
| 177. | 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 45.13 | 15.64 | 35 | 17.54 | 39 |
| 178. | 3601- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान | 0.39 | 0.18 | 46 | 0.23 | 59 |
| 179. | 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 1.78 | 0.26 | 15 | 1.63 | 92 |
| रक्षा सेवाएं | | | | | | |
| 28-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 180. | 4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 32337.87 | 13976.37 | 43 | 18318.57 | 57 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-VIII-क
(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)
निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(दो करोड़ रुपये और उससे अधिक)

| क्र. सं. | उप शीर्ष | | प्रावधान | वास्तविक व्यय | (करोड़ रुपयों में) अंतिम अधिव्यय |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| सिविल | | | | | |
| 8- उर्वरक विभाग | | | | | |
| 1. | उर्वरक आर्थिक सहायता | मू. अ. | 9060.37 350.00 | 9602.78 | 192.41 |
| 31- विदेश मंत्रालय | | | | | |
| 2. | विदेश मंत्रालय | मू. अ. पु. | 120.34 3.50 10.83 | 138.40 | 3.73 |
| 3. | भूटान को अनुदान | मू. अ. पु. | 815.11 76.00 (-) 35.51 | 871.05 | 15.45 |
| 4. | श्रीलंका - अन्य अनुदान कार्यक्रम | मू. | 25.00 | 28.73 | 3.73 |
| 5. | आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम | मू. पु. | 45.00 1.35 | 53.22 | 6.87 |
| 33 - मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा स्टैम्प | | | | | |
| 6. | प्रबंधन | मू. पु. | 66.62 (-)11.72 | 57.62 | 2.72 |
| 7. | अन्य व्यय | मू. पु. | 80.00 (-)80.00 | 60.00 | 60.00 |
| 8. | प्रबंधन (प्रभारित) | | शून्य | 2.40 | 2.40 |
| 35- विनियोग - ब्याज भुगतान | | | | | |
| 9. | बाजार ऋणों पर ब्याज | मू. पु. | 75228.09 (-)728.09 | 76415.04 | 1915.04 |
| 10. | खजाना बिलों पर छूट - 91 दिवसीय खजाना बिल | मू. पु. | 430.00 170.00 | 720.66 | 120.66 |
| 11. | 364 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज | मू. पु. | 1445.00 90.00 | 1627.85 | 92.85 |
| 12. | 14 दिवसीय खजाना बिल | मू. अ. पु. | 420.00 587.00 443.00 | 1585.14 | 135.14 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06.

| क्र. सं. | उप शीर्ष | | प्रावधान | वास्तविक व्यय | (करोड़ रुपयों में) अंतिम अधिक्य व्यय |
|---|---|-----|------------|---------------|---|
| 13. | बाजार स्थिरीकरण योजना, बैंक में पैसा जमा करने पर ब्याज/छूट का भुगतान किया | मू. | 3338.50 | 3420.75 | 332.25 |
| | | पु. | (-) 250.00 | | |
| 14. | मुआवजा तथा अन्य बंधपत्र | मू. | 4827.28 | 5467.49 | 1097.14 |
| | | पु. | (-) 456.93 | | |
| 15. | डाक बीमा तथा वार्षिक जीवन वृत्ति निधि | मू. | 779.12 | 804.47 | 219.47 |
| | | पु. | (-) 194.12 | | |
| 16. | सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना पर ब्याज | मू. | 65.00 | 73.66 | 8.66 |
| 17. | अफीम तथा क्षारोद कारखाना मूल्यहास अनुरक्षित निधि | मू. | 0.70 | 4.04 | 3.04 |
| | | पु. | 0.30 | | |
| 38 - विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान | | | | | |
| 18. | 91 दिवसीय खजाना बिल | मू. | 33000.00 | 43341.53 | 9606.53 |
| | | अ. | 735.00 | | |
| 19. | 14 दिवसीय खजाना बिल | मू. | 266000.00 | 867249.19 | 87219.24 |
| | | अ. | 410251.62 | | |
| | | पु. | 103778.33 | | |
| 20. | 10% राहत बंधपत्र 1995 | मू. | 47.00 | 28.46 | 3.46 |
| | | पु. | (-) 22.00 | | |
| 40 - पेंशन | | | | | |
| 21. | सामान्य पेंशन (दत्तमत) | मू. | 626.00 | 681.49 | 15.49 |
| | | पु. | 40.00 | | |
| 22. | सामान्य पेंशन (दत्तमत) | मू. | 746.50 | 736.93 | 18.43 |
| | | पु. | (-) 28.00 | | |
| 23. | सामान्य पेंशन (दत्तमत) | मू. | 350.00 | 334.61 | 11.61 |
| | | पु. | (-) 27.00 | | |
| 43 - प्रत्यक्ष कर | | | | | |
| 24. | आयकर से अंतरित प्रभार | मू. | 140.70 | 146.78 | 6.08 |
| 54 - पुलिस | | | | | |
| 25. | आवासीय भवन | मू. | 110.00 | 143.25 | 3.25 |
| | | पु. | 30.00 | | |
| 61 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | | | | | |
| 26. | बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि को अन्तरण | मू. | 86.50 | 125.00 | 41.31 |
| | | पु. | (-) 2.81 | | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| क्र. सं. | उप शीर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | (करोड़ रुपयों में) अंतिम अधिव्यय |
|---|---|---|---------------|-------------------------------------|
| 63 - विधि एवं न्याय | | | | |
| 27. | जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण | मू. 192.00 | - | 192.00 |
| 28. | राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण | मू. 2.18 | - | 2.18 |
| 82- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | | | | |
| 29. | उपस्कर | मू. 5.00 | 8.74 | 3.74 |
| 85- जहाजरानी मंत्रालय | | | | |
| 30. | पोर्ट ब्लेयर में मु.अ. सह प्रशासनाधिकारी कार्यालय तथा नई दिल्ली में का.अ. एवं संपर्क कार्यालय के संबंध में स्थापना प्रभार | मू. 13.07 पु. (-) 0.67 | 14.49 | 2.09 |
| 31. | जलपोत में उतराई सुविधाओं का निर्माण तथा जेटिस मार्ग की देखभाल | मू. 42.97 अ. 0.01 पु. 10.00 | 59.58 | 6.60 |
| 86- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग | | | | |
| 32. | बी.आर.डी.बी. के अन्तर्गत मार्ग कार्य | मू. 433.12 अ. 24.30 पु. (-) 16.42 | 446.64 | 5.64 |
| रक्षा सेवाएं | | | | |
| 23- रक्षा सेवाएं - थल सेना | | | | |
| 33. | थल सेना के वेतन एवं भत्ते | मू. 13122.16 पु. (-) 100.75 | 13186.91 | 165.50 |
| 34. | असैनिकों के वेतन एवं भत्ते | मू. 1436.77 पु. (-) 47.07 | 1399.68 | 9.98 |
| 35. | परिवहन | मू. 1238.78 पु. (-) 54.80 | 1208.24 | 24.26 |
| 36. | भण्डार | मू. 9903.05 पु. (-) 826.23 | 9121.43 | 44.61 |
| 37. | राष्ट्रीय राईफल | मू. 1347.02 पु. (-) 14.96 | 1365.01 | 32.95 |
| 24 - रक्षा सेवाएं -जल सेना | | | | |
| 38. | भण्डार | मू. 2600.00 पु. 13.92 | 2628.42 | 14.50 |
| 39. | संयुक्त स्टाफ | मू. 424.55 पु. (-) 92.55 | 342.04 | 10.04 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| क्र. सं. | उप शीर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | (करोड़ रुपये में) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | अंतिम अधिक्य व्यय |
| 25- रक्षा सेवाएं - वायु सेना | | | | |
| 40. | वायु सेना के वेतन एवं भत्ते | मू. 2020.85 पु. 114.10 | 2157.02 | 22.07 |
| 41. | भण्डार | मू. 5826.00 पु. (-) 159.28 | 5724.60 | 57.88 |
| 27- रक्षा सेवाओं - अनुसंधान एवं विकास | | | | |
| 42. | असैनिकों के वेतन एवं भत्ते | मू. 548.45 पु. 35.09 | 590.26 | 6.72 |
| 28- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | |
| 01- थल सेना | | | | |
| 43. | वायुयान एवं वायु यंत्र | मू. 939.13 पु. 62.33 | 1012.90 | 11.44 |
| 44. | अन्य उपकरण | मू. 5526.45 पु. 127.91 | 5680.49 | 26.13 |
| 02- जल सेना | | | | |
| 45. | अन्य उपकरण | मू. 1167.87 पु. 335.94 | 1509.45 | 5.64 |
| 03- वायु सेना | | | | |
| 46. | वायुयान एवं वायु यंत्र | मू. 9564.90 पु. 750.43 | 10321.09 | 5.76 |

परिशिष्ट-VII-ख

(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे

(करोड़ स्मर्यों में)

| क्र. सं. | अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग | अव्ययित प्रावधान की राशि |
|--------------------------|--|--------------------------|
| सिविल | | |
| राजस्व - दत्तमत | | |
| 1. | 1- कृषि तथा सहकारिता विभाग | 366.25 |
| 2. | 3- पशुपालन तथा डेरी विभाग | 100.85 |
| 3. | 13- औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग | 174.90 |
| 4. | 19- खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग | 3299.01 |
| 5. | 20- संस्कृति मंत्रालय | 157.94 |
| 6. | 21- रक्षा मंत्रालय | 1496.67 |
| 7. | 30- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | 150.19 |
| 8. | 31- विदेश मंत्रालय | 139.68 |
| 9. | 32- आर्थिक कार्य विभाग | 653.08 |
| 10. | 33- मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा स्टैम्प | 379.08 |
| 11. | 34- वित्तीय संस्थानों को भुगतान | 1523.18 |
| 12. | 36- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण | 1106.34 |
| 13. | 42- राजस्व विभाग | 2595.42 |
| 14. | 47- स्वास्थ्य विभाग | 338.67 |
| 15. | 49- परिवार कल्याण विभाग | 1067.83 |
| 16. | 50- भारी उद्योग विभाग | 1183.70 |
| 17. | 52- गृह मंत्रालय | 192.01 |
| 18. | 54- पुलिस | 117.82 |
| 19. | 55- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय | 291.84 |
| 20. | 57- प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | 505.92 |
| 21. | 63- विधि एवं न्याय | 217.74 |
| 22. | 65- गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय | 276.18 |
| 23. | 68- महासागर विकास विभाग | 106.76 |
| 24. | 71- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 973.63 |
| 25. | 82- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 206.34 |
| 26. | 86- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग | 448.17 |
| 27. | 89- अन्तर्िक्ष विभाग | 435.95 |
| 28. | 90- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 154.41 |
| 29. | 92- कपड़ा मंत्रालय | 118.28 |
| 30. | 100- शहरी विकास मंत्रालय | 718.29 |
| 31. | 103- शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय | 117.91 |
| 32. | 104- जल संसाधन मंत्रालय | 112.53 |
| राजस्व - प्रभारित | | |
| 33. | 36- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण (वित्त मंत्रालय) | 740.51 |
| पूँजीगत - दत्तमत | | |
| 34. | 5- परमाणु ऊर्जा | 298.17 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| क्र. सं. | अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग | अव्ययित प्रावधान की राशि |
|---------------------------|--|--------------------------|
| 35. | 6- नाभकीय शक्ति योजनाएं | 1013.46 |
| 36. | 7- रसायन तथा पैट्रो रसायन विभाग | 102.41 |
| 37. | 15- दूरसंचार विभाग | 102.27 |
| 38. | 19- खाद्य एवं सार्वजनिक संचितरण विभाग | 199.09 |
| 39. | 32- आर्थिक कार्य विभाग | 826.71 |
| 40. | 33- मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा डाक टिकटें | 274.59 |
| 41. | 34- वित्तीय संस्थानों को भुगतान | 478.18 |
| 42. | 37- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि | 171.50 |
| 43. | 44- अप्रत्यक्ष कर | 181.90 |
| 44. | 54- पुलिस | 152.81 |
| 45. | 73- विद्युत मंत्रालय | 1417.13 |
| 46. | 86- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग | 1563.63 |
| पूँजीगत - प्रभारित | | |
| 47. | 36- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण (वित्त मंत्रालय) | 350.53 |
| रक्षा | | |
| राजस्व - दत्तमत | | |
| 48. | 23 - रक्षा सेवाएं - थल सेना | 538.89 |
| पूँजीगत - दत्तमत | | |
| 49. | 28 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | 2033.97 |
| रेलवे | | |
| राजस्व - दत्तमत | | |
| 50. | 09 - परिचालन व्यय - यातायात | 1660.41 |
| 51. | 15 - सामान्य राजस्वों के प्रति लाभांश | 317.58 |
| पूँजीगत - दत्तमत | | |
| 52. | 16 - रेलवे सुरक्षा निधि | 447.90 |
| 53. | 16 - विशेष रेलवे सुरक्षा निधि | 650.91 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-VIII-ग

(पैराग्राफ 7.6 के संदर्भ में)

उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान/ विनियोग | कुल अव्ययित प्रावधान | अभ्यर्पित राशि |
|------------------------|---|----------------------|----------------|
| सिविल | | | |
| राजस्व - दत्तमत | | | |
| 1. | 8 - उर्वरक विभाग | * | 1.33 |
| 2. | 15 - दूरसंचार विभाग | 60.52 | 117.86 |
| 3. | 33 - मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा डाक टिकटें | 379.08 | 441.88 |
| 4. | 61 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | @ | 4.75 |
| 5. | 66 - भारतीय विदेशी कार्य मंत्रालय | 14.75 | 14.87 |
| रक्षा सेवाएं | | | |
| राजस्व - दत्तमत | | | |
| 6. | 23 - रक्षा सेवाएं - थल सेना | 538.89 | 726.13 |
| 7. | 25 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना | # | 1.51 |

* 167.44 करोड़ रु का अधिक व्यय

@ 17.27 करोड़ रु का अधिक व्यय

42.76 करोड़ रु का अधिक व्यय

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट VIII-घ
(पैराग्राफ 7.9 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे
(केवल दो करोड़ रु से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित है)

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या तथा नाम | मुख्य शीर्ष | उप शीर्ष | उप शीर्ष में पुनर्विनियोग की राशि | पुनर्विनियोग के उपरान्त उप शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम अव्ययित प्रावधान |
|----------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| सिविल | | | | | |
| 1. | 1- कृषि तथा सहकारिता विभाग | 2425 - सहकारिता | 2425.00.277.05- शिक्षा तथा प्रशिक्षण की पुनः संरचनात्मक योजना | 2.91 | 4.06 |
| 2. | 12- वाणिज्य विभाग | 2407- वृक्षारोपण | 2407.04.800.01 मसाला बोर्ड | 4.00 | 4.01 |
| 3. | 31 - विदेश मंत्रालय | 2061 - विदेश मामले | 2061.00.105.01 - केन्द्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास संगठन | 3.80 | 19.00 |
| 4. | -वही- | 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहकारिता | 3605.00.101.15 - अन्य विकासशील देशों को सहायता | 12.60 | 13.64 |
| 5. | 35 - विनियोग - ब्याज भुगतान | 2049 | 2049.03.104.02 - अन्य राज्यों की भविष्य निधियाँ | 88.01 | 189.67 |
| 6. | -वही- | -वही- | 2049.03.109.02 - राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | 16.00 | 59.96 |
| 7. | -वही- | -वही- | 2049.03.109.12 - क.भ.नि./ई.डी.एल.आई. की विशेष जमा | 5.51 | 11.10 |
| 8. | -वही- | -वही- | 2049.03.110.01 - भारत श्रेणियों के असंवितरित वेतन हेतु लाभांश | 2.00 | 3.33 |
| 9. | -वही- | -वही- | 2210.06.101.08 - राष्ट्रीय वायुजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम | 18.86 | 24.79 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या तथा नाम | मुख्य शीर्ष | उप शीर्ष | (करोड़ रुपयों में) | |
|---------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | उप शीर्ष में पुनर्विनियोग की राशि | पुनर्विनियोग के उपरान्त उप शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम अव्ययित प्रावधान |
| 10. | -वही- | -वही- | 2210.06.800.27 - एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम | 4.15 | 13.40 |
| 11. | 52- गृह मंत्रालय | 4059 - लोक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय | 4059.80.201.02 - स्वापादक नियंत्रण ब्यूरो | 2.50 | 2.58 |
| 12. | 75 - लोक सभा | 2011- संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान सभा | 2011.01.102.01 - सचिवालय | 2.51 | 4.33 |
| 13. | 104- जल संसाधन मंत्रालय | 2702 लघु सिंचाई | 2702.02.005.14 भू-जल सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा जांच | 2.06 | 2.39 |
| डाक सेवाएं | | | | | |
| 14. | 14 - डाक विभाग | 3201- डाक सेवाएं | 3201.06.101.06 - वितरण सेवाओं के कारण भा.स.नि.लि. को अन्तरित राशि की कटौती | 2.25 | 18.84 |
| 15. | -वही- | 5201 - डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 5201.104 - डाक सेवाओं का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण | 8.60 | 89.44 |
| रक्षा सेवाएं | | | | | |
| 16. | 23 - रक्षा सेवाएं - थल सेना | 2076 - रक्षा सेवाएं - थल सेना | 113 - राष्ट्रीय कैडेट कोर | 4.07 | 8.67 |
| 17. | 25 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना | 2078 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना | 105 - परिवहन | 4.42 | 16.49 |
| 18. | 26 - रक्षा आयुध कारखाने | 2079 - रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने | 105 - परिवहन | 3.35 | 4.84 |
| 19. | 28 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 01 - थल सेना | 107 - भूतपूर्व सैनिक अंशदारी स्वास्थ्य योजना | 3.35 | 4.54 |
| 20. | -वही- | 03 - वायु सेना | 050 - भूमि (प्रभारित) | 3.70 | 4.20 |
| | | | | 194.65 | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-VII-ड
(पैराग्राफ 7.13 के संदर्भ में)
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | प्रावधान | राजस्व | | दत्तमत | | पूंजीगत | | योग | |
|---------|----------|--------|----------|---------|---------------|----------|---------|-------|---------|
| | | दत्तमत | प्रभारित | पूंजीगत | ऋण एवं अग्रिम | प्रभारित | | | |
| | | | | | | लोक ऋण | पूंजीगत | | |
| 1999-00 | मूल | 118638 | 121084 | 18582 | 5638 | 360893 | 107 | 17963 | 642905 |
| | अनुपूरक | 12780 | 8438 | 1545 | 597 | - | 16 | 3573 | 26949 |
| | प्रतिशत | 11 | 7 | 8 | 11 | - | 15 | 20 | 4 |
| 2000-01 | मूल | 132204 | 153591 | 14185 | 5775 | 354767 | 25 | 21216 | 681763 |
| | अनुपूरक | 19672 | 19 | 486 | 1355 | - | 6 | 906 | 22444 |
| | प्रतिशत | 15 | - | 3 | 23 | - | 24 | 4 | 3 |
| 2001-02 | मूल | 158814 | 131178 | 20389 | 5215 | 285150 | 35 | 21339 | 622120 |
| | अनुपूरक | 20256 | 13 | 3842 | 9620 | 40628 | 1 | 3334 | 77694 |
| | प्रतिशत | 13 | - | 19 | 184 | 14 | 3 | 16 | 13 |
| 2002-03 | मूल | 183815 | 140769 | 18672 | 4914 | 321155 | 23 | 26842 | 696190 |
| | अनुपूरक | 18187 | 12 | 684 | 4376 | 56787 | 1 | 1564 | 81611 |
| | प्रतिशत | 10 | - | 4 | 89 | 18 | 4 | 6 | 12 |
| 2003-04 | मूल | 208340 | 143833 | 19634 | 7086 | 367079 | 36 | 25763 | 771771 |
| | अनुपूरक | 15888 | 4744 | 1862 | 1517 | 21702 | 4 | 1115 | 46832 |
| | प्रतिशत | 8 | 3 | 9 | 21 | 6 | 11 | 4 | 6 |
| 2004-05 | मूल | 215854 | 151300 | 23148 | 14669 | 342119 | 32 | 28899 | 776021 |
| | अनुपूरक | 22539 | 78 | 599 | 1744 | 180366 | 1 | 1041 | 206368 |
| | प्रतिशत | 10 | - | 3 | 12 | 53 | 3 | 4 | 27 |
| 2005-06 | मूल | 260249 | 164936 | 25972 | 6302 | 601477 | 53 | 1179 | 1060168 |
| | अनुपूरक | 34784 | 612 | 1101 | 1643 | 420204 | 4 | 4674 | 463022 |
| | प्रतिशत | 13 | - | 4 | 26 | 70 | 8 | 396 | 44 |

परिशिष्ट VII-च

(पैराग्राफ 7.17 के संदर्भ में)

अर्थव्ययवादी बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(दो करोड़ रुपये तथा अधिक की बचत)

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|--|--|--------------|------------------|------------------|---|
| अनुदान सं. 17 - कम्पनी कार्य मंत्रालय | | | | | |
| 1. | 3451.00.090.05 - कम्पनी कार्य मंत्रालय | 76.68 | 31.21 | 45.47 | 59 |
| 2. | 3475.00.800.58 - राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (रा.क.वि.न्या.) | 3.28 | 0.74 | 2.54 | 77 |
| अनुदान सं. 20 - संस्कृति मंत्रालय | | | | | |
| 3. | 2205.00.105.04 - अन्य योजनाएं | 20.40 | 1.29 | 19.11 | 94 |
| 4. | 2205.00.106.03 - पुरातत्वीय अनवेक्षण तथा खुदाई | 5.50 | 3.28 | 2.22 | 40 |
| 5. | 2205.00.106.05 - केन्द्रीय पुरातत्वीय संग्रहालय | 9.50 | 3.92 | 5.58 | 59 |
| 6. | 2205.00.107.02 - राष्ट्रीय संग्रहालय | 25.04 | 10.96 | 14.08 | 56 |
| 7. | 2205.00.107.13 - कला संरक्षण का इतिहास तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान | 3.62 | 1.06 | 2.56 | 71 |
| 8. | 2205.00.107.19 - विज्ञानी शहर | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 60 |
| 9. | 4202.04.104.01 - भवन | 3.00 | 1.44 | 1.56 | 52 |
| 10. | 4202.04.107.01 - भवन | 14.00 | 2.39 | 11.61 | 83 |
| 11. | 4202.04.108.01 - भवन | 20.00 | 5.18 | 14.82 | 74 |
| अनुदान सं. 29 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय | | | | | |
| 12. | 2885.01.800.09 - लोक उद्यमों में निवेश | 22.33 | - | 22.33 | 100 |
| 13. | 4552.00.054.02 - आर्थिक महत्व के मार्गों/अन्तर राज्य मार्गों का सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माण/सुधार | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 40 |
| अनुदान सं. 31 - विदेश मंत्रालय | | | | | |
| 14. | 3605.00.101.20 - अफ्रीका के देशों को सहायता | 104.54 | 47.99 | 56.55 | 54 |
| अनुदान सं. 32 - आर्थिक कार्य विभाग | | | | | |
| 15. | 2075.00.800.14 - देशीय सहयोग ढांचे-II हेतु पूर्ण सहायता योजना | 5.00 | 1.99 | 3.01 | 60 |
| 16. | 3475.00.800.13 - आरक्षित निधि में अन्तरण | 15.86 | शून्य | 15.86 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|---|---|-----------------------|------------------|------------------|---|
| 17. | 3475.00.800.67 - अवसंरचना विकास हेतु सहायता | 100.00 | शून्य | 100.00 | 100 |
| 18. | 3605.00.101.30 - विकास सहायता | 100.00 | 48.36 | 51.64 | 52 |
| 19. | 5475.00.800.12 - अवसंरचना विकास हेतु सहायता | 1400.00 | शून्य | 1400.00 | 100 |
| 20. | 7605.00.061.01 - नई साख 1994 | 14.00 | 0.70 | 13.30 | 95 |
| 21. | 7605.00.094.09 - नई साख 1994 | 32.00 | 15.89 | 16.11 | 50 |
| 22. | 7605.00.099.22 - नई साख 1994 | 140.00 | 49.27 | 90.73 | 65 |
| अनुदान सं. 33 - मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा डाक टिकटें | | | | | |
| 23. | 2046.00.102.03 - अन्य व्यय | 102.84 | - | 102.84 | 100 |
| 24. | 2046.00.103.02 - प्रचालन तथा रखरखाव | 72.84 | 43.44 | 29.40 | 40 |
| 25. | 2046.00.103.03 - अन्य व्यय | 7.65 | 0.71 | 6.94 | 91 |
| 26. | 2047.00.105.01 - अन्य व्यय | 77.60 | 38.80 | 38.80 | 50 |
| 27. | 2047.00.800.05 - केन्द्रीय डाक टिकट भण्डार | 9.96 | 5.61 | 4.35 | 44 |
| 28. | 4046.00.101.02 - मशीन एवं उपस्कर | 7.50 | 2.15 | 5.35 | 71 |
| 29. | 4046.00.102.01 - भवन | 9.56 | 0.73 | 8.83 | 92 |
| 30. | 4046.00.102.02 - मशीन एवं उपस्कर | 6.14 | 0.49 | 5.65 | 92 |
| 31. | 4046.00.103.02 - मशीन एवं उपस्कर | 8.40 | 1.70 | 6.70 | 80 |
| 32. | 4046.00.107.02 - मशीन एवं उपस्कर | 10.80 | 3.99 | 6.81 | 63 |
| 33. | 4046.00.201.04 - धातु | 220.00 | 7.90 | 212.10 | 96 |
| 34. | 4047.00.105.03 - मशीन एवं उपस्कर | 12.00 | 0.86 | 11.14 | 93 |
| 35. | 4047.00.105.04 - भवन | 4.50 | 1.59 | 2.91 | 65 |
| 36. | 4047.00.107.03 - मशीन एवं उपस्कर | 18.00 | 6.26 | 11.74 | 65 |
| अनुदान सं. 34 - वित्तीय संस्थानों को भुगतान | | | | | |
| 37. | 2416.00.800.01 - कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक को अनुदान | मू: 609.99 अ: 4.69 | 13.63 | 601.05 | 98 |
| 38. | 2885.01.800.06 - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को अनुदान | 22.00 | 9.40 | 12.60 | 57 |
| 39. | 3465.01.190.02 - अवसंरचना विकास वित्त कम्पनी लि. को अनुदान | 5.00 | शून्य | 5.00 | 100 |
| 40. | 3465.01.190.03 - भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सहायता | 1200.00 | शून्य | 1200.00 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|---|
| 41. | 3475.00.800.30 – भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | 5.00 | शून्य | 5.00 | 100 |
| अनुदान सं. 35 - विनियोग - ब्याज भुगतान | | | | | |
| 42. | 2049.01.115 – अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज | 150.00 | 0.21 | 149.79 | 100 |
| 43. | 2049.05.105.07 – औषधीय अनुसंधान तथा विकास सहायता निधि पर ब्याज | 9.00 | - | 9.00 | 100 |
| अनुदान सं. 36 - राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अन्तण | | | | | |
| 44. | 3601.01.113.01 – मू.व.क. संबंधी व्यय के लिए राज्यों अनुदान | 20.00 | शून्य | 20.00 | 100 |
| 45. | 3601.02.101.24 – किशोर कन्याओं के लिए पोषण योजना (कि.क.पो.यो.) | 162.97 | 62.05 | 100.92 | 62 |
| 46. | 3601.02.101.31 – घरेलू विद्युतीकरण | 1100.00 | शून्य | 1100.00 | 100 |
| 47. | 3601.02.101.32 – पिछड़ा जिलों/क्षेत्र निधि | 5000.00 | शून्य | 5000.00 | 100 |
| 48. | 3601.02.101.33 – शहरी अवसंरचना तथा यातायात पर शहरी नवीकरण दबन | 1027.55 | 177.58 | 849.97 | 83 |
| 49. | 3601.02.101.34 – झुग्गी झोंपड़ी विकास के लिए शहरी नवीकरण अनुरोध | 589.62 | 72.14 | 517.48 | 88 |
| अनुदान सं. 37 - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि | | | | | |
| 50. | 7610.00.201.01 – मंत्रालयों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन | 260.00 | 154.85 | 105.15 | 40 |
| 51. | 7610.00.204 – कम्प्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम | 40.00 | 16.48 | 23.52 | 59 |
| 52. | 7610.00.800 – अन्य अग्रिम | 5.00 | 1.72 | 3.28 | 66 |
| अनुदान सं. 38 - विनियोग - ऋण का भुगतान | | | | | |
| 53. | 6001.00.106.15 – 9% राहत बंधपत्र, 1987 | मू. 1.00 अ. 14.00 | 0.05 | 14.95 | 100 |
| 54. | 6001.00.106.18 – 9% राहत बंधपत्र, 1993 | मू. 1.00 अ. 7.00 | 0.28 | 7.72 | 97 |
| 55. | 6001.00.106.22 – 8.5% राहत बंधपत्र, 2001 | मू. 404.63 अ. 267.77 | 74.41 | 597.99 | 89 |
| 56. | 6001.00.114 – अर्थोपाय अग्रिम | 95000.00 | 1134.00 | 93866.00 | 99 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|---|
| 57. | 6001.00.122 – 1.4.1999 से निवल लघु बचत प्राप्ति के अंश के विरुद्ध विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियां जारी करना | 865.00 | 448.94 | 416.06 | 48 |
| अनुदान सं. 43 - प्रत्यक्ष कर | | | | | |
| 58. | 2020.00.001.03 – संगठन तथा प्रबंधन सेवाएं | मू. 33.60 अ. 0.71 | 4.47 | 29.83 | 87 |
| 59. | 4059.01.800.01- निर्मित आवासों का अधिग्रहण | 66.00 | 14.50 | 51.50 | 78 |
| 60. | 4216.01.111.01 – निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण | 16.00 | 0.10 | 15.90 | 99 |
| अनुदान सं. 44 - अप्रत्यक्ष कर | | | | | |
| 61. | 2038.00.001.01 – निरीक्षण | 95.74 | 31.44 | 64.30 | 67 |
| 62. | 4047.00.037.01 – निरोधक तथा अन्य कार्य | 135.68 | 1.05 | 134.63 | 99 |
| 63. | 4059.01.800.01 – निर्मित आवासों का अधिग्रहण | 33.00 | 0.01 | 32.99 | 100 |
| 64. | 4216.01.108.01 – निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण | 20.00 | 5.77 | 14.23 | 71 |
| अनुदान सं. 47 - स्वास्थ्य विभाग | | | | | |
| 65. | 2210.01.001.04 – राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय | 10.50 | 1.55 | 8.95 | 85 |
| 66. | 2210.01.110.31 – भुज अस्पताल गुजरात को अनुदान | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 80 |
| 67. | 2210.06.101.31 – राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम | 25.45 | 13.09 | 12.36 | 49 |
| 68. | 2210.06.800.24 – केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत नई पहलें | 3.00 | - | 3.00 | 100 |
| 69. | 2210.06.106.02 – भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर को अनुदान | 10.00 | 3.98 | 6.02 | 60 |
| 70. | 3601.04.263.02 – राष्ट्रीय रोहे तथा अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य अंगभूत) | 32.00 | 15.84 | 16.16 | 51 |
| 71. | 3601.04.263.04 – राष्ट्रीय वायु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी) | 11.60 | 3.25 | 8.35 | 72 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|--|---|--------------|------------------|------------------|---|
| 72. | 3601.04.263.62 – राष्ट्रीय वायु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण)(ई.ए.सी.) | 100.18 | 48.00 | 52.18 | 52 |
| 73. | 3601.04.263.69 – एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम | 31.50 | - | 31.50 | 100 |
| 74. | 4210.04.101.08 – चाक्षुष हानि की रोकथाम तथा अंधेपन तथा रोहे नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री एवं उपकरण की भारी मात्रा में खरीद | 14.00 | 2.63 | 11.37 | 81 |
| 75. | 4210.04.101.13 – एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए सामग्री एवं उपकरण की भारी मात्रा में खरीद | 34.50 | 19.13 | 15.37 | 45 |
| अनुदान सं. 49 - परिवार कल्याण विभाग | | | | | |
| 76. | 2211.00.003.20- ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नज़फगढ़ | 7.96 | 3.39 | 4.57 | 57 |
| 77. | 2211.00.101.04- उप-केन्द्रों के अनुसूक्षण पर व्यय | 55.00 | - | 55.00 | 100 |
| 78. | 2211.00.106.11 – किशोर स्वास्थ्य पर जानकारी, शिक्षा तथा संदेश (आर.सी.ए.) | 4.70 | 2.32 | 2.38 | 50 |
| 79. | 2211.00.106.12 – पी.एन.डी.टी. अधिनियम पर जानकारी, शिक्षा तथा संदेश | 4.00 | 1.52 | 2.48 | 62 |
| 80. | 2211.00.108.06 – स्वायत्त/स्वैच्छिक संगठन/समितियों द्वारा परियोजनाएं | 39.00 | 20.91 | 18.09 | 46 |
| 81. | 2211.00.108.07 – यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा प्राप्त सहायता के अन्तर्गत गतिविधियां | 10.70 | 3.65 | 7.05 | 66 |
| 82. | 2211.00.200.04 – गर्भ निरोधक का सामाजिक विपणन | 238.16 | 107.64 | 130.52 | 55 |
| 83. | 2211.00.200.20 – सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं | 9.50 | - | 9.50 | 100 |
| 84. | 2211.00.800.03 – उत्तर प्रदेश के लिए परिवार योजना सेवाओं में नवीकरण | 50.00 | 20.77 | 29.23 | 58 |
| 85. | 2211.00.800.07 – सम्मेलन/बैठकों/ विशेषज्ञों की यात्रा आदि | 3.20 | 0.54 | 2.66 | 83 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|-------------------------------------|--|--------------|------------------|------------------|---|
| 86. | 2211.00.800.09 – राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अन्तर्गत उपाय | 30.00 | 8.13 | 21.87 | 73 |
| 87. | 2211.00.800.12 – जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग | 10.00 | 2.80 | 7.20 | 72 |
| 88. | 3601.04.237.07 – पुनःउत्पादकता और बाल स्वास्थ्य परियोजना | 230.00 | - | 230.00 | 100 |
| 89. | 3602.04.237.05 – पुनःउत्पादकता और बाल स्वास्थ्य परियोजना | 5.00 | - | 5.00 | 100 |
| 90. | 3602.04.240.02 – परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति | 4.00 | 1.15 | 2.85 | 71 |
| अनुदान सं. 52 - गृह मंत्रालय | | | | | |
| 91. | 2070.00.108.04 – राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय | 3.80 | 1.57 | 2.23 | 59 |
| 92. | 3454.01.800.03- प्रकाशन | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 50 |
| 93. | 3601.01.106.01 – संसद तथा राज्य सभा चुनावों के दौरान होम गार्डों का प्रस्तरण | 4.00 | - | 4.00 | 100 |
| 94. | 3601.01.106.06 – राज्यों में अग्निशमन सेवा के नागरिक सुरक्षा आधुनिकीकरण का महानिदेशालय | 134.26 | - | 134.26 | 100 |
| 95. | 3601.01.144.02 – नागरिक सुरक्षा के नवीकरण के लिए प्रतिपूर्ति | 50.00 | - | 50.00 | 100 |
| 96. | 4059.80.051.32 – राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर कार्यालय भवन | 2.94 | 0.32 | 2.62 | 89 |
| 97. | 4059.80.051.33 – राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर कार्यालय भवन | 10.00 | 0.07 | 9.93 | 99 |
| 98. | 4059.80.201.03 – मानवाधिकार आयोग | 4.00 | - | 4.00 | 100 |
| अनुदान सं. 53 - मंत्रीमण्डल | | | | | |
| 99. | 4055.00.206.01 – कार्यालय भवन | 3.00 | 0.18 | 2.82 | 94 |
| अनुदान सं. 54 - पुलिस | | | | | |
| 100. | 2055.00.104.05 – अनुसंधान | 6.74 | 4.22 | 2.52 | 37 |
| 101. | 4055.00.800.01 – समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलैस) | 6.10 | 1.16 | 4.94 | 81 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|--|--|--------------|------------------|------------------|---|
| 102. | 4055.00.800.06 - अन्य सीमा प्रबन्धन | 90.00 | 13.04 | 76.96 | 86 |
| 103. | 4055.00.800.08 - म्यानमार सीमा कार्य | 2.00 | - | 2.00 | 100 |
| अनुदान सं. 55 - गृह मंत्रालय का अन्य व्यय | | | | | |
| 104. | 2070.00.800.26 - राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना | 19.89 | 2.94 | 16.95 | 85 |
| 105. | 2235.01.112.04 - पाक अधिकृत कश्मीर तथा छम्ब निआबत क्षेत्र से विस्थापित लोग | 5.00 | शून्य | 5.00 | 100 |
| 106. | 2245.80.102.02 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम | 21.95 | 11.95 | 10.00 | 46 |
| अनुदान सं. 57 - प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | | | | | |
| 107. | 2202.01.107.04- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद | 4.50 | शून्य | 4.50 | 100 |
| अनुदान सं. 58 - माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग | | | | | |
| 108. | 2202.02.800.33 - असमर्थ बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा - स्वैच्छिक संगठन | 13.15 | 4.94 | 8.21 | 62 |
| 109. | 2202.03.102.01 - राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) | 55.00 | 30.24 | 24.76 | 45 |
| 110. | 2202.05.103.07 - राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान | 2.25 | 0.25 | 2.00 | 89 |
| 111. | 2202.80.001.10 - अरोविल्ले प्रबंधन | 4.06 | 2.01 | 2.05 | 50 |
| 112. | 2202.80.004.08 - प्रज्ञात्मक संपत्ति शिक्षा, अनुसंधान तथा लोक बढावे के लिए योजना | 4.50 | 0.40 | 4.10 | 91 |
| 113. | 2203.00.105.04 - गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को अनुदान - समुदाय बहुशिल्प - विद्यालय | 27.10 | 13.09 | 14.01 | 52 |
| 114. | 2203.00.105.11 - नए बहुशिल्प-विद्यालयों का स्थापना | 54.00 | शून्य | 54.00 | 100 |
| 115. | 2203.00.105.12 - बहुशिल्प-विद्यालयों में अर्थव्यवस्था विकास कार्यक्रम | 13.50 | शून्य | 13.50 | 100 |
| 116. | 2203.00.112.35 - कांचीपुरम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, स्मरेखा तथा उत्पादन संस्थान | 9.00 | शून्य | 9.00 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|---|---|----------------------|------------------|------------------|---|
| 117. | 2203.00.800.10 – प्रौद्योगिकी विकास मिशन | 3.60 | 0.22 | 3.38 | 94 |
| 118. | 2203.00.800.15 – तकनीकी शिक्षा - भारतीय सरकार की गुणवत्ता सुधार परियोजना | 100.00 | 4.99 | 95.01 | 95 |
| 119. | 3601.03.162.02 – संस्कृति शिक्षा का विकास | 15.10 | 9.05 | 6.05 | 40 |
| 120. | 3601.04.172.03 – विद्यालयों में प्रतिष्ठा सुधार | 4.75 | शून्य | 4.75 | 100 |
| 121. | 3601.04.172.04 – अनुवृद्धि तथा निष्पक्षता | 2.10 | शून्य | 2.10 | 100 |
| अनुदान सं. 59 - महिला एवं बाल विकास विभाग | | | | | |
| 122. | 2235.02.102.18 – एकीकृत बाल विकास सेवाएं | मू: 35.35 अ: 0.02 | 12.81 | 22.56 | 64 |
| 123. | 2235.02.103.03 – श्रमिक महिलाओं के निवास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 5.98 | 2.25 | 3.73 | 62 |
| 124. | 2235.02.103.12 - स्वावलम्बन | 14.00 | 8.14 | 5.86 | 42 |
| 125. | 2235.02.103.43 – स्व शक्ति परियोजना | 5.00 | 1.96 | 3.04 | 61 |
| अनुदान सं. 60 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | | | | | |
| 126. | 2220.02.800 – अन्य व्यय | 10.00 | - | 10.00 | 100 |
| 127. | 4220.01.200.01 – गतिप्रद प्रतिमाओं के लिए संग्रहालय का विन्यास (फिल्म प्रभाग) | 7.44 | - | 7.44 | 100 |
| 128. | 4220.60.101.03 – प्रेस सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र तथा लघु मीडिया केन्द्र विन्यास | 18.20 | 7.60 | 10.60 | 58 |
| अनुदान सं. 61 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | | | | | |
| 129. | 3601.01.325.01 – बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजना | 2.50 | - | 2.50 | 100 |
| अनुदान सं. 63 - विधि एवं न्याय | | | | | |
| 130. | 2014.00.800.09 – जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटीकरण | 192.00 | - | 192.00 | 100 |
| 131. | 2020.00.001.06 – राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण | 2.18 | शून्य | 2.18 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक सवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|---|---|--------------|-----------------|------------------|---|
| अनुदान सं. 66 - भारतीय विदेशी कार्य मंत्रालय | | | | | |
| 132. | 2052.00.090.34 - भारतीय विदेशी कार्य मंत्रालय | 19.00 | 7.77 | 11.23 | 59 |
| 133. | 2061.00.800.03 - अन्य योजनाएं | 5.00 | 0.60 | 4.40 | 88 |
| 134. | 4059.60.051.23 - प्रवासी भारतीय केन्द्र | 3.00 | 0.21 | 2.79 | 93 |
| अनुदान सं. 72 - योजना मंत्रालय | | | | | |
| 135. | 2245.80.102.08 - सुनामी पुनर्स्थापना योजना | 9.80 | 0.88 | 8.92 | 91 |
| 136. | 3475.00.800.52 - योजना हेतु 50वें वर्ष की पहल | 10.12 | 4.62 | 5.50 | 54 |
| अनुदान सं. 88 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | | | | | |
| 137. | 2235.02.102.27 - देश में नवजात तथा युवा बच्चों के ही अंगीकरण हेतु उन्नयन हेतु अनाथालयों को सहायता | 5.00 | 2.24 | 2.76 | 55 |
| 138. | 2235.02.102.31 - सुरक्षा एवं देखभाल के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु योजना | 7.00 | 1.12 | 5.88 | 84 |
| 139. | 2235.02.107.05 - वृद्धों के संबंध में कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 24.05 | 14.06 | 9.99 | 42 |
| 140. | 3601.03.376.04 - अनुसूचित जाति छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय | 5.00 | - | 5.00 | 100 |
| अनुदान सं. 90 - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | | | | | |
| 141. | 3454.02.204.02 - भारतीय सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का नवीकरण) | 4.95 | 1.68 | 3.27 | 66 |
| 142. | 3454.02.204.21 - सामाजिक, पर्यावरण तथा मूल्य सांख्यिकी का विकास | 2.67 | 0.59 | 2.08 | 78 |
| 143. | 3454.02.800.04 - कार्यक्रम कार्यान्वयन | 4.40 | 1.38 | 3.02 | 69 |
| 144. | 5475.00.112.27 - सांस्थानिक विकास तथा क्षमता निर्माण | 14.20 | 3.64 | 10.56 | 74 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता |
|---|---|--------------|------------------|------------------|---|
| 145. | 5475.00.112.32 – एन.एस.एस.ओ. की डेटा प्रोसेसिंग क्षमताओं का सुदृढीकरण | 2.80 | 0.36 | 2.44 | 87 |
| अनुदान सं. 105 - युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय | | | | | |
| 146. | 2204.00.104.35- अवशोषी जांच योजना | 9.40 | - | 9.40 | 100 |
| 147. | 2204.00.104.37- प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण संबंधी योजना | 3.00 | 0.39 | 2.61 | 87 |
| 148. | 4202.03.800.09 – राज्य खेल अकादमी | 3.50 | - | 3.50 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट - VIII-क
(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में)
(निरन्तर अव्ययित प्रावधान)

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | वर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता) | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|---------------|---|----------|-----------------|---------------|------------------------------|---|
| राजस्व अनुभाग | | | | | | |
| 1. | 2251.00.800.02- विभागीय कैंटीन | 2003-04 | 0.19 | 0.18 | 0.01 (5) | अभिलिखित नहीं हैं। |
| | | 2004-05 | 0.19 | 0.11 | 0.08 (42) | |
| | | 2005-06 | 0.22 | 0.16 | 0.06 (27) | |
| 2. | 2251.00.800.03- विदेशी फिल्म समारोह/बाजार* में भागीदारी | 2003-04 | 1.00 | 0.49 | 0.51 (51) | विदेशी दौरो पर कम व्यय के कारण बचत |
| | | 2004-05* | 1.00 | 0.94 | 0.06 (6) | |
| | | 2005-06 | 1.00 | 0.99 | 0.01 (1) | |
| 3. | 2251.00.800.04- पाइरेसी विरोधी कार्यो/समारोहों में रत गैर-सरकारी संगठन | 2003-04 | 0.20 | 0.18 | 0.02 (10) | अभिलिखित नहीं हैं। |
| | | 2004-05 | 0.20 | 0.06 | 0.14 (70) | |
| | | 2005-06 | 0.20 | 0.13 | 0.07 (35) | |
| 4. | 2205.00.109.02- केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड | 2003-04 | 4.56 | 3.12 | 1.44 (32) | रिक्त पदों को न भरना, अति अनुशासित उपाय, योजनाओं अथवा व्यय का अनुमोदन न होना, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति। |
| | | 2004-05 | 4.09 | 2.81 | 1.28 (31) | |
| | | 2005-06 | 4.05 अ. 0.30 | 3.42 | 0.93 (21) | |
| 5. | 2220.01.800.02- बाल फिल्म समिति | 2003-04 | 6.36 | 3.78 | 2.58 (41) | निधियों की कम आवश्यकता, उपयुक्त फिल्म प्रास्ताव/कथासार की अ-प्राप्ति, सामान्य चुनाव के कारण फिल्म समारोह का आयोजन न होना। |
| | | 2004-05 | 4.47 | 2.15 | 2.32 (52) | |
| | | 2005-06 | 5.24 | 4.64 | 0.60 (11) | |
| 6. | 2220.01.800.05- फिल्म समारोह निदेशालय | 2003-04 | 7.01 | 5.95 | 1.06 (15) | विदेशी भ्रमण पर कम व्यय, समारोह आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थियेटर की अनुपलब्धता। |
| | | 2004-05 | 6.95 | 6.04 | 0.91 (13) | |
| | | 2005-06 | 8.36 | 7.02 | 1.34 (16) | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र.सं. | उप-शीर्ष | वर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता) | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|---------|--|---------|----------|---------------|------------------------------|---|
| 7. | 2220.60.003.01- भारतीय जन संचार संस्थान | 2003-04 | 5.00 | 4.67 | 0.33 (7) | आधुनिकीकरण एवं सुविधाओं का विस्तार तथा आवासीय परियोजनाओं का गैर कार्यान्वयन। |
| | | 2004-05 | 4.82 | 3.75 | 1.07 (22) | |
| 8. | 2220.60.003.02- अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग | 2003-04 | 1.02 | 0.90 | 0.12 (12) | अभिलिखित नहीं हैं |
| | | 2004-05 | 1.00 | 0.88 | 0.12 (12) | |
| | | 2005-06 | 1.01 | 0.97 | 0.04 (4) | |
| 9. | 2220.60.103.02- अन्य मदें | 2003-04 | 2.68 | 1.39 | 1.29 (48) | कार्यालय व्यय की कम आवश्यकता, गत वर्ष के अव्ययित शेषों का समायोजन, भारती प्रेस परिषद द्वारा कम आवश्यकता। |
| | | 2004-05 | 1.98 | 1.44 | 0.54 (27) | |
| 10. | 2220.60.105.01- भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार | 2003-04 | 3.60 | 2.52 | 1.08 (30) | निधियों की कम आवश्यकता। |
| | | 2004-05 | 2.55 | 2.24 | 0.31 (12) | |
| | | 2005-06 | 2.59 | 2.38 | 0.21(8) | |
| 11. | 2220.60.109.01- फोटो प्रभाग | 2003-04 | 3.00 | 2.16 | 0.84 (28) | फोटो प्रभाग के आधुनिकीकरण हेतु योजना के विलम्ब से अनुमोदन होने के कारण कम व्यय। |
| | | 2004-05 | 2.51 | 2.28 | 0.23 (9) | |
| | | 2005-06 | 2.88 | 2.82 | 0.06 (2) | |
| 12. | 2220.60.107.01- गीत एवं नाटक प्रभाग | 2003-04 | 16.70 | 15.12 | 1.58 (9) | निधियों की कम आवश्यकता, क्षेत्रीय इकाइयों से किराया बिलों की अ-प्राप्ति, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी व्यय हेतु संस्वीकृति की विलम्ब से प्राप्ति। |
| | | 2004-05 | 16.25 | 15.07 | 1.18 (7) | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र.सं. | उप-शीर्ष | वर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता) | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|---------|---|---------|------------------|---------------|------------------------------|---|
| 13. | 2220.60.110.01- प्रकाशन प्रभाग | 2003-04 | 12.46 | 11.76 | 0.70 (6) | प्रकाशन हेतु अनुबन्धों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, रिक्त पदों को नहीं भरना, "आधुनिक भारत के निर्माता" शृंखला के अंतर्गत लेखकों से पुस्तकें समय पर प्राप्त नहीं हुई। |
| | | 2004-05 | 12.09 | 11.94 | 0.15 (1) | |
| | | 2005-06 | 12.68 अ. 0.86 | 12.90 | 0.64 (5) | |
| 14. | 2220.60.798.01- संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु अंशदान | 2003-04 | 0.16 | - | 0.16 (100) | अभिलिखित नहीं है। |
| | | 2004-05 | 0.01 | - | 0.01 (100) | |
| 15. | 2220.60.798.02- एशिया पैसिफिक प्रसारण विकास संस्थान (ए.पै.प्र.वि.सं.) को वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान | 2004-05 | 0.15 | 0.13 | 0.02 (13) | अभिलिखित नहीं है। |
| | | 2005-06 | 0.20 | 0.13 | 0.07 (35) | |
| 16. | 2220.02.001 - केन्द्रीय मानीटरिंग सेवाएं - निदेशन एवं प्रशासन | 2003-04 | 3.20 | - | 3.20 (100) | बाद की अवस्था में प्रसार भारती से योजना के हस्तांतरण के कारण समस्त प्रावधान अव्ययित रहा, कम्प्यूटर कोड की अनुपलब्धता, सं.ज्ञा. को अंतिम रूप नहीं देना। |
| | | 2004-05 | 6.06 | - | 6.06 (100) | |
| | | 2005-06 | 5.10 | - | 5.10 (100) | |
| 17. | 2220.02.800- अन्य व्यय | 2003-04 | 4.35 | - | 4.35 (100) | प्रसार भारती से योजना के विलम्ब से हस्तांतरण के कारण समस्त निधियां अव्ययित रही, भूमि आबंटन एवं सं.ज्ञा. हस्ताक्षर करने तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के करार का परीक्षण करने में देरी, कम्प्यूटर कोड की अनुपलब्धता। |
| | | 2005-06 | 10.00 | - | 10.00 (100) | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | वर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता) | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|-----------------------|--|-----------|----------|---------------|------------------------------|---|
| 18. | 2221.01.001-निदेशन एवं प्रशासन | 2003-04 | 0.02 | - | 0.02 (100) | अभिलिखित नहीं है। |
| | | 2004-05 | 0.02 | - | 0.02 (100) | |
| | | 2005-06 | 0.02 | - | 0.02 (100) | |
| 19. | 2221.02.001-01 निदेशन एवं प्रशासन | 2003-04 | 0.02 | - | 0.02 (100) | अभिलिखित नहीं है। |
| | | 2004-05 | 0.02 | - | 0.02 (100) | |
| | | 2005-06 | 0.02 | - | 0.02 (100) | |
| पूँजीगत अनुभाग | | | | | | |
| 20. | 4220.01.052.01- फिल्म प्रभाग हेतु उपस्कर का अर्जन | 2003-04 | 1.75 | 0.46 | 1.29 (74) | आयात हेतु औपचारिकताओं को पूरा न के कारण निधियों की कम आवश्यकता, स्थायी वित्तीय समिति/योजना आयोग के अनुमोदन की विलम्ब से प्राप्ति। |
| | | 2004-05 | 3.75 | 2.98 | 0.77 (21) | |
| | | 2005-06 | 1.05 | - | 1.05 (100) | |
| 21. | 4220.01.052.05- केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड हेतु उपस्कर का अर्जन | 2004-05 | 0.75 | - | 0.75 (100) | स्था.वि.स./योजना आयोग के अनुमोदन की देर से प्राप्ति तथा रा.सू.के., कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली हेतु कार्यान्वयन अभिकरण, द्वारा निधियों की कम आवश्यकता। |
| | | 2005-06 | 1.56 | 0.80 | 0.76 (49) | |
| 22. | 4220.01.200.01- *फिल्म प्रभाग का बहुमंजला भवन **गतिशील प्रतिबिम्बों के संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग) | *2003-04 | 0.25 | - | 0.25 (100) | स्था.वि.स./योजना आयोग के अनुमोदन की देर से प्राप्ति, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति में विलम्ब, अप्रचलित उपस्करों का प्रतिस्थापन। |
| | | **2004-05 | 1.00 | 0.10 | 0.90 (90) | |
| | | **2005-06 | 7.44 | - | 7.44 (100) | |
| 23. | 4220.01.200.04- फिल्म समारोह कॉम्प्लैक्स विस्तार एवं रद्दोबदल | 2003-04 | 2.00 | 1.18 | 0.82 (41) | निर्माण कार्य को पूरा करने में विलम्ब, सिरि फोर्ट परिसर में पार्किंग हेतु भूमि का आबंटन न होना। |
| | | 2004-05 | 2.00 | - | 2.00 (100) | |
| | | 2005-06 | 2.00 | 1.96 | 0.04 (2) | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र.सं. | उप-शीर्ष | वर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता) | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|---------|---|---------|----------|---------------|------------------------------|--|
| 24. | 4220.01.200.07- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार हेतु चरण- II भवन का निर्माण | 2003-04 | 0.50 | - | 0.50 (100) | स्था.वि.स./ योजना आयोग के अनुमोदन की देर से प्राप्ति तथा निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कम मांग। |
| | | 2004-05 | 2.50 | 0.40 | 2.10 (84) | |
| | | 2005-06 | 4.00 | 3.00 | 1.00 (25) | |
| 25. | 4220.60.052.01- प्रेस सूचना ब्यूरो हेतु उपस्कर का अर्जन | 2004-05 | 0.75 | 0.37 | 0.38 (51) | अभिलिखित नहीं है। |
| | | 2005-06 | 0.18 | - | 0.18 (100) | |
| 26. | 4220.60.052.02- क्षेत्र प्रचार निदेशालय हेतु उपस्कर का अर्जन | 2004-05 | 1.00 | 0.44 | 0.56 (56) | स्था.वि.स./ योजना आयोग के अनुमोदन की देर से प्राप्ति, यानों के प्रतिस्थापन पर रोक तथा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब। |
| | | 2005-06 | 1.46 | 0.50 | 0.96 (66) | |
| 27. | 4220.60.052.04 फोटो प्रभाग हेतु उपस्कर का अर्जन | 2003-04 | 1.00 | 0.40 | 0.60 (60) | निधियों की कम आवश्यकता, स्था.वि. स./योजना आयोग के अनुमोदन की देर से प्राप्ति। |
| | | 2004-05 | 0.60 | 0.10 | 0.50 (83) | |
| | | 2005-06 | 0.60 | 0.52 | 0.08 (13) | |
| 28. | 4220.60.052.06- भारतीय जन संचार संस्थान हेतु उपस्कर का अर्जन | 2003-04 | 0.57 | 0.10 | 0.47 (82) | स्था.वि.स./ योजना आयोग के अनुमोदन की देर से प्राप्ति। |
| | | 2004-05 | 1.28 | 0.50 | 0.78 (61) | |
| | | 2005-06 | 0.59 | 0.52 | 0.07 (12) | |
| 29. | 4220.60.101.03- प्रेस सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र एवं लघु मीडिया केन्द्र की स्थापना | 2003-04 | 2.19 | 0.07 | 2.12 (97) | योजनाओं का अनुमोदन न होना, स्था.वि.स./ यो.आ. के अनुमोदन की देर से प्राप्ति, प्रेस सू.ब्यू. तथा निर्माण करने वाले अभिकरण के बीच स.ज्ञा. को हस्ताक्षर करने में विलम्ब। |
| | | 2004-05 | 5.00 | - | 5.00 (100) | |
| | | 2005-06 | 18.20 | 7.60 | 10.60 (58) | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र.सं. | उप-शीर्ष | वर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता) | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|---------|--|---------|----------|---------------|------------------------------|--|
| 30. | 4220.60.101.05- भारतीय जन संचार संस्थान की भवन एवं आवासीय परियोजना | 2003-04 | 1.43 | 0.50 | 0.93 (65) | भा.ज.सं.सं. डनकानल के निर्माण कार्य को छोड़ने, भवन के ढांचागत रेखाचित्र में संशोधन, स्टाफ क्वार्टरों हेतु ज.ने.वि. से अनुमति प्राप्त न होना। |
| | | 2004-05 | 1.35 | 0.15 | 1.20 (89) | |
| | | 2005-06 | 1.16 | - | 1.16 (100) | |
| 31. | 6221.00.101.01- | 2003-04 | 166.00 | 84.65 | 81.35 (49) | संशोधित अनुमानों हेतु कम सीमा का निर्धारण, 2004-05 से संबंधित अप्रयुक्त ऋण की वापसी के कारण। |
| | | 2004-05 | 169.50 | 85.93 | 83.57 (49) | |

परिशिष्ट-VIII-ख
(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में)
(निरन्तर आधिक्य)

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | शीर्ष | वर्ष | मूल प्रावधान | व्यय | आधिक्य | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|----------|---|---------|----------------------|-------|--------|--|
| 1. | 2251.00.090.05- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 2003-04 | 15.22 | 18.92 | 3.70 | बाद की अवस्था में योजना के प्रसार भारती से मंत्रालय को हस्तांतरण, कम्प्यूटर कोड की अनुपलब्धता के कारण केन्द्रीय मानीटरिंग सेवाओं के व्यय को दर्ज करना, दौरे पर व्यय में वृद्धि, कार्यालय कॉम्प्लैक्स आधुनिकीकरण तथा ईंधन मूल्यों में वृद्धि के कारण। |
| | | 2004-05 | 15.85 | 20.79 | 4.94 | |
| | | 2005-06 | मू. 17.61 अ. 0.37 | 19.89 | 1.91 | |
| 2. | 2220.01.800.03- भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे | 2004-05 | 5.80 | 6.54 | 0.74 | शैक्षिक कार्यकलापों/ फिल्म परियोजनाओं में वृद्धि, नए पाठ्यक्रम, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान द्वारा विद्यार्थियों की नई भर्ती के कारण। |
| | | 2005-06 | 6.47 | 6.93 | 0.46 | |
| 3. | 2220.01.800.07- सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता | 2003-04 | 3.00 | 3.64 | 0.64 | शैक्षिक कार्यकलापों/ स.रा.फि.टे.सं. के फिल्म परियोजनाओं में वृद्धि तथा सम्पत्ति कर का भुगतान के कारण आधिक्य। |
| | | 2004-05 | 3.51 | 3.86 | 0.35 | |
| | | 2005-06 | 4.26 | 6.60 | 2.34 | |
| 4. | 2220.60.106.01- क्षेत्र प्रचार निदेशालय | 2004-05 | 21.28 | 22.56 | 1.28 | 50 प्रतिशत मं.भ. का विलय, न्यायालय द्वारा मुज्जफरपुर स्थित निदेशालय के किराए में वृद्धि के कारण। |
| | | 2005-06 | 23.32 | 23.56 | 0.24 | |
| 5. | 2220.60.112.01- रोजगार समाचार सेवाएं | 2003-04 | 16.08 | 21.24 | 5.16 | अखबारी कागज हेतु प्रतिबद्ध व्यय, मुद्रण आदेश में वृद्धि, अनुवाद प्रभार, प्रूफ शोधन प्रभार के कारण। |
| | | 2004-05 | 20.00 | 23.37 | 3.37 | |
| | | 2005-06 | मू. 23.06 अ. 0.37 | 25.52 | 2.09 | |

मू.- मूल

अ.- अनुपूरक

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट-VIII-ग
(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)
(अवास्तविक बजट बनाना)

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | कुल प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | प्रतिशतता | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|-------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| राजस्व अनुभाग 2003-04 | | | | | | |
| 1. | 2205.00.109.02- केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड | 4.56 | 3.12 | 1.44 | 32 | रिक्त पदों को न भरना तथा योजनागत योजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण। |
| 2. | 2220.01.105.01- फिल्म प्रभाग | 26.86 | 24.12 | 2.74 | 10 | चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति न होने, समूह 'ग' कर्मचारियों से संबंधित आश्वस्त जीवन काल उन्नयन को अंतिम रूप देने में विलंब, सम्पत्ति कर को अंतिम रूप न देना तथा न्यायालय मामलों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण। |
| 3. | 2220.01.800.02- बाल फिल्म समिति | 6.36 | 3.78 | 2.58 | 41 | निधियों की कम आवश्यकता के कारण। |
| 4. | 2220.01.800.05- फिल्म समारोह निदेशालय | 7.01 | 5.95 | 1.06 | 15 | विदेशी दौरों पर कम व्यय के कारण। |
| 5. | 2220.60.103.02- अन्य मदें | 2.68 | 1.39 | 1.29 | 48 | कार्यालय व्यय हेतु कम आवश्यकता तथा गत वर्ष के अव्ययित शेषों के समायोजन के कारण। |
| 6. | 2220.60.105.01- भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार | 3.60 | 2.52 | 1.08 | 30 | वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण। |
| 7. | 2220.60.107.01- गीत एवं नाटक प्रभाग | 16.70 | 15.12 | 1.58 | 9 | निधियों की कम आवश्यकता के कारण। |
| 8. | 2220.02.001- निदेशन एवं प्रशासन | 3.20 | - | 3.20 | 100 | बाद की अवस्था में योजना के प्रसार भारती से मंत्रालय को हस्तांतरण के कारण। |
| 9. | 2220.02.800- अन्य व्यय | 4.35 | - | 4.35 | 100 | बाद की अवस्था में योजना के प्रसार भारती से मंत्रालय को हस्तांतरण के कारण। |
| 10. | 2221.80.102- प्रसार भारती | 1005.60 अ. 0.01 | 1001.47 | 4.14 | 0.41 | प्रसार भारती से देय वसूली के समायोजन के कारण। |
| पूँजीगत अनुभाग 2003-04 | | | | | | |
| 11. | 4220.01.052.01- फिल्म प्रभाग हेतु उपस्कर का अर्जन | 1.75 | 0.46 | 1.29 | 74 | मशीनरी तथा उपस्कर के आयात हेतु प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कम समय मिलने के कारण निधियों की कम आवश्यकता। |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | कुल प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | प्रतिशतता | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|-----------------------|---|--------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 12. | 4220.60.101.03- प्रेस सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र एवं लघु मीडिया केन्द्रों की स्थापना | 2.19 | 0.07 | 2.12 | 97 | इस कारण की योजनागत योजना अभी अनुमोदित होनी थी। |
| 13. | 6221.00.101.01- प्रसार भारती | 166.00 | 84.65 | 81.35 | 49 | व्यय की प्रवृत्ति पर आधारित 2003-04 के संशोधित अनुमानों हेतु कम सीमा नियत किए जाने के कारण। |
| राजस्व अनुभाग 2004-05 | | | | | | |
| 14. | 2205.00.109.02- केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड | 4.09 | 2.81 | 1.28 | 31 | अति अनुशासित उपायों, योजना के गैर कार्यान्वयन, दिल्ली, कटक एवं गोवाहटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों का खुलना, योजनाओं के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन में देरी के कारण कम खर्च, प्रमाणीकरण प्रक्रिया की मानीटरिंग एवं आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना तथा सूचना के अद्यतन के कारण। |
| 15. | 2220.01.800.02- बाल फिल्म समिति | 4.47 | 2.15 | 2.32 | 52 | उपयुक्त फिल्म प्रस्तावों/कथासार तथा रचनाओं की अप्राप्ति तथा सामान्य चुनाव के कारण बाल फिल्म समारोह का आयोजन न होने के कारण भी। |
| 16. | 2220.60.003.01- भारतीय जन संचार संस्थान | 4.82 | 3.75 | 1.07 | 22 | आधुनिकीकरण एवं विस्तार सुविधाओं तथा आवासीय परियोजनाओं के गैर कार्यान्वयन के कारण। |
| 17. | 2220.60.101.02- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय | 69.60 | 64.33 | 5.27 | 8 | अति अनुशासित उपाय, किराए के संशोधन को अंतिम रूप न दिया जाना, पत्रिकाओं/जर्नल के प्राप्ति पर पाबन्दी, या.भ. बिलों का गैर प्रस्तुतीकरण, "रेडियो स्पॉट" एवं "बाहरी प्रचार" इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग के कारण। |
| 18. | 2220.60.107.01- गीत एवं नाटक प्रभाग | 16.25 | 15.07 | 1.18 | 7 | ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनों पर व्यय वहन करने के लिए संस्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब के कारण सूचना संचार प्रौद्योगिकी की योजना के अंतर्गत योजना की गति तथा अनेक केन्द्रों पर स्थित क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा अधिभोगित भवनों के किराए के बिलों की अप्राप्ति के कारण। |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | कुल प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | प्रतिशतता | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 19. | 2220.02.001- निदेशक एवं प्रशासन | 6.06 | - | 6.06 | 100 | कम्प्यूटर कोड की अनुपलब्धता के कारण। |
| पूँजीगत अनुभाग 2004-05 | | | | | | |
| 20. | 4220.01.200.04- फिल्म समारोह कॉम्प्लैक्स- विस्तार एवं रद्दीबदल | 2.00 | - | 2.00 | 100 | दि.वि.प्रा.वि. द्वारा सिरीफोर्ट कॉम्प्लैक्स में पार्किंग के निर्माण हेतु भूमि का आबंटन नहीं करने के कारण। |
| 21. | 4220.01.200.07- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार हेतु चरण- II भवन का निर्माण | 2.50 | 0.40 | 2.10 | 84 | स्थायी वित्तीय समिति/योजना आयोग के अनुमोदन की विलम्ब से प्राप्ति। |
| 22. | 4220.60.101.03 प्रेस सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र तथा लघु मीडिया केन्द्रों की स्थापना | 5.00 | - | 5.00 | 100 | स्थायी वित्तीय समिति/योजना आयोग के अनुमोदन की विलम्ब से प्राप्ति। |
| 23. | 4220.60.101.05- भारतीय जनसंचार संस्थान की भवन एवं आवास परियोजना | 1.35 | 0.15 | 1.20 | 89 | स्थायी वित्तीय समिति/योजना आयोग के अनुमोदन की विलम्ब से प्राप्ति। |
| 24. | 6221.00.101.01- प्रसार भारती | 169.50 | 85.93 | 83.57 | 49 | वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष बजटीय सहायता में कटौती के कारण। |
| राजस्व अनुभाग 2005-06 | | | | | | |
| 25. | 2220.01.105.01- फिल्म प्रभाग | मू. 26.95 अं. 0.65 | 26.50 | 1.10 | 4 | वितरण हेतु फिल्मों के प्रिन्टों की संख्या में कमी, नगरपालिका करों में विभिन्नता कम संख्या में व्यवसायकों को रखना तथा अति अनुशासित उपायों के कारण। |
| 26. | 2220.01.800.05- फिल्म उत्सव निदेशालय | 8.36 | 7.02 | 1.34 | 16 | उत्सव आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त थियेटर्स की अनुपलब्धता/पूर्वव्यापियों की संख्या में कमी/समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर करने में विलम्ब के कारण। |
| 27. | 2220.02.001 केन्द्रीय मानीटरिंग सेवाएं - निदेशन एवं प्रशासन | 5.10 | - | 5.10 | 100 | समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न देने तथा कम्प्यूटर कोड की अनुपलब्धता के कारण। |
| 28. | 2220.02.800- सी.एम.एस. - अन्य व्यय | 10.00 | - | 10.00 | 100 | भूमि आबंटन तथा समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर करने में विलम्ब तथा सामान्य पूल आवासों के आबंटन तथा कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रयोजना के कार्यान्वयन के करार की वैटिंग में भी विलम्ब के कारण। |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष | कुल प्रावधान | वास्तविक संवितरण | अव्ययित प्रावधान | प्रतिशतता | मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 29. | 2221.80.102.01- प्रसार भारती | मू. 1009.57 अ. 95.58 | 1078.02 | 27.13 | 2 | सक्षम प्राधिकारी द्वारा जम्मू एवं कश्मीर (चरण-II) के अंतर्गत योजना का अनुमोदन न होने के कारण। |
| पूँजीगत अनुभाग 2005-06 | | | | | | |
| 30. | 4220.01.052.01- फिल्म प्रभाग हेतु उपस्कर का अर्जन | 1.05 | - | 1.05 | 100 | 'फिल्म प्रभाग के अप्रचलित उपस्करों का प्रतिस्थापन' योजनागत योजना के संबंध में में स्थायी वित्तीय समिति के अनुमोदन की अनुपलब्धता के कारण। |
| 31. | 4220.01.200.01- गतिशील प्रतिबिम्बों के संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग) | 7.44 | - | 7.44 | 100 | परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी की नियुक्ति में विलम्ब, योजनागत योजनाओं के संबंध में स्थायी वित्तीय समिति के अनुमोदन की अनुपलब्धता के कारण। |
| 32. | 4220.01.200.07- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के चरण- II भवन का निर्माण | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 25 | आकाशवाणी, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के चरण- II भवन के संबंध में कार्यान्वयन अभिकरण, के सिविल निर्माण स्कंध द्वारा कम मांग के कारण। |
| 33. | 4220.60.101.03- प्रेस सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र तथा लघु मीडिया केन्द्रों की स्थापना | 18.20 | 7.60 | 10.60 | 58 | प्रेस सूचना ब्यूरो तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के मध्य स.ज्ञा. के हस्ताक्षर होने में विलम्ब के कारण। |
| 34. | 4220.60.101.05- भारतीय जनसंचार संस्थान की भवन एवं आवास परियोजना | 1.16 | - | 1.16 | 100 | स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण कार्य हेतु जवाह लाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्वीकृति की अप्राप्ति के कारण। |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट -VIII-घ

(पैराग्राफ 8.39 के संदर्भ में)

1976-77 (लेखों के विभागीयकरण की तिथि से) से 2004-05 के दौरान अदा किए गए अनुदान जिनके उपयोग प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं

(लाख रुपयों में)

| क्र. सं. | सहायता अनुदान संस्वीकृत करने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम | अनुदान की संस्वीकृति का वर्ष | देय | | प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र | | बकाया | |
|----------|---|------------------------------|------|----------|---------------------------|----------|-------|---------|
| | | | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि |
| 1. | अंतरिक्ष विभाग | 1976-77 | 39 | 11.03 | 38 | 10.98 | 1 | 0.05 |
| 2. | .. | 1977-78 | 68 | 36.96 | 68 | 36.96 | 0 | 0.00 |
| 3. | .. | 1978-79 | 72 | 32.33 | 72 | 32.33 | 0 | 0.00 |
| 4. | .. | 1979-80 | 105 | 60.35 | 104 | 60.30 | 1 | 0.05 |
| 5. | .. | 1980-81 | 95 | 45.36 | 94 | 44.98 | 1 | 0.38 |
| 6. | .. | 1981-82 | 109 | 56.16 | 108 | 56.13 | 1 | 0.03 |
| 7. | .. | 1982-83 | 98 | 67.72 | 92 | 66.98 | 6 | 0.74 |
| 8. | .. | 1983-84 | 99 | 67.80 | 97 | 67.73 | 2 | 0.08 |
| 9. | .. | 1984-85 | 120 | 53.20 | 116 | 52.21 | 4 | 0.99 |
| 10. | .. | 1985-86 | 93 | 50.69 | 91 | 50.54 | 2 | 0.15 |
| 11. | .. | 1986-87 | 82 | 43.94 | 74 | 42.52 | 8 | 1.42 |
| 12. | .. | 1987-88 | 96 | 58.82 | 92 | 53.94 | 4 | 4.88 |
| 13. | .. | 1988-89 | 67 | 53.08 | 67 | 53.08 | 0 | 0.00 |
| 14. | .. | 1989-90 | 88 | 86.83 | 86 | 86.76 | 2 | 0.07 |
| 15. | .. | 1990-91 | 60 | 93.34 | 59 | 88.10 | 1 | 5.24 |
| 16. | .. | 1991-92 | 49 | 153.19 | 48 | 151.95 | 1 | 1.24 |
| 17. | .. | 1992-93 | 50 | 109.64 | 50 | 109.64 | 0 | 0.00 |
| 18. | .. | 1993-94 | 63 | 128.89 | 61 | 127.61 | 2 | 1.28 |
| 19. | .. | 1994-95 | 72 | 249.65 | 72 | 249.65 | 0 | 0.00 |
| 20. | .. | 1995-96 | 84 | 338.19 | 83 | 337.84 | 1 | 0.35 |
| 21. | .. | 1996-97 | 105 | 391.38 | 105 | 391.38 | 0 | 0.00 |
| 22. | .. | 1997-98 | 115 | 654.51 | 115 | 654.51 | 0 | 0.00 |
| 23. | .. | 1998-99 | 143 | 652.96 | 142 | 652.76 | 1 | 0.20 |
| 24. | .. | 1999-00 | 188 | 779.58 | 186 | 778.28 | 2 | 1.30 |
| 25. | .. | 2000-01 | 185 | 2574.58 | 177 | 2509.13 | 8 | 65.45 |
| 26. | .. | 2001-02 | 178 | 1495.87 | 151 | 1018.84 | 27 | 477.03 |
| 27. | .. | 2002-03 | 196 | 1370.66 | 160 | 1138.32 | 36 | 232.34 |
| 28. | .. | 2003-04 | 240 | 1422.17 | 161 | 956.72 | 79 | 465.45 |
| 29. | .. | 2004-05 | 240 | 1706.06 | 94 | 569.91 | 146 | 1136.14 |
| | योग | | 3199 | 12844.94 | 2863 | 10450.08 | 336 | 2394.86 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट -VIII-ड
(पैराग्राफ 8.42 के संदर्भ में)
निरंतर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | वर्ष | संस्वीकृत प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान | मंत्रालय द्वारा अव्ययित प्रावधानों हेतु बताए गए कारण |
|----------|--|---------|--------------------|---------------|------------------|---|
| 1. | 2225.02.001.01 अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग | 2003-04 | 5.00 | 3.17 | 1.83 | बचत रिक्त पदों को न भरने तथा 2004-05 के मध्य आयोग को बंद करने के कारण थी। |
| | | 2004-05 | 2.38 | 1.32 | 1.06 | |
| 2. | 2225.02.001.06 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 2003-04 | 0.23 | -- | 0.23 | बचत पदों को न भरने तथा अति अनुशासित उपायों के कारण थी। |
| | | 2004-05 | 4.51 | 3.65 | 0.86 | |
| | | 2005-06 | 4.56 | 3.28 | 1.28 | |
| 3. | 2225.02.277.05 आदिम जनजातीय समूहों का विकास | 2003-04 | 6.00 | 4.75 | 1.25 | बचत संशोधित स्तर पर व्यय विभाग द्वारा लागू कटौती के कारण थी। |
| | | 2004-05 | 6.00 | 5.80 | 0.20 | |
| 4. | 2225.02.277.09 अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य | 2003-04 | 0.50 | -- | 0.50 | कारण नहीं बताए |
| | | 2004-05 | 0.50 | -- | 0.50 | |
| | | 2005-06 | 0.40 | -- | 0.40 | |
| 5. | 2225.02.277.10 गै.सं.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 2003-04 | 0.50 | -- | 0.50 | कारण नहीं बताए |
| | | 2004-05 | 0.50 | 0.14 | 0.36 | |
| | | 2005-06 | 0.40 | 0.19 | 0.21 | |
| 6. | 2225.02.277.11 पी.एम.एस. बुक बैंक योजना तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन | 2003-04 | 0.15 | -- | 0.15 | कारण नहीं बताए |
| | | 2004-05 | 0.15 | -- | 0.15 | |
| | | 2005-06 | 0.50 | 0.02 | 0.48 | |
| 7. | 2225.02.800.10 जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास हेतु कम साक्षरता वाले स्थल पर शैक्षिक कॉम्प्लेक्स | 2003-04 | 8.00 | 5.75 | 2.25 | बचत पूर्ण प्रस्ताव की अप्राप्ति के कारण थी। |
| | | 2004-05 | 8.50 | 7.68 | 0.82 | |
| | | 2005-06 | 6.00 | 6.00 | -- | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | वर्ष | संस्वीकृत प्रावधान | वास्तविक व्यय | अव्ययित प्रावधान | मंत्रालय द्वारा अव्ययित प्रावधानों हेतु बताए गए कारण |
|----------|---|---------|--------------------|---------------|------------------|---|
| 8. | 2225.02.800.11 जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण | 2003-04 | 4.00 | 1.18 | 2.82 | बचत पूर्ण प्रस्ताव की कम प्राप्ति के कारण थी। |
| | | 2004-05 | 4.00 | 0.57 | 3.43 | |
| | | 2005-06 | 1.40 | 0.73 | 0.67 | |
| 9. | 2225.02.800.15 बाह्य शिक्षण हेतु अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति | 2003-04 | 0.80 | 0.25 | 0.55 | बचत पूर्ण प्रस्ताव की कम प्राप्ति के कारण थी। |
| | | 2004-05 | 0.80 | 0.27 | 0.53 | |
| | | 2005-06 | 0.80 | 0.28 | 0.52 | |
| 10. | 2225.02.800.19 गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 2003-04 | 30.50 | 26.90 | 3.60 | बचत पूर्ण प्रस्ताव की कम प्राप्ति के कारण थी। |
| | | 2004-05 | 30.50 | 29.30 | 1.20 | |
| 11. | 2225.02.800.21 अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य | 2003-04 | 3.00 | 2.70 | 0.30 | बचत पूर्ण प्रस्ताव की अप्राप्ति के कारण थी। |
| | | 2004-05 | 3.00 | 1.08 | 1.92 | |
| | | 2005-06 | 2.20 | 1.37 | 0.83 | |
| 12. | 4225.02.102.02 ट्राइफेड हेतु निवेश/मूल्य समर्थन | 2003-04 | 0.01 | -- | 0.01 | आर्थिक कार्यों पर मंत्रीमंडल समिति की अनुमति की अप्राप्ति के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे। |
| | | 2004-05 | 4.01 | -- | 4.01 | |
| | | 2005-06 | 6.00 | -- | 6.00 | |
| 13. | 4225.80.190.13 राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता | 2003-04 | 37.50 | 17.29 | 20.21 | बचत व्यय विभाग द्वारा लागू कटौती तथा मूल्यांकन अध्ययन के साथ जोड़ने के कारण थी। |
| | | 2004-05 | 35.50 | 24.75 | 10.75 | |
| | | 2005-06 | 27.00 | -- | 27.00 | |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट - VIII-च
(पैराग्राफ 8.42 के संदर्भ में)
संस्वीकृत प्रावधानों से अधिक व्यय के विवरण

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | अधिक व्यय | | | मंत्रालय द्वारा अधिक व्यय हेतु बताए गए कारण |
|------------------------|--|--------------------|---------------|-----------|--|
| | | संस्वीकृत प्रावधान | वास्तविक व्यय | अधिक व्यय | |
| वर्ष 2005-06 | | | | | |
| राजस्व अनुभाग (दत्तमत) | | | | | |
| 1. | 2225.02.800:19 गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 22.35 | 26.11 | 3.76 | मुख्य शीर्ष "2552" से उत्तर-पूर्व क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए व्यय करने हेतु संबन्धित क्रियाशील शीर्ष को निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण अधिक व्यय। |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट -VIII-छ
(पैराग्राफ 8.44 के संदर्भ में)
अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत | बचत की प्रतिशतता |
|-----------------------|--|--------------|---------------|-------|------------------|
| 2003-04 | | | | | |
| राजस्व अनुभाग | | | | | |
| 1. | 2225.02.001.06 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 0.01 | -- | 0.01 | 100 |
| 2. | 2225.02.277.09 अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य | 0.50 | -- | 0.50 | 100 |
| 3. | 2225.02.277.10 गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 0.50 | -- | 0.50 | 100 |
| 4. | 2225.02.277.11 पी.एम.एस. बुक बैंक योजना तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन | 0.15 | -- | 0.15 | 100 |
| 5. | 2225.02.800.08 जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना | 0.50 | -- | 0.50 | 100 |
| 6. | 2225.02.800.11 जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण | 4.00 | 1.18 | 2.82 | 71 |
| 7. | 2225.02.800.12 ग्रामीण अन्न बैंक | 30.00 | 1.07 | 28.93 | 96 |
| 8. | 2225.02.800.15 बाह्य शिक्षण हेतु अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति | 0.80 | 0.25 | 0.55 | 69 |
| पूंजीगत अनुभाग | | | | | |
| 9. | 4225.02.102.02 ट्राइफेड हेतु निवेश/मूल्य समर्थन | 0.01 | -- | 0.01 | 100 |
| 10. | 4225.80.190.13 राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता | 37.50 | 17.29 | 20.21 | 54 |
| 2004-05 | | | | | |
| राजस्व अनुभाग | | | | | |
| 11. | 2225.02.277.09 अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य | 0.50 | -- | 0.50 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत | बचत की प्रतिशतता |
|------------------------------|---|--------------|---------------|-------|------------------|
| 12. | 2225.02.277.10 गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 0.50 | 0.14 | 0.36 | 72 |
| 13. | 2225.02.277.11 पी.एम.एस. बुक बैंक योजना तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन | 0.15 | -- | 0.15 | 100 |
| 14. | 2225.02.800.08 जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना | 0.50 | -- | 0.50 | 100 |
| 15. | 2225.02.800.11 जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण | 4.00 | 0.57 | 3.43 | 86 |
| 16. | 2225.02.800.12 ग्रामीण अन्न बैंक | 32.50 | -- | 32.50 | 100 |
| 17. | 2225.02.800.15 बाह्य शिक्षण हेतु अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति | 0.80 | 0.27 | 0.53 | 66 |
| 18. | 2225.02.800.21 अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य | 3.00 | 1.08 | 1.92 | 64 |
| 19. | 2225.02.800.22 मानीटरिंग एवं मूल्यांकन | 0.50 | -- | 0.50 | 100 |
| 20. | 2225.02.800.24 जनजातीय संस्कृति का उन्नयन | 0.50 | -- | 0.50 | 100 |
| 21. | 3602.04.360.04 गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 80 |
| पूँजीगत अनुभाग | | | | | |
| 22. | 4225.02.102.02 ट्राइफेड हेतु निवेश/मूल्य समर्थन | 4.01 | -- | 4.01 | 100 |
| 23. | 4225.80.190.15 आदिवासी भवन का निर्माण | 7.00 | -- | 7.00 | 100 |
| 2005-06 राजस्व अनुभाग | | | | | |
| 24. | 2013.00.105.05 जनजातीय कार्य मंत्रालय | 0.02 | -- | 0.02 | 100 |
| 25. | 2225.02.277.09 अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य | 0.40 | -- | 0.40 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत | बचत की प्रतिशतता |
|-----------------------|---|--------------|---------------|-------|------------------|
| 26. | 2225.02.277.10 गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 0.40 | 0.19 | 0.21 | 53 |
| 27. | 2225.02.277.11 पी.एम.एस. बुक बैंक योजना तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन | 0.50 | 0.02 | 0.48 | 96 |
| 28. | 2225.02.800.15 बाह्य शिक्षण हेतु अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति | 0.80 | 0.28 | 0.52 | 65 |
| 29. | 2225.02.800.24 जनजातीय संस्कृति का उन्नयन | 0.30 | -- | 0.30 | 100 |
| पूँजीगत अनुभाग | | | | | |
| 30. | 4225.02.102.02 .द्राइफेड हेतु निवेश/मूल्य समर्थन | 6.00 | -- | 6.00 | 100 |
| 31. | 4225.80.190.13 राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता | 27.00 | -- | 27.00 | 100 |
| 32. | 4225.80.190.15 आदिवासी भवन का निर्माण | 0.01 | -- | 0.01 | 100 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

परिशिष्ट -VIII-ज
(पैराग्राफ 8.47 के संदर्भ में)
समस्त बजट प्रावधान का अप्रयुक्त रहना

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | उप-शीर्ष | कुल प्रावधान/पुनर्विनियोजित/ अभ्यर्पित राशि | |
|----------------|----------------|---|-------|
| 2003-04 | | | |
| 1. | 2225.02.001.06 | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 0.23 |
| 2. | 2225.02.277.09 | अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य | 0.50 |
| 3. | 2225.02.277.10 | गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 0.50 |
| 4. | 2225.02.277.11 | पी.एम.एस. बुक बैंक योजना तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन | 0.15 |
| 5. | 2225.02.800.08 | जनजातीय उपयोगिता क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना | 0.50 |
| 6. | 3601.04.360.10 | गै.स.सं. को सहायता अनुदान गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 0.95 |
| 7. | 4225.02.102.02 | ट्राइफेड हेतु निवेश/मूल्य समर्थन | 0.01 |
| 2004-05 | | | |
| 8. | 2225.02.277.09 | अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य | 0.50 |
| 9. | 2225.02.277.11 | पी.एम.एस. बुक बैंक योजना तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन | 0.15 |
| 10. | 2225.02.800.08 | जनजातीय उपयोगिता क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना | 0.50 |
| 11. | 2225.02.800.12 | ग्रामीण अन्न बैंक | 32.50 |
| 12. | 2225.02.800.22 | मानीटरिंग एवं मूल्यांकन | 0.50 |
| 13. | 2225.02.800.24 | जनजातीय संस्कृति का उन्नयन | 0.50 |
| 14. | 3601.03.360.08 | जनजातीय संस्कृति का उन्नयन | 1.00 |
| 15. | 4225.02.102.02 | ट्राइफेड हेतु निवेश/मूल्य समर्थन | 4.01 |
| 16. | 4225.80.190.15 | आदिवासी भवन का निर्माण | 7.00 |
| 2005-06 | | | |
| 17. | 2225.02.277.09 | अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य | 0.40 |

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2005-06

(करोड़ रुपयों में)

| क्र. सं. | | उप-शीर्ष | कुल प्रावधान/पुनर्विनियोजित/ अभ्यर्पित राशि |
|----------|----------------|---|--|
| 18. | 2225.02.800.24 | जनजातीय संस्कृति का उन्नयन | 0.30 |
| 19. | 3601.03.360.08 | जनजातीय संस्कृति का उन्नयन (प्रभारित) | 0.70 |
| 20. | 3602.04.360.04 | गै.स.सं. को अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण एवं सम्बन्धित योजना एवं अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित सहायता अनुदान | 0.05 |
| 21. | 4225.02.102.02 | ट्राइफेड हेतु निवेश/मूल्य समर्थन | 6.00 |
| 22. | 4225.80.190.13 | राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता | 27.00 |
| 23. | 4225.80.190.15 | आदिवासी भवन का निर्माण | 0.01 |

शब्दावली

| | |
|------------------------------|---|
| 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल | : जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है। |
| 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल | : इस राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थाई अधिशेष निधियाँ निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। |
| 364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल | : 364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है। |
| 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल | : उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है। |

तदर्थ खजाना बिल : जब कभी सरकार का नकद शेष 50 करोड़ रु. के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि.बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय प्रपत्र। जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाए सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिए गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।

विनियोग : विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।

विनियोग लेखे : विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।

विनियोग अधिनियम : संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।

विनियोग विधेयक : लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारत किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

- पूँजीगत व्यय** : इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूँजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।
- पूँजीगत प्राप्ति** : पूँजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।
- प्रभारित विनियोग** : संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
- भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)** : भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय) तथा पूँजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्ज इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।
- भारत की आकस्मिकता निधि** : विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर जाली जाएंगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं।
- ऋण सेवा** : देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
- अनुदानों की मांग** : अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है।
- : जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के बाद का मिलान होना चाहिए।

- अधिक अनुदान** : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- बाह्य ऋण** : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बैं., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
- राजकोषीय घाटा** : यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।
- उपादान लागत पर स.घ.उ.** : उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
- बाजार मूल्य पर स.घ.उ.** : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका माप चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।
- आन्तरिक ऋण** : भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्जे, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे "भारत में लिया गया ऋण" भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- एम-3** : यह व्यापक मुद्रा है जिसे जनता के पास मुद्रा, मांग-जमा और बैंकों में सावधि जमा तथा अन्य भारतीय रिजर्व बैंक में जमा मुद्रा, के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य शीर्ष** : लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष** : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होते हैं।
- नयी सेवा** : सरकार ने पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुछ वित्तीय सीमाएं निर्धारित की हैं जिससे बाहर किया गया व्यय "नई सेवा/सेवा का नया साधन" बन जाता है।

- मूल अनुदान** : किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- प्रारंभिक घाटा** : राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अब्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
- लोक लेखा** : भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न ऋण से संबंधित लेन-देन शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रणीत किए जाते हैं।
- लोक ऋण (भारत का)** : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
- पुनर्विनियोजन** : इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
- आरक्षित धन** : यह मौद्रिक आधार है। यह सरकार को भा.रि.बैं. के निवल क्रेडिट, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावों, वाणिज्यिक क्षेत्र में भा.रि.बैं. के क्रेडिट, भा.रि.बैं. का निवल विदेशी विनिमय, लोक लेखे में सरकार की मुद्रा देयता में घटा भा.रि.बैं. की निवल अमौद्रिक देयताओं की राशि है।
- राजस्व घाटा** : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
- राजस्व व्यय** : यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुसंधान व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
- राजस्व प्राप्तियां** : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- स्टॉक** : स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।

- अनुपूरक अनुदान** : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेगी।
- अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण** : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में अव्ययित प्रावधानों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।
- टैप खजाना बिल** : 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।
- खजाना बिल** : खजाना बिल ऐसे साधन है जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्ज को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।
- अव्ययित प्रावधान** : जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब अव्ययित प्रावधान होते हैं।
- दत्तमत्त अनुदान** : अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।